दसवीं माला, खंड 3, अंक 23

शुक्रवार, 9 अगस्त, 1991
18 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 9 अगस्त, 1991 / 18 श्रावण, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
मुख्य पृष्ठ	5	"दशवीं" के स्थान पर "दसवीं" पढ़िये।
24	नीचे से पंक्ति 10	"(क) और (क)" के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये।
82	नीचे से पंक्ति 9	प्रश्न संख्या "2204" को "2404" पढ़िये।
88	12	"(ङ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
92	8	"(घ)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
112	6	शीर्षक में "करवो" के स्थान पर "करना" पढ़िये।
185	11	"श्री विलासराव गुन्डेवार" के स्थान पर "श्री विलासराव नागनाथराव गुन्डेवार" पढ़िये।
195	नीचे से पंक्ति 13	शीर्षक में "जाम" के स्थान पर "आम" पढ़िये।
216	15	"श्री फूलचन्द सर्मा" के स्थान पर "श्री फूलचन्द वर्मा" पढ़िये।
226	नीचे से पंक्ति 14	"श्री के.पी.रेड्यूया यादव" के स्थान पर "श्री के. पी. रेड्डय्या यादव" पढ़िये।
243	नीचे से पंक्ति 10	"श्री के. प्रधारी" के स्थान पर "श्री के. प्रधानी" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 3, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 23, शुक्रवार, 9 अगस्त, 1991/18 श्रावण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
स्वतन्त्रता आन्दोलन के शहीदों तथा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	3—18
*तारांकित प्रश्न संख्या : 367, 369, 373, 374 और 376	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	19—223
तारांकित प्रश्न संख्या : 366, 368, 370 से 372, 375 और 377 से 385	19—28
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2334 से 2395, 2397 से 2432 और 2434 से 2540	28—223
आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चंदूर गांव में हुई हरिजनों की नृशंस हत्या के बारे में	224—246
सभा पटल पर रखे गए पत्र	246—260
राज्य सभा से सन्देश	260
सभा का कार्य	261—263
समितियों के लिए निर्वाचन	264—266
(एक) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड	264

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) नारियल विकास बोर्ड	264
(तीन) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	264
(चार) चाय बोर्ड	265
(पांच) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	265
(छ:) केन्द्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय केडिट कोर	266
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया	266—274
और	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	267
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	270
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	274
15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों तथा पूजा-स्थलों की यथापूर्व स्थिति बनाए रखने हेतु उपाय किए जाने के बारे में संकल्प	274—306
श्री शरद दिघे	274
श्री सैयद शाहबुद्दीन	278
श्री विश्वनाथ शास्त्री	291
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	293
श्री पवन कुमार बंसल	295
श्री ई० अहमद	298
श्री अर्जुन सिंह	303

विषय	पृष्ठ
आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	306—312
और	
आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सैयद शाहबुद्दीन	306
श्री राम लाल राही	308
श्री सुधीर गिरि	309
श्री मणि शंकर अय्यर	312

लोक सभा

शुक्रवार, 9 अगस्त, 1991/18 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों और हिरोशीमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज के दिन शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की 49वीं वर्षगांठ है।

हम उन देशभक्तों की याद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने विदेशी दासता की बेड़ियों से हमारी मातृभूमि को स्वतन्त्र कराने के लिए अपना जीवन बलिदान किया। हम अपने आपको उन उच्च आदर्शों को अर्पित करें जिनके लिए उन्होंने यह उच्चतम बलिदान किया।

आज ही के दिन जापानी शहरों हिरोशीमा और नागासाकी पर क्रमश: 6 और 9 अगस्त, 1945 को गिराए गए परमाणु बम के कारण व्यापक विनाश और अकल्पनीय मानव यंत्रणा की भी याद आती है। बमों की रेडियोधर्मिता इतनी अधिक थी कि आने वाली पीढ़ियां भी इसके बुरे परिणामों से नहीं बच सकती हैं। अभी तक भी आणविक युद्ध का खतरा अपने विनाशक परिणामों के साथ डेमेक्लस की तलवार की तरह मानव जाति पर लटक रहा है। इसलिए जब दोनों महाशक्तियों ने आणविक निशस्त्रीकरण और आणविक हथियारों के भंडार समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए तब विश्व ने राहत की सांस लीं। मास्को में हस्ताक्षर किए गए सामरिक अस्त्र नियंत्रण समझौते का सभा पहले ही स्वागत कर चुकी है जिसमें पहली बार संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के सामरिक महत्व के अस्त्र-शस्त्रों को कम करने का प्रावधान है और इस सम्बन्ध में 2 अगस्त, 1991 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया था।

अब सभा स्वतन्त्रता आंदोलन के शहीदों और परमाणु विभीषिका के हताहतों की याद में थोड़ी देर मौन खड़ी हो।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, मंत्रिमण्डल के एक सदस्य के वक्तव्य के कारण सरकार और मेरी पार्टी के सम्बन्धों में एक गतिरोध आ गया था और मेरी पार्टी के सांसदों के मन में जो रोष था उसकी अभिव्यक्ति कल उन्होंने की और आपने इस गति-

रोध को दूर करने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं से सलाह-मशविरे की प्रतिक्रिया कल शुरू की। वह प्रतिक्रिया आज प्रातःकाल तक चलती रही और कुछ सुझाव भी उभर करके उसमें से आए। मैं पार्टी के नेता के नाते उन प्रस्तावों पर विचार कर रहा हूं। यद्यपि मेरी पहली प्रतिक्रिया यह है कि उससे मेरी पार्टी को संतोष नहीं है क्योंकि यह एक बहुत छोटी बात थी, जिस छोटी-सी बात का निराकरण बहुत सहज रूप से हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि सरकार की अपनी कोई मजबूरियां होंगी, मैं नहीं जानता हूं। आज 9 अगस्त का दिन, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और अच्छा है कि आपने उस 9 अगस्त के क्विट इण्डिया मूवमेंट में शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए, सारे सदन ने उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। अगले वर्ष में उसकी 85वीं वर्ष-गांठ है और 1992 में पचास साल पूरे होंगे।

मुझे विश्वास है कि राष्ट्र उसको उपयुक्त रूप से मनाएगा, लेकिन जहां तक इस गतिरोध का सवाल है, मुझे लगता है कि इसको दूर करने के लिए सरकार को और आगे बढ़ना चाहिए। आज 9 अगस्त होने के कारण मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा कि उस मामले को आज आगे न बढ़ाएं और हम आज की जो सरकारी कार्यवाही है उसमें भाग लेने में अपने को असमर्थ मानते हैं, हम उसमें भाग नहीं लेंगे। आपकी इजाजत से मैं सदन का त्याग करना चाहता हूं, अपने सब साथियों के साथ, क्योंकि कार्यवाही तब तक चलती रहे। लेकिन जहां तक आपका प्रयत्न है, गतिरोध को दूर करने का, मुझे विश्वास है कि वह जारी रहेगा और सरकार उस मामले में ठीक प्रकार से परिमार्जन कर सकेगी। आज के इस दिन पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था सदन में हो, यह मैं नहीं चाहूंगा और इसीलिए मैं अपने सभी साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि सदन का त्याग करें।

11.13 म० पू०

[अनुवाद]

(इस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)
(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, अभी लीडर्स की बैठक हुई थी और उस बैठक में इस समस्या का निदान हुआ था। बी० जे० पी० के नेता भी बैठक में थे, अब वे बायकाट कर गए हैं। इसका मतलब यह है कि लीडर्स की बैठक में जो प्रस्ताव आया था, उस पर फिर से पुनर्विचार किया जाएगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, जब हम आपके कक्ष से बाहर आए थे तब हमें पूर्ण विश्वास था और आपसी सहमति थी। अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों ने इसे स्वीकार नहीं किया है जबकि हमारी धारणा भिन्न थी। इसलिए हम मानते हैं कि अब आपसी सहमति नहीं रह गई है। जो निर्णय लिया गया था वह प्रमुख दलों में से एक को क्रियान्वित नहीं करना है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

एक माननीय सदस्य : भारतीय जनता पार्टी ने इसको रद्द कर दिया है।

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री चटर्जी द्वारा की गई व्याख्या सही है क्योंकि आपके कक्ष में जो हुआ मैं उसका यहां उल्लेख नहीं करना चाहता हूं लेकिन तथ्य यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि उस समय जो भी निर्णय लिया गया था अब उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। यह अलग बात है कि प्रयास जारी रहेंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तापी और नर्मदा नदियों से गाद निकालना

[हिन्दी]

*367. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने तापी और नर्मदा नदियों से गाद निकालने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है ?

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) नर्मदा नदी में भाडभूट और भड़ौच के बीच जलमार्ग के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित 4.93 करोड़ रुपए की लागत वाली एक स्कीम अक्तूबर, 1989 में मंजूर की गई थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। इस स्कीम के अन्तर्गत 1.45 करोड़ रु० की लागत से जलमार्ग के कम गहरे क्षेत्रों का विकास भी किया जाना है। गुजरात नौचालन बोर्ड ने, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए ताप्ती नदी के निकर्षण सहित 91.42 करोड़ रु० की अनुमानित लागत वाले समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री छीतू भाई गामित : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गुजरात में नर्मदा और ताप्ती सबसे बड़ी और लम्बी नदियां हैं। इन नदियों में कई सालों से इतना गाद जमा है जिसकी वजह से पूरी नदी दिखती नहीं है। नदी के तट पर सूरत

जैसे बड़े शहर हैं जिनके पर्यावरण पर बहुत बुरा असर हुआ है। पर्यावरण दूषित होने के असर को ध्यान में रखते हुए, यह गाद निकालने का जो कार्यक्रम है, उसको भारत सरकार खूब महत्व देकर इस कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी चालू करने के लिए अगर सरकार निर्णय करेगी तो कब निर्णय करेगी। इसके बारे में बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि नर्मदा और ताप्ती नदियां उन दस जलमार्गों में से एक हैं जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाना है। लेकिन राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने उन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित नहीं किया। यह राज्य का दायित्व है। लेकिन सितम्बर, 1989 में नर्मदा नदी में भाड़भूट और भड़ौच के बीच जलमार्ग विकसित करने के लिए राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस उद्देश्य के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना से 4.93 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया। लेकिन यह कहते हुए मुझे दु:ख हो रहा है कि आज तक राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री छीतू भाई गामित : अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल यह है कि सूरत के नजदीक हजीरा में सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगी है और लग रही है जबकि सूरत भी सबसे बड़ा इंडस्ट्रीयल सिटी है। अगर ताप्ती और नर्मदा नदियों में से गाद निकाला जाए तो इनका उपयोग हो सकता है जिससे ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी सुविधा हो सकती है। क्या जल-मार्ग के उपयोग के लिए भारत सरकार राज्य सरकार को गाद निकालने का कोई खास निर्देश देगी।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, हमारे पास दो योजनायें हैं, एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना और दूसरी राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में लेना चाहिए जिसमें 50% धन हम देंगे। लेकिन आज तक राज्य सरकार यह कार्य करने के लिए बहुत उत्सुक दिखाई नहीं दी है।

भारतीय पटसन निगम

*369. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय पटसन निगम को बन्द करने अथवा इसके कार्यों में कमी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का भारतीय पटसन निगम के कार्य-तंत्र को सुदृढ़ बनाने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान अब तक, राज्य-वार कुल कितना कच्चा पटसन खरीदा गया है?

[हिन्दी]

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कच्चे पटसन की कीमतों में न्यूनतम समर्थन स्तरों से नीचे गिरावट आने की स्थिति में बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई कच्चे पटसन की सम्पूर्ण मात्रा की खरीद के लिए भारतीय पटसन निगम की विद्यमान अवस्थापना पर्याप्त है।

(घ) पटसन वर्ष 1991-92 (जुलाई, 1991 से जून, 1992 तक) के दौरान भारतीय पटसन निगम ने अब तक कच्चे पटसन की कोई खरीद नहीं की है।

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि न्यूनतम समर्थन स्तरों से नीचे मूल्यों में गिरावट आने की स्थिति में बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई कच्चे पटसन की सम्पूर्ण मात्रा की खरीद के लिए भारतीय पटसन निगम की विद्यमान अवस्थापना पर्याप्त है। लेकिन तथ्य यह है कि भारतीय पटसन निगम का कार्य-निष्पादन शुरू से ही निराशाजनक रहा है। उदाहरण के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1990-91 में ग्यारह पटसन उत्पादक राज्यों में 85 लाख गांठें उत्पादित की गई थीं। लेकिन भारतीय पटसन निगम ने इस मात्रा में से केवल 6.4 लाख गांठें खरीदीं। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए वे भारतीय जूट निगम के संचालनात्मक तंत्र को मजबूत करने के लिए तैयार हैं? मेरे विचार से यह आवश्यक है।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : जे० सी० आई० का निर्माण ही किसानों को सुरक्षा देने के लिए हुआ है। जे० सी० आई० ने जब न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे मूल्य आने की किसी ने बात की तो उसने मार्केट में जाकर खरीद की। पिछले दो सालों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर प्राइस रहे इसलिए उसको मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर भी उसने कमर्शियल आपरेशन करने की जो एन० जे० एम० सी० की डिमाण्ड थी उसके अनुसार उसने मार्केट में जाकर भाग लिया। इस पर भी जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि जे० सी० आई० का इन्फ्रास्ट्रक्चर है वह इतना बड़ा बना दिया गया है कि उसमें कमर्शियल आपरेशन करने की ताकत नहीं रही है। मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाना चाहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रोटेक्ट करने के लिए जे० सी० आई० मार्केट में आने के लिए तैयार है और पूरी तरह सक्षम है। जहां तक उसके ढांचे को और मजबूत करने की बात है तो वह पहले से ही इतना मजबूत है कि अगर

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रोक्योरमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है तो वहां मजबूत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वह पहले से ही काफी मजबूत है।

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है कि जब फसल बहुत अच्छी हुई और कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम हो गईं तब भारतीय पटसन निगम इस सीमित अवस्थापना के साथ बाजार में आने वाले कुल कच्चे माल का 15 से 20 प्रतिशत ही क्यों खरीद सका। हमने यह आंकड़े इकट्ठे किये हैं। अत: मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि (क) क्या वे कच्चे माल की वाणिज्यिक खरीद करने के लिए भारतीय पटसन निगम को अनुदेश देने का प्रस्ताव रखते हैं। पटसन निगम पर मन्त्रालय द्वारा अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगाए गए हैं जिनसे बाजार-पूर्व संचालन कठिन हो जाता है। यह अनुभव रहा है कि जब भी फसल कम होती है और पटसन बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तब पटसन निगम बिना किसी उद्देश्य और इच्छा से यह पटसन खरीद लेता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत पटसन की 7 से 8 लाख गांठें खरीदी गईं। अत: मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि इस प्रकार की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या सोचा है ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : मैंने पहले ही कहा है कि जे० सी० आई० का इन्फ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि करीब तीन हजार कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं। जबकि उसके पास इतना काम नहीं है। वर्ष में केवल तीन महीने ही उसको काम करने की आवश्यकता पड़ती है, वह भी तब जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात आती है। इसलिए हम जे० सी० आई० के लिए सोच रहे हैं कि उसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाये जिससे उसमें कार्यरत कर्मचारियों का पूरा उपयोग हो सके। माननीय सदस्य ने जो कमर्शियल आपरेशन शुरू करने की बात कही है वह सरकार के ध्यान में है। वहां के कई माननीय सदस्य मुझे मिले थे। क्योंकि बजट समय पर पास नहीं हुआ इसलिए वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है। हम जल्दी कमर्शियल आपरेशन शुरू करेंगे।

श्री मोहम्मद युनुस सलीम : स्पीकर साहब, वैस्ट बंगाल की तरह बिहार में भी जूट की पैदावार काफी होती है। आन्ध्रा में, उड़ीसा में भी होती है। बिहार स्टेट में कटिहार में एक जूट मिल है जो 3-4 साल से बन्द पड़ी हुई है। जिस जमाने में वहां इलेक्शन के लिए गया था तो मुजतमा वहां के मजदूर और वर्कर्स आये और उन्होंने मेरे पास नुमांयदगी की। लेकिन जूट कारपोरेशन वाले उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और इस मुहायदे के बावजूद कि जब तक मिल बन्द रहेगा, उनको मिनिमम वेजेज दी जायेगी। हजारों आदमी इस फ़ाके से मर रहे हैं, उनके लिए कोई जॉब नहीं है। मैं मिनिस्टर साहब से यह मालूम करना चाहता हूं कि कटिहार जूट मिल को खोले जाने और उसका काम शुरू किये जाने और उसके जो मजदूर 3-4 साल से मजदूरी न मिलने की वजह से फ़ाकाकशी में मुबतला हैं, उनको मजदूरी देने के लिए क्या उपाय और तजवीज की जा रही हैं और क्या यह सही है कि उस मिल को खोले जाने के लिए कोई मीटिंग अरेंज की जा रही है जिसमें जूट कारपोरेशन के लोग भी शरीक होंगे ?

جناب محمد یونس سلیم: اسپیکر صاحب ویسٹ بنگال کی طرح بہار میں بھی جوٹ کی پیداوار کافی ہوتی ہے۔ بہار اسٹیٹ میں کیٹہار میں ایک جوٹ مل ہے جو تین چار سال سے بند پڑی ہوئی ہے۔ جس زمانے میں الیکشن کیلئے وہاں گیا تھا تو وہاں کے مجمع مزدور اور ورکرس آئے اور انہوں نے میرے پاس نمائندگی کی۔ لیکن جوٹ کارپوریشن والے اسمیں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں اور اس معاہدے کے باوجود کہ جب تک مل بند رہے گا انکو مینیمم ویجز دی جائیگی۔ ہزاروں آدمی اس فاقے سے مر رہے ہیں ان کے لئے کوئی جاب نہیں ہے۔

میں منسٹر صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیٹہار جوٹ مل کو کھولے جانے اور اس کا کام شروع کئے جانے اور اس کے جو مزدور تین چار سال سے مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے فاقہ کشی میں مبتلا ہیں ان کو مزدوری دینے کے لئے کیا اپائے اور تجویز کی جا رہی ہیں اور کیا یہ صحیح ہے کہ اس مل کو کھولے جانے کے لئے کوئی میٹنگ اریج کی جا رہی ہے جس میں جوٹ کارپوریشن کے لوگ بھی شریک ہونگے؟

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की कटिहार मिल का मामला है, इसकी जानकारी प्राप्त कर उनको दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : हम लोगों को मालूम है कि यह जो जूट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया बना, सरकार जो मिनिमम स्पोर्ट प्राइस तय करती है, यह बहुत कम है, यह ज्यादा होनी चाहिए। वैस्ट बंगाल, बिहार के जो जूट ग्रोअर्स हैं, उन लोगों को यह प्राइस नहीं मिल रहा है और खास कर के जो अभी डिस्ट्रैस सेल शुरू हो रहा है। हमारे पास हर रोज टेलीग्राम आ रहे हैं कि जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया अभी तक मार्किट में नहीं आ रहा है और न आने के कारण डिस्ट्रैस सेल हो रहा है। किसान अपना जूट बेच रहा है लेकिन जूट का भाव गिर गया है और बहुत खराब हालत है। हम लोगों ने हाऊस में यह सवाल रैज किया है। यदि जे० सी० आई० ने परचेज शुरू नहीं किया तो हालत बहुत खराब हो जायेगी। सवाल यह है कि समस्या है, बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है। फाईनेंस मिनिस्टर हैं यहां पर…

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये, प्लीज़ ।

श्री वसुदेव आचार्य : अगर पैसा नहीं मिला तो जे० सी० आई० कैसे परचेज करेगा यह भी एक सवाल है । टैक्सटाइल मिनिस्टर साफ-साफ नहीं बता रहे हैं ? क्या प्राब्लम है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं है···

श्री वसुदेव आचार्य : किसान को फायदा नहीं है । फाइनेंस नहीं कर रहे हैं । इनको एनाउंस करना चाहिए । इसलिए हमारी मांग है कि यह जो डिस्ट्रेस हो रहा है, इसको बन्द करने के लिए जल्दी से जल्दी कब जे० सी० आई० मार्किट में आ रहा है, कब परचेज शुरू कर रहा है; यह जानकारी हम लोगों को बताइये ।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा था कि जे० सी० आई० की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि मैं नहीं बता रहा हूं, मैं सदन को बताना चाहता हूं और वास्तव में माननीय सदस्य को मालूम है कि जे० सी० आई० की फाइनेंशियल स्थिति क्यों बिगड़ी हुई है ?

श्री मोहम्मद युनुस सलीम : स्पीकर साहब, बड़ी मेहरबानी होगी अगर मिनिस्टर साहब से कहें कि यह तैयार होकर आया करें । हर सवाल के जवाब में अगर यह कह दें कि वे जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद जवाब देंगे ।

جناب محمد یونس سلیم: اسپیکر صاحب۔ بڑی مہربانی ہوگی اگر منسٹر صاحب سے کہیں کہ یہ تیار ہوکر آیا کریں۔ ہر سوال کے جواب میں اگر یہ کہہ دیں کہ وہ جانکاری حاصل کرینگے اس کے بعد جواب دیں گے۔

मंत्री महोदय को प्रत्येक प्रश्न के लिए तैयार होकर आना चाहिए । वह प्रश्न का उत्तर नहीं देते, वह उचित तैयारी नहीं करते ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको आम बातें पूछते-पूछते विशिष्ट बातें और विशिष्ट बातें पूछते-पूछते आम बातें नहीं पूछनी चाहिएं ।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है कि अभी जो इन्होंने पहली बार मुझे यह कहा । इनका प्रश्न भी सवाल से हटकर था । इसलिए मैंने कहा कि जहां तक मुझे मालूम है और जहां माननीय सदस्य ने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जे० सी० आई० की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है । क्यों अच्छी नहीं हैं, मैं समझता हूं कि मुझसे अधिक माननीय सदस्य जानते हैं कि किस प्रकार से वहां पर 3 हजार लोग एम्प्लाईज हो चुके हैं । उनकी हालत यह है कि वह 16 करोड़ रुपया खाली अपनी तनख्वाह में चुका रहे हैं । आज 10 करोड़ का जूट जो है वहां पर नदिया में और कंपनी के गोदामों में पड़ा हुआ है । मैंने

कलकत्ता में माननीय सदस्य की जो भावना देखी तो मैं स्वयं कलकत्ता गया। वहां मैंने जानकारी प्राप्त की और वहां के हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं स्वयं मिला हूं और मैंने निवेदन किया है कि करीब 10 करोड़ का जूट पिछले पांच सालों से गोदामों में बंद पड़ा है और कोर्ट केस में जे० सी० आई० जीत गई है। उसके बावजूद भी हम पुलिस की सहायता के बगैर उसको निकाल नहीं पाएंगे। पांस साल के बाद उस जूट की स्थिति इतनी खराब हो चुकी होगी कि बैंक वाले स्वयं पैसा देने के लिए तैयार नहीं हैं। बैंक ने कॉर्मशियल ऑपरेशन को बंद कर रखा है। इसलिए हमने कहा है कि अगर बैंक की गारंटी मांग रही है जे० सी० आई० तो उसमें गारंटी दिए जाने के आदेश करें जिससे कि हम अपना कार्मशियल ऑपरेशन शुरू कर सकें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि क्योंकि बजट लेट पास हुआ है, फाइनेंशियल स्थिति इसलिए भी खराब है कि मार्च के अन्त में चार महीने का वोट ऑन अकाउन्ट पास किया गया। तब कुछ पैसा रिलीज हुआ, अब फिर दो महीने का वोट ऑन अकाउन्ट मिली है। हमें उम्मीद है कि जल्दी हमें स्वीकृति मिलेगी और हम उस ऑपरेशन को शुरू कर सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, भारतीय पटसन निगम एन० जे० एम० सी० को कच्चा पटसन बेचती है जो कि शत-प्रतिशत केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है और इसकी छह इकाइयां हैं। मैं एम० जे० एम० सी० फेडरेशन कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूं। उन्होंने अत्यावश्यक स्थिति के कारण मुझसे टेलीफोन पर बात की है और मैंने माननीय मंत्री को लिखा है कि एन० जे०एम० सी० को पटसन की आपूर्ति नहीं की जा रही है। एम० जे० एम० सी० भारतीय पटसन निगम के सिवा और किसी से पटसन नहीं खरीदती है।

यदि एन० जे० एम० सी० को पटसन की आपूर्ति नहीं की जाती है तो वे छह मिलें कार्य करना बंद कर देंगी। इसके बहुत ही गंभीर प्रभाव होंगे। इसलिए मैंने अपने पत्र के माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन किया है और पत्र-प्राप्ति की सूचना भी मुझे मिल गई है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि पटसन की आपूर्ति जारी करने के लिए पटसन निगम क्या कदम उठा रहा है ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में वहां की हालत बहुत खराब है क्योंकि करीब 100 करोड़ बकाया है एन०जे० एम० सी० का जे० सी० आई० में। हालत यह है कि एक विशियस सर्कल बन चुका है। उसको तोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि मैं मानता हूं कि यह सरकारी उपक्रम है। उसके बावजूद भी वहां पर जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया है हालत इतनी खराब है कि बैंक ने कार्मशियल ऑप-रेशन को सस्पेंड कर रखा है। इधर जे० सी० आई० करीब 100 करोड़ के आस-पास पैसा मांगती है एन० जे० एम० सी० से और एन० जे० एम० सी का घाटा 150 करोड़ के टर्न ओवर में 65 करोड़ का घाटा हो रहा है। सरकार इसको कब तक बरदाश्त करेगी ? मैं तो चाहूंगा कि आपकी सरकार के वहां जो वहां सी० पी० एम० की सरकार है वह भी हमें कार्पोरेट करें

श्री सोमनाथ चटर्जी : वहां लेफ्ट फ्रंट की सरकार है।

[अनुवाद]

ये सरकारी पटसन मिलें इसलिए बंद हो रही हैं क्योंकि उन्हें कच्चा पटसन नहीं मिल रहा है। अब वे कहते हैं कि एन० जे० एम० सी० की आर्थिक स्थिति खराब है। भारतीय पटसन निगम पर एन० जे० एम० सी० का पैसा बकाया है। इस अंतर्विभागीय लेन-देन के कारण क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी छः मिलों को बंद कर दिया जाना चाहिए? इसलिए आपको कोई रास्ता निकालना होगा।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने हकीकत बताई है। हम कार्यवाही करेंगे। हम उनको बंद नहीं होने देंगे।

[अनुवाद]

श्री आनन्द गजपति राजू पूसापति : अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में मेस्ता के लिए घटिया किस्म का पटसन पैदा किया जाता है। इसके लिए समर्थन मूल्य नहीं दिया गया है। यहां तक कि पिछली बार 1986-87 के दौरान जब अधिक पटसन का उत्पादन हुआ था तो भारतीय पटसन निगम इसे खरीदने के लिए आगे नहीं आई। दो वर्ष पहले भी ऐसा ही हुआ था।

मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस मेस्ता किस्म के पटसन के लिए कुछ पैसे अलग रखे जाएं ताकि उन्हें भारतीय पटसन निगम खरीद सके जिससे व्यापारियों के बदले गरीब किसानों को लाभ मिले।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको जानकारी है? आप इसका जवाब देना चाहेंगे?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, मैं पता करूंगा क्योंकि इस समय मेरे पास इन्फार्मेशन उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को समस्या की थोड़ी बहुत जानकारी होगी, पर पूरी जानकारी नहीं होगी।

बाजार में पटसन आने लगा है क्योंकि पटसन का मौसम आ गया है। जब तक भारतीय पटसन निगम पटसन की खरीद के लिए बाजार में नहीं उतरता है पटसन का मूल्य कम होता जाएगा। सच तो यह है कि उत्तर बंगाल के जिलों में मूल्यों में कमी आ रही है।

इसलिए एक ही विकल्प है कि भारतीय पटसन निगम बाजार में यथासंभव वाणिज्यिक दर पर पटसन की खरीद करें। यदि समर्थन मूल्य की समस्या रहेगी तो इस पटसन के मौसम में भारतीत पटसन निगम कोई खरीद नहीं करेगी।

क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि भारत सरकार भारतीय पटसन निगम को बाजार में लाने और पटसन पैदा करने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय कर रही है।

इस संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि पूर्व वायदे के अनुसार एन० जे० एम० सी० ने भारतीय पटसन निगम को पटसन की खरीद का कार्य शुरू करने के लिए 15 करोड़ रुपए दिए हैं ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एन० जे० एम० सी० ने सरकार के समक्ष एक अलग सहकारी एजेंसी गठित करने का प्रस्ताव रखा है जो भारतीय पटसन निगम के बदले आपकी ओर से कच्चा पटसन खरीदे और एन० जे० एम० सी० द्वारा किए गए प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, ऐसा कोई प्रस्ताव एन० जे० एम० सी० की तरफ से हमें प्राप्त नहीं हुआ है । जहां तक माननीय सदस्य के बाकी सुझावों का सम्बन्ध है, वे सरकार की जानकारी में हैं लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि जूट के जो भाव गिर रहे हैं, उनके सम्बन्ध में, मेरे पास फीगर्स हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं सदन का टाइम लेना नहीं चाहता क्योंकि पिछले महीने के अन्दर जरूर कुछ भाव कम हो गए हैं । पिछले वर्ष की तुलना में जो सपोर्ट प्राइस है, उसमें जून नौर्थ बंगाल में करीब 372 रु० के अगेन्स्ट 440 से 450 रु० तक की रेंज में मिल रहा है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : यह सही रिपोर्ट नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : मैं नार्थ बंगाल की बात ही कर रहा हूं । मैंने कहा कि 375 रु० के अगेन्स्ट 440 रुपए में यह मिल रहा है । वैसे भी अभी कोई सपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं आया है ।

श्री श्रीकान्त जैना : भारतीय पटसन निगम का नाम उड़ीसा में लोग नहीं जानते। इसने उड़ीसा में कभी भी अपना कार्य नहीं किया। वे कभी इस क्षेत्र में नहीं गए और न किसी भी कम्पनी से एक भी टन पटसन खरीदा है ।

माननीय मंत्री ने जैसा बताया है भारतीय पटसन निगम की यह स्थिति है, मैं माननीय मंत्री से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भारतीय पटसन निगम के माध्यम से वर्ष 1991-92 के दौरान पटसन बेचना चाहती है।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि बाजार में आएगी और जल्दी आएगी ।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : पटसन उद्योग एक सुपरिचित क्षेत्र है और वित्त मंत्री इसकी समस्या से अच्छी तरह परिचित हैं । उद्योग घाटा दिखा रहा है और व्यापार में लाभ हो रहा है और इसलिए कामगारों को बराबर हटाए जाने की धमकी दी जाती रहती है जबकि व्यापार के नाम पर लाभ बहुत अधिक हो रहा है। अधिसंख्य पटसन पैदा करने वाले छोटे किसान हैं।

भारतीय पटसन निगम को पटसन खरीदने के लिए बाजार में आना चाहिए। हमारी मांगों में एक मांग यह भी है कि ऐसे क्षेत्रों में केवल समर्थन मूल्य के मामले में ही नहीं बल्कि थोक व्यापार का कार्य भी भारतीय पटसन निगम के हाथ में होना चाहिए। प्रश्न यह है कि : क्या भारतीय पटसन निगम एक निर्धारित लक्ष्य के साथ बाजार में आएगी ? क्या भारतीय पटसन निगम 60 या 70 या 80 प्रतिशत कच्चा पटसन खरीदेगी जिसे बाजार में बेच दिया जाता है। श्री चिदम्बरम की इच्छा के बावजूद यदि ऐसा किया जाता है तो छोटे और सीमांत किसानों की रक्षा हो सकेगी और जो लाभ व्यापारिक क्षेत्र को मिल रहा है वह बन्द हो जाएगा और पूरा लाभ सार्वजनिक क्षेत्र को मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, सवाल वही है, इस बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि जे० सी० आई० किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनी है और माननीय सदस्य ने जो भावनाएं प्रकट की हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जे० सी० आई० किसानों के हितों की रक्षा करेगी। कितने परसेंट खरीदारी कर सकेगी, यह मैं अभी नहीं बता सकता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, लोक सभा की आवास समिति ने निर्णय लिया है कि इस तरह के कालीन के बजाय पटसन के कालीनों की खरीद करेगी और यह सभी सरकारी कार्यालयों में भी हो सकता है। (**व्यवधान**) केन्द्र सरकार द्वारा पटसन मिल के पूरे पटसन उत्पादों को खरीदा जा सकता है। इसलिए भारतीय पटसन निगम क्यों नहीं कच्चे पटसन को बाजार में खरीदता ? मैं समझता हूं कि इस विचार से मनमोहन सिंह जी प्रसन्न होंगे। उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का सुझाव अच्छा है। इस पर ध्यान दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि

[अनुवाद]

*373. **श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिल्ली में 11 अक्तूबर, 1990 को हुई अपनी बैठकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्यों को "केन्द्रीय सड़क निधि" से धनराशि देने के तरीकों पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र राज्य को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है; और

(घ) राज्य को धनराशि दिये जाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने राष्ट्रीय राजमार्गों को धन देने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श नहीं किया है, तो क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि 1985 से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब तक कितने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में पिछले 6-7 सालों से एक भी नया राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बना है जिसके कारण वहां के यातायात में बहुत मुश्किल आ रही हैं तथा उस एरिया के विकास में काफी तकलीफ हो रही है, तो एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में न बनाने का क्या कारण है और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आपके पास आया है, यदि आया है, तो आप उसके बारे में कब तक निर्णय लेंगे ?

श्री जगदीश टाईटलर : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो सच है कि डिवेलपमेंट कौंसिल में महाराष्ट्र के जो मन्त्री थे, उन्होंने यह सवाल उठाए ही नहीं, वहां दूसरी चीज बोली गई थी,

[अनुवाद]

राज्य की योजनाओं को केन्द्रीय सहायता और काम करने के अधिकार को संविधान में शामिल किया जाना है। आपके मन्त्री जी ने उस मुद्दे को कभी नहीं उठाया जिसे आप अभी उठाना चाह रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राज. मार्ग घोषित करने के 11 प्रस्ताव दिये गये हैं। यदि मुझे यह पता चल जाये कि बजट में इसके लिए कितना प्रावधान है तो इन सभी प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, मेरा दूसरा सुझाव है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और जो ऐसे मार्ग हैं जो बहुत ही कम चौड़े हैं, उनको चौड़ा करने की जरूरत है, जैसे सोलापुर से बीजापुर जाने वाला राजमार्ग नं० 13 है, उसकी चौड़ाई कम है और उस पर यातायात बहुत है, खासकर बरसात के दिनों में एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए उसको चौड़ा करने की बहुत जरूरत है, तो क्या मन्त्री महोदय के पास उसके बारे में भी प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है ?

श्री जगदीश टाईटलर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे स्टेट गवर्नमेंट से कहें कि वह प्रस्ताव भेजे। राज्य सरकार से प्रस्ताव आने के बाद हम पैसे को देखते हुए कंसीडर कर सकते हैं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि विगत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क कोष में महाराष्ट्र का कुल कितना योगदान है साथ ही केन्द्रीय सड़क कोष से विगत दो वर्षों में सड़कों के विकास के लिए कितनी राशि महाराष्ट्र को दी गई है ?

श्री जगदीश टाईटलर : विगत दो वर्षों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि मार्च, 1990 तक महाराष्ट्र के लिए कुल केन्द्रीय सड़क कोष से आवंटन 4416.06 लाख रुपये था जिसमें 3960.57 लाख रुपये स्वीकृत योजनाओं के लिए थे। मेरे पास अब भी 455.49 लाख रुपये शेष हैं जिसका उपयोग नयी योजनाओं के लिए किया जायेगा।

सड़क-निर्माण कार्य में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करना

***374. श्री हन्नान मोल्लाह†** :

प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सड़क-निर्माण कार्य में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है। सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए एक पूर्व अपेक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर शुल्क लगाने की व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 को संशोधित करना है, जिसे अभी किया जाना है।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, सरकार सभी चीजों का निजीकरण कर रही है। शायद स्वयं सरकार भी निजी हो जाएगी। अब वे सड़कों के मामले में ऐसा करने की सोच रहे हैं।··· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसका पहले से ही निजीकरण हो चुका है। (व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में वे निजी क्षेत्र को लगा रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि सड़क का स्वामित्व किसके पास होगा जो लोग सड़क उपयोग करेंगे उनका उस पर अधिकार कैसा होगा ? लोगों को उस सड़क का उपयोग करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएंगे ? (व्यवधान) दूसरा, उस संशोधन का विशेष पहलू क्या है ?

श्री जगदीश टाईटलर : संशोधन को अभी मन्त्रिमण्डल के समक्ष रखा जाना है, उसके पश्चात् मैं इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मैं उसे इस सत्र के दौरान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। जब एक बार इसे मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति मिल जाती है तभी मैं वह प्रस्ताव रखूंगा। इन प्रस्तावों के बारे में जो मुद्दा वे उठा रहे हैं उस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि हम उस पर विचार करेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह : प्रश्न के पहले भाग के बारे में आपका क्या कहना है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : निजी क्षेत्र तथा बैंकों का इसमें कितना-कितना योगदान होगा ?

श्री जगदीश टाईटलर : कैबिनेट द्वारा इस पर स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् मैं आपको इस सम्बन्ध में कुछ बता सकूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु क्या आपने इस बारे में विचार नहीं किया है ?

श्री जगदीश टाईटलर : मैंने इस बारे में सोचा है। परन्तु एक बार कैबिनेट इसकी स्वीकृति दे दे, उसके पश्चात् मैं इस सदन में आना चाहूंगा।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस निजी क्षेत्र में विदेशी पूंजी को भी लगाने दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह भी विचाराधीन है।

श्री जगदीश टाईटलर : यह विचाराधीन नहीं है। जो भी व्यक्ति हमारे विकास कार्य में हमारा साथ देना तथा उसमें भाग लेना चाहता है, उसका स्वागत है। परन्तु उसे देश के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। हम नियमों में ऐसी कोई भी छूट नहीं देंगे जिससे हमारे देश का अहित हो।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रस्तावित निजीकरण नई सड़कों की शुरुआत करने तक ही सीमित होगा अथवा यह वर्तमान सड़कों पर भी लागू होगा। साथ ही साथ वह यह भी बतायें कि दिल्ली से अमृतसर तक का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के चार लेनों का बनाने का कार्य कब तक पूरा होगा ?

श्री जगदीश टाईटलर : इस प्रश्न के अन्तिम भाग का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल : इस प्रश्न के प्रथम भाग का क्या उत्तर है ?

श्री जगदीश टाईटलर : हम चाहेंगे कि वे राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की गई सड़कों के निर्माण कार्य तथा विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग जो बहुत अच्छी हालत में नहीं हैं, उनका निर्माण कार्य आरम्भ करें। ठीक है, क्योंकि मेरे पास उनका रख-रखाव करने तथा उनकी दशा सुधारने के लिए उतना धन नहीं है। यदि कोई इस विकास कार्य में हमारी सहायता करना चाहता है, मुझे उसका स्वागत करने में प्रसन्नता होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उसमें पुल वगैरह भी शामिल होंगे ?

श्री जगदीश टाईटलर : जी हां।

श्री ई० अहमद : मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 47 तथा 17 के ऊपर पुल का निर्माण करने की कोई व्यापक योजना है। धन की कमी के कारण सरकार पर्याप्त मात्रा में धन प्रदान नहीं कर सकी थी। इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करने में निजी क्षेत्र को भी शामिल करना चाहेगी।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : जब निजी क्षेत्र को सड़क निर्माण करने का कार्य दिया जा रहा है तो जिस भूमि पर सड़क बनाई जाएगी क्या उस भूमि का स्वामित्व निजी क्षेत्र को दिया जायेगा ? यह भाग क है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा कैसे हो सकता है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसका उत्तर मन्त्री जी देंगे न कि आप।

इस प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि निजी क्षेत्र इसके सदृश नहीं है। हमें बताया गया है कि एक बड़ा क्षेत्र है, एक लघु क्षेत्र है, वहां पर लघु-उद्योग क्षेत्र, बृहत उद्योग क्षेत्र तथा एम० आर० टी० पी० क्षेत्र आदि है। अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या इनमें से प्रत्येक क्षेत्र पर सड़क निर्माण कार्य के लिए विचार किया जायेगा तथा इससे लाभ कमाने दिया जायेगा ?

श्री जगदीश टाईटलर : कोई भी व्यक्ति या क्षेत्र जो हमारे सड़क निर्माण कार्य में मदद करने के लिए आगे आयेगा, उसका स्वागत है तथा मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा कि उस भूमि के स्वामित्व का अधिकार किसी को भी नहीं दिया जायेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वित्त मन्त्री जी ने वास्तविक सम्पदा अनिवासी भारतीयों को दी है। वे ही वास्तविक सम्पदा पर हक रख सकते हैं तथा सड़कें बना सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वास्तविक सम्पदा अनिवासी भारतीयों को दी गई है।

श्री जगदीश टाईटलर : किसी के लिए भी यह संभव नही है कि वह आये तथा इतने बड़े भू-भाग को खरीद ले तथा फिर इससे लाभ कमाए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : परन्तु अनिवासी भारतीयों के लिए इसकी सम्भावना है।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं आपको बताना चाहूंगा कि यद्यपि इसकी सम्भावना है; परन्तु मैं उन्हें उस भू-भाग का मालिक बनने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : माननीय मन्त्री जी अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे "कि यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है"। मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 का जिक्र किया था तथा विश्व बैंक द्वारा ऋण के रूप में 53 करोड़ रु० की राशि दी गई थी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है। हो सकता है उनके पास इसके बारे में जानकारी न हो। इससे पूर्व पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने ठीक यही कहा था।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, यह एक विशिष्ट प्रश्न है क्योंकि विश्व बैंक द्वारा···से शुरू होने वाली अस्सी कि० मी० सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए विश्व बैंक द्वारा 53 करोड़ रु० की राशि दी गई थी ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सड़कों का निर्माण करने के लिए निजी व्यक्तियों को इस हेतु आमंत्रित करने के बारे में है। उसके पश्चात्, अब आप एक विशिष्ट प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं तथा यह भी हो सकता है कि मंत्री महोदय के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना न हो। खैर, आप प्रश्न पूछिए तथा यदि मन्त्री जी के पास कोई भी जानकारी होगी तो वे उसका उत्तर देंगे।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि यूरथाल से पश्चिमी जमुना नहर अर्थात् अस्सी कि० मी० तक की लम्बाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 पर चार लेने बनाने का कार्य कब तक पूरा होगा। यद्यपि विश्व बैंक द्वारा 53 करोड़ रुपए की राशि का कर्ज दिया गया था, यह अधूरा पड़ा हुआ है तथा पिछले ढाई वर्षों से इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या निकट भविष्य में इस कार्य के आरम्भ होने की संभावना है, यदि हां, तो कब तक इस कार्य के पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री जगदीश टाईटलर : मैंने माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया था कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं तथा मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कृष्णा नदी पर पुलों का निर्माण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हुए थे ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनके पास शायद इस बारे में कोई जानकारी न हो।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर पुल बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हुआ है ?

श्री जगदीश टाईटलर : इस विशिष्ट प्रश्न का मेरे पास कोई विशेष उत्तर नहीं है। उन विभिन्न कम्पनियों से मुझे काफी अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो यह निर्माण कार्य करना चाहती हैं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : मैं सड़क निर्माण कार्य में निजी क्षेत्र को शामिल करने के सरकार के इस विचार का स्वागत करता हूं। चूंकि सरकार निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन करने की योजना बना रही है, इसी के साथ-साथ मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र को इसमें सम्मिलित करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या यह निजी क्षेत्र द्वारा लाभ अर्जन करने तक ही यह सीमित होगा अथवा यह उपेक्षित पिछड़े क्षेत्रों में और बेहतर सड़कें सुनिश्चित भी करेगा।

श्री जगदीश टाईटलर : मेरे विचार से इसमें दोनों बातें आयेंगी।

श्री चन्द्रजीत यादव : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार निजीकरण करना चाहती है तथा ऐसा लगता है कि हमने निजीकरण के युग में प्रवेश कर लिया है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार का यह विचार है कि कोई भी ऐसा निजी क्षेत्र तब तक सड़क नहीं बना सकता जब तक कि वे अच्छा लाभ अर्जन न कर रहे हों। क्योंकि अन्त में इसका बोझ उन आम व्यक्तियों को ढोना पड़ेगा जो उन सड़कों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे उन पर सड़क कर तथा पुल कर इत्यादि लगा देंगे। क्या सरकार ने इस दिशा में विचार किया है कि आम आदमी पर कितना बोझ डालना है ? दूसरे, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अपने कुछेक कार्यों को करवाने के लिए कुछ प्रतिष्ठित एजेंसियों को लगाने पर विचार कर रही है।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं नहीं समझता कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं।

जनता कपड़े का उत्पादन

***376. श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता कपड़े के उत्पादन का प्रति वर्ष क्या लक्ष्य रखा जाता है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष यह लक्ष्य कहां तक प्राप्त हुआ ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) देश में 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान हथकरघा जनता कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

		(मिलियन वर्ग मीटर में)
वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	किया गया उत्पादन
1988-89	560	419.57
1989-90	600	503.80
1990-91	600	476.38

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : मैं जानना चाहूंगा कि क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना को चरणबद्ध तरीके से बन्द करने का कोई प्रस्ताव है तथा यदि है, तो इसके क्या कारण हैं। आन्ध्र प्रदेश राज्य में इस योजना को पिछले डेढ़ वर्ष से बन्द किया जा चुका है। क्या मन्त्री जी यह जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में यह योजना बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो सरकार इस योजना को ठीक से लागू करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, अभी योजना को बन्द करने का कोई कारण नहीं है, न कोई योजना बन्द करने की है। जहां तक आन्ध्र प्रदेश की बात कही है, मैं नहीं जानता कि क्या कोई योजना बन्द की गई है फिर भी माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, उसकी जानकारी हम करेंगे और माननीय सदस्य को उसके बारे में सूचित कराएंगे।

[अनुवाद]

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : पिछले डेढ़ वर्ष से हमने आन्ध्र प्रदेश में कहीं पर भी इस कपड़े का वितरण होते हुए नहीं देखा है जबकि उससे पहले हम यह देखते थे कि प्रत्येक वर्ष लगभग 30 से 40 लाख मीटर कपड़ा वितरित किया जाता था। हमें यही आंकड़े प्राप्त हुए हैं। अभी हाल ही में हमने आन्ध्र प्रदेश में कहीं पर भी इस कपड़े का वितरण होते हुए नहीं देखा है। सोसायटियों से इस सामग्री को प्राप्त करने के लिए काफी अधिक धोखाधड़ी की जा रही है। कुछ सोसायटियां इस प्रकार से काम कर रही हैं कि जुलाहे से इस कपड़े को खरीदते समय काफी अधिक गड़बड़ी की जा रही है। क्या इसके खिलाफ सरकार किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने जा रही है ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, जहां तक मैं समझता हूं, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि एक डेढ़ साल से ही वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर वास्तव में कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो पिछले 4-5 साल से हो रही होगी। मैं मालूम करूंगा कि क्या गड़बड़ हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से ठीक हो, इस बात की मैं पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करके कोशिश करूंगा कि कोई गड़बड़ न हो। चूंकि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसलिए मैं नहीं समझता कि एक डेढ़ साल से ही गड़बड़ होने लगी होगी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में कोई योजना न बन्द हुई है, न होगी। डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ होगी तो उसको ठीक किया जायेगा।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त दायित्व

[अनुवाद]

*366. श्री रमेश चन्द तोमर :

श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता-प्राप्त-दायित्वों में परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सरकार ने वित्तीय प्रणाली की संरचना, संगठन, कार्यकलापों और प्रक्रियाओं के बारे में सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है। आशा की जाती है कि समिति सरकार को उन उपयुक्त उपायों के बारे में सुझाव देगी जो वित्तीय क्षेत्र की अर्थक्षमता और सुदृढ़ता को बढ़ाने के लिए जरूरी है ताकि एक स्वस्थ वित्तीय प्रणाली के नियमों और सिद्धांतों का त्याग किए बिना अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके।

मंगलौर-मैसूर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

*368. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि सरकारा से होकर जाने वाली मंगलौर-मैसूर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सहित अन्य विभिन्न राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के सम्बन्ध में निर्णय आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही लिया जा सकता है।

कंपनियों को विदेशी मुद्रा का आबंटन

*370. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या वित्त मन्त्री कंपनियों को विदेशी मुद्रा का आबंटन करने के बारे में 16 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 848 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न में उल्लिखित कंपनियों में से किसी विदेशी खर्चों को पूरा करने के लिए एक वर्ष में 2 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन कंपनियों से उत्पाद-शुल्क की वसूली होने तक उनको विदेशी मुद्रा के आबंटन में कमी करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 16 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 848 के उत्तर में उल्लिखित कंपनियां हैं :—(1) मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड, (2) मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड और (3) मैसर्स वोल्टास लिमिटेड। सरकार द्वारा इन कम्पनियों को कोई विदेशी मुद्रा आबंटित नहीं की जाती है। तथापि, विदेशों में होने वाले खर्चों के लिए विदेशी मुद्रा के प्रयोग की अनुमति विदेशी मुद्रा विनियमों के संगत उपबन्धों के अन्तर्गत दी जाती है। उपरिलिखित तीन कंपनियों में से केवल एक कंपनी अर्थात् मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड को निम्नानुसार दो करोड़ रुपए से अधिक राशि प्रेषित करने की अनुमति दी गई है :—

1. विदेश स्थित कार्यालयों के रख-रखाव के लिए	383.73 लाख रुपए प्रतिवर्ष
2. निर्यात संवर्धन के लिए निर्बाध परमिट (31 मार्च, 1992 तक वैध)	200 लाख रुपए प्रतिवर्ष

(ग) उत्पादन-शुल्क अपवंचन से सम्बन्धित मामले निर्णयाधीन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा का आबंटन, कंपनी के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी लेन-देनों और निर्यात निष्पादन के आकार के आधार पर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक उत्पाद-शुल्क की वसूली को किसी एक कसौटी के रूप में शामिल नहीं करता है।

बिहार में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया गया पूंजी निवेश

[हिन्दी]

*371. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और विभिन्न बैंकों द्वारा बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को बिहार में और अधिक पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा निवेश की गई राशि नीचे दी गई है :—

राशि (करोड़ रुपए)

वर्ष	भारतीय जीवन बीमा निगम	भारतीय साधारण बीमा निगम
1988-89	71.07	17.83
1989-90	107.83	24.00
1990-91	63.80	8.58

भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा अधिकांश निवेश केन्द्र और राज्य सरकार प्रतिभूतियों, सरकार द्वारा प्रत्याभूत अन्य विक्रेय प्रतिभूतियां जैसा कि वित्तीय संस्थानों आदि के बांडों में किया जाता है। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम आवास, जल-आपूर्ति आदि जैसे समाजोन्मुखी क्षेत्र में अनुमोदित प्रयोजनों के लिए, सरकार द्वारा अनुमोदित निवेश मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और योजना आयोग द्वारा किए गए वार्षिक आबंटनों के अनुसार ऋण भी देते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम, निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के ऋणपत्रों/शेयरों में भी निवेश करते हैं।

2. जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है, बिहार में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया ऋण राशि और कुल जमा तथा ऋण जमा अनुपात नीचे दिया गया है :—

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात
मार्च, 1989	7091.62	2804.86	39.6
मार्च, 1990	8253.02	3304.08	40.0
दिसम्बर, 1990	8793.43	3408.74	38.8

3. किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में स्थानीय रूप से संग्रहीत जमा राशियों के संबंध में वास्तविक ऋण स्तर राज्य/क्षेत्र की ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है जो क्रमशः आधारभूत संरचनात्मक ढांचे संबंधी सुविधाओं के विकास जैसे कारकों से निर्धारित और प्रभावित होते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई है कि ऋण संवितरण में विभिन्न राज्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापक असमानताएं न हों और कमी वाले क्षेत्रों में सभी उत्पादन संबंधी और व्यवहार्य प्रस्तावों के लिए अधिक ऋण-प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु कारगार उपाय किए जाएं।

दक्षिण-पूर्व एशिया को बड़े पैमाने पर पूंजी ले जाये जाने का समाचार

[अनुवाद]

*372. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जून, 1991 के "स्टेट्समैन" में "फ्लाइट ऑफ कैपिटल टू एस० ई० एशिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे कुछ सबूत थे कि पिछले कुछ महीनों में भारत से बाहर पूंजी प्रवाह हुआ था। विशेष रूप से, अनिवासी बाह्य खातों के कारण निबल बाह्य प्रवाह हुआ। लेकिन, इन बाह्य प्रवाहों की दिशा स्थापित कर पाना बड़ा कठिन है।

(ग) सरकार ने भारतीय रुपए में विश्वास बढ़ाने और पूंजी प्रवाह को रोकने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। इनमें रुपये की विनिमय दर में समायोजन के साथ-साथ 1991-92 के केन्द्र सरकार के बजट से प्रस्तुत की गई राजकोषीय नीति शामिल है।

उत्तर प्रदेश में चाय बागानों का विकास

[हिन्दी]

*375. **श्री केशरी लाल** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में चाय बागानों का विकास करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना को किन-किन क्षेत्रों में लागू किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों के मौजूदा चाय बागानों को भी इस योजना से लाभ मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों तथा तराई क्षेत्र में चाय के विकास के लिए उतर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त की की गई एक परामर्शी फर्म द्वारा किये गए एक अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

इस रिपोर्ट में गढ़वाल, कुमाऊं, और तराई क्षेत्रों के 25 जिलों में लगभग 50,000, हैक्टेयर भूमि में चाय के बागानों के विकास की परिकल्पना है। इसमें कासौनी, विजयपुर, बेरीनाग, चकौरी, झालटोला और बेरापानी स्थित चाय सम्पदाओं की पुनर्स्थापना के बारे में भी बताया गया है।

इसमें 33 वर्षों की अवधि तक के लिए 909 करोड़ रु० के निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना

[अनुवाद]

*377. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन लोगों को भी, जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिये हैं, कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना के लाभ देने का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को दिए गए ऋण की अदायगी की अवधि बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सितम्बर, 1990 में गुजरात सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना का लाभ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के उन लोगों को भी दिया जाय जिन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगमों, पिछड़े वर्गों के बोर्डों आदि जैसी राज्य सरकार की एजेंसियों से ऋण लिये हैं। भारत सरकार ने कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना उन किसानों, कारीगरों और बुनकरों को, जिन्होंने केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लिए हैं, ऋण राहत प्रदान करने के लिए तैयार की थी। राज्य सरकारों ने सहकारी बैंकों के लिए ऐसी ही योजनायें तैयार की हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वे ऋणकर्ता जो किसान, बुनकर और कारीगर हैं, इस योजना के अन्तर्गत ऋण राहत के पात्र हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

(घ) योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण

***378. श्री शंकर सिंह वघेला :**

डा० ए० के० पटेल :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ सरकार पर 1988-89, 1989-90, 1990-91 के अंत में और इस समय प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण कितना-कितना है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 के अन्त में, सरकारी खाते और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उधारों के सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण क्रमशः 618 रुपए, 683 रुपए और 825 रुपए होने का अनुमान है। इस समय प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण कितना है इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है चूंकि इस अवधि के खाते अभी बंद किए जाने हैं।

तस्करी में लिप्त सीमा शुल्क अधिकारी

***379. श्री के० डी० सुल्तानपुरी :**

श्री बलराज पासी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 और जनवरी-जुलाई, 1991 के दौरान तस्करी की गतिविधियों में सहायक होने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार पाये गये सीमा-शुल्क कार्यालयों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) अन्तिम रूप से निपटाये जाने के लिए लम्बित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है और उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि कैलेण्डर वर्ष 1990 और 1991 (31 जुलाई, 1991 तक) के दौरान सीमाशुल्क गृहों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालयों के 19 कार्मिक, जिनके ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं, तथाकथित रूप से तस्करी की गतिविधियों में ग्रस्त पाए गए है।

वर्ष	समूह ख	समूह ग	कुल
1990	2	9	11
1991 (31-7-91 तक)	2	6	8
	4	15	19

(ख) इन कार्मिकों के विरुद्ध सी० सी० एस० (सी० सी० ए०) नियमावली, 1965 के अन्तर्गत विभागीय कार्रवाई और/अथवा अदालत में अभियोजन कार्रवाई आरम्भ की गई है।

(ग) ये सभी मामले पूछताछ/जांच/अभियोजन के विभिन्न स्तरों पर हैं। अभियोजन के बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए उनका गहन मॉनीटर किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वाहन भत्ता

*380. **श्री जीवन शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वाहन भत्ते के रूप में कुछ धनराशि मंजूर किए जाने के बारे में कोई माध्यस्थम् पंचाट है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) माध्यस्थम् बोर्ड ने यह अधिनिर्णय दिया है कि केन्द्रीय सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को 30 रु० (मात्र तीस रुपए) प्रति माह प्रति कर्मचारी आर्थिक सहायता दी जाए सिवाए उन कर्मचारियों के जो अपने कार्य स्थल से अपने घर के बीच यात्रा करने के लिए वास्तव में निःशुल्क या आर्थिक सहायता प्राप्त परिवहन सुविधा प्राप्त कर रहे है या इस प्रयोजन के लिए सवारी भत्ता ले रहे हैं। इस अधिनिर्णय को 1 अप्रैल, 1989 को तथा उससे आगे प्रभावी होना था।

(ग) सरकार ने इस अधिनिर्णय पर विचार किया था। यह अनुमान लगाया गया था कि अधिनिर्णय को कार्यान्वित करने में प्रतिवर्ष 176 करोड़ रु० का व्यय होगा। सरकारी खर्च में भारी किफायत करने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए इतने बड़े आवृत्ति व्यय से राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ेगा जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अधि-

निर्णय को नामंजूर करने का फैसला किया गया। इस सम्बन्ध में 31 अगस्त, 1990 को सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रखा गया था। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अधिनिर्णय को नामंजूर करने का संकल्प, यथासम्भव शीघ्र सदन में पेश किया जायेगा।

विश्व में भारतीय बैंकों का दर्जा

*381. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय बैंक विश्व के प्रमुख एक हजार बैंकों में से हैं;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के नाम क्या हैं;

(ग) इन बैंकों को शीर्षस्थ बैंकों की सूची में शामिल करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाने का विचार है कि अन्य बैंक भी इस दर्जे तक आ जायें;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जुलाई, 1991 के "फाइनन्शियल टाइम्स" के एक प्रकाशन "दि बैंकर्स" में छपी सूचना के अनुसार निम्नलिखित 8 भारतीय बैंक विश्व के प्रथम 1000 बैंकों में आते हैं :—

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

(2) भारतीय स्टेट बैंक

(3) केनरा बैंक

(4) बैंक आफ इण्डिया

(5) निर्यात-आयात बैंक

(6) पंजाब नेशनल बैंक

(7) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक

(8) बैंक आफ बड़ौदा

(ग) "दि बैंकर्स" ने सुदृढ़ता, आकार, साख और लाभप्रदता के आधार पर उनकी अलग-अलग कोटि निर्धारित की है।

(घ) से (च) बैंकों के पूंजी आधार, परिसम्पत्तियों की कोटि, प्रचालन दक्षता और लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने कई उपाए किए हैं। इन उपायों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयर पूंजी में अभिदान, सेवा प्रभार और ब्याज दर संरचना का युक्तिकरण और कर्मचारी वृद्धि पर रोक शामिल है। वित्तीय अर्थक्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे बेहतर ऋण प्रबंध करें, उत्पादकता बढ़ाएं और जहां कहीं संभव हो, मितव्ययिता बरतें। बैंकों को प्रतिस्पर्धा प्रदान करने के लिए जमाराशि प्रमाण पत्र और

वाणिज्यिक पत्र जैसी नई मौद्रिक बाजार लिखते लागू की गयी हैं और सावधि जमा राशियों पर ब्याज दर को बढ़ाया गया है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपने कार्यकलापों में विविधता लाएं।

धन का कथित अवैध अन्तरण

*382. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय, बम्बई ने हाल ही में "सुपर ऐफिसेंट मस्कट बोम्बे कैश ट्रांसफर सिस्टम" (मस्कट से बम्बई को बहुत ही सफाई से नकद धन भेजने की व्यवस्था) का पर्दाफाश किया है जैसा कि दिनांक 13 जुलाई, 1991 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई गिरफ्तारियां की गई हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का इस संबंध में आगे और क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय, बम्बई के अधिकारियों ने श्री समीर कादर खिसय के दो आवासीय परिसरों की तलाशी ली थी। तलाशी के परिणामस्वरूप अभिशंसी कागजातों के साथ-साथ भारतीय मुद्रा में 25,45,000 रुपए तक की नकद राशि, 3,02,500 रुपए की कुल कीमत के 50 बैंक ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा अर्थात् 430 ओमनी रियाल्स तथा 570 अमरीकी डालर जब्त किए गए थे। श्री समीर कादर खिसय पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने विदेशी विनियमन अधिनियम की धारा 9 के उल्लंघन में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नाम पर अथवा उनके आदेशानुसार 15 महीने की अवधि के दौरान लगभग 15 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। प्राधिकृत चैनल के माध्यम से न भेजकर अन्य माध्यम से भेजी हुई रकम का भारत में इस प्रकार भुगतान करने से विदेशी मुद्रा की हानि होती है।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत श्री समीर कादर खिसय तथा श्री अब्दुल कयूम दामोदी और उसके कर्मचारी श्री मोहम्मद हुसैन दामोदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

(घ) कानून के अंतर्गत यथा प्राधिकृत उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

आयात पर प्रतिबन्ध

[हिन्दी]

*383. **श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में व्याप्त आर्थिक संकट को देखते हुए किन-किन मदों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) इस प्रतिबंध के कब तक लगे रहने की संभावना है;

(ग) क्या इसका औद्योगिक उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष कितने राजस्व का घाटा होगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) 4 जुलाई, 1991 को घोषित नई व्यापार नीति के अन्तर्गत आयात के लिए किसी भी मद पर रोक नहीं लगाई गई है। तथापि, असूचीबद्ध कच्ची सामग्री, संघटक, उपभोज्य तथा पुर्जों को सीमित अनुमत सूची में स्थानांतरित किया गया है और अब आर० ई० पी० लाइसेंसों के माध्यम से उनका निर्यात किया जा सकता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मसाला व्यापार में भारत का हिस्सा

[अनुवाद]

*384. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मसाले के कुल व्यापार में भारत का हिस्सा घट गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) विश्व मसाला व्यापार में हमारी भागीदारी में कुछ गिरावट आई है। इसके कई कारण हैं। इनमें से प्रमुख कारण हैं : (क) घरेलू खपत में वृद्धि, (ख) घरेलू बाजार में ऊंची कीमतें, (ग) प्रमुख मसालों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट और (घ) कम उत्पादकता, जिसके फलस्वरूप भारत अपने प्रतियोगियों की तुलना में सामान्यतया पिछड़ा हुआ है। मसाला बोर्ड ने भारत से मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) मसाला तेलों तथा तेल रालों, मसाला ब्लैण्डों तथा मिश्रणों जैसी मूल्यवर्धित मदों के निर्यात को और ब्रांड वाले उपभोक्ता पैकटों में निर्यात को प्रोत्साहित करना।

(2) बाजार संवर्धन के लिए चुनिन्दा बाजारों को प्रतिनिधिमण्डलों/अध्ययन दलों का भेजा जाना।

(3) व्यवसाय-विकास हेतु भारत में क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन करना।

(4) चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता।

(5) भारतीय मसालों के विभिन्न ब्राण्डों को लोकप्रिय बनाने और भारतीय ब्राण्डों के प्रति निष्ठा बढ़ाने के लिए मसाला बोर्ड ने एक ब्रांड संवर्धन योजना आरम्भ की है।

(6) मसालों की उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए विकास एवं अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करना।

(7) आयातकों की जरूरतें पूरी करने के लिए भारतीय मसालों की सफाई में सुधार लाने हेतु उपजकर्ता शिक्षा और क्वालिटी उन्नयन प्रयोगशाला की स्थापना जैसे अनेक उपाय करना।

विनिमय दरों में समायोजन और बढ़ाई गई आर० ई० पी० योजना से ऐसी आशा है कि मसाला निर्यात में और वृद्धि होगी।

प्रति बैंक शाखा जनसंख्या औसत

*385. **डा० सुधीर राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गोवा, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल राज्यों में अलग-अलग औसतन कितनी जनसंख्या पर एक बैंक शाखा है; और

(ख) अखिल भारतीय स्तर पर औसतन कितनी जनसंख्या पर एक बैंक शाखा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गोवा, जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में 30-12-1990 की स्थिति के अनुसार प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या (आंकड़ों को हजार में समेकित कर दिया गया है)
पंजाब	8000
हिमाचल प्रदेश	6000
कर्नाटक	9000
केरल	9000
गोवा	4000
जम्मू और कश्मीर	8000
पश्चिम बंगाल	13000

इसी तारीख को अखिल भारतीय औसत 11000 था।

भुवनेश्वर को बी क्लास शहर का दर्जा देना

2334. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981 और 1991 की जनगणनाओं के अनुसार उड़ीसा में भुवनेश्वर शहर की जनसंख्या कितनी थी/है;

(ख) क्या सरकार का विचार मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता की दृष्टि से भुवनेश्वर शहर का दर्जा बढ़ाकर "बी" क्लास शहर करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार भुवनेश्वर शहर की नगरपालिका सीमाओं के अन्दर की जनसंख्या 2,19,211 है। 1991 की जनगणना के अनुसार इस शहर की जनसंख्या के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) मकान किराया भत्ते और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते के प्रयोजन के लिए भुवनेश्वर का दर्जा बढ़ाकर उसे "ख-2" श्रेणी का शहर किए जाने के विषय पर 1991 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या आंकड़े प्राप्त होने बाद ही विचार किया जाएगा।

चित्तौड़गढ़ स्थित सैनिक स्कूल का कार्यकरण

[हिन्दी]

2335. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल कब से चल रहा है और गत तीन वर्षों का स्कूल के आय और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्कूल की उन्नति के लिए इस अवधि के दौरान कोई कदम उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल की स्थापना 1961 में हुई थी। इस स्कूल के आय तथा व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	आय	व्यय
1988-89	51.33	46.54
1989-90	55.63	50.28
1990-91	54.38	64.58

(ख) से (घ) सैनिक स्कूल के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से की जाती है। हाल ही में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :—

(i) प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित तथा प्रोत्साहित करने के लिए सैनिक स्कूल कर्मचारियों को सेवा शर्तों में सुधार (सामान्य भविष्य निधि, पेंशन, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान, छुट्टी का नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत आदि का प्रावधान)।

(ii) सैनिक स्कूल के अध्यापकों द्वारा की जा रही निजी ट्यूशनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध।

(iii) स्कूल में दाखिला प्राप्त नए छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए विशेष (अतिरिक्त) कक्षाओं का प्रबन्ध।

चित्तौड़गढ़ स्थित सैनिक स्कूल में शिक्षण संबंधी सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(क) एक दृश्य-श्रव्य स्रोत केन्द्र स्थापित किया गया है। इस स्कूल में पाठों की वीडियो कैसेट भी हैं, जिससे भाषा सीखने में अधिक सुविधा रहती है। अन्य विषयों पर भी वीडियो कैसेट विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ख) कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है।

शहतूत की खेती

[अनुवाद]

2336. श्री पी० सी० थामस : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहतूत की खेती मुख्यत: किन-किन स्थानों पर की जाती है;

(ख) शहतूत की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान शहतूत की खेती के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर शहतूत की कृषि करने वाले परम्परागत राज्य हैं जिनकी परिधि में देश का लगभग 85 प्रतिशत शहतूती कृषि एकल क्षेत्र आता है।

(ख) राज्यों के रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा शहतूत की कृषि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कियान्वित की जा रही हैं—

1. इम्दादी दरों पर राज्यों के रेशम उत्पादन विभागों को शहतूत की कलमों की सप्लाई।

2. चुनिन्दा जिलों में किसान नर्सरी कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को उम्दादी दरों पर शहतूत की पौध की सप्लाई।

3. शहतूत की नई किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्यों को उन्नत किस्मों की शहतूत की कलमों की नि शुल्क सप्लाई।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शहतूत के एकड़ क्षेत्र को 0.25 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरी उपलब्धि का पता राज्यों के रेशम उत्पादन विभागों से प्राप्त होने वाली प्रगति रिपोर्टों के आधार पर वित्तीय वर्ष के अन्त में ही लग पाएगा।

राज्यों के ओवरड्राफ्ट

2337. श्री टी० जे० अंजलोज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 1991 को राज्यों की ओवर-ड्राफ्ट की राज्य-वार धनराशि कितनी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : जून, 1991 के अन्त तक कोई राज्य ओवर-ड्राफ्ट में नहीं था ।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की प्रोफेशनल प्रोसेसिंग यूनिट का स्थानांतरण

2338. श्री सुधीर गिरि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उस प्रस्ताव की जानकारी है जिसमें निगम की प्रोफेशनल प्रोसेसिंग यूनिट को वाशिंगटन से भारत स्थानांतरित करने का उल्लेख है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त यूनिट को स्थानांतरित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने संघ सरकार को क्या कारण बताए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यक्रम (रीजनल मिशन) का विस्तार करने का विचार कर रहा है ताकि वह क्षेत्र में अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में और अधिक निवेश को बढ़ावा दे सके और परियोजना संबंधी संसाधन कार्य कर सके ।

तमिलनाडु से चमड़े की वस्तुओं का निर्यात

2339. श्री आर० जीवरत्नम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु से चमड़े की वस्तुओं के निर्यात से वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाये हैं जिनसे तमिलनाडु में चमड़ा-व्यापार बढ़े और वहां इस उद्योग में आधुनिक उपकरण काम में लाये जायें ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु से चमड़ा और चमड़ा उत्पादों का निर्यात निम्नवत रहा—

वर्ष	निर्यात करोड़ रुपयों में
1988-89	753.65
1989-90	847.75
1990-91	1211.63

(ख) भारत सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल हैं—मशीनरी, उपस्कर और कच्चे माल का आयात सुगम बनाना, अवस्थापना सुविधाएं देना तथा निर्यातकों को निर्यात संवर्धन के प्रयासों में सीधे सहायता करना ।

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत ऋण माफ करना

2340. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल 2 अक्तूबर, 1986 को देय किश्तों को ही कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत शामिल किया गया था और उस तारीख को देय संपूर्ण राशि इसमें शामिल नहीं थी;

(ख) इससे कितने व्यक्तियों को लाभ मिला और 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार कुल कितनी राशि के ऋण माफ किए गए; और

(ग) उपर्युक्त "ख" भाग में ऐसे कितने लाभार्थी शामिल हैं जो इसके बावजूद ऋणी रहे और उनकी तरफ राज्य-वार कुल कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना में अन्य बातों के साथ-साथ दीर्घकालिक अतिदेय राशियों को बट्टे-खाते डालने का प्रावधान है। योजना के अनुसार दीर्घकालिक अतिदेय राशियों में 2 अक्तूबर, 1986 तक वापसी अदायगी के लिए देय ऋणों की किश्तों और उस तारीख को अदायगी न किए गए शेष रकम को शामिल किया गया है और न कि ऋण की सम्पूर्ण बकाया राशि को।

(ख) और (ग) दिनांक 1-7-1991 की स्थिति के अनुसार, 3.03 करोड़ हिताधिकारी जिनमें किसान, बुनकर तथा कारीगर शामिल हैं, को सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सरकारी बैंकों द्वारा कुल 7560.88 करोड़ रुपए की राहत उपलब्ध कराई गई है। हिताधिकारियों की संख्या तथा राज्य-वार अन्तर्ग्रस्त राशि का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। योजना के अन्तर्गत प्रति उधारकर्ता 10,000 रु० तक की अधिकतम सीमा तक पूरी राहत प्रदान की जाती है तथा ऐसे मामले में जहां राहत की राशि चूक की सम्पूर्ण राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो तो उधारकर्ता को बकाया राशि की वापसी अदायगी करनी पड़ती है। पहले किस्म के उधारकर्ताओं के मामले में देय राशियों का पूर्ण निपटान हो चुका है तथा दूसरे किस्म के उधारकर्ताओं के मामले में बकाया राशि है, जिसकी वापसी अदायगी करनी होगी। सूचना प्रणाली से ऐसे श्रेणीवार हिताधिकारियों की सूचना नहीं मिलती है।

विवरण

दिनांक 29 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत राज्य-वार उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें राहत प्रदान किया गया तथा उसमें अन्तर्ग्रस्त राशि को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राहत दिए गए व्यक्तियों की सं०	राशि (लाख रु०)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	29,51,666	88255
अरुणाचल प्रदेश	2,157	1216

1	2	3
असम	5,08,442	11863
बिहार	37,31,001	82368
गोवा	19,101	437
गुजरात	13,52,728	49942
हरियाणा	5,99,086	23371
हिमाचल प्रदेश	2,77,942	5571
जम्मू व कश्मीर	33,811	824
कर्नाटक	15,92,305	49425
केरल	8,45,101	16061
मध्य प्रदेश	19,14,150	46338
महाराष्ट्र	28,78,901	77208
मणिपुर	79,019	1310
मेघालय	71,652	1676
मिजोरम	6,396	265
नागालैंड	50,101	949
उड़ीसा	21,60,832	38576
पंजाब	4,63,699	19727
राजस्थान	19,17,714	53088
सिक्किम	9,394	268
तमिलनाडु	19,71,771	53194
त्रिपुरा	1,49,479	2445
उत्तर प्रदेश	51,63,306	104653
पश्चिम बंगाल	15,03,896	26270
चण्डीगढ़	3,363	111
दादरा व नागर हवेली	2,798	33
दमन एवं दीव	1,115	14
दिल्ली	11,117	456
लक्षद्वीप	91	3
पाण्डीचेरी	41,643	1065
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,847	106
जोड़	3,03,28,624	756088

हथकरघा कपड़े का निर्यात

2341. **श्री के० बोक्का राव : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान विभिन्न देशों को देशवार कितनी मात्रा में हथकरघा कपड़े का निर्यात किया गया और उसका मूल्य कितना था; और

(ख) इस निर्यात में कपड़े की मात्रा और मूल्य सहित प्रत्येक शीर्ष संगठन की क्रमशः भागीदारी कितनी-कितनी थी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सूती हथकरघा फैब्रिक का निर्यात वर्ष 1989-90 के दौरान 112.16 करोड़ रु० और 1990-91 में 122.66 करोड़ रु० की राशि का हुआ। पिछले दो वर्षों के दौरान प्रमुख आयातक देशों को सूती हथकरघा फैब्रिक के निर्यात की मात्रा और मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार हथकरघा के क्षेत्र में शीर्ष संगठनों के निर्यात निष्पादन निम्नोक्त प्रकार है—

(मूल्य करोड़ रु० में)

	1989-90	1990-91
1. आल इण्डिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि०, जी० संकुराम स्ट्रीट, मद्रास-600001	13.88	16.91
2. को आपटैक्स इण्टरनेशनल, 350, पंथिओ रोड, मद्रास-600008	1.09	0.98
3. आंध्र प्रदेश स्टेट हैंडलूम वीवर्स को-आपरेटिव सोसायटी लि०, ए० पी० सी० ओ० एक्सपोर्ट डिवीजन, 608, इलचीगुडा, सिकन्दराबाद-500380	0.07	0.71

विवरण

मात्रा लाख वर्ग मीटर में
मूल्य करोड़ रु० में

देश	1989-90		1990-91	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
ओमान	6.0	1.0	6.7	1.4
सऊदी अरब	5.7	1.0	7.4	1.6

1	2	3	4	5
हांगकांग	34.7	6.9	31.2	6.1
जापान	40.1	8.6	48.0	10.2
मलयेशिया	51.5	6.9	63.8	9.7
फिलीपाइन्स	7.3	1.2	6.7	1.2
सिंगापुर	74.7	12.6	78.1	14.3
यू० ए० ई०	40.2	5.8	35.0	5.5
नाइजीरिया	2.3	0.7	6.3	2.5
दोहोमी गणतंत्र	56.2	11.5	68.4	16.8
टोगोलैंड	3.6	1.2	8.5	3.2
ई० ई० सी०	55.3	11.3	43.7	14.1
स्वीडन	19.6	3.9	18.6	4.0
यू० एस० ए०	200.5	26.6	155.3	22.3

स्रोत : एच० ई० पी० सी०, मद्रास।

राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लंबित पड़े केन्द्रीय विधेयक

2342. **श्री मान्ये गोवर्धन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 जून, 1991 को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए संसद द्वारा पारित किए गए कितने विधेयक लंबित पड़े हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये विधेयक कब से लम्बित पड़े हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन विधेयकों पर कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) हमारे अभिलेख के अनुसार एक विधेयक लंबित है और दूसरा विधेयक, संसद को, उसके द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया है। भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986, 19 दिसम्बर, 1986 को, राष्ट्रपति को, उनकी अनुमति के लिए भेजा गया था। उक्त विधेयक राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1990 को राज्य सभा के सभापति को इस संदेश के साथ लौटा दिया गया कि संसद् के दोनों सदन पुनर्विचार करें। संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन), विधेयक, 1991, 19 मार्च, 1991 को राष्ट्रपति को, उनको अनुमति के लिए भेजा गया था। यद्यपि कि, विधेयक राष्ट्रपति द्वारा लौटाया नहीं गया है, फिर भी, 12 मार्च, 1991 को लोक सभा में पेश किए गए और स्वीकृत संशोधनों की विधिमान्यता के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

(ग) ऐसे विधेयकों को लौटाए जाने के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है, अतः यह बताना संभव नहीं है कि विधेयक पर कब तक अनुमति प्राप्त हो जाएगी।

बिहार सरकार द्वारा ओवर-ड्राफ्ट

2343. **श्री राम नाईक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार सरकार को अप्राधिकृत ओवर-ड्राफ्ट के लिए धनराशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) उस तारीख को कुल कितनी धनराशि का ओवरड्राफ्ट था और इसकी प्राधिकृत सीमा कितनी थी;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्राधिकृत ओवरड्राफ्ट में धनराशि की वृद्धि के कारणों की जांच और विश्लेषण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक किसी राज्य सरकार की ओर से भुगतान न करने के लिए अनुदेश तभी जारी करेगा जबकि ओवरड्राफ्ट उसके शुरू होने की तारीख से सात लगातार कार्य-दिवसों तक बना रहेगा। चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बिहार सरकार के जो ओवरड्राफ्ट हो गए थे उन्हें ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित सात लगातार कार्य-दिवसों की समय-सीमा के अन्दर निपटा दिया गया था। इस तरह चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया जबकि रिजर्व बैंक ने बिहार सरकार की ओर से भुगतान करने से इंकार कर दिया हो।

(ख) से (ङ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश

[हिन्दी]

2344. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न राज्यों में वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान, राज्य-वार कुल कितनी राशि का निवेश किया गया;

(ख) क्या सरकार का बिहार में उसकी जनसंख्या के अनुरूप निवेश करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह राज्य सरकारों/राज्य निकायों द्वारा जारी किए जाने वाले बांडों में अंशदान नहीं करता। सरकारी क्षेत्र के बैंक राज्य सरकारों/राज्य निकायों द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। राज्य सरकारों/राज्य निकायों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में 1989-90 और 1990-91 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निवेश की गई रकम विवरण-I में दी गई है। जहां तक वित्तीय संस्थाओं के राज्य-बार निवेशों का संबंध है, 1989-90 और 1990-91 के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, वर्ष 1989-90 के लिए सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत एवं संवितरित राज्य-बार सहायता से संबंधित आंकड़े विवरण-II में दिए गए हैं। 1990-91 के ये आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से उनकी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं के सम्बन्ध में अलग से कम से कम 60% का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करने के लिए कहा है। उपर्युक्त लक्ष्य राज्य में शाखाओं की स्थिति के संदर्भ में रखे गए हैं, न कि इन शाखाओं द्वारा सेवित क्षेत्र की जनसंख्या के संदर्भ में।

मार्च, 89, मार्च, 90 और दिसम्बर, 90 के अन्त की स्थिति के अनुसार बिहार का ऋण जमा अनुपात और इसी अवधि के लिए अखिल भारतीय औसत नीचे दिया गया है :

ऋण जमा अनुपात(%)

वर्ष	बिहार	अखिल भारत
मार्च 89	39.6	65.4
मार्च 90	40.0	65.8
दिसम्बर 90	38.8	66.0

यह देखा जा सकता है कि अखिल भारतीय अनुपात की तुलना में बिहार में ऋण जमा अनुपात कम है। अलबत्ता, यह कहा जा सकता है कि ऋण जमा अनुपात किसी खास राज्य/क्षेत्र के आर्थिक विकास का एकमात्र सूचक नहीं है। किसी खास राज्य अथवा क्षेत्र में स्थानीय रूप से जुटाई गई जमाराशियों के संबंध में ऋण का वास्तविक स्तर राज्य/क्षेत्र के ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है और यह सिंचाई, बिजली, रेल, सड़क, परिवहन आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास जैसे पहलुओं और अपेक्षित निवेशों की उपलब्धता तथा कृषि, औद्योगिक उत्पादन आदि के लिए बाजार की सुविधा जैसे पहलुओं द्वारा निर्धारित एवं प्रभावित होता है। तथापि, बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऋण वितरण के मामले में विभिन्न राज्यों के बीच व्यापक क्षेत्रीय विषमताओं से बचा जाए और कमी वाले क्षेत्रों में सभी उत्पादक और चुने गए अर्थक्षम प्रस्तावों के लिए ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए कारगर कदम उठाएं। इस मामले की राज्य स्तरीय बैंकर समिति राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित आधार पर निगरानी भी की जाती है।

विवरण-I

राज्य सरकारों और राज्य निकायों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए निवेश की राज्य-वार रकमें दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	राज्य	प्रतिभूतियों में निवेश की रकम	
		1989-90	1990-91
1.	आन्ध्र प्रदेश	251.00	224.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.07	3.14
3.	असम	98.24	61.13
4.	बिहार	321.83	311.46
5.	गोवा	5.07	6.96
6.	गुजरात	208.70	148.42
7.	हरियाणा	74.44	69.92
8.	हिमाचल प्रदेश	32.03	27.33
9.	जम्मू व कश्मीर	33.34	25.26
10.	कर्नाटक	144.00	135.03
11.	केरल	168.46	142.65
12.	मध्य प्रदेश	247.71	218.38
13.	महाराष्ट्र	312.10	254.37
14.	मणिपुर	11.78	7.44
15.	मेघालय	12.54	9.85
16.	नागालैंड	13.17	11.67
17.	उड़ीसा	143.42	125.32
18.	पंजाब	68.67	59.55
19.	राजस्थान	192.81	161.84
20.	सिक्किम	4.06	4.51
21.	तमिलनाडु	256.20	225.77
22.	त्रिपुरा	9.15	8.62
23.	उत्तर प्रदेश	504.05	480.86
24.	पश्चिम बंगाल	295.14	239.35
	कुल :	3411.68	2962.86

विवरण-II

वित्तीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान स्वीकृत एवं संवितरित राज्य-वार सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत	संवितरित
1.	आन्ध्र प्रदेश	1075.45	727.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.76	1.16
3.	असम	221.82	64.04
4.	बिहार	426.26	258.34
5.	गोवा	126.84	83.20
6.	गुजरात	1699.09	1004.04
7	हरियाणा	555.51	298.78
8.	हिमाचल प्रदेश	162.01	99.67
9.	जम्मू व कश्मीर	65.92	62.44
10.	कर्नाटक	627.70	497.78
11.	केरल	277.41	218.67
12.	मध्य प्रदेश	645.52	460.19
13.	महाराष्ट्र	4036.55	2153.02
14.	मणिपुर	10.96	9.57
15.	मेघालय	11.65	12.62
16.	मिजोरम	4.71	4.66
17.	नागालैंड	3.70	4.46
18.	उड़ीसा	443.36	196.49
19.	पंजाब	385.59	399.19
20.	राजस्थान	639.95	333.71
21.	सिक्किम	6.51	3.34
22	तमिलनाडु	1249.97	905.19
23.	त्रिपुरा	9.87	3.63
24.	उत्तर प्रदेश	1181:77	811.72
25.	पश्चिम बंगाल	643.66	441.40
26.	संघ राज्य क्षेत्र	330.05	250.99
	जोड़	11843.59	9305.52

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन द्वारा मध्यपूर्व देशों में दी गई गारंटी का भुगतान

2345. **श्री विश्वनाथ शर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन द्वारा मध्यपूर्व (खाड़ी देशों) में दी गई सभी गारंटियों के संबंध मे भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि० द्वारा मध्यपूर्व (खाड़ी) देशों से सम्बन्धित दी गई गारंटियों में से सात गारंटियों की 161.62 करोड़ रु० की राशि ई० सी० जी० सी० में प्राप्त हुई है। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम के अनुसार इसमें से चार दावों का भुगतान इस समय नहीं किया जा सकता क्योंकि बैंकों ने विदेशी बैंकों को सम्बन्धित गारंटियों के अन्तर्गत राशियां अभी नहीं भेजी हैं। एक मामले में दावे को ई० सी० जी० सी० द्वारा स्वीकार कर लिया गया है लेकिन भुगतान बैंक द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही किया जाएगा। शेष दो मामलों की जांच की जा रही है।

निर्यातकों के लिए नई मुआवजा योजना

2346. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यातकों के लिए नई मुआवजा योजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है इसे कब से शुरू किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) नई योजना के परिणामस्वरूप निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेप्सी फूड्स द्वारा आयात

[अनुवाद]

2347. **श्री फूलचन्द वर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सी फूड्स ने सरकार से अपने आशय पत्र/विदेशी सहयोग अनुमति की शर्तें में संशोधन करने और स्वामित्व अंशों का आयात करने की अनुमति देने और इस शर्त को कि आयात पर खर्च किए गए प्रत्येक डालर के एवज में पांच डालर अर्जित किए जाएंगे समाप्त, करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या पेप्सी फूड्स घरेलू बाजार के लिए विशेष फार्मूला आयात कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जाएगी।

छावनी क्षेत्रों में रह रहे असैनिकों के लिए सुविधाएं

[हिन्दी]

2348. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी क्षेत्र में रह रहे असैनिकों को बिजली/पानी जैसी प्राथमिक सुविधाएं किस प्रकार प्रदान की जाती हैं;

(ख) क्या छावनी बोर्ड इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने में सहयोग देते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) छावनी बोर्डों के इस सम्बन्ध में क्या नियम हैं;

(ङ) क्या सरकार को इनमें सशोधन करने के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) छावनियों में रहने वाले सिविलियनों के लिए बिजली की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य विद्युत बोर्ड की है। छावनी बोर्ड अपने-अपने क्षेत्रों में सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करते हैं। जहां तक पानी उपलब्ध कराने का प्रश्न है छावनी बोर्ड के उपनियमों के अनुसार कतिपय छावनी बोर्ड इसकी व्यवस्था करते हैं जबकि अन्य इसकी व्यवस्था सैन्य इंजीनियरी सेवा के माध्यम से करते हैं। छावनी बोर्ड सब-स्टेशन बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करते हैं और लाइनें बिछाने की अनुमति देते हैं।

(घ) छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 116 के अन्तर्गत छावनी बोर्डों का यह उत्तरदायित्व है कि वे उक्त अधिनियम की धारा 117 के अन्तर्गत अपने पास उपलब्ध निधि में से पानी और रोशनी की उचित व्यवस्था करें। छावनी बोर्डों को इस सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पेप्सी फूड्स द्वारा प्राप्त पूर्व-भुगतान

[अनुवाद]

2349. **श्री प्रफुल्ल पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री 18 जुलाई, 1991 के इकोनामिक टाइम्स में "पेप्सी रिसीव रूपीज 35 करोर एक्सपोर्ट प्री-पेमेंट फ्राम पेरेंट फर्म" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सी फूड्स द्वारा जिस क्रयादेश के लिए 35 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए हैं उसकी मदें, उनकी मात्रा और मूल्य सम्बन्धी तथा इसके नौवहन कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कम्पनियों द्वारा पूर्व भुगतान लेने की प्रथा है;

(ग) क्या इस प्रकार के पूर्व भुगतानों में किसी "फेरा" अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय द्वारा मैसर्स पेप्सी से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार, समझौते की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पेप्सिको वर्ल्ड ट्रेड को जो माल निर्यात किया जाना है, उसके लिए पेप्सिको वर्ल्ड ट्रेड ने 13.6 मिलियन डालर की पेशगी भेजी है।

(2) प्रत्येक पोतलदान के बाद पोतलदान का 90% मूल्य पेशगी में समंजित होगा और शेष 10% राशि का भुगतान पेप्सिको वर्ल्ड ट्रेड द्वारा किया जाएगा।

(3) ऐसी योजना है कि इस पेशगी का पूरा उपयोग दिनांक 30 अप्रैल, 1992 तक होने वाले निर्यात के लिए किया जाएगा।

(4) उक्त पेशगी का प्रयोग पेप्सी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विनिर्मित और/अथवा उसके द्वारा तीसरी पार्टियों से खरीदे गए माल के निर्यात हेतु किया जाएगा।

(5) पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पर्याप्त कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए पेप्सिको वर्ल्ड ट्रेड समय-समय पर पेशगी राशि की प्रतिपूर्ति कर सकती है।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श किया जा रहा है।

नेपाल के साथ व्यापार

[हिन्दी]

2350. **श्री रूद्रसेन चौधरी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नेपाल के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रों में व्यापारियों/उद्यमियों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जून, 1990 में हस्ताक्षर की गई संयुक्त विज्ञप्ति में भारत और नेपाल ने दोनों देशों के बीच अधिमान्य व्यापार प्रबन्ध पुनः बहाल कर लिए हैं। इससे विपक्षी व्यापार को सुविधाजनक बनाने में सहायता मिली है। इसे सरकारी और व्यापार शिष्टमण्डलों के विनिमय जैसे प्रयत्नों के माध्यम से और सहायता मिली है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में चाय उद्योग

[अनुवाद]

2351. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में चाय उद्योग के विकास की बहुत अधिक सम्भावना है;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में चाय उद्योग के विकास की उपलब्ध संभावना का समुचित उपयोग करने की कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में एक अर्थक्षम और समृद्ध चाय उद्योग की स्थापना करने और इसे समुचित वाणिज्यिक स्तर पर चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चाय बागान एवं चाय फैक्ट्रियों के विकास के लिए चाय बोर्ड अपनी चल रही योजनाएं जैसे चाय बागान वित्त योजना, चाय मशीनरी एवं सिंचाई सामान किराया खरीद योजना, पुनर्रोपण आर्थिक सहायता योजना, नवीनकरण आर्थिक सहायता योजना इत्यादि के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता त्रिपुरा में चाय सम्पदा के विकास के लिए भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, उद्योग अपनी अधिशेष पूंजी का निवेश करने तथा बैंकों से कर्ज लेने के लिए भी स्वतन्त्र हैं।

बैंक आफ इंडिया द्वारा लघु एककों को दिये गए ऋण पर ब्याज

2352. **श्री कृपा सिन्धु भोई : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ इंडिया उत्तर जोन में लघु एककों को दिए गए ऋण पर पच्चीस प्रतिशत ब्याज लगा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि बैंक की वर्तमान ऋण नीति के अनुसार निम्नलिखित मामलों को छोड़कर ल उघुयोग एककों सहित 2 लाख रुपए से अधिक की सीमाओं वाले सभी अग्रिम खातों के सम्बन्ध में कार्यशील पूंजी खातों में 25% वार्षिक और खरीदे गए/भुनाए गए बिल खातों में 24% वार्षिक की दर पर ब्याज वसूल किया जा रहा है :

(I) "ए ए ए" साख वाले अग्रिम खाते;

(II) निर्यात वित्त;

(III) सावधि ऋण; और

(IV) पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले रुग्ण एकक।

जहां तक 2 लाख रुपए से कम के अग्रिमों का सम्बन्ध है, ऋण की रकम के आधार पर ब्याज दरें 10% से 18.5% वार्षिक के बीच हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 लाख रुपए से अधिक के अल्पावधिक ऋणों के सम्बन्ध में

18.5% वार्षिक की न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित की है और बैंकों को नीतिगत मामले के रूप में इस न्यूनतम दर से अधिक दर पर ब्याज वसूल करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

बासमती चावल का खाड़ी के देशों को निर्यात

2353. **श्री गोविन्दराव निकम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बासमती चावल का निर्यात खाड़ी के देशों को करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्यात किन-किन देशों को किया जाएगा;

(ग) बासमती चावल के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने का अनुमान है; और

(घ) सरकार का बासमती चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) बासमती चावल का निर्यात केवल न्यूनतम निर्यात कीमत (एमइपी) तथा लदान पूर्व निरीक्षण के अधीन मुक्त रूप से किया जा सकता है।

बासमती चावल खाड़ी के देशों को भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा बेहरीन प्रमुख बाजार हैं। 1991-92 के लिए खाड़ी के बाजारों के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य 300 करोड़ रु० से अधिक है।

(घ) बासमती चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 20 प्रमुख बासमती चावल उत्पादक जिले, हरियाणा (2) पंजाब (7) तथा उत्तर प्रदेश (11), अभिज्ञात किए गए है और चावल विकास के सम्बन्ध में समन्वित कार्यक्रम हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित जो योजना चल रही है उसके अन्तर्गत इन राज्यों में एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है (चावल उत्पादक प्रमुख राज्यों में 239 चुनिन्दा जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है)। बढ़िया बासमती चावल के उत्पादन की प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रचार करने के लिए अभिज्ञात किए गए जिलों के किसानों को बीज, अणुपोषकों, कीटनाशी पदार्थों, फार्म साधनों, पौध-संरक्षण उपस्कर आदि जैसे अन्तर्निविष्ट साधनों के उपयोग के लिए सहायता दी जा रही है। इसके अलावा बासमती चावल के उत्पादन के सम्बन्ध में खेतों में प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं और किसानों तथा फार्म श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

चुनिन्दा 20 जिलों के किसानों को 200 रु० प्रति क्विंटल की आर्थिक सहायता देकर बासमती चावल का बीज दिया जा रहा है। इस योजना के जरिए मुख्य रूप से छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता दी जा रही है। तथापि, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य श्रेणियों के किसानों को भी कुछ हद तक सहायता मिलती है।

हुगली नदी की नौगम्यता

2354. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तनों के हित में हुगली नदी की नौगम्यता को बेहतर बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) अब तक इसके क्या परिणाम निकले ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) हुगली के मुहाने में डुबाव के सुधार के लिए 42 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से अगस्त, 1982 में एक विस्तृत योजना संस्वीकृत की गई थी। इस योजना के तहत नदी सुधार कार्य, नेवीगेशनल टग और नेवीगेशनल उपकरणों व उपस्करों की खरीद सम्बन्धी कार्य किए जा रहे हैं। 43.29 करोड़ रु० की अनुमानित लागत वाली "रिसेसन आफ जिगरखली फ्लैट" नामक एक अन्य योजना अप्रैल, 1990 में संस्वीकृत की गई थी। इस योजना में लगभग 7 मिलियन घन मीटर का निर्णय किया जाना है।

(ख) यह विस्तृत योजना प्रगति पर है और अनुमान है कि जून, 1992 तक पूरी हो जाएगी। जिगरखली फ्लैट के निकर्षण का ठेका दे दिया गया है और अभी कार्य पूरा किया जाना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई

2355. **श्री एच० डी० देवगौड़ा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1990 को देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार कुल लम्बाई कितनी-कितनी थी ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	राष्ट्रीय राजमार्गों की किलोमीटर में लम्बाई (अस्थायी)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2519
2.	अरुणाचल प्रदेश	330
3.	आसाम	2296
4.	बिहार	2117
5.	चंडीगढ़	24
6.	दिल्ली	72
7.	गोवा	229

1	2	3
8.	गुजरात	1631
9.	हरियाणा	698
10.	हिमाचल प्रदेश	854
11.	जम्मू और काश्मीर	648
12.	कर्नाटक	1996
13.	केरल	940
14.	मध्य प्रदेश	2946
15.	महाराष्ट्र	2918
16.	मणिपुर	431
17.	मेघालय	472
18.	मिजोरम	551
19.	नागालैंड	113
20.	उड़ीसा	1649
21.	पंजाब	892
22.	राजस्थान	2931
23.	सिक्किम	62
24.	तमिलनाडु	1896
25.	त्रिपुरा	200
26.	उत्तर प्रदेश	2613
27.	पश्चिम बंगाल	1638
28.	पांडिचेरी	23
		33689

पंजाब नेशनल बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को संवर्ग से संबंधित होने के तथ्य को अपने सेवा रिकार्ड से हटाने का एच्छिक अधिकार

2356. **श्री रोशन लाल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबधित होने के तथ्य को अपने सेवा-रिकार्ड से हटाने का एच्छिक अधिकार दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की वर्ग-वार संख्या क्या है जिन्होंने ऐसे एच्छिक अधिकार का उपयोग किया है और तदनुसार उनके रिकार्ड संशोधित कर दिये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित उसके एक कर्मचारी से, अनुसूचित जाति से उसका नाम हटाने के लिए एक अनुरोध प्राप्त होने पर उसने इस मामले को परामर्श के लिए सरकार के साथ उठाया था। सरकार ने, मुद्दे की जांच करने के बाद पंजाब नेशनल बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया था कि ऐसा अनुरोध स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि कर्मचारी इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करे कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में उसे उपलब्ध लाभों को स्वेच्छापूर्वक छोड़ रहा है और वह भविष्य में भी इन लाभों का दावा नहीं करेगा। यह सूचना प्राप्त होने पर बैंक ने अपने अंचल/क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अपने कर्मचारियों को शपथ-पत्र देने के बाद इस विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करने के लिए कहा था। अलबत्ता, ऊपर उल्लिखित एक मामले को छोड़कर, बैंक को कोई अन्य अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

सिक्किम में रेशम-कीट पालन को बढ़ावा देना

2357. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब से और राज्य सरकार को दी गई सहायता का आज तक का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने वर्ष 1978 के दौरान राज्य में एक अनुसंधान विस्तार केन्द्र की स्थापना की थी। इस समय यह केन्द्र राज्य सरकार के रेशम उत्पादन विकास कार्यक्रम बनाने में सहायता प्रदान कर रहा है और शहतूत की खेती की प्रक्रियाओं के पेकेज और रेशम कीट पालन प्रौद्योगिकी के अन्तरण को भी लोकप्रिय बना रहा है। इसके अतिरिक्त, यह केन्द्र रेशम उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है।

भुगतान संतुलन के संकट से उबरने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव

2358. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भुगतान सन्तुलन के संकट से निपटने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर संघ सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक दृष्टिकोण का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया है। एक पैकेज के रूप में यह वर्तमान स्थिति में भुगतान सन्तुलन की कठिनाइयों का कोई कारगर उपाय प्रदान नहीं करता। जब तक हमारा विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर नीचा रहता है जैसा कि यह वर्तमान में है, तब तक अनिवासी भारतीय भारत में बड़ी राशियां नहीं भेजेंगे। जहां तक आयात को कम करने का प्रश्न है, इसमें अत्यधिक कमी की गई है और उत्पादन और रोजगार पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयात मे और कमी करने की गुंजाइश नहीं है।

भारत सरकार ने वैकल्पिक नीति दृष्टिकोण में इंगित नीति सूत्रपात में उल्लिखित क्षेत्रों में अनेक उपाय भी किए हैं। सबसे पहले, विदेशी मुद्रा भंडारों को बनाए रखने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं और इस प्रकार अनिवासी भारतीयों का विश्वास कायम किया गया है। दूसरे, मुद्रा विनिमय दर के क्षेत्रों में सुधार, व्यापार और औद्योगिक नीति का अभिप्राय भी अनिवासी भारतीयों के विश्वास को बढ़ाना है। उपायों के पैकेज जो पहले ही शुरू कर दिए गए हैं, ने, अनिवासी भारतीयों की निधियों के बहिर्प्रवाह की प्रवृत्ति में बदलाव के रूप में परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। तीसरे, अनिवासी भारतीयों की निधियों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में एक स्कीम की घोषणा की गई है जिसके अन्तर्गत अनिवासी भारतीय और उनके विदेशी निगम निकाय, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले भारत विकास बांडों, जो अमेरिकी डालर में होंगे, में अंशदान कर सकेंगे। चौथे, अनिवासी भारतीयों से संबंधित निवेश के संबंध में नीति और प्रक्रिया पर संवीक्षा करने का प्रस्ताव है। पांचवें, उपाय श्रृंखला द्वारा जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपाय भी शामिल है, आयात नीति में परिवर्तन और सरणीबद्ध आयातों द्वारा अधिकतम आयात संकुचन किया जा रहा है। इसके अलावा हाल के विनिमय दर समायोजन से आयात और भी महंगा हो गया है। अन्ततः राजकोषीय घाटे को योजनाबद्ध तरीके से कम करने को इस प्रकार सूत्रबद्ध किया गया है, जिससे गरीबों के लिए निर्देशित आर्थिक सहायता पर असर न पड़े।

स्टेट बैंक आफ इंदौर की शाखाओं में अनियमितताएं

2359. **श्री राम बदन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंदौर की इलाहाबाद, बंगलौर, कोटा, जयपुर और इंदौर स्थित शाखाओं के व्यापार में अप्रैल, 1988 से अनियमितताओं के कई मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फर्मों/कम्पनियों के लिए ऋण पत्रों को जारी करके और नकली बिलों पर छूट देकर इन फर्मों/कम्पनियों को सुविधाएं दी गईं;

(घ) यदि हां, तो अप्रैल, 1988 से 30 जून, 1991 के दौरान ऐसे प्रत्येक ऋण में दी गई धनराशि की वसूली का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बैंक द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे बैंकों में होने वाली अनियमितताओं का शाखा-वार ब्यौरा नहीं रखते।

अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक को दिसम्बर, 1989 में स्टेट बैंक आफ इन्दौर की इन्दौर स्थित पालसीकर कालोनी शाखा, क्लाथ मार्केट शाखा और पी० वाई० रोड शाखा में एक अधिकारी द्वारा की गई कतिपय अनियमितताएं देखने को मिली हैं। स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने भी जून, 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक की तिलक रोड, अहमदाबाद शाखा में एक ग्रुप खाते में अनियमितता बरते जाने की सूचना दी है।

(घ) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि पालसीकर कालोनी शाखा में 85 अवरुद्ध खातों में से 74 उधारकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दायर कर दिये गए हैं। दायर किए गए मुकदमों में से 36 मामलों में डिक्री मिल गई है। तिलक रोड, अहमदाबाद शाखा के मामले में बैंक ने देय राशियों की वापसी अदायगी के लिए मामले पर बारीकी से अनुवर्ती कार्रवाई की है।

(ङ) सीमा-शुल्क विभाग ने साख पत्रों पर पिछली तारीखें डालने के लिए इन्दौर (पालसीकर शाखा) शाखा के अधिकारी पर जुर्माना लगाया था। बैंक ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अहमदाबाद स्थित तिलक रोड शाखा के मामले में बैंक ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई शुरू करने के लिए उपाय किए हैं।

पारादीप पत्तन पर कोयले की ढुलाई का यन्त्रीकरण

2360. **श्री अन्बारासु इरा :** क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पारादीप पत्तन पर कोयले की ढुलाई का यन्त्रीकरण करने की सुविधा के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव में पारादीप पत्तन में 2 मैकेनाइज्ड कोल बर्थ तथा सहायक सुविधाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) इस प्रस्ताव के लिए सरकार द्वारा निवेश संबंधी निर्णय लिया जाना है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

अधिकतम वेतनमान पर रुके हुए कर्मचारियों को पदोन्नति

2361. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कर्मचारियों को कम से कम एक पदोन्नति देने का निर्णय लिया है जो गत एक वर्ष से अपने अधिकतम वेतनमान पर रुके हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे किन-किन श्रेणियों के कर्मचारी लाभान्वित होंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

डी० एल० एफ० लिमिटेड द्वारा ब्याज की अदायगी

2362. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** डी० एल० एफ० लिमिटेड द्वारा भूखंडों की बिक्री से एकत्र की गई धनराशि के बारे में 27 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2295 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने डी० एल० एफ० यूनिवर्सल लिमिटेड के विरुद्ध जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी० एल० एफ० लिमिटेड ने ड्रा में असफल आवेदकों की कई महीनों तक अपने पास रखी आवेदन धनराशि पर उन्हें ब्याज दे दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मैसर्स डी० एल० एफ० यूनिवर्सल लिमिटेड ने तर्क दिया है कि स्कीम की निबंधनों एवं शर्तों के अन्तर्गत असफल आवेदकों को ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित नहीं था। भू-खण्डों में ड्रा में असफल घोषित हो जाने पर उनकी पंजीकरण राशि को बिना किसी ब्याज के वापिस करने की आवेदकों ने लिखित रूप में सहमति भी दी थी। तदनुसार, इसने उनको कोई ब्याज नहीं दिया।

फार्म उत्पादों का निर्यात

2363. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात योग्य फार्म उत्पादों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाकर तथा उत्पादन के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर फार्म उत्पादों का निर्यात बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) सरकार की नीति फार्म उत्पादों का निर्यात बढ़ाना है, क्योंकि इसके निर्यातों में कम आयात की जरूरत होती है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आय तथा रोजगार उत्पन्न करने में सहायता मिल सकती है, जबकि साथ ही साथ देश के लिए अत्यधिक आवश्यक विदेशी मुद्रा की आय होती है। फार्म उत्पादों का निर्यात बढ़ाने सम्बन्धी कार्य-नीति में शामिल हैं : स्थायी नीति संरचना, निर्यात के लिए बेशीमाल

का सावधानीपूर्वक सृजन, पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्ध जोड़ना, निर्यातकों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन तथा सहायता देना, बेहतर पैकेजिंग तैयार करना, क्वालिटी नियंत्रण उपायों में सुधार लाना, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना, अधिक उदार आधार पर ऋण उपबंध कराना तथा अवस्थापना संबंधी अन्य सहायता में सुधार लाना।

सरकार ने हाल ही में परिवर्धित आर० ई० पी० योजना तथा विनिमय दरों में समायोजन जैसे जो उपाय घोषित किए हैं उनसे हमारे फार्म उत्पादों के निर्यातों में वृद्धि होने की संभावना है।

निर्माण कार्य के लिए ठेके प्राप्त करने हेतु कुवैत में गया शिष्टमंडल

[हिन्दी]

2364. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण कार्य और मरम्मत कार्य के लिए तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में ठेके प्राप्त करने के लिए भारत से एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल कुवैत गया था; और

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल द्वारा जिन ठेकों को अन्तिम रूप दिया गया, उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अभी हाल ही में उच्च स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में ओवरसीज कन्स्ट्रक्शन काउन्सिल आफ इण्डिया तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडलों ने कुवैत का दौरा किया। इसी महीने इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल के कुवैत जाने की संभावना है।

(ख) एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मैं० टेली कम्प्यूनिकेशन्स कन्सलटेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड (टी० सी० आई० एल०) ने लगभग 120 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की संविदा प्राप्त की है और टी० सी० आई० एल० से लगभग 250 तकनीशियनों को लगाया है। इसके अतिरिक्त, ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ गैर-सरकारी परिवहन कंपनियों ने लगभग 10 मिलियन अमरीकी डालर के आदेश प्राप्त किए हैं।

कृषि उत्पादों का खाड़ी देशों को निर्यात

2365. **श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और मसालों के निर्यात पर विचार-विमर्श करके उन पर फैसला करने के लिए खाड़ी के देशों को एक शिष्टमंडल भेजने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) कृषि उत्पादों, संसाधित खाद्य और मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए अध्यक्ष कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में प्रमुख भारतीय निर्यातकों के एक सात सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने अभी हाल ही में खाड़ी के तीन देशों की यात्रा की है।

(ख) चूंकि निर्यात कार्य एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है।

कुवैत को उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई

2366. **श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का कुवैत को उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई पुनः शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, हां। एस० टी० सी० ने हाल ही में कुवैत में एक प्रबन्धक की तैनाती की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के साथ सीमा पर झड़पें

[अनुवाद]

2367. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान पाकिस्तान से हुई सीमा पर झड़पों की संख्या और प्रकृति का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) इन झड़पों में भारत के कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए हैं;

(ग) मृतकों/घायलों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) पिछले वर्ष के दौरान भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच भारत पाक सीमाओं पर कोई झड़प नहीं हुई है। लेकिन पिछले वर्ष के दौरान जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के आरपार और सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में दोनों देशों के कुछ सैनिक हताहत हुए। इस सम्बन्ध में और अधिक ब्यौरा देना वांछनीय नहीं होगा।

2. भारत और पाकिस्ताप के सैन्य संक्रिया महानिदेशक सप्ताह में एक बार टेलीफोन पर एक दूसरे से सम्पर्क करते रहे हैं।

3. युद्ध में हताहत हुए मारे गए सैन्य कार्मिकों के निकटतम संबंधी नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार उदारीकृत पेंशन लाभ पाने के पात्र हैं—

उदारीकृत पेंशन लाभ :

(क) सेना कार्मिक मृत्यु से पूर्व जो वेतन ले रहा था उसकी दर पर उदारीकृत परिवार पेंशन उसके निकटतम सम्बन्धी को तब तक मिलती रहेगी जब तक कि उसकी मृत्यु नही हो जाती या वह इस प्रकार की पेंशन पाने के लिए अयोग्य नहीं हो जाता।

(ख) अफसरों के लिए 2000 रु० से 1900 रु० और जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों एवं अन्य रैंकों के लिए 450 रु० से 1600 रु० तक की विशेष दर पर उनके रैंक के अनुसार निर्धारित दर पर परिवार उपदान ।

(ग) मृत्यु उपदान की व्यवस्था इस प्रकार है—*

(1) एक वर्ष से कम सेवा के लिए	—	2 महीने का वेतन
(2) 1 से 5 वर्ष तक की सेवा के लिए	—	6 महीने का वेतन
(3) 5 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम की सेवा के लिए	—	12 महीने का वेतन
(4) 20 वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा के लिए	—	प्रत्येक पूरे वर्ष की सेवा के लिए एक महीने के वेतन की दर से अधिकतम 33 महीने का वेतन अथवा 1 लाख रु० इनमें से जो भी कम हो ।

* उपदान देने के लिए सेना कार्मिक द्वारा की गई कुल सेवा अवधि में 5 वर्ष की अवधि का लाभ दिया जाता है बशर्ते कि कुल अर्हक सेवा 33 वर्ष से अधिक न हो । यदि उसने वास्तविक रूप से 5 वर्ष से कम सेवा की हो तो उसे यह लाभ नहीं दिया जाता है ।

4. ऐसे मामलों में दिए जाने वाले अन्य लाभों का ब्यौरा इस प्रकार है—(शिक्षा सम्बन्धी रियायतें केवल सियाचिन क्षेत्र में युद्ध में तथा कतिपय अन्य सूचीबद्ध सैन्य संक्रियाओं में हताहत हुए कार्मिकों के मामले में दी जाती हैं)

(1) **रोजगार सहायता**

सैन्य कार्रवाई के दौरान मारे गए अथवा गंभीर रूप से घायल हुए सैन्य कार्मिकों के दो आश्रितों तक को रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय/रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाने वाले समूह "ग" और "घ" पदों में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता 11-क दी जाती है ।

(2) **शिक्षा सम्बन्धी रियायतें**

युद्ध में मारे गए अथवा निशक्त हुए रक्षा कार्मियों के बच्चे, जो शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे होते हैं, वे निम्नलिखित शैक्षणिक रिआयतें पाने के पात्र हैं—

(क) संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शैक्षणिक शुल्क एवं अन्य शुल्कों की अदायगी से पूरी छूट,

(ख) छात्रावास विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को उनके छात्रावास प्रभारों की पूर्णतः अदायगी के लिए अनुदान,

(ग) पुस्तकों और लेखन-सामग्री की पूरी कीमत की अदायगी,

(घ) जिन शैक्षणिक संस्थानों में वर्दी पहनना अनिवार्य है उनमें पढ़ने के लिए वर्दी के पूरे खर्च की अदायगी ।

5. उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त देय लाभों में सेना सामूहिक बीमा लाभ, सैन्य अफसर हितकारी निधि, सैन्य महिला कल्याण संस्थान निधि और सैन्य राहत निधि से वित्तीय सहायता, गृह निर्माण एवं मरम्मत तथा लड़कियों के विवाह के लिए अनुदान और रेल यात्रा में रियायत सम्बन्धी लाभ भी शामिल हैं। इस पैरा में उल्लिखित लाभ सेना की गैर-सरकारी निधि से प्रदान किए जाते हैं।

सीमा शुल्क मूल्यांकन सेवा

2368. **श्री रामनिहोर राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न ग्रुप "ए" और ग्रुप "बी" सेवाओं के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है;

(ख) क्या सभी ग्रुप "बी" सेवाओं से जब सम्बद्ध ग्रुप "ए" सेवाओं मे पदोन्नत किया जाता है तो 3000-4500 रुपए का वेतनमान दिया जाता है;

(ग) क्या सीमा शुल्क मूल्यांकन सेवा में ग्रुप "ए" सेवा में पदोन्नत किये जाने पर 2200-4000 रुपए का वेतनमान दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस विसंगति को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से जिन विभिन्न ग्रुप "ए" और ग्रुप "बी" सेवाओं के लिए भर्ती की जाती है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) ग्रुप "बी" से ग्रुप "ए" में पदोन्नति संबधित सेवाओं के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती है। इन पदों के वेतनमान भी संगत नियमों के अन्तर्गत निर्धारित हैं।

भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा में अप्रेजरों सहित ग्रुप "बी" के अधिकारियों की सभी श्रेणियों से ग्रुप "ए" में पदोन्नति 2200-4000 के वेतनमान में की जाती है जो भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा ग्रुप "ए" नियमावली, 1987 के अनुसार है।

विवरण

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से जिन ग्रुप "ए" और "बी" सेवाओं के लिए भर्ती की जाती है उनकी सूची

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा।
2. भारतीय विदेश सेवा।
3. भारतीय पुलिस सेवा।

4. भारतीय डाक तार, लेखा और वित्त सेवा ग्रुप "क"
5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ग्रुप "क"
6. भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, ग्रुप "क"
7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा ग्रुप "क"
8. भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप "क"
9. भारतीय आयुध कारखाना सेवा ग्रुप "क" (सहायक प्रबन्धक गैर तकनीकी).
10. भारतीय डाक सेवा, ग्रुप "क"
11. भारतीय सिविल लेखा सेवा, ग्रुप "क"
12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा, ग्रुप "क"
13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा, ग्रुप "क"
14. भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, ग्रुप "क"
15. रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप "क" के सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद।
16. भारतीय रक्षा संपदा सेवा, ग्रुप "क"
17. भारतीय सूचना सेवा वर्ग "क" (कनिष्ठ ग्रेड)
18. केंद्रीय व्यापार सेवा ग्रुप "क" (ग्रेड 3)
19. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के पद, ग्रुप "क"
20. केंद्रीय सचिवालय सेवा, ग्रुप "ख" (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)
21. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, ग्रुप "ख" (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)
22. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा ग्रुप "ख" (सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड)
23. सीमा शुल्क मूल्य निरूपक (एप्रेजर) सेवा ग्रुप "ख"
24. दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, ग्रुप "ख"
25. दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, ग्रुप "ख"
26. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक ग्रुप "ख" के पद
27. पांडिचेरी सिविल सेवा, ग्रुप "ख"

पटना में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए बीमा के जाली दावों में संबंधित मामले

[हिन्दी]

2369. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की पटना शाखा ने वर्ष 1988 से जहानाबाद जिला (बिहार) के व्यक्तियों द्वारा बीमा के जाली दावों के कितने मामले दर्ज किए हैं;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनके विरुद्ध ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) अब तक ऐसे कितने मामलों की जांच की गई है और अभी कितने मामलों की जांच की जानी है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा यह सूचित किया गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की पटना शाखा ने जाली बीमा दावों के संबंध में दो मामले दर्ज किए हैं और दोनों ही मामलों में जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है। एक मामले में, निम्नलिखित व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है—

1. श्री कृष्ण सिंह, सहायक इंजीनियर, एन० बी० सी० सी० नौएडा।
2. श्री राजेन्द्र सिंह (प्राइवेट व्यक्ति)
3. श्रीमती शान्ति देवी (प्राइवेट व्यक्ति)
4. श्री मोहिन्द्र प्रसाद सिंह, एस० आई०, रामगढ़ पुलिस स्टेशन।
5. श्री राजेन्द्र ठाकुर (प्राइवेट व्यक्ति)
6. श्री बाबू प्रताप सिंह (प्राइवेट व्यक्ति)
7. श्री योगिन्द्र प्रसाद मेहता (प्राइवेट व्यक्ति)
8. श्री राम नारायण सिंह (प्राइवेट व्यक्ति)
9. श्री सुरिन्दर सिंह (प्राइवेट व्यक्ति)
10. श्री राम विजय सिंह (प्राइवेट व्यक्ति)
11. श्री शिव केशव सिंह (प्राइवेट व्यक्ति)
12. श्री राम मिश्रा सिंह (प्राइवेट व्यक्ति)

इंजीनियरी शाखा के भूतपूर्व नौसेना अधिकारियों को एम० ओ० टी० प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र

[अनुवाद]

2370. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आई० एन० एस० शिवाजी में नौसेना इन्जीनियरों द्वारा प्राप्त बेसिक इन्जीनियरी योग्यताओं को मान्यता देती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नौसेना इन्जीनियर अधिकारियों को, जो स्वतंत्र रूप से वर्कशाप के मशीनरी का संचालन करते हैं, एम० ओ० टी० प्रथम श्रेणी प्रमाण-पत्र के लिए योग्य होने के लिए किसी परीक्षा को देना अनिवार्य करने का क्या कारण है; और

(घ) इन्जीनियरी शाखा के भूतपूर्व नौसेना अधिकारियों को एम० ओ० टी० प्रथम श्रेणी का प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी वर्तमान प्रक्रिया क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) मैरीन इंजीनियर आफिसर्स क्लास I और क्लास II की परीक्षाए देने के लिए आई० एन० एस० शिवाजी की बेसिक इन्जीनियरी योग्यता को मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तथापि, आई० एन० एस० शिवाजी में बेसिक इन्जीनियरी पाठ्यक्रम के तहत लिए गए प्रशिक्षण को मैरीन इंजीनियर आफिसर्स क्लास II की परीक्षा देने की पात्रता के लिए निर्धारित आपेक्षित प्रशिक्षुता अवधि का एक भाग माना जाता है।

(ग) भारत द्वारा हस्ताक्षरित, इन्टरनेशनल कन्वेंशन आन स्टैन्डर्ड आफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एण्ड वाचकीपिंग (एस० टी० सी० डब्ल्यू०) फार सीफेयरर्स, 1978 के अनुच्छेद VI के तहत किसी भी अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता प्रमाणपत्र जिसमें एम० ओ० टी० प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र भी शामिल है, प्राप्त करने से पहले, सम्मेलन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशानुसार मर्कंटाईल मेरीन विभाग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

(घ) इन्जीनियरी शाखा के भूतपूर्व नेवल अधिकारी, जिनके पास मैरीन इन्जीनियर क्लास II का सक्षमता प्रमाणपत्र है अथवा सेवा का द्वितीय श्रेणी का प्रमाण पत्र है और जो वाणिज्यिक नौवहन (मर्चेन्ट नेवी में इंजीनियर अधिकारियों की परीक्षा) विनियम, 1989 के तहत अपेक्षित समुद्री सेवा की शर्त पूरी करते हैं, मैरीन इन्जीनियर अधिकारियों की प्रथम श्रेणी की परीक्षा देने के लिए पात्र हैं। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद एम० ओ० टी० प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

व्यापार घाटा

2371. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1990 से नवम्बर, 1990 के दौरान व्यापार घाटा कितना था ;

(ख) क्या आठ महीनों के दौरान रिकार्ड किया गया यह घाटा अब तक का सर्वाधिक घाटा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 1990 से नवम्बर, 1990 के दौरान 7181 करोड़ रुपये का व्यापार घाटा हुआ है।

(ख) जी, हां

(ग) अप्रैल-नवम्बर, 1990 के दौरान उच्च व्यापार घाटे के मुख्य कारण थे—छोटे हीरों को विश्व बाजार में मन्दी के कारण रत्न एवं आभूषण के निर्यात में कमी, काफी, चावल आदि के निर्यात में कमी आना एवं पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों, दालों इत्यादि के आयात में वृद्धि होना।

(घ) सरकार ने हाल ही में लाइसेंसिंग के द्वारा किए जा रहे नियन्त्रणों को कम करने, निर्यात उत्प्रेरकों को मजबूत करने तथा आयातों के बड़े क्षेत्र में आयात क्षमता को निर्यात आय से जोड़ने के उद्देश्य से निर्यात-आयात नीति में दूरगामी सुधारों को शुरूआत की है। इनका उद्देश्य निर्यात वातावरण में सुधार लाना है जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होगी तथा निर्यात किए जाने वाले सामानों की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 और 3 जुलाई, 1991 को किए गए रुपये के अवमूल्यन के कारण भारत को निर्यात आय में वृद्धि की सम्भावना है और इसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटे में कमी होगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

2372. **श्री मुकुल वासनिक :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सिंडीकेट बैंक को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को बैंक सेवाओं में टॉप एक्जीक्यूटिव ग्रेड स्केल-VII तक आरक्षण देने के आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक ने आदेशों को लागू कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी इसी प्रकार के आदेश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सिंडीकेट बैंक ने सूचित किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय का कार्यान्वियन करने के लिए 15-10-91 तक समयावधि बढ़ाने की अनुमति दी है। उसने आगे बताया है कि वह दिए गए समय में निर्णय को कार्यान्वित कर देगा।

(घ) और (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1-4-91 के अपने आदेश में यह आदेश दिया है कि उनका 10-8-90 का निर्णय केवल सिंडीकेट बैंक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों पर लागू है। अतः अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

गुजरात और आंध्र प्रदेश में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लघु सीमेंट संयंत्रों को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

2373. **डा० महावीरसिंह हरिसिंहजी गोहिल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने गुजरात और आंध्र प्रदेश में लघु सीमेंट संयंत्रों का वित्त पोषण करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में सीमेंट की ढुलाई करने पर कोई प्रतिबंध है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्य सीमेंट बहुल क्षेत्र हैं और यहां तक कि विद्यमान इकाइयां विपणन की समस्याओं का सामना कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी कई इकाइयां रुग्ण हो रही हैं और वित्तीय संस्थाओं के प्रति चूक कर रही हैं। इसे देखते हुए, वित्तीय संस्थाएं इन राज्यों में लघु सीमेंट इकाइयों सहित किसी ऐसी सीमेंट परियोजना के वित्तपोषण पर विचार नहीं कर रही हैं जो प्रारम्भिक अवस्था में हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

स्टेट बैंक आफ पटियाला की ओखला शाखा में बैंक डकैती

[अनुवाद]

2374. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :**
श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकुओं ने 15 जुलाई, 1991 को स्टेट बैंक आफ पटियाला की ओखला शाखा में पांच बैंक कर्मचारियों को मार दिया था और दो लाख रुपये लेकर भाग गए थे;

(ख) क्या बैंक की सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त थी;

(ग) यदि हां, तो बैंकों में सुरक्षा प्रबंध को और मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने मृतकों के निकट सम्बन्धियों के लिए किसी मुआवजे की घोषणा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) स्टेट बैंक आफ पटियाला की ओखला शाखा में 15 जुलाई, 1991 को डाकुओं ने तीन बैंक कर्मचारियों और जनता के दो व्यक्तियों की हत्या कर दी। डाकू 2,04,040 रुपए की रकम भी लूट कर ले गए।

(ख) शाखा में एक सशस्त्र गार्ड था और वहां सुरक्षा अलार्म प्रणाली भी थी। अलार्म

प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करती थी परन्तु उसको प्रयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि कर्मचारी भय से खौफजदा थे और डाकू बन्दूक की नोक पर उन्हें आदेश दे रहे थे।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित सभी बैंक शाखाओं के सम्बन्ध में सभी निवारात्मक उपाय करने के लिए पुलिस अधिकारियों को अनुरोध किया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की लगातार समीक्षा की जाती है और जोखिम घटक को देखते हुए, जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां सशस्त्र गार्डों को नियुक्त किया जाता है तथा सेंधमारी/लूटपाट निरोधी यन्त्रों आदि की व्यवस्था की जाती है।

(घ) और (ङ) बैंक ने मारे गए सभी पांच व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को एक-एक लाख रुपए की राशि मंजूर की है।

सुरक्षा बलों के लिए भर्ती कार्यालय

[हिन्दी]

2375. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सुरक्षा बलों के विभिन्न अंगों के लिए राज्यवार कितने भर्ती कार्यालय हैं; और

(ख) भर्ती के लिए शारीरिक और शैक्षिक योग्यता के क्या मानदन्ड निर्धारित किये गये हैं?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) सेना, नौसेना और वायु सेना के बारे में विवरण-II, III और IV संलग्न हैं।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	सेना/नौसेना दोनों के लिए भर्ती कार्यालय	नौसेना के लिए भर्ती कार्यालय	वायु सेना के लिए भर्ती कार्यालय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3	1	1
2.	असम	3	—	1
3.	बिहार	5	—	1
4.	गुजरात	2	1	—
5.	हरियाणा	4	—	1
6.	हिमाचल प्रदेश	4	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	2	—	—

1	2	3	4	5
8.	कर्नाटक	3	1	1
9.	केरल	2	1	1
10.	महाराष्ट्र	5	3	1
11.	मध्य प्रदेश	5	—	—
12.	मेघालय	1	—	—
13.	नागालैंड	1	--	—
14.	उड़ीसा	3	1	1
15.	पंजाब	5	—	—
16.	राजस्थान	5	—	1
17.	तमिलनाडु	3	1	1
18.	उत्तर प्रदेश	10	—	1
19.	वेस्ट बंगाल	4	1	1
20.	गोआ	—	1	—
21.	दिल्ली	1	1	1
22.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	—	2	—
23.	लक्षद्वीप और मिनीकाय द्वीप समूह	—	1	—
	जोड़ :	71	15	13

विवरण-II

1. लोक सभा में 9 अगस्त, 1991 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2375 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण जिसमें थल सेना में भर्ती के लिए शारीरिक मानदण्डों को दर्शाया गया है

1. क्षेत्रवार शारीरिक मानदण्ड

क्रम संख्या	मंडल	राज्य/उसमें सम्मिलित क्षेत्र	शारीरिक मानदंड		
			कद सें० मी०	सीना सें० मी०	वजन कि० ग्रा०
1	2	3	4	5	6
(क)	पश्चिमी हिमालय क्षेत्र	जम्मू-कश्मीर, हि० प्र० गढ़वाल और कुमाऊं	160	77	48

1	2	3	4	5	6
(ख)	पूर्वी हिमालय क्षेत्र	भूटान, सिक्किम नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पूर्वी बंगाल, का पर्वतीय क्षेत्र	154	77	48
(ग)	पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश (मेरठ) तथा आगरा मण्डल	167	77	50
(घ)	पूर्वी मैदानी क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा	166	77	50
(ङ)	मध्य क्षेत्र	मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन और दीव	164	77	50
(च)	दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु गोवा, और पाण्डिचेरी	162	77	50

2. विशेष शारीरिक माप दण्ड

		कद सें० मी०	सीना सें० मी०	वजन कि० ग्रा०
(क)	लद्दाख निवासी	155	77	50
(ख)	गोरखा (नेपाली और भारतीय अधिवासी)	154	77	48
(ग)	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह तथा मिनीकाय			
	(I) उपनिवेशी	162	77	50
	(II) स्थानीय	152	77	50
(घ)	मान्यताप्राप्त आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासी उन्हें छोड़कर जिनका ऊपर विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।	159	77	48

	कद सें० मी०	सीना सें० मी०	वजन कि० ग्रा०
3. ट्रेडवार शारीरिक मानदंड			
(क) सेना पुलिस (सी० एम० पी०)	170	77	50
(ख) ब्रिगेड आफ गार्ड	170	77	50
(ग) मीडियम आर्टिलरी	167	77	50
(घ) क्लर्क (सामान्य ड्यूटी एवं कोर)	159	77	50

4. छूट : विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को शारीरिक मानदंडों में कुछ छूट दी गई जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	कद	सीना	वजन	
(क)	1 से० मी०	1 से० मी०	2 कि० ग्रा०	— 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के उम्मीदवारों के लिए
(ख)	2 से० मी०	1 से० मी०	2 कि० ग्रा०	— सैनिक और भूतपूर्व सैनिक के एक पुत्र के लिए
(ग)	2 से० मी०	3 से० मी०	5 कि० ग्रा०	— राष्ट्रीय या राज्य स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए
(घ)	2 से० मी०	1 से० मी०	2 कि० ग्रा०	— ट्रेड्समैनों की श्रेणियों के लिए

2. सेना में भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी विवरण

क्रम सं०	श्रेणी	शैक्षिक अर्हता
1.	सिपाही सामान्य ड्यूटी	मैट्रिक
2.	सिपाही तकनीकी	अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, विषयों सहित मैट्रिक
3.	सिपाही क्लर्क/स्टोर कीपर तकनीकी	अंग्रेजी और गणित विषयों सहित मैट्रिक
4.	सिपाही परिचर्या सहायक	अंग्रेजी, गणित और जीव-विज्ञान सहित विज्ञान विषयों सहित मैट्रिक
5.	सिपाही ट्रेड्समैन	नॉन मैट्रिक
6.	हवलदार क्लर्क	बी० ए०/बी० एस० सी०/बी० काम (अंग्रेजी और गणित विषयों सहित मैट्रिक)

7. हवलदार की अर्हता :—

(क) समूह "क" —प्रशिक्षित स्नातक/एम० ए०/एम० एस-सी०/एम० काम (कला स्नातकों के मामले में विज्ञान और गणित विषयों सहित मैट्रिक)

(ख) समूह "ख" —बी० ए०/बी० एस-सी०/बी० काम (कला स्नातकों के मामले में विज्ञान तथा गणित विषयों के साथ मैट्रिक)

8. जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर (धर्मगुरु) — मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विद्या में स्नातक। इसके अलावा उम्मीदवार के पास धार्मिक सम्प्रदाय के अनुसार अतिरिक्त योग्यता होनी चाहिए।

9. जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर (कैटरिंग) — विज्ञान में 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण। इसके अलावा मान्यता प्राप्त पाक कला संस्थान से एक वर्षीय पाक शास्त्र डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।

विवरण-III

लोक सभा में 9 अगस्त, 1991 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2375 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण जिसमें नौसेना में भर्ती के लिए शारीरिक मानदण्ड तथा शैक्षिक अर्हता दर्शाई गई है

क्रम सं०	श्रेणी	शैक्षिक अर्हता	शारीरिक मानदण्ड
1.	सीधी भर्ती नौसैनिक (मैट्रिक)	मैट्रिक	(क) 18 वर्ष की आयु में न्यूनतम कद 157 से० मी० होना चाहिए।
2.	सीधी भर्ती नौसैनिक (नॉन-मैट्रिक)	स्टीवर्ड के लिए छठी कक्षा; रसोइये के लिए पांचवीं कक्षा	(ख) वजन कद के अनुसार होना चाहिए।
3.	अप्रेंटिस आर्टिफिसर	विज्ञान विषयों के साथ मैट्रिक	(ग) सुविकसित सीना जो कम से कम 5 से० मी० तक फुलाया जा सके।
4.	डॉकयार्ड अप्रेंटिस	मैट्रिक, विज्ञान विषय के साथ मैट्रिक उम्मीदवार को वरीयता	(क) न्यूनतम कद 150 से० मी० (ख) न्यूनतम वजन 45 कि० ग्रा० (ग) सुविकसित सीना जो कम से कम 5 से० मी० तक फुलाया जा सके।

विवरण-IV

लोक सभा में दिनांक 9 अगस्त, 1991 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2375 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण जिसमें वायु सेना में भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताओं और शारीरिक मानदण्डों को दर्शाया गया है

क्रम सं०	श्रेणी का नाम	शैक्षिक अर्हताएं	शारीरिक मानदण्ड		
			कद	सीना	वजन
1.	**तकनीकी**				
(क)	मिसाइल फिटर	भौतिकी और गणित के साथ मैट्रिक जिसमे कुल 60% अंक प्राप्त किए हों।	152.5 सें० मी०	75 सें० मी०, 5 सें० मी० तक छाती फुला सके	व्यक्ति की आयु, कद और शारीरिक गठन के अनुसार आर० एम०ओ० के निर्णय पर समुचित रियायत दी जाती है।
(ख)	इलैक्ट्रानिक विधा	अथवा			
(ग)	मेकनिकल विधा	भौतिकी और गणित के साथ 10+2			
(घ)	रेडियो टेक.	अथवा इलैक्ट्रानिक्स, इलैक्ट्रिकल			
(ङ)	ए० डी० एस० ओ०	या मेकनिकल इंजीनियरी में डिप्लोमाधारी			
2.	**गैर-तकनीकी**				
(क)	सामान्य (नीचे दिए को छोड़कर)	मैट्रिक — 5% और उससे ऊपर	—वही—	—वही—	—वही—
(ख)	जी० टी० आई०	—वही—	167 सें० मी०	—वही—	—वही—
(ग)	आई० ए० एफ०/पी०	—वही—	175 सें० मी०	—वही—	—वही—
(घ)	एम० टी० डी०	मैट्रिक 45%से कम अंक प्राप्त करने वाले स्वीकार्य	165 स० मी०	—वही—	—वही—
(ङ)	संगीतकार	अंग्रेजी पढ़ने और समझने की योग्यता	167 सें० मी०	—वही—	—वही—
(च)	शिक्षा	बी० ए०/बी० एस-सी० (ऑनर्स) या बी० एड या एक वर्ष के अनुभव सहित स्नातक	152.5 सें० मी०	—वही—	—वही—
3.	आयोधी (नामांकित)	शून्य	152.5 सें० मी०	—वही—	—वही—

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अन्य राज्यों से नियुक्ति

[अनुवाद]

2376. **श्री एम० डेनिस** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उच्च न्यायालयों की एक तिहाई न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर पड़ने वाले राज्यों से करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) सरकार ने विधि आयोग की 80वीं रिपोर्ट में की सिफारिशों को नीति के रूप में स्वीकार किया है कि एक ऐसी परिपाटी होनी चाहिए जिसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक-तिहाई न्यायाधीश किसी अन्य राज्य से हों। सरकार ने इसे या तो प्रारंभिक नियुक्तियां बाहर से करके या स्थानांतरण करके, कार्यान्वित करने का विनिश्चय किया है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को बाहर से लेने की नीति अपनाकर इस दिशा में पहल की जा चुकी है। इस नीति को अपनाए जाने के पश्चात् कुछ अवर न्यायाधीशों की प्रारम्भिक नियुक्तियां बाहर से की भी गई हैं और एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीशो के स्थानांतरण भी किए गए हैं।

प्राइवेट कम्पनियों को सार्वजनिक कम्पनी का दर्जा देने के मापदंड

2377. **कुमारी उमा भारती** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्राइवेट कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी का दर्जा देने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन कम्पनियों को सार्वजनिक कम्पनी का दर्जा दिया गया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सावधानियां बरती गई हैं कि सार्वजनिक कम्पनियों का दर्जा केवल उन्हीं कम्पनियों को दिया जाए जो इस सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) संगम अनुच्छेद कम्पनी का दर्जा निर्धारित करते हैं। एक कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है यदि इसके संगम अनुच्छेद में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 (1) (iii) के अन्तर्गत आने वाले उपबंध शामिल हों। पब्लिक कम्पनी के मामले में इन उपबंधों को शामिल करना अपेक्षित नहीं है। एक प्राइवेट कम्पनी अधिनियम की धारा 43, 43-क तथा 44 मे विनिर्दिष्ट कतिपय परिस्थितियों में एक पब्लिक कम्पनी हो जाती है और तत्पश्चात कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत प्राइवेट कम्पनियों को प्रदत्त विशेषाधिकारों तथा छूटों से इसकी पात्रता समाप्त हो जाती है।

(ख) जो प्राइवेट कम्पनियां कम्पनी अधिनियम की धारा 43, 43-क तथा 44 के अन्तर्गत पब्लिक कम्पनियां हो गयी हैं, उनकी संख्या संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं प्राइवेट से पब्लिक कम्पनी के परिवर्तन के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 की मरम्मत

[हिन्दी]

2378 **श्री राम शरण यादव** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खगड़िया से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 31 कई स्थानों पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है; और

(ख) यदि हां तो उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और यह मरम्मत कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राज्य लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले वर्ष के दौरान, बाढ़ के कारण यह खंड क्षतिग्रस्त हो गया था। तथापि चालू वर्ष के दौरान अभी तक किसी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1988-89 से 1990-91) खगड़िया प्रभाग में राष्ट्रीय राजमार्ग के इस भाग (218 कि० मी० से 331 कि० मी०) के सामान्य रख-रखाव कार्य के अलावा 339 लाख रु० लागत के सुधार कार्य तथा 103 लाख रु० लागत के बाढ़ से क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत कार्यों को मंजूरी दी गई थी। बाढ़ से क्षतिग्रस्त अधिकतर भाग की मरम्मत की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में फतेहगंजपूर्वी में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलना

2379. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में फतेहगंजपूर्वी में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा खोलने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में बैंक की कोई शाखा खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उक्त शाखा कब खोल दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे कोई अनुरोध मिला प्रतीत नहीं होता है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में तस्करी के सामान की जब्ती

2380. **श्री दिलीप भाई संघानी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में कितने तस्कर पकड़े गये और उनसे तस्करी का कितना सामान पकड़ा गया; और

(ख) उपर्युक्त क्षेत्रों में तस्करी की रोकथाम करने के लिए संघ सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने जनवरी से जून, 1991 तक की अवधि के दौरान गुजरात राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 6.22 करोड़ रुपये मूल्य का निषिद्ध माल अभिगृहीत किया है और इस सम्बन्ध में 11 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है ।

(ख) तस्करी रोधी अभियान को तेज कर दिया गया है और देश भर में तस्करी रोधी तंत्र को चुस्त बना दिया गया, विशेष रूप से तटवर्ती तस्करी के सुगम्य क्षेत्रों में। तस्करी का पता लगाने और उसके निवारण में लगी सभी सम्बन्धित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है। सीमा-शुल्क अधिकारियों को, तस्करी की गतिविधियों का और अधिक कारगर ढंग से मुकाबला करने के लिए, जलयानों, वाहनों, अग्नेयास्त्रों, रात को देखने में सहायक दूर-बीनों, आदि से सुसज्जित किया गया है। सीमा-शुल्क निवारक समाहर्तालय, गुजरात, को एक दूर-संचार नेटवर्क भी प्रदान किया गया है ।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के ट्रान्सपोर्टरों को राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिट

[अनुवाद]

2381. **श्री कालका दास** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के परिवहन निदेशालय ने कितने ट्रांसपोर्टरों को राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिट जारी किये हैं;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कितने लोग हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को राज्य परिवहन प्राधिकरण के कुछ और परमिट जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली द्वारा सिटी रूटों पर 306 "स्टेज कैरिज परमिट" जारी किए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त 306 परमिटों में से 41 परमिट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को दिए गए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मई, 1989 में कार्यकारी परि-

षद द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर 15 परमिट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिए जाने हैं। इन परमिटों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए समाचार पत्रों में प्रकाशित एक विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कुल 61 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। जांच के बाद, 14 आवेदन पत्र सही पाए गए और उनके मामलों को राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

वाराणसी के बलुआघाट में गंगा नदी पर पुल का निर्माण

2382. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी जिले के बलुआघाट में गंगा नदी पर प्रस्तावित पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्य को कब तक शुरू किया जायेगा और इस पुल के निर्माण के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए संघ सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) वाराणसी में गंगा नदी पर बलुआघाट पर जब पुल बनेगा तो यह एक राज्यीय सड़क पर आएगा। इस प्रकार इस मामले में मुख्यतः उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है।

स्वर्णाभूषणों का निर्यात

2383. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान निर्यात किये गये स्वर्णाभूषणों का कुल मूल्य और मात्रा क्या है; और

(ख) स्वर्णाभूषणों के निर्यात के लिए क्या विशेष प्रोत्साहन दिये गये ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी० जे० ई० पी० सी०) की रिपोर्ट के अनुसार सोने के आभूषणों के निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है—

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	मूल्य
1989-90	282.90
1990-91	363.86

किंतु, सोने के आभूषणों के आंकड़े मूल्यवार रखे जाते हैं मात्रावार नहीं।

(ख) सोने के आभूषण निर्यात के लिए थ्रस्ट क्षेत्र है। सोने के आभूषणों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। सोने के आभूषण के निर्यात उत्पाद के लिए

बम्बई और दिल्ली में विशेष परिसर स्थापित किए गए हैं, जिनमें भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमि० (एम० एम० टी० सी०) द्वारा सोने की सप्लाई के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ऐसे परिसरों से बाहर स्थित 100% निर्यात अभिमुख एककों के लिए भी अनुमति दी गई है बशर्ते कि वे उत्पादन के दूसरे वर्ष में 50 करोड़ रुपये का निर्यात करने में समर्थ हों। सोना नियंत्रण अधिनियम के रद्द होने से भी सोने के आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा मिला है।

चाय बागानों द्वारा श्रम अधिनियमों को लागू न करना

2384. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत चाय बागान, बागानों के श्रमिकों के लाभार्थ बागान श्रम अधिनियम, उपदान अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य अधिनियम लागू नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) चाय इस्टेटों से संबंधित श्रम अधिनियम, उपदान अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम तथा इसी प्रकार अन्य अधिनियम, जो चाय बागानों के श्रमिकों के ऊपर लागू होते हैं तथा उनके लाभ के लिए हैं, 5-4-1985 में राष्ट्रीयकरण के बाद से टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमि० द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मऊ छावनी में हेमा रेंज के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा

[हिन्दी]

2385. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के लिए हेमा रेंज हेतु मऊ छावनी में अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) मऊ छावनी की हेमा रेंज के सम्बन्ध में भूमि के अधिग्रहण से सम्बन्धित कार्यवाहियां पूरी नहीं की जा सकीं क्योंकि समाहर्त्ता द्वारा दिसम्बर, 1988 में दिए गए निर्णय के अनुसार क्रमश: मुआवजे के रूप में 15,97,92,267.50 करोड़ रुपये और पुनर्वास अनुदान के रूप में 3.1926 करोड़ रुपये की जो राशि निर्धारित की गई थी वह काफी अधिक समझी गई थी। परिणामत: प्रस्तावित हेमा रेंज स्थापित करने के लिए कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है।

उड़ीसा में राज्य के राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में बदला जाना

[अनुवाद]

2386. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को उड़ीसा सरकार की ओर से राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिये कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित सड़कों को आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल करने की पेशकश की है अर्थात् :—

क्रम सं०	सड़क का नाम	लम्बाई (कि० मी०)
1.	गोपालपुर-खरीअर-नावापारा-रायपुर	480
2.	पनीकोइली-क्योंझर-वारबिल-कोइरा-राजामुंडा	220
	योग :	700 कि० मी०

तथापि, उड़ीसा सहित अन्य विभिन्न राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के संबंध में निर्णय आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

हथकरघा क्षेत्र में आरक्षित कपड़े की किस्में

2387. **प्रो० उमा रेड्डी वेंकटश्वरलु** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग 22 किस्मों के कपड़े के निर्माण को हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) आरक्षित 22 मुद्दों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	मद	हथकरघा क्षेत्र में आरक्षित मदों की किस्में
1	2	3
1.	साड़ी	वे साड़ियां जिसमें बॉर्डर अथवा पल्लू बुना जाता है और साड़ी में कहीं भी अतिरिक्त ताने अथवा अतिरिक्त बाने का प्रयोग किया गया हो [100% सिंथेटिक फाइबर से तैयार की गई हैं साड़ियां तथा जिन साड़ियों में 45% (भार में) से अधिक मानव निर्मित फाइबर का प्रयोग किया गया हो वे इसमें शामिल नहीं होंगी]।

1	2	3
2.	**कोटा डोरिया साड़ी**	वे साड़ियां जो सूती अथवा सूती प्रधानता के साथ-साथ किसी अन्य रेशे के मिश्रण से तैयार की जाती हैं और जिनमें धारीदार अथवा चारखानों के नमूने में डोरी का रूप दिया जाता हो।
3.	**बांधन और रंजित साड़ी तथा रंजित सामान**	सभी प्रकार की बांधन और रंजित साड़ी तथा रंजित सामान।
4.	**धोती**	ऐसी धोतियां जिनमें बुनाई में बॉर्डर हो और बॉर्डर में अधिक ताने का प्रयोग किया गया हो [100% सिंथेटिक फाइबर से तैयार की गई हैं साड़ियां तथा जिन साड़ियों में 45% (भार में) से अधिक मानव निर्मित फाइबर का प्रयोग किया गया हो वे इसमें शामिल नहीं होंगी]।
5.	**गमछा और अंगवस्त्र**	(क) केवल सूती गमछे जो ढीली बुनाई में तैयार किये जाते हैं। (ख) सादी बुनाई में किसी भी फाइबर से (स्पन रेशम को छोड़-कर) तैयार किया गया अंगवस्त्र जिसमें बॉर्डर हो और बॉर्डर में अतिरिक्त ताने का प्रयोग हो।
6.	**लुंगी**	सादी बुनाई में चारखानों के डिजाइन वाली लुंगियां जिनमें स्पन सिल्क को छोड़कर किसी भी फाइबर का प्रयोग किया गया हो।
7.	**कमीज का कपड़ा**	केवल 100% सूती चारखानों के डिजाइन का कमीज का कपड़ा।
8.	**क्रेप वस्त्र**	अच्छी तरह ऐंठें सूत के प्रयोग से केवल 100% सूती क्रेप वस्त्र।
9.	**तौलिए**	सूती अथवा सूत से मिश्रित धागे (टेरी टॉवल को छोड़कर) के प्रयोग से तैयार किए गए तौलिए जिसमें बॉर्डर अथवा शीर्ष हो।
10. (क)	**खेस**	डबल क्लॉथ बुनाई में तैयार किया गया ताने में 2/17 एस से 2/22 एस और बाने में 8 एस से 12 एस के धागे के प्रयोग से सूती अथवा कृत्रिम रेशम खेस।
(ख)	**पलंग की चादर**	सूती अथवा कृत्रिम रेशम की पलंग की चादरें जिनमें रंगीन सूत से बॉर्डर अथवा शीर्ष (हैडिंग) तैयार किया गया हो।
(ग)	**बैड कवर**	सूती अथवा रेशम के बैड कवर जिनमें सजावटी अथवा रंगीन सूत से बॉर्डर अथवा शीर्ष (हैडिंग) तैयार किया गया हो।
(घ)	**पलंग पोश**	सूती अथवा कृत्रिम रेशम के पलंग पोश जिनमें उभरी हुई आकृतियों में बुने हुए बॉर्डर अथवा शीर्ष हों।
(ङ)	**साज-सज्जा का सामान**	दोहरे कपड़े की बुनाई अथवा पीक बुनाई से तैयार किया गया सूती अथवा कृत्रिम रेशम साज-सज्जा का सामान (दीवार दरी सहित)।

1	2	3
11.	टेबल क्लॉथ, टेबल मैट और नैपकिन्स	सूती अथवा कृत्रिम रेशम से तैयार की गई मदें जिनमें चारों ओर बॉर्डर बुना जाता है।
12.	डस्टर और बस्ता	सादे अथवा ट्विल रूप से बुने हुए सूती डस्टर और बस्ते जिनमें मोटे धागे (10 काऊंट से अधिक नहीं) का प्रयोग किया गया हो।
13.	चादर	सूती अथवा मिश्रित धागे के प्रयोग से चारखानों अथवा स्ट्रैप नमूने में तैयार की गई चादरें।
14.	जामाकालम दरी अथवा डूरेट	सूती अथवा कृत्रिम रेशम अथवा ऊनी धागे के मिश्रण से ताने और बाने में 4 एस से 12 एस की रेंज के मोटे काऊंट के प्रयोग से तैयार किया गया मोने रंग में तैयार की गई दरी व डूरेट।
15.	बकम कपड़ा	ताने और बाने में 8 एस से 12 एस के काऊंट के सूती ऊनी जूट अथवा इनके मिश्रण धागे से तैयार किया गया बकम कपड़ा।
16.	मशरू क्लॉथ	ताने में रेशमी अथवा कृत्रिम रेशम और बाने में सूती धागे के प्रयोग से रंगीन स्ट्रिपो वाला साटिन बुनाई में तैयार किया गया मशरू कपड़ा।
17.	लो रीड पिक क्लॉथ	(1) सूती कपड़ा जिसके ताने व बाने में 20 एस काऊंट के धागे का प्रयोग किया गया हो और रीड़ व पिक क्रमशः 36 व 32 से कम हो। (2) सूती कपड़ा जिसमें ताने व बाने में 22 एस से 40 एस के धागे का प्रयोग किया गया हो और रीड़ व पिक क्रमशः 40 व 36 से कम हो। (3) सूती कपड़ा जिसमें ताने व बाने में 40 एस के काऊंट से अधिक का सूत प्रयोग किया गया हो और रीड व पिक क्रमशः 44 और 40 से कम हो। नोट : इस दिशा में इनके लिए कुछ भी लागू नहीं होगा :— (क) धोती और साड़ी (ख) सुसीज (ग) मच्छरदानी का कपड़ा (घ) लंबा कपड़ा (ङ) जालीदार कपड़ा (च) रंजित और छपा हुआ कपड़ा और (छ) कोटिङ वस्त्र।

1 2	3
18. रेशम	(1) सभी रेशमी साड़ियां जिनमें बॉर्डर व पल्लू बुना हुआ हो और 25% से अधिक शुद्ध रेशम (भार में) के मिश्रण का प्रयोग किया गया हो। इनमें जॉरजट, शिफॉन और क्रेप साड़ियां शामिल नहीं हैं।
	(2) सभी रेशमी धोतियां जिनमें बॉर्डर व पल्लू बुना हुआ हो और 25% से अधिक शुद्ध रेशम (भार में) के मिश्रण का प्रयोग किया गया हो।
19. कम्बल अथवा कम्बली	औसत 34 माईक्रोन की ऊन और परिष्कृत की गई मोटी ऊन जिसका वजन 300-450 ग्राम वर्ग मीटर है, के प्रयोग से तैयार किया गया कम्बल जिसकी रेशेदार सतह हो और माइलिंग व रैजिंग द्वारा तैयार किया गया हो (इसमें शॉडी ऊनी यार्न से बने कम्बल शामिल नहीं हैं।)
20. बैरक कम्बल	औसत 34 माईक्रोन और उससे मोटे ऊनी प्राकृतिक सफेद/काली ऊन धागे से बने माइलिंग और रेजिंग द्वारा तैयार किये गए रेशेदार सतह वाले बैरक कंबल (इसमें शॉडी ऊनी यार्न से बने कंबल शामिल नही हैं)।
21. शॉल, लोई, मफलर, पंखी आदि	केवल ऊनी धागे अथवा अन्य किसी रेशे के मिश्रण के डिजाइन में तैयार किए जाने वाली सभी इस प्रकार की मदें।
22. ऊनी ट्वीड	100% शुद्ध ऊनी धागे से ट्विल बुनाई में तैयार किया गया ऊनी कपड़ा जो चारखाने अथवा स्ट्रिप डिजाइन में तैयार किया गया हो और ताने और बाने में 7 एन एम से 9 एन एम काऊंट के धागे का प्रयोग किया गया हो।

उड़ीसा को ओ० ई० सी० एफ० ऋण

2388. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास विशेष ओवरसीज इकानामिक को-आपरेशन फंड (ओ० ई० सी० एफ०) ऋण सहित जापान से विदेशी सहायता के प्रस्ताव को देखते हुए कोई संशोधित प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऋण प्राप्त करने के लिए अब तक क्या प्रगति की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि ऋण पैकेज में जापान से सहायता के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित तीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए—(i) उपरि कोलाब सिंचाई परियोजना (द्वितीय ऋण), (ii) उपरि इन्द्रावती सिंचाई परियोजना (दक्षिणी नहर) और (iii) रेंगाली सिंचाई परियोजना। जल संसाधन मंत्रालय से परामर्श करने के बाद उपरि इन्द्रावती (दक्षिणी नहर) परियोजना और रेंगाली सिंचाई परियोजना संबंधी प्रस्ताव समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि ऋण सहायता के लिए किए गए थे।

(ग) जापान सरकार ने उपर्युक्त परियोजना में से किसी भी परियोजना को 1991-92 के दौरान समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि ऋण सहायता के लिए नहीं चुना है।

रक्षा शस्त्र सामग्री का आयात

[हिन्दी]

2389. **श्री योगेन्द्र झा : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा शस्त्र सामग्री के आयात पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) रक्षा शस्त्र सामग्री के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सस्शत्र सेवाओं की उपस्कर संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति आयात द्वारा केवल तब की जाती है जबकि वे देश में उपलब्ध नहीं होती अथवा निर्धारित समय सीमा के भीतर इनका अपेक्षित मात्रा में देश में उत्पादन करना संभव नहीं हो पाता, आयात के लिए आदेश देते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, तकनीकी विनिर्दिष्टियां, मूल्य, माल की सुपुर्दगी का कार्यक्रम उधार की शर्तें जहां कहीं आवश्यक हो टैक्नोलाजी के अन्तरण के बारे में आश्वासता और यथावश्यक सामान के उत्पादन कार्य में सामान की सुनिश्चितता।

भारत में रक्षा सामान के उत्पादन के लिए अनुसंधान तथा विकास का मजबूत आधार के साथ-साथ उत्पादन कार्य हाथ में लेने के लिए भी काफी व्यवस्था उपलब्ध है। रक्षा की मदों के आयात को कम करने और रक्षा शस्त्रास्त्रों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से सतत प्रयास किए जाते रहे हैं।

इस सम्बन्ध में और अधिक ब्यौरा देना वांछनीय नहीं होगा।

चेम्पाकरा नहर भाग II तथा उद्योग मंडल नहर का सुधार

[अनुवाद]

2390. **श्री रमेश चेन्नितला : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेम्पाकरा नहर भाग II तथा उद्योग-मंडल नहर के सुधार-कार्य के लिए संघ सरकार को केरल सरकार की ओर से कोई संशोधित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों स्कीमों के संशोधित अनुमानों की जांच की गई थी और राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। ये स्पष्टीकरण हाल ही में राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं।

बिहार के जहानाबाद जिले के बीमा सम्बन्धी दावे

[हिन्दी]

2391. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू इंडिया इंश्युरेंश कंपनी लिमिटेड, गुलाब भवन, आई० टी० ओ०, नई दिल्ली, ओरिएंटल इन्श्युरेंस कम्पनी लिमिटेड, नोएडा गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) और नेशनल इंश्युरेंश कंपनी लिमिटेड युसूफ सराय, नई दिल्ली ब्रांच में बिहार के जहानाबाद जिले से सम्बन्धित व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावों के लंबित पड़े ममालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जीवन बीमा निगम की पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले स्थित तामलुक शाखा में, पटना शाखा संख्या 2 में, और दिल्ली स्थित खान मार्केट शाखा में, उस जिले के लंबित पड़े मृत्यु संबंधी दावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये सारे मामले कब से लंबित पड़े हैं और उनके निपटारे में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या निपटारे के समय विलम्ब की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) श्री अनिल कुमार सिंह ने न्यू इंडिया इंश्युरेंस कंपनी लि०, गुलाब भवन, नई दिल्ली, ओरिएंटल इंश्युरेंस कंपनी लि०, नोएडा (जिला गाजियाबाद) तथा नेशनल इंश्युरेंस कंपनी लि०, युसूफ सराय, नई दिल्ली से तीन पालिसियां ली थीं, जिनकी कुल बीमित राशि 18.00 लाख रुपए थी।

(ख) श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा जीवन बीमा निगम से ग्यारह दुर्घटना पालिसियां ली गई थीं, जिनकी कुल बीमित राशि 8.77 लाख रुपए थी। इन ग्यारह पालिसियों में से, चार मिदनापुर कार्यालय, पांच पटना शाखा कार्यालय-II तथा दो पालिसियां खान मार्केट, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई थीं।

(ग) ये दावे वर्ष 1989 के आरंभ से ही लंबित पड़े हैं क्योंकि इन मामलों के बारे में जांच ब्यूरो द्वारा छानबीन की जा रही है।

(घ) और (ङ) इन पालिसियों के अन्तर्गत देनदारियों को अभी तक स्थापित नहीं किया गया है इसलिए ब्याज की अदायगी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता :

(च) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों का पता चलने के पश्चात् ही बीमा कंपनियों द्वारा कोई कार्रवाई की जा सकती है।

लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता

[अनुवाद]

2392. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता से निपटने के लिए ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल एण्ड फाइनेंशियल रीकंस्ट्रक्शन के समान संस्था की स्थापना हेतु एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसे लघु उद्योग क्षेत्रों की इकाइयों की संख्या कितनी है जो रुग्ण इकाइयों की सूची में हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1988 (अद्यतन तारीख जिसके लिए सूचना एकत्र की गई है) तक रुग्ण लघु उद्योग एककों की कुल संख्या 2,40,537 थी।

मद्रास और कन्याकुमारी के बीच राजमार्ग का निर्माण

2393. **श्री के० राममूर्ति टिण्डिवनम** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास और कन्याकुमारी के बीच राजमार्ग के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा उस उद्देश्य हेतु कितने सड़क पुल बन कर तैयार हो गए हैं तथा कितने निर्माणाधीन हैं;

(ख) क्या सरकार का ग्रान्ड सदर्न ट्रंक रोड पर भारी यातायात को देखते हुए तथा इस कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए इस परियोजना की प्रगति की निगरानी करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कितने समय में पूरा किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) मद्रास से कन्याकुमारी तक का खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 45 और 7 के खंडों द्वारा पहले ही जुड़ा हुआ है जिन पर सभी पुल बने हुए हैं. संभवत: माननीय सदस्य पांडिचेरी-नागापट्टीनम तूतीकोरिन होकर मद्रास और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली पूर्वी तटीय सड़क के विकास का उल्लेख कर रहे हैं। यह सड़क राज्यीय राजमार्ग है और इस प्रकार तमिलनाडु सरकार इसके

विकास के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। तथापि, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 38 पुल पूरे कर लिये गये है। इसके अतिरिक्त मद्रास से कुडालोर तक का लगभग 160 किलोमीटर लम्बे खंड का एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता से सुधार किया जा रहा है। इस कार्य को हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए दे दिया है। इस परियोजना का प्रगति पर राज्य सरकार निगरानी रखेगी और इसको 1995 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

आगरा स्थित आर्मी बेस वर्कशाप और केन्द्रीय आयुध भंडार का आधुनिकीकरण और विस्तार

[हिन्दी]

2394. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा स्थित आर्मी बेस वर्कशाप और केन्द्रीय आयुध भण्डार का आधुनिकीकरण और विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) थलसेना मुख्यालय से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में यमुना नदी के आर-पार सड़क सम्पर्क

[अनुवाद]

2395. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यमुना पार के निवासियों को दिल्ली में अपने काम पर आने जाने के लिए, विशेष सुबह और शाम की भीड़-भाड़ के समय यमुना नदी पर सड़क पुलों के अभाव में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है हालांकि नये आई० एस० बी० टी० पुल को आंशिक रूप से खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यमुना पर सड़क सम्पर्कों को मजबूत बनाने तथा उनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) यमुना नदी पर मौजूदा आई० टी० ओ०, वजीराबाद और निजामुद्दीन पुलों के समानान्तर 3 और पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ग) इस संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में अभी नहीं बताया जा सकता।

गढ़वाल क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलना

2397. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान गढ़वाल क्षेत्र में वर्षवार तथा जिलावार क्षेत्रीय ग्रामाण बैंकों की कितनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) इन जिलों में जिलावार कितने एक्सटेंशन काउंटर कार्यरत हैं और आगामी तीन वर्षों के दौरान स्थापित किये जाने वाले एक्सटेंशन काउंटरों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित बैंकों की शाखाएं खोलना एक निरन्तर प्रक्रिया है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस विषय में जारी किए गए लाइसेंसों द्वारा नियंत्रित होती हैं। अत: आगामी तीन वर्षों के दौरान गढ़वाल क्षेत्र में खोले जाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं और विस्तार काउंटरों की संख्या बता पाना संभव नहीं है। तथापि, 1985-90 की नीति के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी 94 शाखा लाइसेंसों में से केवल तीन लाइसेंस लम्बित हैं।

वर्तमान में गढ़वाल क्षेत्र में कार्यरत विस्तार काउंटरों की जिला-वार संख्या नीचे दर्शायी गई है :—

जिला का नाम	विस्तार काउंटरों की संख्या
देहरादून	33
पौड़ी गढ़वाल	03
टिहरी गढ़वाल	—
चमोली	01
उत्तर काशी	01

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी भावी शाखा विस्तार संबंधी दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है ताकि उन्हें उचित महत्व दिया जा सके।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में घाटा

2398. **प्रो० राम कापसे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वर्ष 1990-91 के दौरान भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में घाटे को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से, 146 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 1990-91 के अपने कार्य के परिणामों को सूचना दी है । कार्य परिणाम दर्शाते हैं कि 36 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 18 04 करोड़ रुपए की राशि का लाभ कमाया जबकि 110 बैंकों ने 61.65 करोड़ रुपए की राशि की हानि उठाई ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को होने वाली हानियों के कुछ कारण निम्न हैं :—

(i) अग्रिमों पर अपर्याप्त औसत प्रतिफल ।

(ii) चुन कर ग्राहक बनाने और अग्रिम देने संबंधी प्रयोजनों पर प्रतिबंध ।

(iii) उधार की खराब गुणवत्ता तथा बड़े पैमाने पर चूक ।

(iv) राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पंचाट का कार्यान्वयन ।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों की केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा प्रायोजक बैंकों द्वारा लगातार पुनरीक्षा की जाती है तथा उनके प्रचालन में सुधार लाने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है । प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शेयर पूंजी को चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए किया जा रहा है । सरकार ने पहले ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान और उनके स्वरूप को बनाए रखने का निर्णय लिया है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता को बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के परामर्श से वित्तीय उपायों संबंधी एक पैकेज तैयार कर रहा है ।

उड़ीसा सरकार द्वारा पारादीप पत्तन पर किये गये पूंजी निवेश को वापस करना

2399. **श्री लोकनाथ चौधरी : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा पारादीप पत्तन पर व्यय की गई आरम्भिक पूंजी को वापस करने का मामला काफी समय से केन्द्रीय सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत महापत्तन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए गए आरम्भिक पूंजीगत व्यय की अदायगी पत्तन न्यास द्वारा उन्हीं शर्तों पर की जाएगी जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं । पारादीप पत्तन के निर्माण में उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा किए गए आरम्भिक पूंजीगत व्यय की अदायगी की शर्तों को अन्तिम रूप दिए जाने का प्रश्न विचाराधीन है । इस संबंध में अन्तिम निर्णय लिए जाने में अभी कुछ समय और लगने की संभावना है ।

केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

2400. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन स्थानों के बैंक-वार नाम क्या है जहां इन बैंकों की शाखायें खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति (1990-95) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक लाइसेंस जारी करके नियंत्रित करता है। अतः अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि केरल में बैंकों की कितनी शाखाएं खोली जाएंगी।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बीमा क्षेत्र में पदार्पण करने की अनुमति

2401. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बीमा क्षेत्र में पदार्पण करने का अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

यूको बैंक द्वारा विदेशी बैंकों से ऋण लेना

2402. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक को विदेशी बैंकों से ऋण लेने का अधिकार दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विदेशी बैंकों ने इस सम्बन्ध में कुछ शर्तें लगाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्त कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान तथा उनके लिए स्टाफ-क्वार्टरों का निर्माण

2403. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवें वित्त आयोग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्त कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान करने और उनके लिए स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण करने के लिए उक्त क्षेत्रों के प्रशासन का दर्जा बढ़ाने हेतु कोई पंचाट दिया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस खर्चे का वहन किस प्रकार करेगी;

(ग) क्या संघ सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ धनराशि जारी करने के लिए उड़ीसा सरकार को कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर [illegible]): (क) से (घ) नवें वित्त आयोग ने 1989-90 की अपनी प्रथम रिपोर्ट में आदिवासी क्षेत्रों के लिए दो स्कीमों अर्थात् (i) आवास एककों और (ii) गांवों के लिए पूंजीगत परिव्यय के लिए उन्नयन अनुदानों की सिफारिश की थी। उड़ीसा जैसे कमी वाले राज्यों के मामले में आयोग द्वारा सिफारिश किए गए सहायता अनुदान में आदिवासी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी जारी रखने की देयता को ध्यान में रखा गया था। अधिशेष वाले राज्यों के मामले में, ऐसी अदायगी के लिए स्वीकृति देने के पश्चात् ही अधिशेष की गणना की गई थी।

1990-95 की अवधि के लिए नवें वित्त आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय का मूल्यांकन करने में "मानकीय दृष्टिकोण" अपनाया है। आयोग ने सेवाओं के उन्नयन के लिए किसी विशिष्ट सहायता अनुदान की सिफारिश नहीं की है क्योंकि ऐसे राज्यों में जहां पर ये सेवाएं औसत से नीचे हैं उनमें इन सेवाओं के उन्नयन की आवश्यकताओं का ध्यान आयोग द्वारा अपनाए गए मानकों में रखा गया है। कल्याण मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार सहित राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि आदिवासी क्षेत्रों में कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ता दिए जाने की योजना को अन्तरित निधियों के अन्तर्गत प्रावधान के साथ जारी रखा जाए। जहां तक आदिवासी क्षेत्रों में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण तथा आदिवासी गांवों में अवसंरचनात्मक विकास का संबंध है, चूंकि उनमें नया निवेश निहित है, अतः वे योजना कार्यक्रमों का एक हिस्सा होंगे।

उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन देना संभव नहीं होगा क्योंकि उनके विचार में समूचे राज्य को एक यूनिट के रूप में माना जाना चाहिए। विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते की मंजूरी की योजना को पुनः बहाल करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने अपनी वही स्थिति दोहराई है।

महाराष्ट्र में बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

[हिन्दी]

2204. **श्री विलासराव गुंडेवार**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में परभनी और नांदेड़ जिलों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा जनवरी, 1990 से आज तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए क्रमशः गरीबी की रेखा के नीचे और गरीबी की रेखा के ऊपर जीवन यापन कर रहे कितने व्यक्तियों को ऋण मंजूर किए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने किसानों और अन्य लोगों को जीप, ट्रक, ऑटो रिक्शा खरीदने और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण मंजूर किए गये;

(ग) इस सम्बन्ध में इन बैंकों में एक वर्ष से अधिक समय से कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंक महाराष्ट्र के परभनी और नांदेड़ जिलों सहित देश के सभी भागों के उन ऋणकर्ताओं को ऋण प्रदान करते हैं जो अर्थक्षम योजना प्रस्तुत करते हैं। ऋण की मात्रा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य की प्रकृति पर निर्भर करेगी। उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में जिन्हें ऋण मंजूर किए गए हैं, चाहे वे गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हों या गरीबी की रेखा से ऊपर रह रहे हों, आंकड़े एकत्र करने की प्रणाली से सूचना प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार जीपों, ट्रकों, आटोरिक्शा आदि के अभिग्रहण जैसे कार्य बैंकों के सड़क परिवहन अग्रिमों के अन्तर्गत आएंगे जो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों के भाग होते हैं। सितम्बर, 1989 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों और सड़क और जल परिवहन लघु परिचालकों को दिए ऋणों सहित कृषि और लघु उद्योग को सरकारी क्षेत्र के बैंकों प्राथमिकता द्वारा प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिम नीचे दिए गए हैं:—

	खातों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपए)
1. कृषि (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)	1554394	1514
2. कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को ऋण सहित लघु उद्योग	157570	2449
3. सड़क और जल परिवहन लघु परिचालन	55001	241

सितम्बर, 1989 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को दिए गये अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

	खातों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपए)
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०)	666820	198
2. डी० आर० आई० के हिताधिकारी	271486	42
3. लघु और सीमान्तिक किसान आदि	760996	401
4. कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग	62304	29
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारी	615293	228
6. शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम के हिताधिकारी	97631	28

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय का विकेन्द्रीकरण

]अनुवाद]

2405. **श्री सोमजीभाई डामोर :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **वाणिज्य मंत्री** दिनांक 22 फरवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 93 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के विकेन्द्रीकरण पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) सम्पूर्ण मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

राज्यों को बाजार ऋण राशि का आबंटन

[हिन्दी]

2406. **श्री छेदी पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान राज्यों को कुल बाजार-ऋण-राशि के एक तिहाई से भी कम बाजार ऋण आबंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या निर्णय था; और

(ग) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय को लागू न करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे): (क) 1990-91 में केन्द्र और राज्यों दोनों के कुल 11300 करोड़ रुपए के ऋण में से राज्यों का निवल बाजार ऋण 3300 करोड़ रुपए था।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में बाजार-ऋण के पिछले वर्ष का आबंटन संबंधी कोई फार्मूला विचार हेतु नहीं आया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मकान निर्माण हेतु बैंक ऋणों की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

2407. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान बैंक कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को मकान निर्माण हेतु अलग-अलग कितनी धनराशि के बैंक ऋण दिए गए;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों के द्वारा मकान निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार/बैंकों ने कितनी धनराशि निर्धारित की है;

(ग) क्या सरकार का आम मूल्य वृद्धि को देखते हुए मकान निर्माण हेतु बैंक ऋण की सीमा को बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सूचना प्रणाली से बैंक कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों और सामान्य जनता के लिए आवास निर्माण हेतु बैंक ऋण के बारे में अलग-अलग सूचना प्राप्त नहीं होती है। बैंक व्यक्तियों, आवास वित्त संस्थाओं और राज्य आवास बोर्डों को आवास वित्त प्रदान करते हैं। वे आवास और शहरी विकास निगम और राष्ट्रीय आवास बैंक के बांडों और डिबेंचरों में भी निवेश करते हैं। वर्ष 1989-90 के दौरान बैंकों ने निम्नानुसार आवास वित्त प्रदान किये—

	(रुपए करोड़ में)
प्रत्यक्ष वित्त	41.61
अप्रत्यक्ष वित्त	197.75
हुडको और राष्ट्रीय आवास बैंक के बांडों और डिबेंचरों में निवेश	152.89
कुल	392.25

(आंकड़े अनन्तिम)

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों से 1990-91 के पूर्व वर्ष के लिए सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, वर्ष 1990-91 के लिए आवास वित्त के अन्तर्गत 387 करोड़ रुपए आबंटित किए गये थे।

(ख) समग्र आवास वित्त का लक्ष्य बैंक जमा राशि में वृद्धि से जुड़ा है और बैंकों को पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के उनके वृद्धिशील जमाराशियों के 1.5 प्रतिशत पर उनके अपने-अपने हिस्से की गणना करने की सलाह दी गई है। तद्नुसार, देश के लिए वर्ष 1991-92 के वास्ते 364 करोड़ रुपए का आवास वित्त लक्ष्य रखा गया है। बैंकों द्वारा उधार देने के लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य नहीं रखा गया है।

(ग) से (ङ) पहले आवास वित्त की राशि पर प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपए की अधिकतम सीमा लागू थी। अक्तूबर, 1989 से यह उच्चतम सीमा हटा ली गई है। प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपए से अधिक का आवास वित्त आवास वित्त आबंटन/लक्ष्य का हिस्सा नहीं होगा।

अलीगढ़ जिले में नयी बैंक शाखाओं का खोला जाना

[हिन्दी]

2408. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ जिले में इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं काम कर रही हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या वहां पर और अधिक बैंक शाखायें खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें किन-किन स्थानों पर खोलने का प्रस्ताव है और इन शाखाओं के कब तक खुलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 30-6-1991 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 105 शाखाएं कार्य कर रही थीं। इन शाखाओं की स्थिति नीचे दी गई है :

केन्द्र का नाम	शाखाओं की संख्या
1. अलीगढ़	39
2. अतरौली	2
3. बेसवान	1
4. चंदौस	1
5. छारा (रफतपुर)	2
6. छरत	1
7. गभाना	1
8. हरदुआगंज	2
9. हसयन	1
10. हाथरस	12
11. इगलास	2
12. कासिमपुर	2
13. खैर	3
14. मुरसेन	1
15. पल्लासुला (खौपा नगर)	1
16. सिकाया	1
17. सिकंद्राराव	3
18. वेदीनगर	1
19. रायपुर गुणवता	1
20. टप्पल	1
21. अकराबाद	1
22. विजयगढ़	1

केन्द्र का नाम	शाखाओं की संख्या
23 बिजौली	1
24. चंदौसा-कमालपुर	1
25. दानीपुर	1
26. गौण्डाई	1
27. जलाली	1
28. जलालपुर	1
29. कचौरा	1
30. कोच-का-नागला	1
31. नागला तम्ना	1
32. पुरदिल नगर	1
33. बाबोरी बुजुर्ग	1
34. शाम्सी	1
35. तमकोली	1
36. मोथा	1
37. कौरियागंज	2
38 काजिमाबाद	1
39. रुखाला	1
40. बरकाना	1
41. भुदीया	1
42. गोधा	1
43. रामघाट	1
44. छोका	1
45. जावन	1
46. जतारी	1
कुल	105

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अलीगढ़ जिले में शाखाएं खोलने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास कोई लाइसेंस लंबित नहीं है। वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना एक सतत प्रक्रिया है जिसे इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अतः इस समय अलीगढ़ जिले में खोली जाने वाली राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

मोती के आभूषणों का निर्यात

2409. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में मेहसी से बने आभूषणों का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के मोती जड़ित आभूषणों का निर्यात किया गया है और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें ये आभूषण निर्यात किये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्योग को बढ़ावा देने और निर्यात में वृद्धि करने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) सरकार मदों के निर्यात के जिला-वार आंकड़े अलग से नहीं रखती है।

(ङ) और (घ) सरकार ने वर्तमान आयात-निर्यात नीति 1990-93 के अध्याय xxi भाग II में स्वर्ण तथा रजत आभूषणों और ऐसे आभूषण, जिसमें अन्यों के साथ-साथ मोती के जड़ाऊ आभूषण शामिल हैं, के निर्यात के लिए पांच योजनाओं को अधिसूचित किया है।

स्व-रोजगार योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना

2410. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्व-रोजगार योजना को और अधिक प्रभावी बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्व-रोजगार योजना, शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी माइक्रो उद्यमियों के लिए योजना जैसे स्वरोजगार कार्यक्रमों के निष्पादन को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मण्डलों, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है और स्वरोजगार कार्यक्रमों को लोगों के लिए अधिक प्रभावकारी और अनुकूल बनाने के लिए यथा अपेक्षित कदम उठाए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित इन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तरीय बैंक से समितियों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों में की जाती है जिनमें बैंकों और राज्य सरकारों के अधिकारी सदस्य होते हैं।

बड़े औद्योगिक गृहों पर बकाया आयकर

2411. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 20 बड़े औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं और उनकी ओर आय कर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) सरकार उनसे आयकर की वसूली के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) देश में 20 बड़े-बड़े

व्यापारिक घरानों के नाम, जिन्हें वर्ष 1989-90 के दौरान उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार क्रमांकित किया गया है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इन व्यापारिक घरानों में से प्रत्येक घराने में काफी बड़ी संख्या में कम्पनियां शामिल हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपने पास केवल उन्हीं कम्पनियों के बारे में सूचना रखता है, जिनमें से प्रत्येक की तरफ 10 लाख रुपये तथा उससे अधिक का आयकर बकाया हो। दिनांक 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार इन व्यापारिक घरानों की तरफ ऐसी कम्पनियों के सम्बन्ध में कुल 393.76 करोड़ रुपये के आयकर की मांग बकाया पड़ी थी।

(ख) 393.76 करोड़ रुपये की कुल मांग में से दिनांक 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार 290.61 करोड़ रुपये की मांग या तो इसलिए प्रवर्तनीय नहीं थी कि मांग अदायगी के लिए देय नहीं हुई थी अथवा उसकी वसूली स्थगित कर दी गई थी अथवा कर-निर्धारितियों ने अदायगी कर दी थी लेकिन उसका अभी सत्यापन किया जाना शेष था और विभागीय रिकार्डों में उसका समायोजन किया जाना शेष था। मांग का एक बहुत बड़ा भाग अपीलों में विवादग्रस्त है और अपीलीय प्राधिकारियों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपीलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करें। उचित मामलों में मांग की अदायगी किस्तों में करने की अनुमति दी गई थी। इन सभी मामलों में वसूली की कार्यवाही पर नियमित रूप से आयकर आयुक्त के तथा उससे उच्च स्तर पर निगरानी रखी जाती है, ताकि बकाया करों की वसूली के लिए समुचित कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय किए जा सकें।

विवरण

क्रम सं०	व्यापारिक घराने का नाम
1.	टाटा
2.	बिड़ला
3.	रिलायंस
4.	थापर
5.	जे० के० सिंघानिया
6.	लार्सन एण्ड टुब्रो
7.	मोदी
8.	बजाज
9.	मफतलाल
10.	एम० ए० चिदम्बरम
11.	हिन्दुस्तान लीवर
12.	युनाइटेड ब्रीवरीज
13.	टी० वी० एस० आयंगर
14.	आई० टी० सी०

क्रम सं०	व्यापारिक घराने का नाम
15.	श्री राम
16.	ए० सी० सी०
17.	ओसवाल एग्रो
18.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा
19.	एस्सर
20.	किर्लोस्कर

भारतीय रुई निगम द्वारा कपास की खरीद

2412. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कपास का गांठों के रूप में कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) भारतीय रुई निगम ने वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कुल कितनी गांठें खरीदीं और इसके लिए निगम ने प्रत्येक राज्य को प्रति क्विंटल कितना-कितना मूल्य दिया;

(ग) कपास की कितनी गांठों का निर्यात किया गया और रुपये तथा विदेशी मुद्रा में इनका बिक्री मूल्य कितना था; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रुई निगम को हुए घाटे/लाभ का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा वर्ष 1990-91 के कपास मौसम के दौरान कपास का उत्पादन 115 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) भारतीय कपास निगम द्वारा वर्ष 1989-90 और 1990-91 के कपास मौसम के दौरान खरीदी गई गांठों की संख्या तथा सी० सी० आई० द्वारा अदा की गई प्रति क्विंटल औसत कीमत का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है :—

राज्य	1989-90		1990-91	
	सी० सी० आई० द्वारा खरीदारियां (गांठों में)	सी० सी० आई० द्वारा अदा की गई कीमत (रु० प्रति क्विंटल)	सी० सी० आई० द्वारा खरीदारियां (गांठों में)	सी० सी० आई० द्वारा अदा की गई कीमत (रु० प्रति क्विंटल)
1	2	3	4	5
पंजाब	2,85,967	724	1,31,268	558
हरियाणा	1,42,218	700	79,353	917

1	2	3	4	5
राजस्थान	1,21,040	685	1,08,066	888
मध्य प्रदेश	1,85,375	786	2,14,672	925
गुजरात	2,16,409	803	2,04,852	1045
आन्ध्र प्रदेश	2,44,703	802	2,48,865	953
कर्नाटक	24,858	875	24,240	1108
तमिलनाडु	21,471	965	5,775	1150
अन्य	822	1383 (मिजोरम)	95	1116 (मिजोरम)
योग	12,42,863		10,17,196	

(ग) भारतीय कपास निगम द्वारा वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कपास के निर्यात, रुपये के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में उनके बिक्री मूल्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

कपास मौसम	निर्यात (गांठों में)	बिक्री वसूली प्रति गांठ	
		रु० में	अमरीकी डालरों में
1989-90	6,65,756	4,311	255.64
1990-91	2,67,060	4,829	271.50

(घ) भारतीय कपास निगम द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित लाभ के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	कर पश्चात् लाभ (करोड़ रु० में)
1988-89	8.56
1989-90	23.24
1990-91	40.00 (अनन्तिम)

विदेशी वैवाहिक फैसलों को मान्यता

[अनुवाद]

2413. श्री रवि राय : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उस अद्यतन फैसले की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि न्यायालय धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए विदेशी वैवाहिक निर्णयों को मान्यता नहीं देंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालयों सहित अन्य विदेशी न्यायालयों में विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में दिए गए निर्णयों अथवा उनके समक्ष विचाराधीन ऐसे मामलों पर इस फैसले के प्रभाव का विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) जी हां। हाल में ही (9-7-1991 को) वाई० नरसिम्हा राव और अन्य बनाम वाई० वेंकटलक्ष्मी और एक अन्य, 1991 की दाण्डिक अपील सं० 385 [1988 की विशेष इजाजत अर्जी (दाण्डिक) सं० 2860 ए से उत्पन्न] में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी विदेशी न्यायालय द्वारा पारित विवाह-विच्छेद की डिग्री को इस देश के न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं दी जा सकती है और उसे प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है क्योंकि विदेशी न्यायालयों की अधिकारिता और उसके साथ ही वह आधार, जिस पर डिक्री पारित की गई थी, उस अधिनियम के, जिसके अधीन पक्षकारों का विवाह हुआ था, अनुरूप नहीं है और प्रत्यर्थी ने उस न्यायालय की अधिकारिता को नहीं माना था और न ही डिक्री पारित करने के लिए अपनी सहमति दी थी।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 141 के अधीन, उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि, भारत के राज्यक्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों पर आबद्धकर है। अतः भारतीय न्यायालयों द्वारा विवाह सम्बन्धी विदेशी निर्णय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त विनिश्चय के अनुसार मान्य होंगे और प्रवर्तित किए जाएंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संघ सरकार को हस्तांतरित अधिशेष राशि

2414. **श्री महेश कुमार कनोडिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संघ सरकार को हस्तांतरित की गयी लाभ की अधिशेष राशि (सरप्लस) दस वर्षों से 210 करोड़ रुपये के आंकड़े पर ही अटकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार को अन्तरित की गई लाभ की अधिशेष राशि 1990-91 तक 210 करोड़ रुपए ही रही। इसका कारण बैंक के व्यय में वृद्धि होना था जो मुख्यत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों पर उनको अधिक ब्याज की अदायगी और उद्योग तथा कृषि की आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने के लिए दीर्घावधिक कार्यचालन निधियों हेतु लाभों के अधिक अन्तरण के कारण हुआ। वर्ष 1991-92 के लिए रिजर्व बैंक सरकार को 350 करोड़ रुपए अन्तरित करने के लिए सहमत हो गया है।

(ग) जैसा उत्तर के भाग (ख) में उल्लेख किया गया है।

बिहार से काले पत्थरों की तस्करी

[हिन्दी]

2415. **श्री साईमन मराण्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सन्थाल परगना क्षेत्र के जिला साहेबगंज से तस्करी से काला पत्थर बंगलादेश भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन कीमती पत्थरों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में कितने तस्कर पकड़े गए, कितनों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे दायर किए गए और कितनों पर मुकदमे चलाए गए; और

(घ) इन लोगों से कितने मूल्य का काला पत्थर जब्त किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) बिहार के सन्थाल परगना क्षेत्र के साहेबगंज जिले से काले पत्थरों की इस प्रकार की तस्करी होने के मामलों के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, तस्करी-रोधी एजेन्सियों को सतर्क कर दिया गया है।

राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के मानदण्ड

[अनुवाद]

2416. **श्री यशवन्तराव पाटिल** :
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने किसी राज्य के राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : नए राष्ट्रीय राजमार्गों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड हैं :—

(I) देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली सड़कें,

(II) पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें,

(III) राज्य-राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें।

(IV) महापत्तनों और महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें,

(V) अति महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सड़कें,

(VI) पर्याप्त लम्बाई तक अति सघन यातायात वाली सड़कें, और

(VII) वे सड़कें जिनसे यात्रा दूरी में पर्याप्त कमी होती है और काफी किफायत होती है। हालांकि इस मानदण्डों के अतिरिक्त नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा में कुछेक अन्य तथ्य भी शामिल हैं अर्थात् संसाधनों की उपलब्धता, एन० टी० सी० पी० (राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति) की अनुशंसा, अखिल भारतीय आधार

पर सड़क की पारस्परिक प्राथमिकता, क्षेत्र में दूसरे राष्ट्रीय राजमार्गों की निकटता आदि-आदि।

अर्नाकुलम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर वेरापुझा पुल का निर्माण

2417. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के अर्नाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर वेरापुझा में पुल का निर्माण करने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) पुल सम्बन्धी अनुमान को मंजूरी मिलने से पहले, पुल के दोनों तरफ के सम्पर्क मार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य को पूरा करना पड़ेगा।

निर्यात घरानों को मान्यता प्रदान करना

2418. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1991 तक कितनी कम्पनियों को निर्यात घरानों के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी;

(ख) इंजीनियरी और डीजल इंजिन के क्षेत्र में कितनी कम्पनियों को निर्यात घरानों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और उनके नाम क्या हैं; और

(ग) नई व्यापार नीति के अन्तर्गत निर्यात घरानों को क्या विशेष लाभ प्राप्त होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 30 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार वैध निर्यात घरानों की संख्या 665 है।

(ख) संलग्न विवरण-पत्र में इंजीनियरी क्षेत्र तथा डीजल इंजन क्षेत्र का माल निर्यात करने वाले निर्यात घरानों के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

(ग) दिनांक 4-7-1991 को घोषित नई व्यापार नीति में निर्यात घराने अपने स्वीकार्य एम० ओ० बी० के 5% की दर से प्रत्याशित आधार पर अतिरिक्त आर० इ० पी० लाइसेंस पाने के हकदार होंगे यानि कि 1991-92 वर्ष के निर्यात के लिए अतिरिक्त आर० इ० पी० लाइसेंस 1-4-1992 को अथवा इसके बाद देय होगा तथा यह नई व्यापार नीति द्वारा शासित होगा। इस नीति का विस्तृत विवरण और इसके अन्तर्गत आने वाले विशेष क्षेत्रों में सम्बन्धित मुद्दे तैयार किए जा रहे हैं।

विवरण

इंजीनियरी सेक्टर तथा डीजल इंजन सेक्टर के सामान को निर्यात करने वाले निर्यात घरानों के नाम

क्रम संख्या कम्पनी का नाम

1. मै० एडीसन एण्ड क० लिमिटेड, मद्रास।
2. मै० आगरा इंजीनियरिंग क०, बम्बई।
3. मै० अकाई इम्पेक्स लिमिटेड, मद्रास।
4. मै० एलैन एण्ड अलवान (प्रा०) लिमिटेड, अलीगढ़।
5. मै० अम्बिका फार्गेन्स, जलंधर।
6. मै० अमेरिकिन ड्राई फ्रूट स्टोर, बम्बई।
7. मै० अशोक लेलान लि०, मद्रास।
8. मै० अटलांटिक एक्सपोर्ट्स, बम्बई।
9. मै० एवन सायकिल्स लि०, लुधियाना।
10. मै० अवतार सिंह एण्ड क० प्रा० लि०, बम्बई।
11. मै० बालमेर लारिस एण्ड क० लि०, कलकत्ता।
12. मै० बनारस बीड्स लि०, वाराणसी।
13. मै० बाटा इंडिया लि०, कलकत्ता।
14. मै० भारत अर्थ मूवर्स लि०, बंगलौर।
15. मै० भारत फोर्ज लि०, पुणे।
16. मै० भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, दिल्ली।
17. मै० बाइसिकिल मैन्यु० कार०, लुधियाना।
18. मै० बिहार मर्कन्टाइल यूनियन लि०, कलकत्ता।
19. मै० बिजनेस यूनीवर्सल इनकारपोरेशन, पुणे।
20. मै० सी० सी० अरुण कुमार एण्ड कम्पनी (एक्सपोर्ट्स) बम्बई।
21. मै० चौका लि०, बम्बई।
22. मै० चिलोराइड इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता।
23. मै० डी० एल० एफ० यूनीवर्सल लि०, फरीदाबाद।
24. मै० डाबर इंडिया लि०, नई दिल्ली।
25. मै० दारुका इन्टरनेशनल, जयपुर।
26. मै० दीपक इन्टरनेशनल प्रा० लि०, लुधियाना।
27. मै० ई० सी० पी० लि०, नई दिल्ली।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम
28.	मै० ईगल फलास्क इन्डस्ट्रीज लि०, बम्बई।
29.	मै० ईस्टर्न ओवरसीज कारपोरेशन, बम्बई।
30.	मै० आइसर गुड अर्थ लि०, नई दिल्ली।
31.	मै० इलैक्ट्रिकल लि०, कलकत्ता।
32.	मै० एस्कार्ट्स लि०, फरीदाबाद।
33.	मै० एफ, अहमद क०, कलकत्ता।
34.	मै० फोर्ट ग्लोस्टर इन्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता।
35.	मै० गीके एग्जिम (प्रा०) लि०, बम्बई।
36.	मै० ग्राम्ड फाउन्डरी प्रा० लि०, बम्बई।
37.	मै० ग्रासिम इन्डस्ट्रीज लि०, नागड (म० प्र०)
38.	मै० ग्रेव्रस इन्डस्ट्रीज लि०, नागड (म० प्र०)
39.	मै० ग्रोवर सन्स, बम्बई।
40.	मै० गम एक्सपोर्ट कारपोरेशन, बम्बई।
41.	मै० हरीराम गोविन्दवास, बम्बई।
42.	मै० हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची।
43.	मै० हिन्दुस्तान एलेक्ट्रो ग्रेफाइट्स लि०, नई दिल्ली।
44.	मै० हिन्दुस्तान एक्सपोर्ट प्रा० लि०, लुधियाना।
45.	मै० हिन्दुस्तान शीट मेटल लि०, कलकत्ता।
46.	मै० आइ० एफ० बी० इन्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता।
47.	मै० इनाल्सा लि०, नई दिल्ली।
48.	मै० इन्केब इन्डस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली।
49.	मै० इन्दरचन्द राजगढ़िया एण्ड सन्स प्रा० लि०, कलकत्ता।
50.	मै० इंडिया आर्टवेयर्स कारपोरेशन, नई दिल्ली।
51.	मै० इंडियन गम इन्डस्ट्रीज लि०, बम्बई।
52.	मै० इन्डियन रेयन एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता।
53.	मै० इण्डो जावा एण्ड कंपनी, नई दिल्ली।
54.	मै० इन्जरसौल रैण्ड (इण्डिया) लि०
55.	मै० इन्टर ग्लोब सर्विस, बम्बई।
56.	मै० इन्टरैड्स एक्सपोर्ट डिवीजन प्रा० लि०
57.	मै० के० आर० मोदी एण्ड कंपनी, गिरीडीट

58. मै० कजरिया एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०, कलकत्ता।
59. मै० कमल कान्त छोटालाल एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०, बम्बई।
60. मै० कार्तिक इन्टरनेशनल, बम्बई।
61. मै० काट (एक्सपोर्ट) इन्टरनेशनल, लुधियाना।
62. मै० केजरीवाल आयरन एण्ड स्टील वर्क्स।
63. मै० लक्ष्मी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर लि०।
64. मै० लास्टान्गो ट्रेजर्स, नई दिल्ली।
65. मै० लिबर्टी एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०, बम्बई।
66. मै० महाराष्ट्र एस० एस० इण्ड० डेव० कारपो० लि०, बम्बई।
67. मै० मेन्सम्स आउटो इण्टरनेशनल, बम्बई।
68. मै० मेस्कट (इण्डिया) टूल्स एण्ड फोर्जिंग्स प्रा० लि०, गाजियाबाद।
69. मै० मयूर इण्टरनेशनल, नई दिल्ली।
70. मै० मेरिडियन एक्सपोर्ट्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, बम्बई।
71. मै० मोहन एक्सपोर्ट (इण्डिया) लि०, नई दिल्ली।
72. मै० नई दिल्ली सिल्क क०, नई दिल्ली।
73. मै० निमेक्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, बम्बई।
74. मै० पाम फाइबर प्रा० लि०, नई दिल्ली।
75. मै० फोनिक्स ओवरसीज प्रा० लि०, नई दिल्ली।
76. मै० पोपुलर आर्ट्स पैलेस, जयपुर।
77. मै० प्रभात इन्डस्ट्रीज, बम्बई।
78. मै० श्रीमलाक्स (इन्डिया) प्रा० लि०, बम्बई।
79. मै० प्रियंका ओवरसीज लिमिटेड, नई दिल्ली।
80. मै० प्रोज एण्ड इक्वीय कारपो ऑफ इन्डिया लि०, नई दिल्ली।
81. मै० शलसन (इंडिया) लिमिटेड, लुधियाना।
82. मै० रत्ना एक्सपोर्ट्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली।
83. मै० रत्ना माइका एक्सपोर्ट प्रा० लि०, कलकत्ता।
84. मै० शेडमास्टर इण्डस्ट्रीज ऑफ इण्डिया लिमिटेड, राजपुरा।
85. मै० रोप्स/इण्डस्ट्रीज ऑफ इण्डिया लि० कारपोरेशन, लुधियाना।
86. मै० लेठ ब्रदर्स, बम्बई।
87. मै० स्टेटस इन्वेस्टमेन्ट्स लि०, नई दिल्ली।

88. मै० टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बम्बई।

89. मै० टेकनोक्राफ्ट लिमिटेड, बम्बई।

90. मै० टेक्सम्स लिमिटेड, बम्बई।

91. मै० टौरेन्ट एक्सफोर्ट्स प्रा० लि०, अहमदाबाद।

92. मै० ट्रान्स फ्राइट कन्टेनर लि०, बम्बई।

93. मै० यूनाइटेड ब्रिउरीज इन्टरनेशनल, बम्बई।

94. मै० यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड, बम्बई।

95. मै० बेनस इंजि० वर्क्स एण्ड फाउण्ड्री, बम्बई।

96. मै० विक्रम फोर्जिंग एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, कलकत्ता।

97. मै० वोल्टास इन्टरनेशनल लि०, बम्बई।

98. मै० वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स लि०, नई दिल्ली।

99. मै० विम्को लि०, बम्बई।

चाय, काली मिर्च, काफी और इलायची का निर्यात

2419. **श्री पी० सी० थामस : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चाय, काली मिर्च, काफी और इलायची का निर्यात बढ़ाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इन उत्पादों की खेती को प्रोत्साहित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) सरकार ने चाय, काली मिर्च, काफी तथा इलायची का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपायों में शामिल हैं— (क) ब्रॉड संवर्धन के लिए सहायता, (ख) आर० ई० पी० लाइसेंसों की मात्रा में वृद्धि, इन उत्पादों के निर्यातों को लोकप्रिय बनाने के लिए विदेशों में होने वाले मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(ख) और (ग) सरकार का यह प्रयास रहा है कि वह अन्तर्निदिष्ट साधनों तथा कृषि के उन्नत तरीकों का अधिक से अधिक प्रयोग करने, सिंचाई, जल निकासी, पुनर्नवीकरण, रोपण कार्य में वृद्धि, पुनर्रोपण, अपरम्परागत क्षेत्रों में नया रोपण करने के लिए सहायता देकर तथा किसानों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करके इन उत्पादों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाए।

केरल में इरूमेली से चालककायम तक राजमार्ग के लिए केंद्रीय सड़क निधि से सहायता

2420. श्री पी० सी० थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इरूमेली से चपलककायम तक बारास्ता, कनमका और एम्पावेली एक राजमार्ग के निर्माण हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से कोई सहायता दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव इस समय किस चरण में है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। 98,39,660 रु० की अनुमानित लागत वाली इरूमेली-चालयाकायम सड़क के निर्माण के लिए केन्द्रीय सड़क निधि में से 24-8-1983 को 25.00 लाख रु० मंजूर किए गए थे और शेष लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है।

(ग) राज्य के वन विभाग की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता के कारण कार्य में विलम्ब होता है। सितम्बर, 1990 की समाप्ति तक कुल 15% प्रगति हुई है।

बेरोजगार युवकों को ऋण

2421. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री 12 जुलाई, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार, युवा योजना के अन्तर्गत, बैंक-वार, प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, कितने लोगों को लाभ मिला है;

(ख) लाभान्वित लोगों को राज्य-वार, बैंक-वार प्रत्येक वर्ष कुल कितनी धनराशि के ऋण दिये गये; और

(ग) देश में समग्र रूप से प्रत्येक व्यक्ति को राज्य-वार, बैंक-वार और वर्ष-वार औसतन कितनी धनराशि के ऋण दिये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) उद्योग मन्त्रालय में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना कार्यान्वित करते हैं। बताया गया है कि यह योजना जिला स्तर पर उद्योग निदेशक के अधीन जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से लागू की जाती है और वे बैंक-वार आंकड़े नहीं रखते। तथापि, 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के वर्षों के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत मजूर किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या, मंजूर किए गए ऋण की रकम और प्रति हिताधिकारी औसत रकम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1987-88, 1988-89 और 1989-90 के वर्षों के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या, मंजूर किए गए ऋण की रकम और प्रति हिताधिकारी औसत दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1987-88			1988-89			1989-90		
		मंजूर किए गए मामलों की संख्या	मंजूर किए गए ऋण की रकम (लाख रु०)	प्रति हिताधिकारी औसत रकम (रुपए)	मंजूर किए गए मामलों की संख्या	मंजूर किए गए ऋण की रकम (लाख रु०)	प्रति हिताधिकारी औसत रकम (रुपए)	मंजूर किए गए मामलों की संख्या	मंजूर किए गए ऋण की रकम (लाख रु०)	प्रति हिताधिकारी औसत रकम (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	7421	1740.53	23454	14291	3278.72	22943	7387	1716.63	23239
2.	असम	3191	807.42	25303	5378	1372.68	25524	3141	737.41	23477
3.	बिहार	12025	2826.84	23508	19669	4904.94	24937	10386	2651.08	25526
4.	गुजरात	5293	805.47	15218	4552	647.82	14232	5084	722.73	14216
5.	हरियाणा	2450	500.64	20434	4651	908.04	19523	2418	499.35	20651
6.	हिमाचल प्रदेश	786	154.53	19660	1340	272.97	20371	769	151.69	19726
7.	जम्मू व कश्मीर	564	137.55	24388	962	192.66	20027	223	53.23	23870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	कर्नाटक	6175	1242.97	20129	10585	2019.38	19078	6010	1181.14	19653
9.	केरल	9407	1759.66	18706	14846	2643.64	17807	8430	1493.29	17714
10.	मध्य प्रदेश	8732	1909.75	21871	14154	2638.93	18644	7936	1617.86	20386
11.	महाराष्ट्र	8894	1638.12	18418	14326	2537.44	17712	8210	1493.12	18187
12.	मणिपुर	649	182.28	28086	1500	434.50	28967	749	229.09	30586
13.	मेघालय	141	25.62	18170	34	6.12	18000	90	17.54	19489
14.	नागालैंड	83	14.30	17229	153	35.71	23340	57	12.69	22263
15.	उड़ीसा	4585	1124.77	24532	8016	1985.23	24766	4344	1095.99	25230
16.	पंजाब	7672	1744.88	22743	14472	3259.04	22520	7690	1801.62	23428
17.	राजस्थान	5579	1235.52	22146	9204	1967.80	21380	5127	842.27	16428
18.	सिक्किम	25	6.03	24120	23	4.25	18478	17	3.15	18529
19.	तमिलनाडु	9278	1864.00	20091	17175	3080.84	17938	8692	1518.78	17473
20.	त्रिपुरा	346	81.19	23465	527	136.84	25966	183	46.69	25514
21.	उत्तर प्रदेश	14102	3166.66	22455	24373	5340.60	21912	13747	3283.32	23884
22.	पश्चिम बंगाल	12073	2853.53	23636	10330	2485.61	24062	6209	1466.86	23625
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	37	8 32	22486	54	12.64	23407	20	4.50	22500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
24.	अरुणाचल प्रदेश	24	5.48	22833	59	14.61	24763	16	3.76	23500
25.	चण्डीगढ़	179	41.99	23458	201	44.62	22199	90	22.72	25244
26.	दादर व नागर हवेली	12	3.25	27083	39	9.70	24872	26	6.50	25000
27.	गोवा	160	33.11	20694	242	59.52	24595	124	33.91	27347
28	मिजोरम	92	21.38	23239	321	91.30	28442	109	29.95	27477
29.	पांडिचेरी	240	39.90	16625	473	73.16	15467	230	33.90	14739
30.	लक्षद्वीप	9	0.75	8333	8	1.30	16250	20	3.79	18950
31.	दमन और द्वीप	—	—	—	—	—	—	12	3.49	29083
	जोड़	120224	25976.44	21607	191958	40460.61	21078	107546	22778.05	21180

स्रोत : उपायुक्त (लघु उद्योग) उद्योग मंत्रालय
आंकड़े अनन्तिम।

लौह अयस्क का निर्यात

242?. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 पर समाप्त होने गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) आयात करने वाले प्रमुख देशों के क्या नाम क्या हैं तथा उनके द्वारा अलग-अलग वर्ष-वार, कितने माल का आयात किया गया;

(ग) भारत के बंदरगाहों पर पोत पर्यन्त निःशुल्क लदान का वर्ष-वार और देश-वार विशेष आहरण अधिकारों के सन्दर्भ में प्रति टन औसत मूल्य क्या है; और

(घ) मात्रा तथा विशेष आहरण अधिकारों के सन्दर्भ में 1991-92 के लिए निर्यात का निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 1990-91 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए लौह अयस्क को कुल मात्रा निम्नलिखित है :

	(मिलियन टन में)
1988-89	33.30
1989-90	33.51
1990-91	31.96

(स्रोत : निर्यात अभिकरण)

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए लौह अयस्क के देशवार और वर्ष-वार निर्यात को दर्शाते हुए एक विवरण पत्र संलग्न है। यूनिट मूल्य वसूली में व्यापक अन्तर है और इसकी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि यह कई तथ्यों पर निर्भर करता है जैसे अयस्क की किस्म (ढले, चूरा, सान्द्रण या गुटके) अयस्क के ग्रेड (लौह अंश के आधार पर न्यून, मध्यम या उच्च) लदान किए जाने वाले जहाज का आकार, लदान की दर आदि निर्यात आंकड़े एस० डी० आर० में नहीं रखे/एकत्र किए जाते हैं।

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए 1225 करोड़ रुपये मूल्य के 34.75 मिलियन टन लौह अयस्क के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। एस० डी० आर० में लक्ष्य निर्धारित/मानीटर नहीं किए जाते हैं।

विवरण

लौह अयस्क का देशवार निर्यात

(मात्रा मिलियन टन में)

भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०)

देश	1988-89	1989-90	1990-91
जापान	10.49	10.08	8.60
कोरिया गणराज्य	3.11	2.91	3.07
पाकिस्तान	0.34	0.39	0.41
रोमानिया	2.36	2.32	1.05
जर्मन जनवादी गणराज्य	0.61	0.70	0.10
अन्य	0.74	1.12	0.99
कुल :	17.64	17.52	14.22

कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लि० (के० आई० ओ० सी० एल०)

देश	1988-89	1989-90	1990-91
जापान	2.367	2.820	3.38
बहरीन	0.128	0.457	0.14
चैकोस्लोवाकिया	0.149	0.168	0.20
हंगरी	0.594	0.531	0.49
टर्की	0.357	0.325	0.38
अन्य	1.080	1.050	1.15
कुल :	4.675	5.356	5.74

गोवा के निर्यातकों द्वारा

देश	1988-89	1989-89	1990-91
जापान	8.336	7.868	9.332
पश्चिमी यूरोप	1.675	2.117	1.855
दक्षिण कोरिया	0.996	0.613	0.818
ताईवान	शून्य	0.036	शून्य
कुल :	10.997	10.634	12.005

किशनगंज (बिहार) में पटसन मिल

2423. **श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किशनगंज (बिहार) की प्रस्तावित पटसन मिल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1991 तक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी;

(ग) परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) परियोजना पर अनुमानत: कितना वार्षिक आवर्ती व्यय होगा; और

(ङ) परियोजना का काम कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) किशनगंज (बिहार) में पटसन मिल की स्थापना से संबंधित आशय-पत्र दिनांक 30-6-85 को समाप्त हो गया।

(ख) से (ङ) सरकार को इन ब्यौरों की जानकारी नहीं है। तथापि, नई औद्योगिक नीति के अनुसार ऐसी परियोजना की स्थापना के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

बैंकों में पांच दिवसीय सप्ताह लागू करना

2424. **श्री बी० चोक्का राव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में पांच दिवसीय सप्ताह लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका व्यवसायी वर्ग तथा अन्य लोगों पर क्या असर पड़ेगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

2425. **श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात में कितनी वृद्धि की सम्भावना है;

(ख) समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु जापान और संयुक्त राज्य अमरीका के अतिरिक्त किन-किन नये बाजारों की खोज की गई है;

(ग) समुद्री उत्पाद के निर्यात के मामले में प्रतिस्पर्द्धा करने वाले अन्य देशों के नाम क्या हैं; और

(घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय समुद्री उत्पादन किस हद तक प्रतिस्पर्द्धा कर पाते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) भारत का अपने अनन्य आर्थिक जोन (ई० ई० जेड०) में ऐसा विशाल समुद्री स्रोत है जिसका अभी दोहन नहीं किया गया है। भारतीय ई० ई० जेड० से अब जो उत्पादन होता है वह इसके उपलब्ध सम्भावित स्रोत के

एक तिहाई से भी कम है। पकड़ी गई मछलियों के माध्यम से निर्यात बढ़ाने की व्यापक संभावना है। पकड़ी गई मछलियों के अलावा, परिष्कृत मत्स्यपालन के जरिए निर्यात उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रान फार्मिंग पर भी बल दिया जा रहा है। चालू वर्ष और अगले तीन वर्षों के दौरान समुद्री निर्यात का लक्ष्य जैसा कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा अनुमान लगाया गया है, वह नीचे दिया गया है :—

1991-92	—	174275 मी० टन
1992-93	—	190400 मी० टन
1993-94	—	212200 मी० टन
1994-95	—	242500 मी० टन

(ख) ई० ई० सी० हमारे समुद्री उत्पादों के लिए एक अग्रणी बाजार के रूप में उभरा है जबकि जापान और यू० एस० ए० हमारे परम्परागत बाजार हैं। पिछले तीन वर्षों में ई० ई० सी० को किए गए निर्यात नीचे दिए गए हैं :

	मात्रा एम० टी०	करोड़ रुपयों में
1988-89	33824	124.39
1989-90	38888	155.03
1990-91	42190	226.95

सिंगापुर, हांगकांग, मलयेशिया तथा संयुक्त अरब अमीरात को हमारे समुद्री उत्पादों के निर्यात से पता चलता है कि इन बाजारों में वृद्धि हो रही है।

(ग) जापान और यू० एस० ए० तथा यूरोप के हमारे प्रमुख बाजारों में चीन, इंडोनेशिया, थाइलैंड, फिलीपीन्स, वियतनाम तथा इक्वेडोर देश हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं।

(घ) विश्व व्यापी समुद्री उत्पाद परिदृश्य में भारत की बहुत मामूली भूमिका है। वर्ष 1989 के दौरान समुद्री उत्पादों का कुल विश्व निर्यात 35 बिलियन अमरीकी डालर था और इसमें भारत का हिस्सा मात्रा तथा मूल्य दोनों के दृष्टि से लगभग 1% है।

जानवरों का निर्यात

[हिन्दी]

2426. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जानवरों का निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां इन जानवरों को निर्यात किया गया और किस दर पर निर्यात किया गया;

(घ) इन जानवरों, विशेष रूप से मेढ़कों की टांगों और बंदरों के निर्यात से वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त निर्यात पर रोक लगाने का है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) जीवित भेड़ और बकरियों के निर्यात की अनुमति कृषि एवं सहकारिता मन्त्रालय के परामर्श से जारी वार्षिक सीलिंग के आधार पर दी जाती है। घोड़े, गधे और खच्चरों के निर्यात की अनुमति 'गुण-अवगुण" आधार पर दी जाती है। ऐसे आवेदनपत्रों पर निर्यात लाइसेंसिंग समिति विचार करती है जिसके अध्यक्ष मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात हैं। किन्तु, काठियावाड़, मारवाड़ी और मणिपुरी नस्ल के घोड़ों के निर्यात की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार वर्ष 1988-91 तथा 1990-93 की निर्यात नीति के अन्तर्गत बन्दरों और मेंढकों की टांगों के निर्यात की अनुमति नहीं है।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) तथा (छ) : उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

	1988-89 (मूल्य रुपयों में)	1989-90 (मूल्य रुपयों में)	1990-91 (मूल्य रुपयों में)	देश जिन्हें निर्यात किया गया
जीवित बकरियां	411000/-	635000/-	842000/-	ईराक, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात।
जीवित	—	180000/-	—	जर्मन (एफ०आर० जी०) जापान
जीवित घोड़े	—	91,000/-	2,37,000/-	श्रीलंका

प्रत्येक जानवर की दरें उपलब्ध नहीं हैं।

फलों का निर्यात

2427. **श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये फलों के नामों और मूल्य का देश-वार और दरों के अनुसार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फलों का निर्यात भारत में प्रचलित दरों से कम दरों पर किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इससे उत्पादकों को नुकसान हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) फलों की औसत एफ० ओ० बी० अधिप्राप्ति साधारण तथा उच्चतर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1988-89 से 1990-91 तक फलों का निर्यात

मात्रा : मी० टन
मूल्य : लाख रुपए
औसत दर : रुपया प्रति कि० ग्रा० में

	1988-89			1989-90*			1990-91*		
	मात्रा	औसत** दर	मूल्य	मात्रा	औसत दर	मूल्य	मात्रा	औसत दर	मूल्य
आम									
सऊदी अरब	3025	14.24	431	3403	15.60	531	2230	25.20	562
संयुक्त अरब अमीरात	9939	11.77	1170	5857	10.73	629	4990	14.34	716
कुवैत	1042	17.37	181	969	17.95	174	745	27.90	208
यूनाइटेड किंगडम	903	19.37	175	282	26.24	74	371	28.5	106
अन्य	1930	13.16	254	1030	19.90	205	877	22.12	194
कुल	16839	13.13	2211	11541	13.97	1613	9213	19.38	1786

* पार्टी से प्राप्त रिटर्नों पर आधारित अनन्तिम आंकड़े।

** औसत दर।

मात्रा : मी० टन
मूल्य : लाख रुपए
औसत दर : रुपए प्रति कि० ग्रा०

	1988-89			1989-90*			1990-91*		
	मात्रा	औसत दर	मूल्य	मात्रा	औसत दर	मूल्य	मात्रा	औसत दर	मूल्य
अन्य फल जिनमें से मुख्य फल हैं	50404		3585	30387		2281	22311		1949
अंगूर									
संयुक्त अरब अमीरात	2303	14.76	340	2067	16.06	332	2665	16.54	441
सऊदी अरब	993	14.90	148	1051	17.52	184	293	18.08	53
कुवैत	201	14.92	30	178	15.16	27	15	13.33	2
बगदाद	894	—	18	102	12.74	13	18	22.22	4
बहरीन	—	—	—	—	—	—	184	19.56	36
अन्य	147	29.47	104	332	15.66	52	110	17.27	19
कुल	4738	13.50	640	3729	16.30	608	3285	16.89	555
संतरे									
बगदाद	8284	4.15	344	1517	3.75	57	1866	1.98	37
सऊदी अरब	22	9.09	2	—	—	—	18	—	1.5
संयुक्त अरब अमीरात	31	9.67	3	—	—	—	127	7.00	9
अन्य	138	2.89	4	1	—	1	28	12.50	3.5
कुल	8075	4.16	353	1518	3.82	58	2039	2.50	51
सपोटा (चीकू)									
संयुक्त अरब अमीरात	614	5.86	36	203	6.89	14	236	7.20	17
बहरीन	250	6.4	16	42	7.14	3	66	7.57	5

(*) औसत दर।

मात्रा : मी० टन
मूल्य : लाख रुपए

	1988-89			1989-90			1990-91		
	मात्रा	औसत दर	मूल्य	मात्रा	औसत दर	मूल्य	मात्रा	औसत दर	मूल्य
कतर	284	7.74	22	15	10	1.5	15	6.67	1
सऊदी अरब	201	6.46	13	31	6.45	2	28	7.14	2
अन्य	253	6.71	17	20	12	2.5	29	10.34	3
कुल	1602	6.49	104	311	7.39	23	374	7.48	*28

* पार्टी से प्राप्त रिटर्नों पर आधारित अनन्तिम आंकड़े ।

राजस्थान में कोटा, बूंदी और बानरा जिलों में भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

2428. **श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कोटा, बूंदी और बानरा जिलों में कितने भूतपूर्व सैनिक हैं और सरकार ने उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या सरकार को पेंशन आदि के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): (क) राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कोटा, बूंदी और बानरा जिलों में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 7980 (कोटा : 4250, बूंदी : 2170 तथा बानरा : 1560) हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा कल्याण के लिए व्यापक आधार पर योजना चलाई गई है। केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" तथा समूह "घ" के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। रक्षा सेवा के ऐसे कार्मिकों को जो लड़ाई में अथवा शान्ति के समय निशक्त हो गये हैं और जिनकी निशक्तता सैन्य सेवा के कारण हुई मानी गयी है प्राथमिकता-I प्रदान की जाती है। इसके साथ ही रक्षा सेवा के ऐसे कार्मिकों, जिनकी लड़ाई के दौरान अथवा शान्ति के समय सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है अथवा जो गंभीर रूप से निशक्त हो जाते हैं और निशक्तता की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक है और नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं किन्तु यह निशक्तता सैन्य सेवा के कारण हुई मानी गई है। उनके दो आश्रितों तक को निशक्त भूतपूर्व सैनिकों के तत्काल नीचे प्राथमिकता अर्थात् प्राथमिकता-II (क) प्रदान की जाती है। राजस्थान सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सिविल पदों पर भी आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के

अवसर प्रदान करने की दृष्टि से अनेक योजनाएं चलाई गई हैं — इनमें सेमफैक्स-I योजना है जिसके अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सेमफैक्स-II योजना है जिसका उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में खेती एवं खेती से भिन्न कार्यकलाप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना, पेट्रोलियम उत्पादों की एजेन्सियों का आबंटन, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की एजेन्सियां आबंटित करना आदि है।

भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा, और नजदीक की सी० एस० डी० कैन्टीनों में कैन्टीन सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध हैं। युद्ध में मारे गए अथवा निशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चों से फीस, छात्रावास खर्च, वर्दी की लागत आदि न लेकर उन्हें शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। युद्ध में मारे गए कार्मिकों की पत्नियों को रेल द्वारा यात्रा करने में द्वितीय श्रेणी के रेल भाड़े में 75 प्रतिशत तक की रियायत दी जाती है। वीरता पदक प्राप्त किए हुए कार्मिकों को वायुयान तथा रेल द्वारा यात्रा करने पर द्वितीय श्रेणी के किराये में 50 प्रतिशत तक की रियायत दी जाती है। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा युद्ध में मारे गए कार्मिकों की पत्नियों, युद्ध में निशक्त हुए और शांति के समय हताहत हुए कार्मिकों को मकान का निर्माण करने, अपनी पुत्री की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं को, जो गरीबी की स्थिति से गुजर रहे हों, रक्षा मंत्रालय तथा राज्य सैनिक बोर्डों के पास उपलब्ध कल्याण निधि से वित्तीय सहायता दी जाती है। विशेष चिकित्सा उपचार के लिए भी अनुदान दिए जाते हैं।

(ख) और (ग) भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामलों में की जाने वाली शिकायतों पर कारंवाई करने के लिए रक्षा मंत्रालय में एक विशेष पेंशन शिकायत एकक है, यहां प्राप्त शिकायतों पर तत्परता से कारंवाई की जाती है और सम्बन्धित शिकायतकर्ताओं को समुचित उत्तर भेज दिए जाते हैं। वर्ष 1991 (जुलाई, 1991 तक) के दौरान कोटा तथा बूंदी जिलों के भूतपूर्व सैनिकों उनके आश्रितों से प्राप्त हुई तीन शिकायतों में से दो का सम्बन्ध पेंशन की मंजूरी से है और एक का परिवार पेंशन की मंजूरी से।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक संगठन के ढांचे की पुनरीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन

[अनुवाद]

2429. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक संगठन के संपूर्ण ढांचे की पुनरीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के संविधान द्वारा प्रावधित एक प्राधिकारी है। उसकी नियुक्ति, उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें, उसके कर्त्तव्य और अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 द्वारा शासित होते हैं और संविधान के अनुच्छेद 148 और 149 की शर्तों के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य अधिकार और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 को भी अधिनियमित किया गया है।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखा जिम्मेवारी से मुक्त करना

2430. **श्री अनादि चरण दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसकी लेखा जिम्मेवारी से मुक्त करने की निरन्तर मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) किन-किन राज्यों ने नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक को अपने राज्य के खाते रखने से और अपने कर्मचारियों के अधिकारिक कृत्यों सम्बन्धी दायित्व (इंटाइटलमेंट फंक्शन) से मुक्त कर दिया है; और

(घ) सरकार द्वारा, 1975 में केन्द्रीय लेखा कृत्यों का विभागीकरण करके लेखा-परीक्षा को लेखा विभाग से पृथक करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बावजूद नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक को ऐसे लेखा कृत्यों से मुक्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) सरकार ने नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक को संघ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी से भी सम्बन्धित खातों के संकलन संकलन-कार्य की जिम्मेवारी से पहले ही मुक्त कर दिया है। गोवा राज्य तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के खाते नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक-अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व ही संबंधित सरकार/प्रशासन द्वारा संकलित किए जाते रहे हैं। सरकार को मिजोरम राज्य और लक्षद्वीप तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित खातों के संकलन-कार्य से नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक को मुक्त करने के प्रस्ताव अब प्राप्त हुए हैं।

(ख) मिजोरम राज्य तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों की जांच सरकार तथा नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा की गई और उन्हें आगे की आवश्यक कारंवाई के लिए वापस लौटा दिया गया था। जहां तक दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का संबंध है, खातों को अलग करने का प्रस्ताव हुआ था, जो गृह मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ग) गोवा को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के खातों के संकलन की जिम्मेवारी नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की है। नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा तैयार किए गए विवरण की एक प्रति, जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा अधिकाधिक कृत्यों को संभाल लेने के बारे में स्थिति का ब्यौरा संलग्न है।

(घ) यह संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है कि वे नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा खाते संकलित करने सम्बन्धी उसके कार्यों से मुक्त करने के प्रस्ताव रखें। भाग (क) में बताए गए प्रस्ताव के अलावा अन्य कोई भी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

दिनांक 9-8-1991 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2430 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग से राज्य सरकारों को अन्तरित विभिन्न कार्य मदों की तारीख सहित स्थिति दर्शाने वाला विवरण

राज्य	राजपत्रित पात्रता		पेंशन		सामान्य भविष्य निधि		ऋण	
	पूर्ण	आंशिक	पूर्ण	आंशिक	समूह "घ"	अन्य	दीर्घावधि	अल्पावधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र	01-01-77			01-01-77 01-04-79 01-05-80				01-04-75
असम		13-12-77						
अरुणाचल	01-9-78		01-04-89		1960	01-04-85	01-04-89	
बिहार		01-01-86			01-04-73	01-04-86		01-04-76
गुजरात	01-04-85		10-04-88		11-10-61		01-04-89	01-04-77
हरियाणा	01-09-76							
हिमाचल	01-04-77							01-04-76
जम्मू और कश्मीर	01-05-77				01-04-64	01-04-86		01-04-74
कर्नाटक		01-80						
केरल								01-04-74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	01-10-76			01-07-86 से 01-01-87	1979-80 लेखा			01-01-79
महाराष्ट्र		01-01-90			01-04-64			01-04-74
मणिपुर					1960			01-04-74
मेघालय								
मिजोरम			01-03-83		01-04 83	01-04-83		
नागालैंड						01-12-63		01-04-74
उड़ीसा	01-12-79			01-04-83				01-04-75
पंजाब	01-09-76				01-04-78	01-04-89		
राजस्थान	01-05-76		01-12-79		01-04-55	01-10-79	01-07-88	01-07-88
सिक्किम	आरम्भ से राज्य द्वारा किया गया							
तमिलनाडु		01-04-78		01-10-74				01-04-75
त्रिपुरा	01-11-87				1960			01-04-74
पश्चिम बंगाल	01-11-77 01-02-78				01-05-69			
उत्तर प्रदेश		01-11-79 01-04-88 01-04-89	01-10-88 01-04-89		01-09-78			

(उच्च न्यायालय के जजों को छोड़कर)

आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) में बुनकरों को रेशम उपलब्ध कराने हेतु एक डिपो की स्थापना करना

[हिन्दी]

2431. श्री राम बदन : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बुनकरों को रेशम उपलब्ध कराने के लिए एक डिपो खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने बुनकरों को प्रोत्साहन देने और पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों को क्या निर्देश दिये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) रेशम सूत डिपो खोलने की केन्द्र सरकार की कोई योजना नहीं है। यह कार्य सामान्यतः राज्य हथकरघा निगमों/शीर्ष समितियों द्वारा किया जाता है। आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि० मुबारकपुर में एक डिपो सचालित कर रहा है जो उस क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों को रेशम यार्न और सूती यार्न उपलब्ध करवाता है।

(ग) हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन और उपयुक्त सुविधायें देने के लिए राज्य सरकार के माध्यम से कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। निम्नलिखित योजनाएं उत्तर प्रदेश सहित समूचे देश में कार्यान्वित की जा रही हैं :—

1. करघों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता;
2. सुधरी हुई प्रौद्योगिकी पर बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए विकेंद्रित प्रशिक्षण योजना;
3. देश में विभिन्न बुनकर सेवा केंद्रों के माध्यम से डिजाइन सहयोग और प्रौद्योगिकी निवेश का प्रावधान;
4. पावरलूम की तुलना में हथकरघा क्षेत्र में मूल्य ह्रास दूर करने के लिए हथकरघा क्षेत्र को विशेष वित्तीय रियायतें;
5. औद्योगिक प्रकार की सहकारिताओं के गठन के लिए बुनकरों को सहायता;
6. पर्वतीय क्षेत्र, ऊनी हथकरघा विकास परियोजना/निर्यात उत्पादन परियोजना;
7. करघे से पूर्व व उपरांत की सुविधायें प्रदान करना ताकि बुनकरों का उत्पादन बाजार में प्रतिस्पर्धी ले सकें;
8. थ्रिफ्ट फंड योजना जिसमें समूह बीमा योजना शामिल है;
9. बुनकरों को उपयुक्त कार्यस्थान देने के लिए कार्यशाला-सह-आवास योजना ताकि बुनकर अधिक उत्पादन कर सकें;
10. विपणन विकास सहायता योजना जिसमें हथकरघा उत्पादों को विपणन सहयोग देने के लिए विशेष छूट, शीर्ष समितियों और राज्य निगमों को अंश पूंजी सहायता; और

11. जनता कपड़ा योजना जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि हथकरधा बुनकरों को उपयुक्त स्तर पर भत्ते दिए जाएं।

चीनी का निर्यात

[अनुवाद]

2432. श्री आर० जीवरत्नम : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1989 से जून, 1991 तक की अवधि के दौरान किन-किन देशों को कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया और निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : विवरण संलग्न है।

विवरण

जनवरी, 1989 से जून, 1991 तक एस० टी० सी० तथा चीनी उद्योग द्वारा निर्यात की गई चीनी का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

देश का नाम	मात्रा (लाख मि० टन)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपयों में एफ ओ बी)
ई० ई० सी०	0.30	31.80
संयुक्त राज्य अमरीका	0.35	28.90
श्रीलंका	0.36	22.15
इंडोनेशिया	0.74	44.72
नेपाल	0.35	19.07*
मालदीव	0.003	0.25
मालदीव	0.008	0.49*
	2.111	147.38

*भारतीय रुपये में

तस्करी का सोना पकड़ा जाना

[हिन्दी]

2434. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कितने मूल्य का तस्करी का सोना पकड़ा गया था और उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इसकी तस्करी हुई थी;

(ख) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनसे यह सोना पकड़ा गया था और क्या उन सभी पर अभियोग चलाया गया था और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है और क्या उनके छोड़े जाने के लिए कोई अपील दायर की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) कैलेण्डर वर्ष 1990 और 1991 (31 जुलाई तक) के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए सोने की मात्रा (जिसे कथित रूप से पश्चिमी एशिया के कुछ देशों में आधारित विभिन्न तस्करी सिंडिकेटों द्वारा भारत में तस्करी करके लाया जा रहा है) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, उन व्यक्तियों की संख्या, जिनके विरुद्ध मुकदमे चलाए गए हैं और उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अभियोजन सम्बन्धी कार्यवाहियों में न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है और जिन्हें दोषमुक्त किया गया है, का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है। सोने की तस्करी सहित, निषिद्ध माल की तस्करी में ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों पर विभागीय कार्यवाहियों में अर्थ-दण्ड लगाया जा सकता है। न्यायालयों में उन पर मुकदमे चलाए जा सकते हैं। मुकदमे के निपटान की जिम्मेदारी मुख्य रूप से न्यायालय की है और विभाग अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत केवल इस प्रक्रिया में तेजी ला सकता है। न्यायालयों के निर्णय के आधार पर दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति दोनों ही बातें हो सकती हैं। दोषमुक्ति के विरुद्ध यदि अपेक्षित हो, तो अपील की जाती हैं।

	सोने की मात्रा (कि०ग्रा०में)	सोने का मूल्य (करोड़ रुपये में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं०	उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमे चलाए गए हैं	दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों की संख्या	दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या
1990	5596	189.75	3356	1528	555	141
*1991 (31 जुलाई तक)	3321	117.53	1432	825	344	86

*(आंकड़े अनन्तिम हैं)

केवल सोने की तस्करी के सम्बन्ध में मुकदमा चलाए गए, दोषी सिद्ध किए गए और दोष-मुक्त किए गए व्यक्तियों के बारे में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

जब्त किए गए सामान की बिक्री

[अनुवाद]

2435. **श्री रमेश चन्द्र तोमर :**

श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

श्री बलराज पासी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए सामान को बेचने वाले अधिकृत दुकानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन राज्यों में अनधिकृत दुकानों में भी इन सामानों की बिक्री की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान उपर्युक्त राज्यों में, राज्य-वार, इन दुकानों से सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा कितने मूल्य का सामान पकड़ा गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सीमा-शुल्क विभाग द्वारा अभिगृहीत/जब्तशुदा माल की थोक बिक्री अनुमोदित सहकारी समितियों और राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों/राज्य सहकारी महासंघों को की जाती है जो सहकारी समितियों, सुपर बाजारों, सहकारी भंडारों आदि के माध्यम से उक्त माल की आगे बिक्री, वास्तविक ग्राहकों को करते है। ऐसा माल सैनिक/अर्द्ध सैनिक/पुलिस कैंटीनों को भी विक्रय हेतु दिया जाता है। थोड़ा-बहुत उपभोक्ता माल की खुदरा बिक्री "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर सीमा-शुल्क विभाग की खुदरा दुकानों के माध्यम से भी की जाती है।

उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता चलता है कि कुछेक व्यक्ति चोरी-छिपे दुकानों के जरिये तस्करी का माल बेचते है। सीमा-शुल्क प्राधिकारी तस्करी के माल को ऐसी गैर-कानूनी बिक्री के प्रति सतर्क रहते हैं और जनवरी, 1990 से जून, 1991 तक की अवधि के दौरान तस्करी के माल की ऐसी गैर-कानूनी बिक्री के प्रति 13735 (अनन्तिम) छापे मारे गए थे/तलाशियां ली गई थीं, जिनके परिणामत: देशभर में लगभग 64.58 करोड़ रुपये मूल्य के माल की बरामदगी हुई और उसका अभिग्रहण कर लिया गया। तथापि, राज्यवार आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंक

2436. **श्री रमेश चन्द्र तोमर** :
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :
श्री बलराज पासी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों के देशवार नाम क्या है, जिनकी शाखाएं विदेशों में कार्यरत हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान और 30 जून, 1991 तक इन शाखाओं में बैंकवार अनियमितता के कितने मामलों की सूचना मिली है;

(ग) इनमें बैंकवार कितनी धनराशि शामिल है;

(घ) क्या इन मामलों में कुछ बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है या किये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस समय 9 भारतीय बैंकों की 115 शाखाएं विदेशों में काम कर रही हैं। बैंक-वार और देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं में हुई अनियमितताओं के बैंक-वार और शाखा-वार ब्यौरे वर्तमान सूचना प्रणाली में उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन शाखाओं में हुई धोखाधड़ियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

अवधि	बैंक का नाम	धोखाधड़ियों की संख्या	राशि (लाख रुपए)
पहली अप्रैल, 1990 से	भारतीय स्टेट बैंक	5	354.71
31 मार्च, 1991 तक	बैंक आफ बड़ोदा	12	95.27
	बैंक आफ इंडिया	7	16.94
पहली अप्रैल, 1991 से	भारतीय स्टेट बैंक	2	3.64
30 जून, 1991 तक	बैंक आफ बड़ोदा	5	13.93

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

आज की तारीख तक भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं का बैंक-वार और देश-वार ब्यौरा

क्रम सं०	देश	बैंक आफ बड़ौदा	बैंक आफ इंडिया	भारत ओवरसीज बैंक	केनरा बैंक	इंडियन बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	सिंडीकेट बैंक	यूको बैंक	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बांग्लादेश	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
2.	बहामास	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
3.	बहरीन	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
4.	बेल्जियम	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
5.	केमे द्वीप समूह	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
6.	चैनल द्वीप समूह	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
7.	फिजी द्वीप समूह	9	—	—	—	—	—	—	—	—	9
8.	फ्रांस	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
9.	गुयाना	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10.	हांगकांग	—	2	—	—	—	2	1	—	2	7
11.	जापान	—	2	—	—	—	—	2	—	—	4
12.	केनिया	6	2	—	—	—	—		—	—	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	मौरीशस	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7
14.	मालदीव	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
15.	ओमान	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
16.	पानामा	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
17.	दक्षिण कोरिया	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
18.	श्रीलंका	—	—	—		2	2	1	—	—	5
19.	सिंगापुर	—	1	—	—	1	1	1	—	3	7
20.	सेशल्ज	1	—	—	—	—	—	—	—		1
21.	थाईलैंड		—	1	—	—	—		—		1
22.	यू० एस० ए०	1	2	—	—	—	—	4	—	-	7
23.	यू० के०	11	13	—	1	—	—	5	1	2	33
24.	यू० ए० ई०	6	—	—	—	—	—	—	—	—	6
25.	जर्मन संघीय गणराज्य	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	कुल	48	25	1	1	3	6	23	1	7	115

चाय का निर्यात

2437. **श्री रमेश चन्द्र तोमर :**
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान और जनवरी से जून, 1991 तक दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों तथा रुपया भुगतान क्षेत्रों को कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया गया; और

(ख) रुपया भुगतान क्षेत्रों तथा दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों में चाय के बड़े-बड़े क्रेताओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1990 के दौरान और जनवरी से जून, 1991 तक दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों में तथा रुपया भुगतान क्षेत्रों में निर्यात की गई चाय की मात्रा निम्नानुसार है :—

मात्रा : एम० कि० ग्राम०

	आर० पी० ए०*	जी० सी० ए०	कुल**
1990	133.00	66.66	199.66
1991 (जनवरी से जून)	41.82	26.91	68.73

* लदान लाइसेंस पर आधारित ।

* अनुमानित निर्यात ।

(ख) रुपया भुगतान क्षेत्रों में सोवियत संघ और दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों में ब्रिटेन भारतीय चाय का सबसे बड़ा खरीदार है ।

काफी बोर्ड

2438. **श्री बी०. धनंजय कुमार :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड, "काफी पमूल" में एकत्रित काफी उत्पादकों के उत्पाद को बेचने में सक्षम है और बिक्री से प्राप्त धनराशि उन्हें समय पर दे देता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूल निधि में से बोर्ड खर्चे के रूप में काफी कटौती कर देता है और बोर्ड खर्चे ऐसे मदों पर कर देता है जिन पर खर्च करना कभी सम्भव नहीं है जिसके फलस्वरूप उत्पादकों को हिस्सा कम मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में कौन कदम से उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी शेयरधारक कम्पनियों से उत्पाद शुल्क की वसूली

2439. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या **वित्त मंत्री** विदेशी शेयरधारक कम्पनियों द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन के बारे में 16 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 848 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कथित कम्पनियों से उत्पाद शुल्क की राशि वसूल कर ली है; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले में कितनी राशि अन्तंग्रस्त है और इसे कब तक वसूल किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) चूंकि मामलों पर अभी न्यायनिर्णयन किया जाना है, अत: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वह राशि, जिसका कथित रूप से अपवंचन किया गया है, अभी तक वसूल नहीं की गयी है। राशियों की वसूली न्यायनिर्णयन संबंधी कार्यवाहियों के परिणामों पर और यदि पार्टियों द्वारा किसी अपीलीय उपाय का सहारा लिया जाता है तो उन अपीलीय कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।

16 मार्च, 1990 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 848 के उत्तर में उल्लिखित विदेशी शेयरधारिता वाली कम्पनियों को जारी किए गए उन मुख्य कारण बताओ नोटिस का ब्यौरा, जिनमें से प्रत्येक के मामले में 10 करोड़ रुपये से अधिक के उत्पाद शुल्क के अपवंचन की राशि अन्तर्ग्रस्त है; निम्नानुसार है :—

पार्टी का नाम	कारण बताओ नोटिस की तारीख	शुल्क अपवंचन (करोड़ रुपयों में)
मैसर्स आई० टी० सी० लि० (बम्बई, कलकत्ता, सहारनपुर, मुंगेर, बंगलौर में स्थित 5 यूनिट तथा उनके बाहरी संविदागत निर्माता)	27-3-87	803.78
मैसर्स आई० टी० सी०, बंगलौर यूनिट	25-9-87	143.22
मैसर्स आई० टी० सी०, पारेल यूनिट बम्बई	23-9-87	41.51
मैसर्स आई० टी० सी०, सहारनपुर यूनिट	25-1-88	26.43
मैसर्स आई० टी० सी०, मुंगेर यूनिट	3-7-87	39.81
मैसर्स आई० टी० सी०, बम्बई	11-8-83	57.23
मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स, बम्बई	6-7-89	770.38
मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स, बम्बई	31-1-89	456.97
मैसर्स वोल्टाज (इं०) लि०, बम्बई	31-3-89	14.92
मैसर्स वोलटाज (इं०) लि०, बम्बई	27-10-88	15.35

विदेशी शेयरधारी कम्पनियों द्वारा भारत में अर्जित लाभ को स्वदेश भेजना

2440. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी शेयरधारी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक की राशि कार्यालय-व्यय के रूप में खर्च की है अथवा स्वदेश भेजी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच के अनुदेश देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर और मैसर्स आई० टी० सी० ने गत दो वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से अधिक लाभांश का प्रत्यावर्तन किया।

(ख) हमारी विदेश नीति में जहां कहीं भी विदेशी शेयर-धारिता की अनुमति दी जाती है, मानदण्डों के अनुसार लाभांश प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है।

मुठभेड़ों में मारे गए सैनिक

2441. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में मुठभेड़ों में मारे गए सैनिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने मारे गए सैनिकों के परिवारों को आवश्यक सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) 1-8-1990 से 31-7-1-1991 तक की अवधि के दौरान मुठभेड़ों में 81 रक्षा सेवा कार्मिक मारे गए।

(ख) पेंशन तथा अन्य लाभों से सम्बन्धित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आश्रितों को उदारीकृत पेंशन लाभ का भुगतान अभी किया जा रहा है, अतः इस सम्बन्ध में कितनी राशि खर्च होगी इसकी निश्चित राशि बताना सम्भव नहीं है।

विवरण

1. अफसरों तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन पिछली परिलब्धियों के बराबर उनकी मृत्यु या अयोग्यता होने तक देय है। रैंक के अनुसार विशिष्ट दरों पर परिवार उपदान तथा सेवा-अवधि के आधार पर मृत्यु-उपदान भी देय है।

2. **सेना सामूहिक बीमा लाभ**

रक्षा कार्मिकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार निम्नलिखित दरों पर सेना सामूहिक बीमा लाभ प्राप्त करने के भी पात्र हैं :—

अफसर	—	3,50,000 रुपए 1-4-89 से
जूनियर कमीशन अफसर/ अन्य रैंक	—	1,50,000 रुपए

3. अन्य लाभ

वित्तीय सहायता निम्नलिखित दरों पर देय है :—

सेना अफसरों की हितकारी निधि		अफसरों के निकटतम सम्बन्धी अधिकतम 18,000 रु० की वित्तीय सहायता पाने के हकदार हैं ।	
आर्मी वाइब्स	—	अफसर	— 2,000 रु०
वेलफेयर एसोसियेसन		जूनियर कमीशन अफसर	— 1,200 रुपए
		गैर-कमीशन प्राप्त अफसर	— 1,000 रुपए
		अन्य रैंक	— 800 रुपए
सैन्य राहत निधि	—	अफसर	— 1,800 रुपए
		जूनियर कमीशन अफसर	— 300 रुपए
		अन्य रैंक	— 200 रुपए

रक्षा सेवा अफसरों को भविष्य निधि/सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि तथा छुट्टी नकदीकरण यथा देय हैं ।

4, रोजगार सहायता

सैन्य कारंवाई के दौरान वीर गति प्राप्त अथवा गम्भीर रूप से घायल हुए सैन्य कार्मिकों के दो आश्रितों तक को रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय/रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाने वाले समूह "ग" और "घ" पदों में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता 11-क दी जाती है ।

5. शिक्षा सम्बन्धी रियायतें

युद्ध में वीरगति प्राप्त अथवा निशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चे, जो शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे होते हैं, निम्नलिखित शैक्षणिक रियायतें पाने के पात्र हैं :—

(क) सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शैक्षणिक शुल्क एवं अन्य शुल्कों की अदायगी से पूरी छूट,

(ख) छात्रावास-विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रावास खर्च की पूर्ति के लिए अनुदान,

(ग) पुस्तकों और लेखन-सामग्री की पूरी कीमत की अदायगी,

(घ) जिन शैक्षणिक संस्थानों में वर्दी पहनना अनिवार्य है उनमें वर्दी के पूरे खर्च की अदायगी ।

6. **गृह निर्माण/मरम्मत के लिए अनुदान**

युद्ध मे वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को राज्य सरकारों द्वारा गृह निर्माण/मरम्मत के लिए दिए गए अनुदान का 50% अंश की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है और यह राशि 5,000 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. **युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को उनकी पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान :**

युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को उनकी पुत्री की शादी के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड 1,000 रु० का अनुदान देता है।

8. **रेल यात्रा में रिआयत**

युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने पर रेल किराए में 75% की रिआयत दी जाती है।

चुनावों पर आने वाली लागत

2442. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चुनावों पर खर्च अत्यधिक बढ़ता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का चुनावों पर आने वाली लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) सरकार द्वारा निर्वाचन कराने में उपगत होने वाला व्यय बढ़ता जा रहा है।

(ख) यह प्रस्ताव है कि सभी ऐसे उपनिर्वाचनों/प्रत्यादिष्ट निर्वाचनों में, जो 1-10-1991 से पश्चात् कराए जाएंगे, इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग किया जाए। इन मशीनों के उपयोग से निर्वाचन कराने में होने वाले व्यय में अत्यधिक कमी हो जाएगी और इस सम्बन्ध में अन्य प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

मुम्बई और पुणे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास

2443. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मुम्बई और पुणे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने तथा विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी हां। रा० रा० 4 के इस खंड पर 29.55 करोड़ रु० की लागत वाले अनेक कार्य, जैसे चौड़ा

करके चार लेन बनाना, मौजूदा पैदलपथ को सुदृढ़ करना और ज्यामितीय (जिओमेटरिकल) सुधार के लिए सड़क का पुनः संरेखण (रीअलाइनमैंट) इस समय प्रगति पर है। आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद और कार्यों पर विचार किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात और फतेहपुर जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

[हिन्दी]

2444. **श्री केशरी लाल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) उक्त बैंकों की कानपुर देहात और फतेहपुर जिलों में कितनी शाखाएं हैं;

(ग) कानपुर देहात और फतेहपुर जिलों में औसत रूप से कितनी जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्य कर रहा है; और

(घ) इस समय इन जिलों में कार्यरत बैंकों को हुए घाटे/लाभ का बैंकवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश में 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं।

(ख) कानपुर देहात में कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 88 शाखाएं कार्यरत हैं और फतेहपुर जिले में फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 55 शाखाएं कार्यरत हैं।

(ग) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार कानपुर देहात में वाणिज्यिक बैंक की प्रत्येक शाखा द्वारा औसतन 10,608 लोगों को सेवा प्रदान की जा रही है और फतेहपुर में यह संख्या 14,840 है।

(घ) 1989-90 के दौरान कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने क्रमशः 1.44 करोड़ रुपए और 1.07 करोड़ रुपए का घाटा उठाया।

"जेक्वार्ड" कपड़े का निर्यात

[अनुवाद]

2445. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या **वस्त्र मन्त्री** क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में चिराला में निर्मित जेक्वार्ड कपड़े के निर्यात पर रोक लगा दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सरकार को जेक्वार्ड कपड़े के निर्यात पर रोक लगाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कनाडा को निर्यात

2446. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारत कनाडा को कम निर्यात करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उनके कारण क्या हैं;

(ग) क्या कनाडा को निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार का कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) कनाडा को भारतीय निर्यात अधिकांश एशियाई देशों से अधिक है। किन्तु जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, हांगकांग, चीन जनवादी गणराज्य, सिंगापुर, मलयेशिया, थाइलैंड तथा सऊदी अरब जैसे देशों से उक्त निर्यात भारत की अपेक्षा ज्यादा हुआ है। इनमें से अधिकांश औद्योगिक देश हैं और इनकी अर्थव्यवस्था अत्यन्त निर्यातोन्मुख है जिससे उन्हें अपेक्षतया लाभ मिलता है।

(ग) से (ङ) कनाडा को विभिन्न निर्यात संवर्धन उपायों के माध्यम से निर्यात बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं जैसे बिक्री प्रतिनिधिमंडल भेजना, मेलों में भाग लेना आदि। इसके अतिरिक्त, सरकारी तथा निजी स्तर पर विचारों के आदान-प्रदान से निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलती है।

पिछले 4 वर्षों के दौरान, भारत से कनाडा को किए जाने वाले निर्यात में 37% की वृद्धि हुई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

			पिछले वर्ष की तुलना में %
1986	कना० डालर	165.40 मिलियन	1.66
1987	कना० डालर	170.86 मिलियन	3.30
1988	कना० डालर	205.03 मिलियन	20 00
1989	कना० डालर	224.09 मिलियन	9.29
1990	कना० डालर	226.68 मिलियन	1.15

"प्रदूषण नियंत्रणाधीन" प्रमाणपत्रों की वैधता की अवधि

2447. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सभी वाहनों के लिए "प्रदूषण नियंत्रणाधीन" की वैधता अवधि को एक वर्ष से घटाकर छः महीने कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह वांछनीय होगा कि किसी वाहन के

प्रदूषण स्तरों की जांच प्रत्येक 3 महीने में की जाए क्योंकि इस अवधि के दौरान इंजिन प्रणाली की कार्बोरेटर सेटिंग/ट्यूनिंग सामान्यतः खराब हो जाती है। प्रमाणीकरण की अवधि को मूलतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष रखा गया था कि उस समय दिल्ली में पर्याप्त परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

फेरा कंपनियों द्वारा "थर्ड पार्टी" के रूप में निर्यात किया जाना

2448. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के फेरा कम्पनियों को गैर-पारस्परिक वस्तुओं का निर्यात करने के लिए उन्हें "थर्ड पार्टी" के रूप में अनुमति देने से लघु इकाइयों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कदम उठाने के लिए क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस प्रकार प्रभावित लघु इकाइयों को मुआवजा देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं।

फेरा कंपनियों को थर्ड पार्टी उत्पादों को खरीद की अनुमति केवल निर्यात के लिए ही दी गई है न कि घरेलू बिक्री के लिए। इससे उनके उत्पादों को विदेश में भेजने से लघु इकाइयों के लाभान्वित होने की आशा है विशेष रूप से उनके लिए जो इस समय अपने उत्पादों के लिए विदेश बाजार ढूंढने में असमर्थ हैं। इसमें ऐसा कोई आर्थिक कारण नहीं लगता कि इस नीति से लघु इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) लागू नहीं होता।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के लिए परिसम्पत्ति सीमा

2449. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा नियंत्रित कम्पनियों के लिए 100 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति-सीमा समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में

राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) औद्योगिक ढांचे की बढ़ती हुई जटिलता और उच्चतर उत्पादकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित करने के लिए पैमाने की मितव्ययिता प्राप्त करने की आवश्यकता को देखते हुए, एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत निगमित निवेश निर्णयों की पूर्व प्रविष्टि जांच को हटाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, वे बृहद घराने और प्रमुख उपक्रम, जो नए उपक्रमों की स्थापना उपक्रमों का विस्तार, विलय, सम्मेलन और अधिग्रहण तथा कतिपय परिस्थितियों के अन्तर्गत निदेशकों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता को समाप्त करेंगे, उनके बारे में परिसम्पत्ति की प्रवेश सीमा को हटाने के लिए एम० आर० टी० पी० अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

लघु उद्योग क्षेत्र की निर्यात क्षमता

2450. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात की काफी सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र की इस उच्च संभावना को लाभकारी ढंग से उपयोग में लाने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां।

(ख) इस समय, समग्र निर्यात में लघु उद्योग क्षेत्र से होने वाले प्रत्यक्ष निर्यात का योगदान लगभग 28% है जबकि वर्ष 1983-84 और 1984-85 में यह लगभग 22% था। इसके अलावा, लघु उद्योग ऐसे अनेक प्रकार के पुर्जे तथा संघटक बनाकर महत्वपूर्ण योगदान करता है जो बड़े एककों के निर्यात उत्पादों की असेम्बली में काम आते हैं। लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात जो वर्ष 1973-74 में 390 करोड़ रु० मूल्य के हुए थे, बढ़कर वर्ष 1989-90 में 7626 करोड़ रु० के हो गए।

(ग) निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की हैं :—

(1) 100% निर्यात अभिमुख एककों और मुक्त व्यापार जोनों/ईपी जोनों में स्थित अन्य एककों की योजना के अंतर्गत लघु क्षेत्र के एकक निर्यात उत्पादन के प्रयोजन हेतु अपेक्षित पूंजीगत माल का आयात सीमाशुल्क भुगतान किए बिना खुले सामान्य लाइसेन्स के तहत कर सकते हैं।

(2) जो निर्यात घराने/व्यापार घराने, चोटी के व्यापार घराने लघु क्षेत्र में विनिर्मित उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं वे लघु क्षेत्र में विनिर्मित हस्तशिल्पों को छोड़कर अन्य उत्पादों के निर्यात मूल्य हेतु दोगुना प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं। लघु क्षेत्र द्वारा विनिर्मित हस्तशिल्पों के निर्यात से प्राप्त निवल विदेशी मुद्रा आय का हिसाब वास्तविक निवल विदेशी मुद्रा आय का तिगुना लगाया जाता है।

(3) आयात प्रतिपूर्ति की सुविधा भी लघु उद्योग क्षेत्र को उपलब्ध है। वास्तविक

प्रयोक्ता नीति के तहत स्वदेशी उपलब्धता तथा अन्य संगत बातों से अध्यधीन पूंजीगत माल, कच्चे माल, उपभोक्ता वस्तुओं और अतिरिक्त पुर्जों के आयात की सुविधा लघु क्षेत्र को प्रदान की गई है।

(4) लघु उद्योग विकास संगठन लघु क्षेत्र के एककों के लाभार्थ निर्यात विपणन, पैकेजिंग तकनीकों पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह प्रतिवर्ष विदेशों में आयोजित चुनिंदा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में लघु एककों की सहभागिता का भी आयोजन करता है।

कम्पनियों द्वारा क्लोजिंग स्टाक का मूल्य कम करना

2451. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) क्या संशोधित मूल्य वर्धित कर (मोडवेट) योजना के अन्तर्गत 43 कम्पनियो द्वारा क्लोजिंग स्टाक का मूल्य जानबूझकर कम करके कर-योग्य आय में भारी कटौती किए जाने का पता सरकार ने लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले में शामिल कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) कुछेक कम्पनियों के मामले की जांच-पड़ताल के तहत किए गए एक अध्ययन की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर (माडवेट) योजना के अधीन अतिशेष स्टॉक के न्यून मूल्यांकन के कारण ऐसी कम्पनियों की कराधेय आय में संभावित कटौती हुई है।

(ख) जिन कम्पनियों के मामलों की उक्त अध्ययन के प्रयोजनार्थ जांच-पड़ताल की गई थी, उनके नाम संलग्न सूची के अनुसार हैं।

(ग) क्षेत्रीय अधिकारियों को बड़े-बड़े निर्माताओं के मामलों की जांच-पड़ताल करने की लिए अनुदेश दिए गए हैं ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि कर-निर्धारणों को मुकम्मल करते समय अतिशेष स्टॉक के मूल्यांकन पर (माडवेट) क्रेडिट के प्रभाव पर विधिवत ढंग से ध्यान दिया गया है।

विवरण

कम्पनी का नाम

1. अशोक लीलेण्ड लि०।
2. किर्लोस्कर क्यूमिंस लि०।
3. केबल कारपो० आफ इंडिया लि०।
4. टी० वी० एस० सुजुकी।
5. केपरीहंस इण्डिया लि०।
6. फेड्डर लायड लि०।
7. मुकंद इण्डस्ट्रीज।

8. कलर केमिकल लि०।
9. टिन प्लेट कं० आफ इंडिया।
10. इनकेज इण्डस्ट्रीज लि०।
11. सेन्डोज इन्डिया।
12. प्रीमियर ओटोमोबाइल।
13. एशियन पेंट्स लि०।
14. जी० ई० सी० लि०।
15. हिंडालको लि०।
16. होचस्ट इण्डिया लि०।
17. टेल्को।
18. ल्यूपिन लेबोरेटरीज।
19. बी० ए० एस० एफ० इंडिया लि०।
20. सुन्दरम क्लेटोन लि०।
21. व्हील्स इण्डिया।
22. गोदरेज सोप्स लि०।
23. गुजरात अल्कालीज एण्ड केमि० लि०।
24. श्रीराम पिस्टन।
25. ग्रामोफोन कं० आफ इण्डिया लि०।
26. वल्लभ ग्लास वर्क्स।
27. नेशनल लेदर।
28. टालब्रॉस आटोमोटिव।
29. जॉनसन एण्ड जॉनसन।
30. कोरस इण्डिया लि०।
31. फाइजर लि०।
32. सामटेल (आई) लि०।
33. बूट्स इंडिया लि०।
34. हिन्दुस्तान सीबा गाइजी लि०।
35. किर्लोस्कर ऑयल इंजिन लि०।
36. जर्मन रिमेडीज लि०।
37. लेक्मे लि०।

38. गुडलेस नेरोलेक लि०।

39. बलसारा प्रोडक्ट लि०।

40. रेकैट एण्ड कोलमेन।

41. स्वराज माजदा।

42. ग्रेहम फर्थ स्टील लि०।

43. ओटिस एलीवेटर।

सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय सस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती

2452. **श्री मुकुल वासनिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित श्रेणी एक, दो, तीन और चार के पदों में से कितने रिक्त हैं, कितने भरे गये, कितने अनारक्षित किये गये, कितने आगे ले जाए गए और कितने व्यपगत हुए तथा 31 दिसम्बर, 1990 को उनका प्रतिनिधित्व कितना-कितना था; और

(ख) सरकार ने बैंकों में विशेष रूप से श्रेणी एक के रिक्त पदों को भरने के लिए कौन से कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में विभिन्न पदों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में श्रेणी I, II, III और IV के विपरीत सामान्यतया अधिकारी, लिपिक और अधीनस्थ स्टाफ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए निम्नलिखित उपाय करने के लिए कहा गया है—

(1) सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के चयन के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित की जा रही है।

(2) भर्ती परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए बैंकों द्वारा भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए साक्षात्कार बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को शामिल किया जा रहा है।

(4) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक अर्हताओं में छूट प्रदान

की गई है ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लिपिकीय संवर्ग सेवाओं में उनको अधिक से अधिक भर्ती सम्भव हो सके।

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के साक्षात्कार अलग-अलग बैठकों/तारीखों में आयोजित किए जा रहे हैं ताकि साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान सामान्य उम्मीदवारों के साथ उनकी तुलना से बचा जा सके।

(6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क नहीं देना होता ताकि बैंकिंग उद्योग में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या अधिक से अधिक हो।

(7) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियमानुसार यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

(8) सरकार द्वारा एक विस्तृत प्रोफार्मा निर्धारित किया गया है ताकि बैंक और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकें कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को देय पिछली बकाए रिक्तियों को मांगपत्र में पूरी तरह शामिल कर लिया गया है।

महाराष्ट्र में सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में दर्जा बढ़ाना

2453. **श्री मुकुल वासनिक :**
श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की कुछ सड़कों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नत की जाने वाली ऐसी सड़कों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर संघ सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) महाराष्ट्र तथा अन्य विभिन्न राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के संबंध में निर्णय आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद ही लिया जा सकेगा।

विवरण

क्रम सं०	सड़क का नाम	लम्बाई
1.	सोलापुर-उसमानवाद-बीड़-औरंगाबाद-घूले-बदोदरा	642 कि० मी०
2.	बंबई-अहमदाबाद-नांदेड़-जगदलपुर	660 कि० मी०
3.	रत्नागिरी-सोलापुर-नागपुर	807 कि० मी०
4.	पश्चिमी तटीय राजमार्ग	704 कि० मी०
5.	सूरत-धूले	127 कि० मी०
6.	औरंगाबाद-नांदेड़-हैदराबाद	351 कि० मी०
7.	इन्दौर अमरावती-योतमल-चन्द्रपुर-दुर्ग	597 कि० मी०
8.	औरंगाबाद-अजंता-इडलाबाद-बुरहानपुर	201 कि० मी०
9.	बैतूल-नागपुर-चन्द्रपुर-पत्तागुडंम	408 कि० मी०
10.	अम्रावती-वंधर्ना	96 कि० मी०
11.	मंगलवेधा-जाट-बेलगांव	86 कि० मी०
	योग :	4679 कि० मी

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों को दूर करना

2454. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों को ऐसे कोई अनुदेश जारी किए हैं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों पर विचार-विमर्श करने तथा इन्हें दूर करने के लिए अपने-अपने बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी संघों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित करें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन बैठकों पर कोई निगरानी रख रही है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण नीति को कार्यान्वित किया जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यपालक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करते हैं। आवधिक रिपोर्टें उनके सम्बन्धित बोर्डों के समक्ष रखी जाती हैं, जिनमें इन बैठकों के बारे में सूचनाएं दी गई होती हैं। समीक्षा रिपोर्टें वर्ष में एक बार सरकार को भी प्राप्त होती हैं ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सेवा में अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है—

(i) प्रधान कार्यालय/अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्षों की स्थापना करना;

(ii) प्रधान कार्यालय और अंचल तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी सम्पर्क अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति करना;

(iii) बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति से सम्बन्धित रिपोर्ट बोर्ड द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक बोर्ड के समक्ष रखना;

(iv) बैंकों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में पिछले वर्ष की समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत करना;

(v) आरक्षण से सम्बन्धित मामले में बैंक में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य कार्यपालकों के स्तर पर तिमाही में एक बार विचार-विमर्श करना;

(vi) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों को कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त किए गए सभी अधिकारियों तथा स्टाफ को आरक्षण नीतियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान करना।

इराक पर बकाया ऋण

[हिन्दी]

2455. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इराक पर ब्याज सहित कितना ऋण बकाया पड़ा है;

(ख) इस ऋण की वसूली कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इसकी शीघ्र वसूली के लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) इराक में हाथ में ली गई परियोजनाओं के बारे में भारतीय कंपनियों की बकाया राशि तथा आयात-निर्यात बैंक की ऋण प्रक्रिया के तहत इराक को दिए गए ऋण की बकाया राशि दिनांक 30 अप्रैल, 1991 तक मलधन और ब्याज सहित 614-52 मि० अमरीकी डालर थी। बकाया राशि की वसूली के लिए 1983 से शुरू किए गए आस्थगित भुगतान प्रबन्धों के जरिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इराक सरकार के साथ मार्च, 1990 में किए गए पिछले समझौते के अनुसार आस्थगित भुगतान व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आने वाले (453.22 मिलियन अमरीकी डालर) की देय राशि का भुगतान 1996 तक किया जाना है।

इराक के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को उठा लेने के बाद इराकी प्राधिकारियों के साथ

सम्पर्क किया जाएगा ताकि आस्थगित भुगतान व्यवस्थाओं और अन्य उपायों के जरिए बकाया राशि की वसूली के लिए रूपात्मकताओं को तैयार किया जा सके।

भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता

2456. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनके आश्रितों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मिली है और इन्हें कितनी राशि की सहायता मिली है; और

(ख) जिला स्तर के सैनिक बोर्डों को अधिक सक्षम तथा प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों की राज्यवार संख्या तथा उनकी दी गई वित्तीय सहायता की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्य सैनिक बोर्ड/जिला सैनिक बोर्ड सीधे राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। इन निकायों के कार्यकलापों की जांच करने तथा इन्हें सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में उपयुक्त सिफारिशें करने के वास्ते भारत सरकार ने सन् 1979 में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं, जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था और कार्यान्वयन के लिए उन सिफारिशों को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिया था। इन बोर्डों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से कुछ इस प्रकार थीं—

(1) यदि भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवारत/दिवंगत सैन्य कार्मिकों की संख्या 7,500 या इससे अधिक हो तो सम्बन्धित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार द्वारा पृथक जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना करना।

(2) जिला सैनिक बोर्डों के लिए एक समान स्टाफ पैदा की व्यवस्था करना.

(3) सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपने मानकों के अनुसार राज्य सैनिक बोर्डों के मौजूदा स्टाफ की पुनरीक्षा करना।

(4) जिला सैनिक बोर्डों के सचिवों को प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देना तथा उन्हें कार्यालय के प्रमुख रूप में घोषित करना।

(5) जिला सैनिक बोर्डों/राज्य सैनिक बोर्डों के कार्यालयों में टेलीफोन की व्यवस्था करना।

(6) राज्य सैनिक बोर्ड के सचिवों के लिए सरकारी वाहन की व्यवस्था करना।

यह बताया गया है कि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने इनमें से अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें कार्यान्वित भी कर दिया है।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली कुल वित्तीय सहायता

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1988-89		1989-90		1990-91	
	संख्या	राशि रु०	संख्या	राशि रु०	संख्या	राशि रु०
आन्ध्र प्रदेश	68	2,78,390	57	1,38,242	138	4,45,283
असम	1	100	2	2,730	1	660
बिहार	61	1,02,939	81	1,27,330	133	2,78,464
गुजरात	5	1,540	5	1,150	4	600
हरियाणा	97	66,706	123	1,04,470	149	2,58,123
हिमाचल प्रदेश	42	58,280	37	60,813	63	1,58,123
जम्मू तथा कश्मीर	38	64,910	83	1,14,220	50	1,27,900
केरल	35	37,370	51	68,510	42	1,38,424
कर्नाटक	63	1,04,427	75	2,24,955	74	1,89,460
मध्य प्रदेश	203	3,29,645	175	3,41,701	233	5,04,858
महाराष्ट्र	104	2,51,813	243	6,93 523	120	4,49,966
मणिपुर	1	2,000	1	600	3	2,700
मेघालय	39	54,050	18	81,760	8	9,860
नागालैंड	—	—	1	300	—	—
उड़ीसा	8	1,870	4	5,900	2	2 450
पंजाब	53	27,145	75	51,470	46	1,35,285
राजस्थान	45	44,980	38	27,345	27	13,710
सिक्किम	2	1,380	—	—	1	720
तमिलनाडु	135	1,81,940	103	1,67,605	102	2,81,270
उत्तर प्रदेश	473	11,82 407	476	8,35,855	430	14,63,734
पश्चिम बंगाल	23	99,034	22	56,960	15	85,530
चंडीगढ़	1	220	1	4,800	1	24,909
दिल्ली	122	2,63,472	149	3,88,201	115	2,75,692

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यनिष्पादन

2457. **श्री रासा सिंह रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय बैंकों पर कुल कितना पूंजी-निवेश किया गया है; और

(ख) इन बैंकों का गत तीन वर्षों के दौरान लाभ-हानि का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मार्च, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल चुकता पूंजी 2800.86 करोड़ रुपए है।

(ख) गत तीन वर्षों मे राष्ट्रीयकृत बैंकों के उनके प्रकाशित खातों के अनुसार लाभ और हानियों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1988 89, 1989-90 और 1990-91 के लिए यथा उपलब्ध राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रकाशित लाभ और हानियों को दर्शाता विवरण

(रुपये करोड़ में)

		प्रकाशित लाभ			
		1988-89	वार्षिक स्थिति	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6
	राष्ट्रीयकृत बैंक				
1.	इलाहाबाद बैंक	11.12	8.90	14.03	21.04
2.	बैंक आफ बड़ौदा	23.50	18.80	25.00	35.05
3.	बैंक आफ इंडिया	22.08	17.66	18.11	22.46
4	बैंक आफ महाराष्ट्र	3.12	2.50	3.02	4.10
5.	केनरा बैंक	54.94	43.95	61.27	76.04
6.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	15.20	12.16	10.24	12.58
7.	देना बैंक	5.73	4.58	1.50	8.51
8.	इंडियन बैंक	14.29	11.43	16.08	21.00
9.	इंडियन ओवरसीज बैंक	6.24	4.99	7.01	10.41
10.	पंजाब नेशनल बैंक	27.19	21.75	28.67	43.69
11.	सिंडीकेट बैंक	8.01	6.40	8.22	5.25
12.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	0.50	0.40	1.15	5.78

1	2	3	4	5	6
13.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	24.11	19.28	21.96	21.56
14.	यूको बैंक	5.73	4.58	—54.59	—42.96
15.	आंध्रा बैंक	9.29	7.43	7.75	8.21
16.	कारपोरेशन बैंक	4.50	3.60	4.60	4.65
17.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	3.11	2.48	—9.89	*
18.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	6.51	5.20	12.85	23.68
19.	पंजाब और सिंध बैंक	1.04	0.83	0.90	*
20.	विजया बैंक	7.95	6.36	7.24	0.25
	जोड़	254.16	203.28	185.12	271.25

नोट : *खातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

जिला मिदनापुर के सलबोनी में एक टकसाल की स्थापना करना

[अनुवाद]

2458. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मिदनापुर जिले के सलबोनी में एक टकसाल की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) यह कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) परियोजना की अनुमानित रोजगार संभावना क्या होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वाराणसी स्थित 39 गोरखा प्रशिक्षण केन्द्र से होकर जाने वाली सड़क बन्द करना

2459. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी में 39 गोरखा प्रशिक्षण केन्द्र से होकर जाने वाली सड़क को हाल ही में आम जनता और यातायात के लिए बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनहित में इस सड़क को खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि सुरक्षा संबंधी कारणों से वाराणसी स्थित 39 गोरखा प्रशिक्षण केन्द्र के अन्दर से गुजरने वाली एम० ई० एस० सड़क के एक किलोमीटर लम्बे रास्ते को बंद करने का प्रस्ताव है। स्थानीय प्रशासन के साथ परामर्श करके प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

100 रुपए से अधिक मूल्य के करेंसी नोटों को वापस लेना

2460. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 100 रुपए से अधिक मूल्य के करेंसी नोटों को वापस लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर का ऋण देने का लक्ष्य

2461. **श्री राम बदन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर का वित्त वर्ष 1990-91 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में कितना ऋण देने का लक्ष्य है;

(ख) क्या तुलनात्मक लक्ष्यों में कोई गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए हैं कि उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिम उनके कुल अग्रिमों के 40 प्रतिशत तक पहुंच जाएं। उपर्युक्त निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 31 मार्च, 1991 के अंत की स्थिति के अनुसार स्टेट बैंक आफ इन्दौर की उपलब्धि 41.03 प्रतिशत थी।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

उत्तर प्रदेश में लोक अदालतें

[हिन्दी]

2462. **श्री राम बदन** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर गत एक वर्ष के दौरान लोक अदालतें आयोजित की गई थीं और प्रत्येक स्थान में अलग-अलग कितनी लोक अदालतें आयोजित की गयीं; और

(ख) प्रत्येक लोक अदालत ने कितने मामले निपटाये ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) 1-4-1990 से 31-3-1991 की अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश मे 200 लोक अदालतें आयोजित की गईं जिनमें 2,22,326 मामले निपटाये गए। वे स्थान, जहां लोक अदालतें आयोजित की गई थीं और प्रत्येक लोक अदालत द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या, उपाबद्ध विवरण में दी गई है।

विवरण

उन स्थानों की संख्या जहां उत्तर प्रदेश राज्य में 1 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1991 के बीच लोक अदालतें आयोजित की गई थीं और प्रत्येक लोक अदालत द्वारा निपटाए गए मामलों की सख्या वर्णित करने वाला विवरण

क्र० सं०	जिला का नाम	लोक अदालत का स्थान	लोक अदालत की तारीख	प्रत्येक लोक अदालत में निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	उच्च न्यायालय			
	(लखनऊ न्यायपीठ)	लखनऊ	16-2-91	41
2.	अल्मोड़ा	मुख्यालय	24-11-90	143
		रानीखेत	22-3-91	89
3.	अलीगढ़	अतरौली	29-7-90	317
		मुख्यालय	23-3-91	975
4.	आगरा	मुख्यालय	7-7-90	583
5.	आजमगढ़	मुख्यालय	16-12-90	1749
		तागरी	6-1-91	385

1	2	3	4	5
		मुख्यालय	20-1-91	1150
		मुख्यालय	24-3-91	1664
6.	बदायूं	सहसवां	29-7-90	661
		बिसौली	16-12-90	1261
		दातागंज	31-3-91	1161
7.	बहराइच	मुख्यालय	26-8-90	1431
		मुख्यालय	16-12-90	1310
		मुख्यालय	24-2-91	989
		मुख्यालय	11-3-91	1104
8.	बलिया	बासडीह	22-7-90	670
		मुख्यालय	16-12-90	291
		सोहाव	20-1-91	450
		मुख्यालय	28-3-91	1440
9.	बांदा	मुख्यालय	10-11-90	1929
		नरैनी	17-3-91	382
		कर्वी	31-3-91	635
10.	बाराबंकी	मुख्यालय	6-1-91	1797
		मुख्यालय	17-3-91	1144
		राम नगर	18-3-91 से 28-3-91	विधिक सहायता और प्रशिक्षण शिविर
11.	बरेली	मुख्यालय	18-11-90	787
		मुख्यालय	24-2-91	1881
12.	बस्ती	मुख्यालय	23-9-90	1524
		मुख्यालय	25-11-90	544
		मुख्यालय	16-12-90	656
		खलीलाबाद	27-1-91	610
		मुख्यालय	31-3-91	582
13.	बुलंदशहर	मुख्यालय	25-8-90	1482
		सिकंदराबाद	16-12-90	355
		मुख्यालय	30-3-91	638

1	2	3	4	5
14.	बिजनौर	नगीना	6-10-90	1077
		मुख्यालय	23-3-91	1435
15.	चमोली	जोशीमठ	22-7-90	102
		गोचर	18-11-90	126
		मुख्यालय	16-12-90	73
		देवल	12-2-91	84
16.	देहरादून	चकरौता	12-7-90 से 13-7-90	विधिक सहायता और प्रशिक्षण शिविर
		मुख्यालय	26-8-90	259
		मुख्यालय	16-12-90	2355
		ऋषिकेश	24-2-91	542
		मुख्यालय	6-3-91 से 16-3-91	विधिक सहायता और प्रशिक्षण शिविर
17.	देवरिया	मुख्यालय	7-10-90	2832
		मुख्यालय	24-3-91	2022
18.	एटा	मुख्यालय	27-3-91	355
		कासगंज	24-2-91	643
		कासगंज	17-3-91	601
19.	इटावा	मुख्यालय	20-5-90	539
		मुख्यालय	19-8-90	1057
		मुख्यालय	25-2-91	932
		मुख्यालय	25-3-91	481
20.	फैजाबाद	मुख्यालय	16-12-91	3605
		बीकापुर	24-2-91	3393
21.	फर्रुखाबाद	मुख्यालय	8-12-90	1323
		छतरामऊ	20-1-91	377
		मुख्यालय	17-2-91	812
		बद्री विशाल	28-3-91	788
22.	फिरोजाबाद	मुख्यालय	31-3-91	713
23.	फतेहपुर	मुख्यालय	13-10-90	2568
		मुख्यालय	20-1-91	3053
		जहानाबाद	28-3-91	2097

1	2	3	4	5
24.	गाजियाबाद	हापुड़	12-1-91	468
		गढ़	23-2-91	119
25.	गाजीपुर	मुख्यालय	26-4-90	146
		मुख्यालय	31-5-90	283
		मुख्यालय	29-7-90	1236
		सैदपुर	23-9-90	627
		मुख्यालय	18-11-90	1098
		गहमर	16-12-90	1248
		फूले	27-1-91	483
		नंदगंज	17-3-91	723
26.	गोंडा	मुख्यालय	17-3-91	2924
27.	गोरखपुर	चौरीचौरा	23-9-90	1473
		मुख्यालय	25-11-90	2231
		मुख्यालय	16-12-90	757
		सहजनवां	20-1-91	644
		मुख्यालय	24-2-91	2084
28.	हमीरपुर	मुख्यालय	22-7-90	917
		मुख्यालय	20-1-91	1264
29.	हरदोई	मुख्यालय	26-8-90	2396
		संडीला	25-11-90	1575
		बिलग्राम	20-1-91	1359
		शाहाबाद	24-2-91	1007
30.	हरिद्वार	मुख्यालय	24-3-91	387
31.	जालौन	उरई	25-11-90	876
32.	जौनपुर	मुख्यालय	29-7-90	3170
		मछली शहर	19-8-90	523
		केराकत	16-9-90	555
		मुख्यालय	7-10-90	1697
		मुख्यालय	2-12-90	2844
		मड़ियाउं	6-1-91	988
		शाहगंज	27-1-91	1076
		मुख्यालय	24-2-91	2226
		मुख्यालय	31-3-91	2403

1	2	3	4	5
33.	झाँसी	मुख्यालय	22-7-90	1593
		मुख्यालय	16-12-90	1748
		मऊरानीपुर	9-3-91	565
34.	कानपुर-शहर	मुख्यालय	6-5-90	4666
		मुख्यालय	7-10-90	3865
		मुख्यालय	19-1-91	183
		मुख्यालय	17-3-91	3245
35.	कानपुर-देहात	मुख्यालय	3-2-91	2105
		मुख्यालय	28-3-91	1427
36.	लखीमपुर	मुख्यालय	28-7-90	704
		मुख्यालय	19-8-90	43
		निघासन	1-9-90	311
		मुख्यालय	15-9-90	506
		मोहम्मदी	24-11-90	952
		मुख्यालय	19-1-91	556
		चंदन चौकी	2-2-91 से 9-2-91	विधिक सहायता और प्रशिक्षण शिविर
		मुख्यालय	16-2-91	48
		मुख्यालय	23-3-91	1007
		मोहम्मदी	28-3-91	468
37.	ललितपुर	तालबहेत	3-2-91	674
		पाली	24-2-91	96
		मुख्यालय	30-3-91	311
38.	लखनऊ	मुख्यालय	23-9-90	6785
		मुख्यालय	28-10-90	6313
		मुख्यालय	9-3-91	82
		मुख्यालय	28-3-91	5481
39.	मेरठ	मुख्यालय	13-4-90	712
		मुख्यालय	27-1-91	864
		मुख्यालय	24-3-91	617
40.	मथुरा	मुख्यालय	3-2-91	712
		मुख्यालय	11-3-91	567

1	2	3	4	5
41.	मैनपुरी	मुख्यालय	16-9-90	717
		मुख्यालय	25-11-90	811
42	मिर्जापुर	कछवा	26-8-90	1402
		चुनार	7-10-90	652
		लालगंज	3-2-91	1161
		बिहसड़ा	31-3-91	165
43.	मुरादाबाद	चंदौसी	6-1-91	279
		अमरोहा	24-2-91	401
		मुख्यालय	30-3-91	1674
44.	मुजफ्फर नगर	मुख्यालय	15-12-90	1759
		कैराना	16-12-90	313
		मुख्यालय	30-3-91	1293
45.	नैनीताल	मुख्यालय	18-8-90	322
		भीमताल	22-9-90	313
		मुख्यालय	24-11-90	407
		मुख्यालय	16-2-91	610
		खटीमा	24-3-91	533
46.	पीलीभीत	मुख्यालय	17-3-91	896
47.	पौड़ी गढ़वाल	कोटद्वार	22-7-90	43
		कोटद्वार	17-8-91	80
		कोटद्वार	24-3-91	15
48.	पिथौरागढ़	मुख्यालय	29-7-90	337
		मुख्यालय	8-12-90	3
		मुख्यालय	24-3-91	209
49.	प्रतापगढ़	मुख्यालय	20-6-90	632
		मुख्यालय	19-8-90	1269
		मुख्यालय	25-11-90	1995
		मुख्यालय	5-2-91	1640
		मुख्यालय	17-3-91	1590
50.	रायबरेली	मुख्यालय	23-9-90	1985
		मुख्यालय	25-11-90	1586

1	2	3	4	5
		मुख्यालय	2-12-90	1256
		मुख्यालय	20-1-91	1833
		बछरावा	17-3-91	1244
51.	रामपुर	मुख्यालय	6-5-90	219
		मिलक	17-3-91	1433
52.	सहारनपुर	मुख्यालय	15-9-90	910
		मुख्यालय	15-12-90	676
		मुख्यालय	2-2-91	393
53.	शाहजहांपुर	मुख्यालय	19-1-91	1603
		मुख्यालय	23-3-91	1427
54.	सीतापुर	मुख्यालय	6-10-90	1434
		मुख्यालय	17-2-91	968
55.	सुल्तानपुर	मुख्यालय	14-7-90	1752
		मुख्यालय	16-12-90	1587
56.	टिहरी गढ़वाल	चंबा	8-7-90	251
		मुख्यालय	2-9-90	154
		मुख्यालय	28-10-90	96
		मुख्यालय	2-12-90	109
		मुख्यालय	12-1-91	142
		मुख्यालय	17-2-91	156
		चंबा	17-3-91	84
57.	उन्नाव	मुख्यालय	2-12-90	3934
		मुख्यालय	6-1-91	875
		मुख्यालय	17-3-91	3315
58.	उत्तरकाशी	मुख्यालय	2-12-90	154
		मुख्यालय	9-3-91	75
		पुरोला	24-3-91	233
59.	वाराणसी	ज्ञानपुर	5-8-90	1037
		मुख्यालय	26-8-90	3963
		नौगढ़	16-9-90	422
		मुख्यालय	7-10-90	1916

1	2	3	4	5
		सेवापुरी	18-11-90	1312
		मुख्यालय	17-3-91	2553
60.	सोनभद्र	दुद्धी	16-12-90	1060
		मुख्यालय	28-3-91	1039
61.	सिद्धार्थनगर	मुख्यालय	3-2-91	1082
62.	महराजगंज	मुख्यालय	17-3-91	335
		मुख्यालय	24-3-91	314
	लोक अदालतों की कुल संख्या		200 निर्णीत कुल मामलों की संख्या	222326

मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नामों की पुनरावृत्ति

[अनुवाद]

2463. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री भगवान शंकर रावत :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश मामलों में एक ही मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूचियों में दर्ज है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) निर्वाचक नामावलियों में कुछ व्यक्तियों के नाम एक से अधिक स्थान पर नामांकित होने के कुछ दृष्टांत हैं; किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि बहुत अधिक मामलों में किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में एक से अधिक स्थान पर आया है।

(ख) विधि द्वारा किसी एक नाम का एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर करने और एक ही निर्वाचन क्षेत्र में किसी नाम का, एक से अधिक स्थानों पर रजिस्टर करने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है। निर्वाचन रजिस्टीकरण आफिसर, स्वप्रेरणा से या इस सम्बन्ध में उसको की गई किसी आपत्ति के आधार पर, इस प्रकार की दोहरी प्रविशिष्टयों को हटा सकता है।

बैंकिंग विभाग में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया निवेश

2464. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री भगवान शंकर रावत :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने बैंकिंग विभाग में किए गए निवेश में जून, 1989 से जून, 1990 तक की अवधि के बीच वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त वृद्धि का संघटक-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विभाग में दिए गए संघटकवार निदेश के ब्यौरे और जून, 1989 और जून, 1990 के दौरान उनमें घटबढ़ को नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रुपए)

निवेश की गई राशि

संघटक	30-6-89 की स्थिति	30-6-90 की स्थिति	(+) वृद्धि (—) ह्रास
1. भारत सरकार को दिनांकित रुपया प्रतिभूतियां	8912.83	12404.35	(+) 3491.52
2. भारत सरकार (परिवर्तनीय) (विशेष प्रतिभूतियां)	13800.00	17400.00	(+) 3600.00
3. शेयर, बाण्ड	638.71	714.21	(+) 75.50
4. विदेशी शेयर/बाण्ड	1592.31	1413.77	(—) 178.54
5. अन्य	708.95	418.35	(—) 290.60
	25652.80	32350.68	( ) 6697.88

दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क का निर्यात

2465. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री भगवान शंकर रावत :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन से दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क का निर्यात पुनः प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दक्षिण कोरिया ने भाड़ा लागत में कमी करने हेतु लौह अयस्क के आयात के लिए अयस्क के बड़े वाहनों का उपयोग प्रारम्भ किया है। ये बड़े वाहन परादीप बन्दरगाह पर नहीं आ सकते हैं क्योंकि इस पत्तन पर ड्राफ्ट सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और लदान की गति भी धीमी है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत ऋणकर्ताओं की श्रेणी तय करने के मानदण्ड

2466. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने के लिए निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अन्तर्गत जो ऋण लेते हैं, उनकी श्रेणी निश्चित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऐसे ऋण लेने के पात्र लोगों की प्रत्येक श्रेणी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत ऋण लेने वाले लोगों की कुछ श्रेणियां अपना दायित्व पूरा करने में विफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित मानदण्डों में परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बैंकिंग प्रणाली से सहायता की अपेक्षा रखने वाले उन क्षेत्रों को, जिन्हें उनके महत्व और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनके द्वारा

निभाई गई भूमिका के कारण अन्य क्षेत्रों की तुलना में बरीयता प्राप्त है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

(ख) इस समय, कृषि और लघु उद्योग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दो प्रमुख अंग हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों की पात्रता वाले उधारकर्ताओं की प्रत्येक श्रेणी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) संभवत: माननीय सदस्य का आशय सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अतिदेय राशियों से है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च, 1990 के अंत (अद्यतन उपबन्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के श्रेणीवार बकाया अग्रिम और अतिदेय नीचे दिए गए हैं :—

क्षेत्र	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में अतिदेय
	(करोड़ रुपए)		
बड़े एवं मझौले उद्योग	32549.41	4276.94	13.14
लघु उद्योग (औद्योगिक सम्पदा सहित)	15198.15	3074.83	20.23
कृषि	16603.06	3450.78	20.78
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	8157.03	2516.10	30.85
अन्य सभी	25184.40	2327.72	9.24
जोड़	97692.05	15646.38	16.02

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

1. **कृषि**

एक. कृषि प्रयोजनों के लिए किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता

(i) फसल उगाने के लिए अल्पावधिक ऋण : अर्थात् फसल ऋण। इसके अतिरिक्त 3 महीने से अनधिक अवधि तक के लिए कृषि उत्पाद (भांडागार की रसीदों सहित) को गिरवी/दृष्टिबंधक रखने के बदले किसानों को 5,000 रुपए तक के अग्रिम जहां उत्पाद बढ़ाने के लिए किसानों को फसल ऋण दिए गए।

(ii) मझोले और दीर्घावधिक ऋण :

(उत्पादन का वित्तपोषण और विकास आवश्यकताओं के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किए जाते हैं)

क. कृषि उपकरणों और यंत्रों की खरीद :

(क) कृषि उपकरणों की खरीद :

लोहे का हल, पाटा, होज, भूमि समतल करने का औजार, बांध बनाने वाले हाथ के औजार, छिड़काव करने के लिए, डस्टर, सूखी घास दबाने के लिए, गन्ने का कोल्हू, थ्रेशर मशीन आदि।

(ख) कृषि यंत्र की खरीद :

ट्रैक्टर, ट्रेलर, विद्युत टिलर्स, टैक्टर के पार्ट अर्थात् डिस्क हल आदि।

(ग) कृषि निवेशयों और कृषि उत्पादों को लाने ले जाने में सहायता देने के लिए ट्रकों, बैलगाड़ी और अन्य परिवहन उपस्करों की खरीद।

(घ) हल जोतने के पशुओं की खरीद।

ख. निम्नलिखित के माध्यम से सिंचाई साधनों का विकास :

(क) उथले और गहरे ट्यूबवैलों, टैंकों आदि का निर्माण और खुदाई करने वाली यूनिटों की खरीद।

(ख) सतही कुओं का निर्माण, उन्हें गहरा करना, सफाई करना, कुओं की खुदाई करना, कुओं का विद्युतीकरण करना, तेल के इंजनों की खरीद और विद्युत मोटरों और पंपों को लगाना।

(ग) टरबाइन पंपों को खरीदना और उन्हें लगाना, खेती के लिए नहरों का निर्माण (खुली एवं भूमि के नीचे) आदि।

(घ) लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण।

(ङ) छिड़काव सिंचाई प्रणाली की स्थापना।

ग. भूमि सुधार और भूमि विकास योजनायें :

कृषि भूमि को बांधना, भूमि को समतल करना, धान के सूखे स्थानों को सिंचाई योग्य धान की भूमि में बदलना, कृषि नालों को ठीक करना, जमीन की मिट्टी में सुधार करना और खारेपन को दूर करना, खड्डों वाली जमीन में सुधार करना, बुलडोजरों की खरीद आदि।

घ. कृषि भवनों और ढांचों आदि का निर्माण :

बैलगाड़ी शेड, उपस्कर शेड, ट्रैक्टर और ट्रक शेड, फार्म स्टोर आदि।

ङ. भंडारण सुविधाओं का निर्माण और उन्हें चलाना :

भंडागार, गोदाम, साइलो और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण और उन्हें चलाना।

च. फसलों के संकर बीजों का उत्पादन और संसाधन।

ख. सिंचाई आदि के प्रभारों का भुगतान :

कुओं और नहरों से किराये पर लिए गए पानी का प्रभार, नहर के पानी का प्रभार, तेलों इंजनों और विद्युत मोटरों का रख-रखाव और मरम्मत, मजदूर प्रभारों का भुगतान, विद्युत प्रभार, विपणन प्रभार, कस्टम सेवा एककों के सेवा प्रभार, विकास कर का भुगतान आदि।

ज. किसानों को दूसरी प्रकार की वित्तीय सहायता :

(i) अल्पावधिक ऋण :

(क) गैर-परम्परागत वृक्षारोपण और बागवानी।

(ख) डेरी, मत्स्य पालन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन आदि जैसी सम्बन्धित गतिविधियों के लिए।

(ii) मझोले और दीर्घावधिक ऋण :

(क) वृक्षारोपण, बागवानी, वानिकी आदि सभी के लिए विकास ऋण।

(ख) संबद्ध गतिविधियों के लिए विकास ऋण :

(1) इसके सभी पहलुओं में डेरी और पशुपालन का विकास।

(2) सभी पहलुओं से मछली पालन का विकास : मछली पकड़ने से लेकर निर्यात करने तक, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उपकरणों का वित्त पोषण करना, टैंकों का पुनरुद्धार (मछली पकड़ने के लिए नया पानी), मछली पालन आदि।

(3) कुक्कुर गृहों, सुअर गृहों के निर्माण, मधुमक्खी पालन आदि सहित इसके सभी पहलुओं में कुक्कुट और सुअर आदि का विकास।

(4) घोड़े और कोशकीट पालन आदि का विकास और रख-रखाव। अलबत्ता दौड़ के घोड़ों के प्रजनन का यह वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है।

(5) बायो गैस संयंत्र।

II. कृषि को अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता :

(1) उर्वरक, कीटनाशक, बीज आदि के वितरण का वित्तपोषण करने के लिए ऋण।

(2) अलग-अलग किसानों को उनके कुएं चालू करने के लिए अस्थायी बिन्दु से निम्न टेंशन के कनेक्शन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा पहले से ही खर्च किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए विद्युत बोर्डों को ऋण।

(3) पी० ए० सी०, एफ० एस० सी० और एल० ए० एम० पी० एस० के माध्यम से किसानों को ऋण।

(4) नीचे दिए गए अनुसार दूसरी किस्म की वित्तीय सहायता।

(i) कृषि यंत्रों और उपकरणों के वितरण के लिए किराया खरीद योजनाओं हेतु वित्त।

(ii) उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में भंडारण (भांडागार, विपणन यार्ड, गोदाम, सिलो और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण और उन्हें चलाने के लिए ऋण। [*यदि कोल्ड स्टोरेज के ऋण निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम (डी आई सी जी सी) के अन्तर्गत आते हैं तो उन्हें लघु औद्योगिक अग्रिमों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।]

(iii) कस्टम सेवा एककों के अग्रिम जिनका प्रबन्ध वे व्यक्ति, संस्था या संगठन करते हैं जो ट्रैक्टरों, बुलडोजरों, कूओं को खोदने वाले उपकरण, थ्रैशर, कम्बाइन्स आदि के बेड़े का रखरखाव करते हैं और जो ठेके के आधार पर किसानों से काम लेते हैं। यदि ये अग्रिम जी आई सी जी सी की गारंटी के अन्तर्गत आते है तो इन्हें लघु औद्योगिक अग्रिमों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

(iv) उन व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों को ऋण जो छिड़काव का कार्य करते हैं।

(v) सदस्यों के उत्पादन का निपटान करने के लिए सहकारी विपणन समितियों को (बशर्ते कि ऐसे ऋणों के लिए राज्य सहकारी बैंक से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है) पुनः ऋण देने के लिए सहकारी विपणन समितियों, सहकारी बैंकों को ऋण।

(vi) उत्पादकों के सहकारी बैंकों को ऋण उदाहरणार्थ और दुग्ध कालोनी सहकारी बैंक जिसमें लाइसैंस प्राप्त पशुओं के मालिक शामिल हैं।

(vii) सहकारी प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किसानों का वित्तपोषण करना (बांडों और डिबेंचरों के निर्गमों में अन्यथा अभिदान द्वारा) बशर्ते कि ऐसे ऋणों के लिए राज्य सहकारी बैंक से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है।

(viii) कमजोर वर्गों को आगे और ऋण देने के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित सहकारी समितियों को अग्रिम।

2. लघु उद्योग

लघु औद्योगिक एकक वे हैं जो सामान के उत्पादन, संसाधन या अनुरक्षण में लग हैं और जिनका संयत्र और मशीनरी निवेश (मूल लागत) 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है। इनमें अन्यों के साथ-साथ वे एकक भी शामिल हैं जो खनन या उत्खनन में लगी हैं, जो मशीनरी की सफाई और मरम्मत करने में लगी हैं। सहायक एककों के मामले में संयंत्र और मशीनरी में निवेश (मूल लागत) 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए उसे लघु उद्योग में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

उन सेवा उन्मुख उद्यमों को, जिनका संयंत्र और मशीनरी में प्रत्येक मामले में निवेश 2 लाख रुपए से अधिक न हो और जो 5 लाख या कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में स्थित हैं, उन्हें भी लघु औद्योगिक एककों के रूप में माना जाता है। ऐसे लघु एकक लौंडरी, फोटोस्टेट मशीन, उपभोक्ता वस्तुओं की मरम्मत और रखरखाव में विशिष्ट रूप से शहरी, अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में, निजी या घरेलू सेवाएं इसके अन्तर्गत आयेंगी।

लघु औद्योगिक क्षेत्र में अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने के लिए निम्नलिखित को ऋण देना शामिल है :—

(i) कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों के उत्पादों के निवेश और विपणन की आपूर्ति में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को सहायता देने में लगी एजेंसियां, और

(ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्गों को निधियां प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित निगम/संगठन।

औद्योगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रियल एस्टेट)

औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए ऋण।

3. छोटे सड़क और जल परिवहन चालक

6 से अनधिक वाहनों के बेड़े के मालिक, जिसमें वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित एक वाहन शामिल है, छोटे सड़क और जल परिवहन चालकों को अग्रिम।

4. खुदरा व्यापार

इन्हें अग्रिम मंजूर किया जाता है : (1) आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करने वाले निजी खुदरा व्यापारी (उचित मूल्य की दुकानें) और उपभोक्ता सहकारी स्टोर और (II) 25,000 रुपए से अनधिक ऋण सीमा वाले दूसरे निजी खुदरा व्यापारी। (उर्वरक खुदरा व्यापारी कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त के हिस्से होंगे और खनिज तेल के खुदरा व्यापारी लघु व्यवसाय के अन्तर्गत आयेंगे)।

5. लघु व्यवसाय

लघु व्यवसाय में वे व्यक्ति और फर्में आएंगी जो व्यावसायिक सेवाओं से भिन्न दूसरी सेवा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मुख्यत: स्थापित उन व्यवसाय उद्यम का प्रबंध करते हैं जिनकी व्यवसाय के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए उपकरण की मूल लागत मूल्य 1 लाख रुपए या कम की कार्यशील पूंजी सीमाओं के साथ-साथ 2 लाख रुपए से अधिक न हो और जो डी० आई० सी० जी० सी० कवच के अन्तर्गत आने के पात्र हों। हाउस बोटों और अन्य यात्री आवास के अभिग्रहण, निर्माण, नवनिर्माण के लिए अग्रिम इसमें शामिल किए जाएंगे। खनिज तेल, जिसे पहले "खुदरा व्यापार" में वर्गीकृत किया गया था, के विवरण को अब "लघु व्यवसाय" में शामिल किया जाएगा।

6. व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति

व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋणों में उपकरणों की

खरीद, वर्तमान उपकरणों की मरम्मत या उनका नवीकरण करने और/या व्यवसाय परिसर का अभिग्रहण करने या उसकी मरम्मत करने या औजारों की खरीद और/या दंत चिकित्सक, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एकाउंटेंट, वकील या सालिसिटर, इन्जीनियर, वास्तुविद, सर्वेयर, निर्माण ठेकेदार या प्रबंध संपर्ककर्ता या वह कोई व्यक्ति जो किसी अन्य कला या शिल्प में प्रशिक्षित हैं और जिसके पास किसी सरकार द्वारा स्थापित सहायता प्राप्त या मान्यताप्राप्त किसी संस्था से या तो डिग्री हो या डिप्लोमा हो या वह कोई व्यक्ति जिसे बैंक उस क्षेत्र में तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त या कुशल मानता है जिस क्षेत्र में वह स्वनियोजित है, सहित चिकित्सा कार्य के लिए आवश्यक ऋण शामिल है। वित्तपोषण करने के लिए बैंकों द्वारा उन डाक्टरों आदि को वरीयता दी जा सकती है जो ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपना काम कर रहे हैं। इसमें ऐसे व्यवसाय की फर्में और संयुक्त उद्यम और स्वनियोजित व्यक्ति भी शामिल हैं, इस प्रयोजन के लिए शुरू की गई विशेष योजनाओं के अन्तर्गत यदि कोई हो, बैंकों द्वारा मंजूर किए गए सभी अग्रिम इस श्रेणी में शामिल होंगे। केवल ऐसे व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति जिनकी ऋण (सीमाएं) 2 लाख रुपए से अनधिक हैं और जिसमें से 1 लाख रुपए से अनधिक कार्यशील अपेक्षाओं के लिए होना चाहिए और जो डी॰ आई॰ सी॰ जी॰ सी॰ कवच के अन्तर्गत आने के पात्र हैं, उन्हें इसके अन्तर्गत आना चाहिए।

7. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के राज्य द्वारा प्रायोजित संगठन

इन संगठनों के हिताधिकारियों के उत्पादों के विपणन और/या खरीद के विशिष्ट प्रयोजन और निवेशों की आपूर्ति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के राज्य द्वारा प्रायोजित संगठनों को मंजूर किए गए अग्रिम।

8. शिक्षा

शिक्षा ऋणों में केवल उन्हीं ऋणों और अग्रिमों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें शिक्षा के प्रयोजन के लिए मंजूर किया गया है और इसमें संस्थाओं को मंजूर किए गए ऋणों और अग्रिमों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए तथा इन्हें इस प्रयोजन के लिए शुरू की गई विशेष योजनाओं के अन्तर्गत, यदि कोई हो, बैंकों द्वारा मंजूर सभी अग्रिम शामिल होंगे।

9. आवास

(क) प्रत्यक्ष वित्त

चाहे डी॰ आई॰ सी॰ जी॰ सी॰ कवच हो या न हो, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों को मंजूर किए गए आवास निर्माण के लिए 5,000 रुपए तक के ऋण।

(ख) अप्रत्यक्ष वित्त

(I) विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और निम्न आय वर्गों के हित के लिए आवास निर्माण के प्रयोजन के लिए किसी सरकारी एजेंसी को दी गई सहायता और जिसमें ऋण कंपोनेंट प्रति यूनिट 5,000 रुपए से अधिक न हो।

(II) ऊपर बताई गई अन्य शर्तों पर गंदी बस्तियों की सफाई और गंदी बस्ती में रहने वालों के पुनर्वास के लिए किसी सरकारी एजेंसी को सहायता।

10. उपभोग

उपभोग ऋण योजना के अन्तर्गत मंजूर किए गए शुद्ध उपभोग ऋणों को इस मद में शामिल किया जाना चाहिए।

दिल्ली परिवहन निगम की क्षतिग्रस्त बसें

2467. **श्रीमती बिल कुमारी भंडारी : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली परिवहन निगम की क्षतिग्रस्त बसों की डिपोवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का इन क्षतिग्रस्त बसों की जनहित में मरम्मत कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन बसों की मरम्मत पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 31-7-1991 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली परिवहन निगम की क्षतिग्रस्त बसों की कुल सं० 23 है। डिपोवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	डिपो का नाम	31-7-1991 की स्थिति के अनुसार क्षतिग्रस्त बसों की संख्या
1.	आई पी डिपो	6
2.	बन्दा बहादुर मार्ग डिपो-I	4
3.	ओखला डिपो-I	2
4.	वजीरपुर डिपो-III	1
5.	यमुना विहार डिपो	1
6.	पटपड़गंज डिपो	1
7.	केशवपुर डिपो	1
8.	शादीपुर डिपो	1
9.	हरिनगर डिपो	1
10.	कालकाजी डिपो	1
11.	वसन्त विहार डिपो	1
12.	अम्बेडकर नगर डिपो	1
13.	ओखला डिपो-II	1
14.	सरोजनी नगर डिपो	1
	योग :	23

(ख) जी, हां। वसन्त विहार डिपो में पड़े वाहन को छोड़कर इस वाहन को नष्ट (स्क्रैप) किया जाना है।

(ग) भारी क्षतिग्रस्त 16 वाहनों को मरम्मत के लिए दि० प० नि० की सैन्ट्रल वर्कशाप में भेजा है। शेष वाहनों की डिपो में ही मरम्मत की जा रही है।

(घ) इन बसों की मरम्मत में होने वाला अनुमानित खर्च लगभग 4.23 लाख रु० है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विश्व बैंक से ऋण

2468. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को कुछ ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) यह ऋण किन क्षेत्रों में व्यय किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि इलैक्ट्रानिकी उद्योग को पात्र परियोजनाओं को उधार देने के लिए जुलाई, 1989 में हस्ताक्षर किये ऋण समझौते के अन्तर्गत उसे विश्व बैंक से 1010 लाख अमेरिकी डालर का ऋण प्राप्त हुआ है।

(ख) विस्तृत जानकारी और शर्तें निम्नलिखित हैं :—

1. किसी एक उधारकर्ता को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिए गए सभी उप ऋणों की कुल राशि 3 करोड़ अमेरिकी डालर के बराबर की राशि से अधिक नहीं होगी।

2. जहां भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को विश्व बैंक के पात्र उधार पर 1/2 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा, जिसे छमाही तौर पर अदा किया जाना है, वहीं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विश्व बैंक से प्राप्त पात्र उधार को रकमों की लागत पर जिन मामलों में उप-उधारकर्ता विदेशी मुद्रा जोखिम उठाएंगे, 2 प्रतिशत की ब्याज दर से आगे उधार देगा और जिन मामलों में विदेशी मुद्रा उठाए जाएंगे, उन मामलों में ईरास दरों पर प्रशासन द्वारा जोखिम ब्याज प्राप्त करेगा।

3. इस ऋण की समय-समय पर निकाली न गई मूलधन की राशि पर 3/4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वचनबद्धता प्रभार देना पड़ता है। तदनुरूप, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उप-उधारकर्ता भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वचनबद्धता प्रभार अदा करते हैं।

4. ऋण की गारंटी भारत सरकार ने दी है ।

5. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विश्व बैंक को इस ऋण की वापसी अदायगी 20 वर्षों में की जानी है, जबकि उप-उधारकर्ताओं को इसकी वापसी अदायगी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को 15 वर्षों में करनी है ।

(ग) ये परियोजनाएं इलैक्ट्रोनिक एककों की स्थापना, बिस्तार और/या संतुलन आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन प्रस्तावों और उनसे सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित होंगी, जिनमें कम्प्यूटर साफ्टवेयर विकास, सिस्टम्स समन्वयन जानकारी (नो-हाऊ) परामर्शदात्री और प्रयोजन इंजीनियरिंग सेवाएं शामिल हैं ।

बड़ी संख्या में पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों को निलंबित करना

2469. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब रोडवेज के कुछ डिपुओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को निलंबित किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान निलंबित किए गए कर्मचारियों की डिपोवार संख्या कितनी है;

(ग) इतनी अधिक संख्या में निलंबन के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस मामले की जांच हेतु तथा दोषी अधिकारियों को सजा देने हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) :(क) और (ख) सरकार को मालूम है कि जुलाई, 1990 से जून, 1991 तक की अवधि के दौरान पंजाब रोडवेज के डिपुओं में कुल 1093 कर्मचारियों को निलंबित किया गया था । डिपो-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) निलम्बित किए गए कर्मचारियों में उन कंडक्टर/ड्राइवरों का पर्याप्त अनुपात है जिन्हें धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं के मामलों में शामिल पाया गया है । उन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है जिन्हें धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं के विभिन्न मामलों में शामिल पाया जाता है ।

विवरण

क्र० सं० डिपो का नाम	7/90	8/90	9/90	10/90	11/90	12/90	1/91	2/91	3/91	4/91	5/91	6/91	जोड़
1. चण्डीगढ़	6	14	11	6	4	5	7	6	6	5	1	10	81
2. रोपड़	1	—	—	5	—	1	10	2	—	6	6	4	35
3. लुधियाना	9	15	7	16	10	3	8	2	7	5	9	7	98
4. मोगा	3	4	—	6	3	2	7	7	6	4	5	14	61
5. जगराव	—	3	1	1	2	3	—	2	—	2	2	—	16
6. नंगल	9	6	4	4	11	3	7	7	5	2	12	4	74
7. जालधर-1	7	3	3	5	4	3	4	6	3	5	—	4	47
8. जालधर-2	3	6	1	2	3	5	—	3	—	5	3	3	37
9 नवाशहर	5	—	4	1	2	3	4	—	4	—	13	8	44
10. बटाला	4	5	—	2	2	—	7	3	6	—	11	2	42
11. पठानकोट	8	3	4	1	1	1	2	1	3	2	4	3	33
12. होशियारपुर	4	1	1	3	3	5	4	4	3	4	5	2	39
13. अमृतसर-1	12	5	3	20	7	9	7	11	6	7	11	10	108
14. अमृतसर-2	8	6	6	2	5	7	3	5	8	4	7	7	68
15. तरणतारण	3	8	1	3	4	3	—	1	1	6	5	6	41
16. पट्टी	3	8	—	2	4	1	1	3	1	1	6	7	37
17. फिरोजपुर	10	9	3	4	5	8	12	25	19	7	20	20	142
18. मुक्तसर	4	3	8	1	3	12	9	8	9	10	12	14	93
	99	99	57	84	73	74	92	96	87	75	132	125	1093

राष्ट्रीय बैंकों द्वारा व्यापारियों/उद्योगपतियों को ऋण दिया जाना

[हिन्दी]

2670. **श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत तीन वर्षों के दौरान नियमों का उल्लंघन करके व्यापारियों/उद्योगपतियों को अल्पावधि के ऋण दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) ऋण संस्थाएं होने के कारण राष्ट्रीयकृत बैंक सामान्य बैंकिंग कारोबार के अन्तर्गत व्यवसायियों/उद्योगपतियों को उनकी आवश्यकता पर आधारित लक्ष्य की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के बाद अल्पावधिक अग्रिम मंजूर करते हैं। अलबत्ता, ऐसी संभावना रहती है कि कुछ खाते/एकक बैंकों के नियंत्रण के बाहर के कारणों की वजह से अवरुद्ध/रुग्ण हो जाएं। ऐसे अग्रिमों की वारदातें कम करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का नियमित रूप से निरीक्षण करता है। प्रत्येक निरीक्षण के बाद भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुख निष्कर्षों के बारे में बैंकों के मुख्य पालकों के साथ विचार-विमर्श करता है। आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने तथा समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर अवरुद्ध/रुग्ण अग्रिमों में कमी करने हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी छः माही प्रगति रिपोर्ट, जिसमें उनके अवरुद्ध/रुग्ण अग्रिमों की वसूली करने/नियमित करने में हुई प्रगति दर्शाई गई हो, भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें।

दिल्ली के न्यायालय

[अनुवाद]

2471. **श्री राजनाथ सोमकर शास्त्री** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 फरवरी, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "पब्लिक टारगैट-कोर्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो लम्बित मामलों को तेजी से निपटाने तथा कानूनी प्रक्रिया को सस्ता बनाने और तेजी से निपटाने और समाचार में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, उनके द्वारा, न्यायालय के कारबार सचालन, अवसंरचनात्मक पहलू, सुरक्षा पहलू, आदि के सम्बन्ध में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर आवश्यक

कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है और कुछ विशेष मूल्य के स्टाम्पों की अनुपलब्धता, दलालों की उपस्थिति और भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है और जब भी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं तब उन पर उनके द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। जहां तक बकाया मामलों की समस्या को हल करने का सम्बन्ध है सरकार और उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। सामान्य वित्तीय साधनों के दबाव के अधीन रहते हुए, न्यायिक अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों की संख्या में समय-समय पर वृद्धि की जा रही है जिससे कि बढ़ते हुए कार्यभार को संभाला जा सके। प्रक्रियात्मक और अधिकारिता सम्बन्धी सुधार भी समय-समय पर किए जा रहे हैं। अधिवक्ताओं से सम्बन्धित मुद्दे जैसे कि हड़ताल, फीस, आदि ऐसे साधारण और व्यापक मुद्दे है जिनके बारे में सरकार को जानकारी है। विधि आयोग द्वारा की गई सुसंगत सिफारिशें भारतीय विधिज्ञ परिषद् की जानकारी में ला दी गयी हैं।

अग्रिम कर वसूली

2472. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्रोत पर कर कटौती के माध्यम से आयकर वसूली में कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है जबकि अग्रिम कर वसूली में कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अग्रिम कर वसूली में वृद्धि करने हेतु मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त बनाने तथा अपवंचकों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1985-86 से आज तक वर्ष-वार हुई अग्रिम कर वसूली का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) महोदय, हालांकि यह सच है कि स्रोत पर कर की कटौती से पिछले कुछेक वर्षों में आयकर वसूलियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि अग्रिम-कर की वसूलियों में गिरावट आई है, जैसाकि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है : —

वर्ष	वसूल किए गए अग्रिम कर की राशि (करोड़ रुपयों में)
1985-86	3133.90
1986-87	3601.61
1987-88	3912.07
1988-89	5432.50
1989-90	4984.54

1990-91 से संबंधित आंकड़ों को अभी संकलित किया जाना है।

वर्ष 1989-90 के दौरान अग्रिम कर की वसूलियां वर्ष 1988-89 में की गई इस प्रकार की वसूलियों की अपेक्षाकृत कम रहीं क्योंकि वर्ष 1988-89 एक अपवादात्मक वर्ष था। वर्ष 1988-89 के दौरान "पूर्ववर्ती वर्ष" पद की परिभाषा के संबंध में एक संशोधन कर दिए जाने के परिणामस्वरूप अनेक कर-निर्धारितियों ने 12 महीनों से भी अधिक अवधि के लिए अग्रिम-कर

अदा कर दिया था, जबकि वर्ष 1989-90 में मात्र बारह महीने की सामान्य अवधि के लिए ही अग्रिम-कर अदा किया गया था।

तलाशी के दौरान पकड़े गए कागजातों के आधार पर आयकर निर्धारण में विलम्ब

2473. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तलाशी के दौरान पकड़े गए कागजातों के आधार पर आयकर निर्धारण में कथित रूप से विलम्ब किया जाता है और यह जल्दबाजी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया जाता है तथा इसमें ठोस सबूतों की अनदेखी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आयकर अधिकारियों द्वारा ऐसे कितने मामलों में आयकर निर्धारित किया गया है जिनकी अचानक जांच यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित थी कि कहीं इन निर्धारणों में कोई अनियमितता तो नहीं बरती गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) तलाशी विषयक मामलों के कर-निर्धारणों में भारी-भरकम दस्तावेजों तथा लेखा-पुस्तकों की जांच-पड़ताल अन्तर्ग्रस्त होती है। इसलिए, ऐसे कर-निर्धारणों को मुकम्मल करने में जो औसत समय लगता है, वह अन्य कर-निर्धारणों की तुलना में अपरिहार्यतः अधिक होता है। तथापि, सभी कर-निर्धारणों को, जिनमें तलाशी विषयक कर-निर्धारण भी शामिल हैं, आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्धारित समय-सीमा के भीतर मुकम्मल करना होता है।

तलाशी विषयक मामलों के संबंध में कर-निर्धारणों को वरिष्ठ अधिकारियों की कड़ी निगरानी में मुकम्मल किया जाता है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है तथा सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार-विमर्श किया गया है।

(ग) तलाशी विषयक कर-निर्धारणों से अनन्यतया संबंधित निरीक्षण अथवा आकस्मिक जांच के बारे में विभाग में कोई पृथक लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है।

रूई का आयात

2474. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न देशों से गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और देश-वार कितनी मात्रा में रूई का आयात किया है और किस दर से आयात किया है; और

(ख) विभिन्न राज्यों को वर्ष-वार वितरित की गई रूई का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के कपास मौसम के दौरान सरकार द्वारा कपास का कोई आयात नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में विद्युत करघे

2475 श्री आर० जीवनरत्नम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कितने विद्युत करघे हैं;

(ख) क्या सरकार को तमिलनाडु में इन विद्युत करघों को सप्लाई की जाने वाली बिजली की दरों में कमी करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 31-5-1991 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में 2,06,892 विद्युत करघे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

धागे का मूल्य

2476. श्री आर० जीवरत्नम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में धागे के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने धागे का मूल्य कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या अलग-अलग राज्यों में धागे का मूल्य भिन्न-भिन्न है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों द्वारा बेचे जाने वाले धागे के मूल्यों में समानता लाने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) हैंक यार्न की मांग और पूर्ति की स्थिति की मानीटरी करने के लिए वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक हैंक यार्न कीमत मानीटरी समिति का गठन किया है। सिन्थेटिक/मानव निर्मित फिलामेन्ट यार्न के मामले में वस्त्र मंत्रालय द्वारा विगत में कताई-कर्ताओं और बुनकरों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गई थीं ताकि एक बड़ी सीमा तक वी० एस० वाई०, पी० एफ० वाई० तथा पी० ओ० वाई० की कीमतों की वृद्धि को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त द्वारा एन० एफ० वाई० की विभिन्न किस्मों की वैधानिक कीमतों के निर्धारण के साथ-साथ कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कताई-कर्ताओं और बुनकरों के बीच भी एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ग) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण उपभोक्ता केन्द्रों में सूती यार्न (कोन और हैंक यार्न) की कीमतों में अन्तर होता है। यह अन्तर स्थानीय करों, यार्न की क्वालिटी, स्थान संबंधी लाभों तथा वेतन ढांचे आदि पर निर्भर करता है।

(घ) विभिन्न राज्यों द्वारा बेचे जाने वाले यार्न की कीमतों में एकरूपता लाना कठिन है क्योंकि स्थानीय करों, प्रभारों की मात्रा में अन्तर होने तथा मांग और पूर्ति की स्थिति के कारण इनमें अन्तर रहता है।

निर्यात की जाने वाली खुली वस्तुओं की जलपोतों पर लदान पूर्व जांच

2477. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात की जाने वाली खुली वस्तुओं को अनिवार्य जलपोतों पर लदान-पूर्व जांच के दायरे मे लाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है तब अनिवार्य लदान पूर्व निरीक्षण परिधि में नई मदों को लाया जाता है।

बलियापाल में "नेशनल टैस्ट रेंज"

2478. **श्री माग्ये गोवर्धन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बलियापाल क्षेत्र में निर्माणाधीन "नेशनल टैस्ट रेंज" (राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केन्द्र) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यह परीक्षण केन्द्र कब तक चालू हो जाने की आशा है; और

(ग) निर्धारित समय से अधिक समय लगने के कारण इस परियोजना की लागत पर कितना असर पड़ेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय रेंज परियोजना पर काम शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के लिए अपेक्षित सुविधाओं की रूपरेखा तथा उसका प्रारम्भिक डिजायन तैयार कर लिया गया है। इस परियोजना के कारण जिन परिवारों पर असर पड़ेगा उनके पुनर्वास/पुनर्व्यवस्थापन के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। इन योजनाओं पर काम शुरू हो गया है।

(ख) भूमि के अधिग्रहीत कर लेने के बाद इस रेंज के बन कर तैयार होने में करीब 7 वर्ष लगेंगे।

(ग) आज की तारीख के अनुसार, परियोजना बन कर तैयार होने तक इसकी लागत में लगभग 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

2479. **श्री माग्ये गोवर्धन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की अधिकतम क्षमता की तुलना में प्रतिदिन यातायात का वर्तमान घनत्व कितना है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और विस्तार के लिए क्या योजनाएं हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता प्रतिदिन यात्री कार यूनिटों (पी० सी० यू०) में आंकी जाती है। विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की मौजूदा क्षमता लेन की चौड़ाई, क्षेत्र की किस्म, यातायात के संयोजनानुसार बदलती रहती है।

(ख) विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले यातायात की मात्रा खंडवार बदलती रहती है। 1990 की यातायात गणना के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों की 33,689 कि० मी० की कुल लंबाई के लगभग 1/3 भाग पर वास्तविक यातायात, अधिकतम क्षमता से अधिक है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास जैसे कि ज्यामितीय (जिअपेटरिकल) सुधार, चौड़ा करना, पैदल पथों को सुदृढ़ करना एक सतत् प्रक्रिया है और पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिए जाने के पश्चात् ये सुधार कार्य यातायात सघनता, राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान स्थिति, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किए जाते हैं।

कर्नाटक में सिगातलुर के पास तुंगभद्रा नदी पर पुल का निर्माण

2480. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सिगातललुर के निकट तुंगभद्रा नदी पर पुल का निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके लिए उस समय धनराशि स्वीकृत करने का विचार है जब केन्द्रीय सड़क कोष के पास और अधिक धन उपलब्ध होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीधे नकद लेनदेन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश

2481. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि पचास हजार से अधिक रुपए की धनराशि के बैंक ड्राफ्टों का सीधे नकद लेन-देन न किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों की संख्या/नाम क्या हैं जिन्होंने पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों को कार्यान्वित कर दिया है और उनकी संख्या/नाम क्या हैं, जिन्होंने कार्यान्वित नहीं किया है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक का उन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है, जिन्होंने इसके निदेशों का पालन नहीं किया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि 50,000 रु० और उससे अधिक के मांग ड्राफ्टों, डाक अन्तरणों, टेलीग्राफ अन्तरणों और ट्रेवलर चेकों को ग्राहक के खाते में नामे डालकर जारी किया जाए न कि नकद भुगतान पर। इसी प्रकार 50,000 रु० और अधिक की राशि के ऐसे भुगतान नकदी द्वारा नहीं बल्कि बैंकिंग प्रक्रिया से किए जाएंगे।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस आदेश को कार्यान्वित न किए जाने का कोई मामला अभी तक उसके ध्यान में नहीं लाया गया है।

सिले-सिलाए कपड़ों के निर्यात के लिए आई० ई० पी० में वृद्धि

2482. **श्रीमती वासव राजेश्वरी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने गारमेन्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात के लिए आर० ई० पी० में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार को परिधान निर्यात व्यापार वर्गों से उच्चतर आर० ई० पी० के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इन सुझावों को नोट कर लिया है।

सोने के सिक्कों और बुलियन के भंडार में वृद्धि

2483. **श्री भगवान शंकर रावत** :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान सोने के सिक्कों और बुलियन के भण्डार में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित सोने के सिक्कों और बुलियन के भंडार में 1989-90 के दौरान 7.574 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई, जबकि 1988-89 के दौरान कोई वृद्धि नहीं हुई थी। सरकारी लेखे में सोने के सिक्कों और बुलियन के भंडार में 1988-89 के दौरान 4.10 मीट्रिक टन और 1989-90 के दौरान 1.392 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। देश में निजी पार्टियों/संस्थाओं द्वारा धारित सोने के सिक्कों और बुलियन के भंडार की कुल मात्रा अथवा वृद्धि सम्बन्धी कोई अनुमान नहीं है।

बरेली में बैंक आफ बड़ौदा का जोनल कार्यालय खोलना

[हिन्दी]

2484. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में बरेली में बैंक आफ बड़ौदा का एक जोनल कार्यालय के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह जोनल कार्यालय कब तक खोला जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

विदेशी मुद्रा की कमी

2485 **श्री मदन लाल खुराना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "पी० एस० यूज फीयर स्टापेज आफ फारेन स्पलाईज ड्यू टू फोरेक्स क्रंच" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की कमी के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को क्या कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में, भुगतान संतुलन के गंभीर संकट के कारण, अनेक उपायों द्वारा विदेशी मुद्रा को संरक्षित रखना अनिवार्य हो गया है जिससे उन उपक्रमों को कतिपय कठिनाइयां हुई थीं, जो अपने कार्य-संचालन के लिये विदेशी मुद्रा पर निर्भर हैं। आयात में कमी करने के उपायों द्वारा कुल आयात पर प्रतिबंध लगाने, आपूर्तिकर्ताओं के ऋण या वाणिज्यिक उधारों का आश्रय लेने और संस्थागत ऋण प्रणालियों को अपनाने से ऐसे उपक्रमों के कार्य-संचालनों की लागत तथा स्तर के सम्बन्ध में कठिनाइयां बढ़ गई हैं।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और विदेशी मुद्रा का उपयोग करने वाले अन्य उपक्रमों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां कई उपायों द्वारा दूर की जानी चाहिए, मुख्यत: अल्पावधि में विदेशी मुद्रा भंडारों के स्तर में सुधार करके और मध्यावधि में भुगतान संतुलन के चालू खाता घाटे में कमी करके।

दिल्ली परिवहन निगम तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिटों के अन्तर्गत चल रही निजी बसें

[अनुवाद]

2486. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिटों के अन्तर्गत चलने वाली कितनी निजी बसों की गाड़ियों में सीटें उखड़ी पाई गई हैं और दोषी वाहनों के मालिकों के विरुद्ध तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से न हों क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) ऐसी कितनी बसें है जिनकी सीटें समय गुजरने के साथ कड़ी हो गई हैं और उनके स्थान पर गद्दे वाली सुविधाजनक सीटें नहीं लगाई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कड़ी सीटों के स्थान पर गद्देदार सीटें लगाई जायें क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) शीशे और पकड़ने के डण्डे कितनी बसों में गायब हैं और दैनिक यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए इन्हें फिर से लगाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या बसों की सामान्य स्वच्छता व रख-रखाव बहुत असन्तोषजनक है; और

(ङ) यदि हां, तो बसों की आम स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) किए गये सर्वेक्षण के अनुसार 1-8-1991 की स्थिति के अनुसार दि० प० नि० के अन्तर्गत चल रही निजी प्रचालकों की 629 बसों में से 107 बसों में सीटें हटी हुई मिलीं, 45 बसों में सीटें सख्त थीं और 303 बसों में शीशें और हैंडल बार नहीं थे।

दि० प० नि० ने इन कमियों को दूर करने के लिए ऐसी निजी बसों के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके चलते फिरते (मोबाइल) प्रवर्तन दल ने 1-1-91 से 30-6-91 तक की अवधि के दौरान 331 निजी बसों के उपयुक्तता प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निगमित कर की चोरी

2487. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस' में "कारपोरेट जायंट्स डू नाट पे कारपोरेट टैक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निगमित कर का भुगतान न करने वाली कम्पनियों के नाम पते आदि क्या हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक कम्पनी ने कितनी-कितनी राशि के निगमित-कर की किस-किस तिथि से चोरी की है; और

(घ) इन कंपनियों से उनकी ओर बकाया राशि को वसूल करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। लेकिन इस समाचार में मुख्य आयकर आयुक्त, मद्रास द्वारा दिए गए वक्तव्यों का सही-सही बयान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुल निगम-कर राजस्व में निजी क्षेत्र की कम्पनियों का अंशदान काफी अधिक है तथा निजी क्षेत्र की अनेक बड़ी-बड़ी कम्पनियां पर्याप्त मात्रा में कर अदा करती हैं।

(ख) से (घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत पेराक्सिलीन, पी० टी० ए० तथा डी० एम० टी० का आयात

2488. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े व्यापारिक घरानों के एकाधिकार पर रोक लगाने के लिए पेराक्सिलीन, पी० टी० ए० तथा डी० एम० टी० के आयात को ओपन जनरल लाइसेंस, (ओ० जी० एस०) के अन्तर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी और कितनी मदें हैं जिन पर बड़े व्यापारिक घरानों का एकाधिकार है और ऐसी सभी मदों को ओ० जी० एल० के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) पैराक्सीलीन पहले से ही खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है। पी० टी० ए० और डी० एम० टी० सीमित अनुज्ञेय सूची में हैं और इनका आयात आर० ई० पी० लाइसेंसों एक्सीम एस्क्रीप्स के तहत किया जा सकता है। फिर भी, आयात-निर्यात नीति का पुनरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है तथा परिस्थिति के अनुसार जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है सभी सम्बद्ध कारणों पर विचार करके तथा अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आवश्यक दोष निवारक उपाय किए जाते हैं। नीति में जब और जैसा परिवर्तन किया जाता है, उसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

"नाबार्ड" के जिला स्तर पर कार्यालय स्थापित करना

2489. **श्री बी० सोमनाथेश्वर राव वाड्डे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नाबार्ड" ने देश में, राज्य स्तर पर किन स्थानों पर जिला कार्यालय स्थापित किये हैं;

(ख) इन जिला-स्तर कार्यालयों के माध्यम से क्या उद्देश्य प्राप्त होंगे;

(ग) क्या चालू वर्ष में "नाबार्ड" के और जिला स्तर पर कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार इन जिलों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मार्च, 1991 के अन्त तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 114 जिला कार्यालय स्थापित किए हैं। जिला कार्यालयों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के जिला कार्यालय, विभिन्न ग्रामीण ऋण एजेन्सियों के कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करेंगे और राज्य सरकारों के संबद्ध जिला विकास विभागों के साथ सम्पर्क बनाएंगे।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि चालू वर्ष 1991-92 के दौरान 80 से 85 और जिला कार्यालयों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। देश में शेष जिलों को एक चरणबद्ध ढंग में अगले वर्षों में शामिल कर लिया जायेगा। 1991-92 के दौरान खोले जाने वाले अब तक पहचान किए गए जिला कार्यालयों (राज्यवार) की अनन्तिम सूची संलग्न विवरण-II में दी है।

विवरण-I

31-3-1991 को स्थिति के अनुसार राज्यवार खोले गए जिला कार्यालयों की सूची

राज्य का नाम	जिले का नाम	राज्य का नाम	जिले का काम
1	2	3	4
गुजरात	1. कच्छ (भुज)		21. धेनकानल
	2. जूनागढ़		22. गंजम
	3. साबरकंठा		23. बोलानगीर
	4. भरूच	पश्चिम बंगाल	24. 24 परगना उत्तर
	5. सुरेन्द्र नगर		25. वर्धवान
कर्नाटक	6. बेल्लारी		26. पुरुलिया
	7. हसन		27. हुगली
	8. मैसूर		28. नाडिया
	9. शिमोगा		29. मालदा
	10. धारवाड़	हरियाणा	30. गुड़गांव
	11. गुलबर्गा		31. रोहतक
मध्य प्रदेश	12. दुर्ग		32. अम्बाला
	13. धार		33. कुरुक्षेत्र
	14. खण्डवा		34. सोनीपत
	15. बिलासपुर		35. महेन्द्रगढ़
	16. इंदौर		36. करनाल
	17. ग्वालियर		37. भिवानी
उड़ीसा	18. बरसासोर	पंजाब	38. जलंधर
	19. भवानी पटना		39. पटियाला
	20. सम्बलपुर		40. होशियारपुर

1	2	3	4
	41. रोपड़		69. इटावा
आन्ध्र प्रदेश	42 कुरनूल		70. मेरठ
	43. निजामाबाद		71. बरेली
	44. विशाखापत्तनम		72. सहारनपुर
	45. अनन्तपुर		73. गोरखपुर
	46. चित्तूर		74. झांसी
	47. खम्माम		75. सीतापुर
	48. कृष्णा		76 मुरादाबाद
	49. महबूब नगर		77. आगरा
	50. नेल्लोर	तमिलनाडु	78. रमान्तापुरम
	51. श्रीकाकूलम		79. ताञ्जावूर
असम	52. मंगलदोई		80. (कटाबोम्मन) तोडनेलवेल
	53. जोरहाट		81. डिण्डीगल
	54. गोलपारा		82. पेरियार
	55. डिब्रूगढ़		83. सालथआरकोट
राजस्थान	56. अजमेर		84. धरमपुरी
	57. बीकानेर		85. त्रिची
	58. जोधपुर	बिहार	86. नालन्दा
	59. चित्तौड़गढ़		87. पूर्णिया
	60. सीकर		88. रांची
	61. पाली		89. पलामूं
	62. उदयपुर		90. गया
जम्मू व कश्मीर	63. उधमपुर		91. सारण
उत्तर प्रदेश	64. गोण्डा		92. वैशाली
	65. देहरादून	महाराष्ट्र	93. औरंगाबाद
	66. सुल्तानपुर		94. नागपुर
	67. वाराणसी		95. नानदेड
	68. फतेहपुर		96. अहमदनगर

1	2	3	4
	97. जलगांव		106. हमीरपुर
	98. अकोला		107. कांगड़ा
	99. कोल्हापुर	केरल	108. कन्नानोर
	100. रत्नागिरी		109. कोटायम
	101. सोलापुर		110. पालघाट (पालाकाड)
	102. चन्द्रपुर		111. त्रिचूर (थ्रीसुर)
	103. यवतमाल		112. अल्लेपी (अल्लेपूझा)
गोवा	104. मरगांव		113. पठानमथिट्टा
हिमाचल प्रदेश	105. मंडी		114. एरनाकुलम

विवरण-II

1991-92 के दौरान खोले जाने वाले (राज्यवार) जिला कार्यालयों की अनन्तिम सूची

राज्य का नाम	जिले का नाम	राज्य का नाम	जिले का नाम
1	2	3	4
गुजरात	1. पंचमहल	उड़ीसा	14. पुरी
	2. राजकोट		15. कुंभर
	3. अमरोली*	हरियाणा	16. हिसार
बंगलौर	4. तमकूर		17. कैथल*
	5. बीजापुर		18. यमुना नगर*
	6. उत्तर कनाडा		19. रेवाडी*
	7. मंडया*		20. पानीपत*
मध्य प्रदेश	8. होशंगाबाद	पंजाब	21. संगरूर
	9. जबलपुर		22. कपूरथला*
	10. रायपुर	असम	23. नवगांव
	11. बस्तर		24. सीबसागर
	12. उज्जैन*		25. बारपेटा
	13. दातिया*	मेघालय	26. पश्चिम गारो पहाड़ियां

1	2	3	4
त्रिपुरा	27. उत्तरी त्रिपुरा	गोवा	49. उत्तरी गोवा*
आन्ध्र प्रदेश	28. पूर्वी गोदावरी	उत्तर प्रदेश	50. इलाहाबाद
	29. गुंटूर		51. कानपुर
	30. नालगोंडा		52. बलिया
	31. विजयानगरम*		53. उत्तर काशी
राजस्थान	32. टोंक		64, नैनीताल
	33. गंगा नगर		55. बिजनौर
	34. नागौर		56. आजमगढ़
	35. झुनझुनू		57. जालौन
	36. जालोर		58. अलीगढ़
तमिलनाडु	37. सेलम		59. मुजफ्फर नगर
	38. कामराजर*		60. महाराजगंज*
	39. मदुराई*		61. ललितपुर*
	40. पांडिचेरी*		62. हरिद्वार*
बिहार	41. मधुबनी		63. राय बरेली*
	42. भोजपुर		64. फिरोजाबाद*
	43. लोहरदगा	केरल	65. कोझीकोड
	44. पूर्वी सिंहभूम		66. मल्लापुरम्*
	45. देवगढ़		67. कोल्लम*
महाराष्ट्र	46. भंडारा	जम्मू व कश्मीर	68. राजौरी
	47. उस्मानाबाद		69. कटुआ
	48. जालना*		

(*) वर्तमान आस-पास के जिला कार्यालय के साथ मिलाया जाना प्रस्तावित। पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश से अन्य प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों से निर्यात

2490. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**
श्री राजवीर सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्रों से कुल कितना निर्यात किया गया तथा उसका तत्सम्बन्धी मूल्यवार, वर्षवार, श्रेणीवार और राष्ट्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 (अनन्तिम) और वर्ष 1990-91 (अनन्तिम) के दौरान कृषि और सम्बद्ध उत्पादों के निर्यात के श्रेणीवार आंकड़ों को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है। देशवार आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महा-निदेशालय, कलकत्ता के प्रकाशित दस्तावेजों मे उपलब्ध है ।

(ख) इन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार आर० ई० पी० लाइसेंस, क्रेता-विक्रेता बैठकों में सहायता, विदेश में मेलों में सहभागिता, विभिन्न वस्तु बोर्डों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम से निर्यातकों को बाजार आसूचना जैसे विभिन्न प्रोत्साहन देती है। हाल के संयोजन की विनिमय दर तथा परिवर्धित आर० ई० पी० योजना से भी फार्म उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं०	निर्यात की मदें	1988-89	1989-90 (अं०)	1990-91 (अं०)
1	2	3	4	5
(क)	कृषि और सम्बद्ध उत्पाद	1836.56	2637.11	3724.94
1.	अनाज	336.91	430.00	471 95
(I)	चावल	331.47	426.52	439.95
(II)	गेहूं	2.99	2.14	29.23
(III)	अन्य	2.45	1.96	2.77
2.	तम्बाकू	128.34	175.03	263.35
(I)	अविनिर्मित	102.81	143.26	192.66
(II)	विनिर्मित	25.53	31.77	70.69
3.	मसाले	250.61	246.54	233.21
4.	गिरी और बीज	315.49	538.83	596.11
(I)	सी० एन० एस० एल० सहित काजू	277.20	367.63	446.80
(II)	तिल और नाइजर सीड	23 57	137.52	91,31

1	2	3	4	5
(III)	एच० पी० एस० मूंगफली	14.72	33.68	58.00
5.	ऑयल मील	370.43	546.15	624.00
6.	अपसारणों सहित अरंडी का तेल	5.06	43.33	57.51
7.	चपड़ा	16.11	14.00	14.65
8.	चीनी और शीरा	7.04	32.45	37.39
9.	परिष्कृत खाद्य	284.52	368.09	430.22
(I)	फल और सब्जियां	163.85	208.05	217.29
(II)	संसाधित फल और सब्जियां	54.56	71.35	61.98
(III)	विविध संसाधित मदें	66.11	88.69	150.95
10.	मांस और मांस उत्पाद	94.47	113.70	140.93
11.	कच्ची कपास (अवशिष्ट सहित)	28.02	128.37	854.72

मद्रास में व्यापार मेला कंप्लेक्स की स्थापना

2491. **श्री अम्बाराशु इरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मद्रास में एक स्थायी व्यापार मेला कंप्लेक्स की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया का मद्रास में एक स्थायी प्रदर्शनी परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह प्रारम्भिक चरण में है और इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण

2492. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत डिवीजन-वार अथवा क्षेत्रवार कुल कितनी धनराशि के ऋण दिए गए;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों/डिवीजनों में दिए गए ऋण जारी करने के ढंग का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण सुविधा का गढ़वाल क्षेत्र में पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों, अर्थात् 1988-89 से 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में (मण्डल-वार) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋण की कुल राशि संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) और (ग) वर्ष 1986-87 में, उद्योग मंत्रालय के विकास आयुक्त (लघु-उद्योग) ने देश के कुछ चुने हुए जिलों मे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना के सहकारी मूल्यांकन अध्ययन की व्यवस्था की थी जिसमें उत्तर प्रदेश के पांच जिले भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के पांच जिलों के सम्बन्ध में मूल्यांकन अध्ययन के आंकड़े/निष्कर्ष संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) उपर्युक्त अध्ययन में राज्य का गढ़वाल क्षेत्र नहीं आता है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना के कार्यान्वयन की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियों द्वारा पुनरीक्षा की जाती है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति भी राज्य के अन्दर योजना के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करती है।

विवरण-I

1988-89 से 1990-91 के पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में (मंडल-वार) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों द्वारा दी गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	मण्डल का नाम	बैंकों द्वारा मंजूर की गई राशि		
		1988-89 (लाख रुपए)	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आगरा	653.47	374.30	359.27
2.	इलाहाबाद	359.98	205.71	193.92
3.	कानपुर	317.79	202.60	179.60

1	2	3	4	5
4.	बरेली	325.13	169.74	229.98
5.	फैजाबाद	461.08	275.48	159.16
6.	गोरखपुर	655.80	421.37	355.62
7.	झांसी	249.40	122.26	117.95
8.	पौड़ी गढ़वाल	124.92	85.58	62.66
9.	मुरादाबाद	276.80	113.09	148.61
10.	लखनऊ	538.65	337.47	337.69
11.	मेरठ	703.43	521.71	441.15
12.	कुमायूं	110.13	72.29	72.53
13.	वाराणसी	564.08	382.28	307.39
	जोड़	5,340.60	3,283.86	2,965.53

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में उ० प्र० सिस्टम कारपोरेशन लि० द्वारा किए गए एस० ई० ई० यू० वाई० मूल्यांकन अध्ययन के आंकड़ों/निष्कर्षों को दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ वर्ष 1983-84 और 1984-85)

मूल्यांकन किए गए जिलों का नाम	इसके अंतर्गत आने वाले कुल ऋणकर्ता	यूनिटों की संख्या जो चालू हालत में थे	चालू यूनिटों की प्रतिशतता	सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	आय/कार्यरत एककों में वृद्धि (रुपये)	एककों की संख्या जो बंद पाये गए/पता नहीं लगा	चूककर्ताओं की संख्या	बन्द/पता न लगने वाले एककों की संख्या	प्रति कार्यरत एकक पर सृजित रोजगार	चूककर्ताओं का प्रतिशत
1. अल्मोड़ा	198	177	89.39	360	7166	21	21	10.61	2.03	10.61
2. गोरखपुर	187	72	38.50	309	7397	115	115	61.50	4.29	61.50
3. झांसी	200	137	68.50	331	8547	63	63	31.50	2.42	31.50
4. खेड़ी	200	81	40.50	324	6567	119	119	59.50	4.00	59.50
5. मेरठ	200	67	33.50	290	9173	133	133	66.50	4.33	66.50
जोड़	985	534	54.21	1614	7770	451	451	45.79	3.02	45.79

दारूखाना शिपब्रेकिंग यार्ड को विघटित करना

2493. प्रो० राम कापसे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई पत्तन न्यास का दारूखाना स्थित शिपब्रेकिंग यार्ड को विघटित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके विघटन के बाद उक्त भूमि का उपयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) मुम्बई पत्तन न्यास ने, मुम्बई पत्तन न्यास पर मुख्यत: भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से शिप-ब्रेकिंग कार्यकलाप को बंद करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) मुम्बई पत्तन न्यास ने भूमि उपयोग योजना का मसौदा तैयार किया है जिसमें पर्यावरणीय सुधार के साथ-साथ राज्य विनियमों के अनुसार प्रस्ताव शामिल किए गए हैं।

हीरा उद्योग पर पाबंदियां

2494. प्रो० राम कापसे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हीरा उद्योग पर बहुत-सी नई पाबंदियां लगा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका हीरा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च, 1991 से भुगतान संतुलन की समस्या को देखते हुए आयातों के वित्तपोषण के सम्बन्ध में कुछ उपाय किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इसका प्रभाव अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिए धनराशि की व्यवस्था करने में हीरा उद्योग पर भी पड़ा।

(ग) उसके बाद से आयात के लिए मार्जिन धनराशि की शर्तों पर भी कुछ छूट दी गई है। सरकार ने हाल ही में मामलेवार उन निर्यातकों को कर रोक रखने की छूट देने का निर्णय लिया है जो अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिए धनराशि देने हेतु खुला डालर खाते में ऋण लेने में समर्थ हैं। ऐसे खातों को आयकर अधिनियम की धारा 80 एच०एच०सी० के तहत पूरा लाभ देने का भी प्रस्ताव है।

"यू० एम० लाइनर कोड"

2495. श्री शिवाजी पटनायक : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "यू० एन० लाइनर कोड" जिसका उद्देश्य भारतीय नौवहन कंपनियों को ढुलाई हेतु 40 प्रतिशत तक अधिक माल उपलब्ध कराने का है, को लागू करने हेतु बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र लाईनर कोड के अन्तर्गत भारतीय जहाजों के लिए कार्गो समर्थन जुटाने के उद्देश्य से उपयुक्त कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के "म्युच्वल फंड" द्वारा पूंजी निवेश

2496. श्री विजय नवल पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूंजी निवेश के मामले में राष्ट्रीयकृत बैंकों के "म्युच्वल फंड" द्वारा क्या नीति अपनाई गई है; और

(ख) सुरक्षा और विकास के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उन्होंने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की पारस्परिक निधियां भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार शेयरों, ऋणपत्रों तथा मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश करती हैं। इन पारस्परिक निधियों द्वारा अपनाई जाने वाली निवेश नीति का निर्धारण प्रत्येक स्कीम के स्वरूप तथा उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है ।

(ख) सुरक्षा और वृद्धि के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से पारस्परिक निधियां मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुरूप सुविख्यात कंपनियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करती हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को प्राप्त शिकायतें

2497. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को कंपनियों के विरुद्ध अप्रैल से जुलाई, 1991 के दौरान महीने-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और आमतौर पर इस प्रकार की शिकायतों का विषय क्या होता है;

(ख) उपर्युक्त शिकायतों में से कितनी शिकायतें रुग्ण एककों के विरुद्ध की गई थीं; और

(ग) सरकार द्वारा इन रुग्ण एककों की वर्तमान स्थिति के बारे में निवेशकों को सूचित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अप्रैल-जुलाई, 1991 के दौरान भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड को कंपनियों के विरुद्ध कुल 19,708 शिकायतें प्राप्त हुईं। ये शिकायतें मुख्यतः वापसी आदेश/आवंटन पत्र, लाभांश/ब्याज वारंट प्राप्त न होने ऋण-पत्रों/सावधि जमा के विमोचन के बाद मूल राशि प्राप्त न होने अन्तरण या आवंटन के पश्चात् शेयर या ऋण-पत्र वार्षिक रिपोर्ट आदि प्राप्त न होने से सम्बन्धित थीं। अप्रैल-जुलाई, 1991 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों के महीनेवार ब्यौरे नीचे दिए हुए हैं :

अप्रैल, 91	4721
मई, 91	3764
जून, 91	5589
जुलाई, 91	5634
जोड़ :	19708

(ख) और (ग) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड रुग्ण यूनिटों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता है। अब तक केवल 23 कंपनियों ने भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज बोर्ड को अपनी रुग्ण/राहत स्थिति की रिपोर्ट भेजी है और इन कंपनियों के विरुद्ध कुल 436 शिकायतें होने की रिपोर्ट मिली है।

स्टाक एक्सचेंजों के सूचीबद्धकरण करार के खण्ड 41 में छमाही आधार पर कंपनी के अलावा परीक्षित वित्तीय परिणामों का निर्धारित प्रोफार्मा में समस्त भारत में अथवा सारभूत रूप से समस्त भारत में परिचालित कम से कम एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र और कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है, उस क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में प्रकाशन का प्रावधान है। इस प्रकार निवेशकों को सूचीबद्ध कंपनियों की वित्तीय स्थिति की जानकारी दी जाती है।

रघुवंशी मिल, मुम्बई का पुनरुत्थान

2498. **श्री राम नाईक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने रघुवंशी मिल, मुम्बई की पुनः स्थापना के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अपनी संचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो मिल की पुनःस्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार, औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड अथवा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के मिल को सहकारिता के आधार पर चलाने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान प्रवर्तकों द्वारा प्रस्तुत योजना को अर्थक्षम नहीं पाया गया था और बी० आई० एफ० आर० ने फरवरी, 1989 में कंपनी को बन्द करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तदुपरान्त कर्मचारी यूनियन द्वारा सहकारी आधार पर मिल को चलाने के प्रस्ताव की सितम्बर, 1989 में जांच की गई परन्तु उसे अर्थक्षम नहीं पाया गया। तदुपरान्त, दो नए प्रवर्तकों से मिल के पुनरुद्धार के दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे परन्तु उनके प्रस्ताव समर्थन योग्य नहीं माने गए। बी० आई० एफ० आर० ने 19-7-91 को मामले की सुनवाई की तथा कर्मचारी यूनियन और वर्तमान प्रवर्तकों को एक अन्तिम मौका देने के लिए मामले को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया।

(ग) और (घ) सहकारी आधार पर मिल को चलाने का कर्मचारी यूनियनों का सुझाव न्यायिककल्प निकाय, बी० आई० एफ० आर० के पास विचाराधीन है जिससे आशा की जाती है कि वह रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार यथासमय एक उचित निर्णय लेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

2499. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने देश में 1990-91 के दौरान नयी शाखाएं खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त बैंकों द्वारा 1991-92 के दौरान कितनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) 1990-91 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने का कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। अलबत्ता, 1990-91 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 156 शाखाएं खोली हैं। 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार शाखाएं खोलने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 219 लाइसेंस लम्बित हैं। इन लाइसेंसों की वैधता अवधि को 31-3-1992 तक बढ़ा दिया गया है। चूंकि बैंक शाखाओं का खोला जाना एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी कर नियन्त्रित किया जाता है इसलिए 1991-92 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोली जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

विदेशी बैंकों द्वारा "पोर्टफोलियो मैनेजमेंट" का उल्लंघन

2500. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सम्बन्ध में मार्ग निर्देशों का पालन न करने के लिए सचेत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ विदेशी बैंकों की पोर्टफोलियो प्रबन्ध सेवाओं की न्यादर्श समीक्षा से प्रथमद्रष्ट्या यह पता चला कि पोर्टफोलियो प्रबन्ध में वे भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों से उपचारी कदम उठाने तथा भविष्य में मार्ग निर्देशों का कठोरता से पालन करने के लिए कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने अनुदेशों का पालन न करने से रोकने के लिए नये मार्गनिर्देश जारी किए हैं। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि इन अनुदेशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।

हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, नासिक द्वारा उत्पादन लक्ष्य

[हिन्दी]

2501. **श्री विलासराव गुन्डेवार** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, ओझर, नासिक ने वर्ष 1990-91 का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरा देना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्ण आयात नीति

2502. **श्री विलासराव गुन्डेवार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के आभूषण निर्माताओं ने केन्द्रीय सरकार से स्वर्ण आयात नीति को उदार बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

2503. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण करने का कोई कार्यक्रम था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम को कहां तक क्रियान्वित किया गया और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सरकार की आगामी योजनाएं क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने उनके क्रियान्वयन के लिए क्या समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने ऐसे ऋणों के लिए लागू सामान्य शर्तों पर पटसन उद्योग की आधुनिकीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1986 में पटसन आधुनिकीकरण निधि की स्थापना की थी। इस निधि से आधुनिकीकरण सहायता का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कमजोर लेकिन आर्थिक रूप से अर्थक्षम एककों के संवर्धकों के अंश के 80 प्रतिशत तक को पूरा करने के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक रियायती ब्याज दर पर विशेष ऋण भी प्रदान किया जाता है। पहले 6 वर्षों के ऋण स्थगन के साथ 12 वर्षों की अवधि में विशेष ऋणों का पुनः भुगतान किया जाता है।

(ग) मई, 1991 के अन्त तक पटसन आधुनिकीकरण निधि के अन्तर्गत आधुनिकीकरण सहायता के 39 मिलों ने आवेदन किया। इनमें से 5 आवेदन पत्र बाद में वापस ले लिए गए थे। आई० एफ० सी० आई० ने 22 आवेदन-पत्रों के संबंध में सहायता स्वीकृत की है तथा 9 आवेदन पत्र रद्द किए हैं। 2 आवेदनपत्रों के मामले में कार्रवाई पूरी कर ली गई है और ये मामले बी० आई० एफ० आर० द्वारा निपटाए जाने हैं। एक आवेदन-पत्र वित्तीय संस्थानों की प्रारम्भिक जांच के अधीन है। 22 आवेदन-पत्रों के मामले में 88.58 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है जिसमें से 10 मामलों के सम्बन्ध में 25.55 करोड़ रु० का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) पटसन आधुनिकीकरण निधि के उपयोग की प्रगति की समीक्षा तथा मानीटरी समिति द्वारा नियमित रूप से की जाती है। इस समिति में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

छावनी क्षेत्र में सिविलियनों को भूमि का आवंटन

[हिन्दी]

2504. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी क्षेत्र में असैनिकों को उनके आवास के लिए भूमि का आवंटन करने की क्या प्रक्रिया निर्धारित की है;

(ख) क्या असैनिकों को उस भूमि के स्वामित्व अधिकार देने का कोई प्रस्ताव है जिसका वे अपने आवास हेतु उपयोग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) वर्तमान नीति में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत छावनी क्षेत्रों में सिविलियनों को आवास के लिए रक्षा भूमि

आबंटित की जा सके। लेकिन कतिपय छावनियों में सिविलियनों के पास पट्टे/ओल्डग्रांट शर्तों पर जो रक्षा भूमि पहले से है उसे इस शर्त पर कि रक्षा या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उस भूमि की आवश्यकता नहीं है, निर्धारित परिवर्तन-प्रभार की अदायगी करने पर उसे फ्रीहोल्ड में बदला जा सकता है।

उद्योग के लिए नई नीति

]अनुवाद]

2505. **श्री प्रफुल पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय उद्योग के लिए नई नीति बनाने का विचार है ताकि वह विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सके और विदेशों मे भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दृष्टि से संयुक्त उपक्रमों में स्वत: पूंजी निवेश हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति की घोषणा कब करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों के एककों से लिया जाने वाला ब्याज

2506. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा गत एक वर्ष के दौरान और इस समय प्राथमिक क्षेत्र के एककों से अधिकतम नकद ऋण पर किस दर पर ब्याज लिया जा रहा है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 सितंबर, 1990 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण दर ढांचे का सरलीकरण और उसमें संशोधन किया है।

नकद ऋण सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एककों को मंजूर ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दरें, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई हैं और 22 सितंबर, 1990 से पहले प्रचलित ब्याज दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

भाग-I

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एककों को मंजूर की गई नकद ऋण सीमाओं पर वर्तमान ब्याज दर

ऋण का आकार	वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत और लागू होने की तारीख		
	22-9-90	13-4-91	4-7-91
1	2	3	4
(क) 7,500 रुपए तक और उसके सहित	10.0	10.0	10.0

1	2	3	4
(ख) 7,500 रुपए से अधिक और 15,000 रुपए तक	11.5	11.5	11.5
(ग) 15,000 रुपए से अधिक और 25,000 रुपए तक	12.0	12.0	12.0
(घ) 25,000 रुपए से अधिक और 50,000 रुपए तक	14.0	14.0	14.0
(ङ) 50,000 रुपए से अधिक और 2 लाख रुपए तक	15.0	15.0	15.0
(च) 2 लाख रुपए से अधिक	16.0 (न्यूनतम)	17.0 (न्यूनतम)	18.5 (न्यूनतम)

भाग-II

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एककों को मंजूर की गई नकद ऋण सीमाओं पर 22-9-90 से पहले प्रचलित ब्याज दर

ऋण की श्रेणी और आकार	वार्षिक ब्याज दर
1	2
I. कृषि	
क. किसानों को अल्पावधिक ऋण	
(क) 7,500 रुपए तक	10.0
(ख) 7,500 रुपए से अधिक और 15,000 रुपए तक	11.5
(ग) 15,000 रुपए से अधिक और 25,000 रुपए तक	12.0
(घ) 25,000 रुपए से अधिक	14.0 से 15.50
ख. बीजों के उत्पादन और वितरण में लगे एककों को अग्रिम	14.0
ग. उर्वरकों के वितरण के लिए अग्रिम	
(क) 5,000 रुपए तक	11.5
(ख) 5,000 रुपए से अधिक और 25,000 रुपए तक	11.5 से 14.00
(ग) 25,000 रुपए से अधिक	14.0 से 15.50

1	2
II. लघु उद्योग	
1. 25,000 रुपए तक के मिश्रित ऋण	
(क) पिछड़े क्षेत्र	10.0
(ख) अन्य क्षेत्र	12.0
2. सीमाओं के साथ अल्पावधिक ऋण	
(क) 2 लाख रुपए तक और उसके सहित	12.5 से 14.0
(ख) 2 लाख रुपए से अधिक 25 लाख रुपए तक	14.0 से 15.5
(ग) 25 लाख रुपए से अधिक	16.0 (न्यूनतम)
3. कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों (हिताधिकारियों के विपणन की और/या निवेश्य की खरीद और आपूर्ति के प्रयोजन के लिए) को सहायता करने के लिए राज्य स्तरीय निगमों को अग्रिम	12.5
4. राज्य द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगमों को अग्रिम (हिताधिकारियों के उत्पादों के विपणन की और/या निवेश्य की खरीद और आपूर्ति के प्रयोजन के लिए)	12.5
III. अन्य श्रेणियां	
1. खुदरा व्यापार अग्रिम	
(क) 5,000 रुपए तक और उसके सहित की सीमायें	12.5
(ख) 5,000 रुपए से अधिक और 25,000 रुपए तक	12.5 से 15.0
(ग) 25,000 रुपए से अधिक और एक लाख रुपए तक	15.0 से 16.0
(घ) एक लाख रुपए से अधिक	16.0 (न्यूनतम)
2. शैक्षणिक अग्रिम	
(क) भारत में उच्च शिक्षा के प्रयोजन के लिए गरीब विद्यार्थी	बैंक दर से कम नहीं
(ख) अन्य शैक्षणिक अग्रिम	14.0 से 15.5
3. अन्यथा विनिर्दिष्ट न किए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	14.0 से 15.5
4. डी० आर० आई० अग्रिम	4%
5. अन्य सभी अग्रिम	16.0 (न्यूनतम)

गोदी कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा बोनस

2507. **श्री गोविन्दराव निकम** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी कर्मचारियों ने 1990-91 के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस और लम्बित पड़े मामलों के निपटारे की मांग को लेकर कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां। फरवरी, 1991 से पत्तन एवं गोदी श्रमिकों के तीन संगठनों से दावों सम्बन्धी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ख) इन मांगों की जांच की गई और अप्रैल, 1991 में संगठनों को उत्तर भेज दिया गया था। जहां तक 1990-91 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान से सम्बन्धित मांग का सम्बन्ध है, नया समझौता करने के लिए इस पर पत्तन एवं गोदी श्रमिकों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है।

कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

2508. **श्री गोविन्दराव निकम** :
श्री राजवीर सिंह :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम और निजी क्षेत्र के अन्तर्गत चल रही देश में राज्यवार कपड़ा मिलों का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वर्ष 1985 की वस्त्र नीति के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 1986 में आई० डी० बी० आई० के अन्तर्गत 5 वर्ष की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करके वस्त्र आधुनिकीकरण निधि का सृजन किया गया था। इस निधि का एक भाग कमजोर लेकिन अर्थक्षम एककों को उनके प्रवर्तकों के प्रमुख भाग (80 प्रतिशत तक) के रूप में विशेष ऋण प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया था ताकि वे आधुनिकीकरण सहायता का लाभ उठा सकें। इन विशेष ऋणों पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगता है और इसकी वापसी अदायगी 5 वर्ष की ऋण स्थगन के अवधि सहित 12 वर्ष के भीतर की जा सकती है।

(ग) 31-3-1991 की स्थिति अनुसार देश में 1062 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें थीं। इन मिलों के ब्योरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रबंधन	कताई	मिश्रित	कुल	तकुए	करघे	नामावली में श्रमिक (हजार में)
सार्वजनिक (एनटीसी/एसटीसी/ सरकारी)	72	116	188	6098 (696)	74	296
सहकारी	109	1	110	2826 (2352)	0.13	0.13
निजी	596	158	764	17747 (63876)	104	709
	777	285	1062	26671	178	1108

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोटरो की संख्या दर्शाते हैं)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अंशकालिक संदेशवाहक

[हिन्दी]

2509. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए हैदराबाद में स्थापित राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ने 30 मार्च को दिए गए अपने पंचाट में यह सिफारिश की थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यरत अंशकालिक संदेशवाहकों को उस दिन से स्थायी किया जाए जब से वे इस सेवा में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पंचाट को अभी तक कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अंशकालिक संदेशवाहकों को उनके निरंतर सेवा की तारीख से नियमित किये जाने की सिफारिश की है।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पदों को प्रायोजक बैंकों के पदों के समरूप करने के लिए गठित समीकरण समिति ने सिफारिश की है कि प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष को चाहिए कि अंशकालिक संदेशवाहकों के कार्य घण्टों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करें और उन्हें समान कार्य घण्टे काम करने वाले सम्बन्धित प्रायोजक बैंक के अंशकालिक या पूर्णकालिक संदेशवाहकों के समतुल्य करें।

उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनावों के दौरान बूथों पर कब्जा और मारे गए लोग

2510. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में दसवीं लोक सभा चुनावों के दौरान बूथों पर कब्जा करने की कुल कितनी घटनाएं घटीं;

(ख) उनमें से निर्वाचन क्षेत्र-वार कितने बूथों पर फिर से मतदान कराया गया था; और

(ग) इन घटनाओं में कुल कितने लोग मारे गए और घायल हुये ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) बूथ पर कब्जा किए जाने और अनियमितताओं की कुल 902 घटनाओं की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को की गई थी।

(ख) 869 मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान कराया गया। एक विवरण संलग्न है जिसमें निर्वाचन क्षेत्रवार ऐसे बूथों का ब्यौरा दिया गया है, जहां पुनर्मतदान का आदेश दिया गया था।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

निर्वाचन क्षेत्रवार ऐसे बूथ जहां पुनर्मतदान कराया गया

क० सं०	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	मतदान केन्द्रों की संख्या जहां पुनर्मतदान कराया गया
1	2	3
1.	बस्ती (अ० जा०)	2
2.	मिसरिख (अ० जा०)	1
3.	शाहाबाद	15
4.	हरदोई	9
5.	मुरादाबाद	9
6.	अमरोहा	9
7.	घोसी	7
8.	आजमगढ़	11
9.	कैसरगंज	5
10.	बिल्हौर	3
11.	गोंडा	17
12.	फर्रुखाबाद	27
13.	कन्नौज	6
14.	बांसगांव	7

1	2	3
15	एटा	39
16.	जलेसर	9
17	बलरामपुर	24
18.	बरेली	9
19.	शाहजहांपुर	1
20.	अकबरपुर (अ० जा०)	10
21.	फैजाबाद	2
22.	मैनपुरी	19
23.	बलिया	4
24.	सलेमपुर	23
25.	देवरिया	2
26.	लखनऊ	9
27.	बलिया	7
28.	गढ़वाल	1
29.	नैनीताल	2
30.	अमेठी	2
31.	सुल्तानपुर	8
32.	लालगंज (अ० जा०)	10
33.	रायबरेली	16
34.	बिजनौर	6
35.	सैदपुर (अ० जा०)	1
36.	गाजीपुर	11
37.	फूलपुर	27
38.	इलाहाबाद	8
39.	चायल (अ० जा०)	5
40.	फतेहपुर	3

1	2	3
41.	हमीरपुर	6
42.	जालौन (अ० जा०)	28
43.	घाटमपुर	4
44.	फिरोजाबाद	9
45.	आगरा	1
46.	मथुरा	5
47.	खुर्जा (अ० जा०)	65
48.	हापुड़	66
49.	बागपत	135
50.	मुजफ्फरनगर	23
51.	कैराना	45
52.	राबर्ट्सगंज	12
53.	मिर्जापुर	10
54.	प्रतापगढ़	44
55.	मछलीशहर	22
56.	चन्दौली	1
57.	वाराणसी	5
58.	हाथरस (अ० जा०)	2
59.	गढ़वाल	—
		869

सिक्किम में चाय उद्योग का विस्तार

[अनुवाद]

2511. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में जहां बहुत अच्छी किस्म की चाय का उत्पादन होता है, चाय उद्योग के विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) सिक्किम को चाय बोर्ड की नई चाय यूनिट वित्त-पोषण योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के उद्देश्य से गैर-परम्परागत क्षेत्र घोषित किया गया। किंतु, सिक्किम में इस समय चाय उद्योग के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31-क को चौड़ा करना

2512. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दोहरी लेन सुविधा प्रदान करने तथा सभी प्रकार के वाहनों के लिए अबाध और सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31-क को चौड़ा करने का है;

(ख) यदि हां तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, नहीं। वर्तमान यातायात के लिए इस राष्ट्रीय राजमार्ग को दो लेन का बनाने का कोई औचित्य नहीं है और यह भी उल्लेखनीय है कि यह सड़क भौगोलिक दृष्टि से अस्थिर क्षेत्र से गुजरती है। आठवीं योजना को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद इस रा० रा० पर और सुधार कार्य आवश्यकतानुसार किए जाएंगे।

आम जनता को जारी किए जाने वाले शेयरों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

2513 **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आम जनता को जारी किए जाने वाले शेयरों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ आरक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सार्वजनिक पूंजी निर्गम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना व्यवहार्य अथवा वांछनीय नहीं समझा गया है।

आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की मुकदमा शाखा

2514. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की मुकदमा शाखा को मध्यस्थान कारंवाइयों को निपटाने के लिए कुल कितने मामले सौंपे गए हैं;

(ख) यह शाखा मध्यस्थों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कितने मामलों में विरोध में दिए गए शपथ-पत्र दर्ज करने में असफल रही है;

(ग) चार महीने/एक वर्ष/दो वर्ष/तीन वर्ष/तीन वर्ष से अधिक समय से ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं जिनमें अधिनिर्णय दिया जाना है; और

(घ) सरकार का इस शाखा को और सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1986 और उसके बाद, 1010 मामले माध्यस्थम् के लिए भेजे गए हैं।

(ख) माध्यस्थम् के मामलों में विरोध में शपथ-पत्र दर्ज नहीं किए जाते हैं, लेकिन केवल प्रति दावा संबंधी बयान दर्ज किए जाते हैं। 6 मामलों में प्रति दावा संबंधी बयान समय पर दर्ज नहीं किए जा सके।

(ग) कुल 334 मामले विचाराधीन हैं जिनमें से :

4 महीने से अधिक	—	309
1 वर्ष से अधिक	—	206
2 वर्ष से अधिक	—	98
3 वर्ष से अधिक	—	77

(घ) मुकदमा शाखा का कार्य कानूनी प्रकार का है और इसे कानूनी प्रक्रियाओं तथा अपेक्षाओं का अनुपालन करना होता है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की अन्य शाखाओं की तरह इस शाखा के कार्य को भी मानीटर किया जाता है तथा समय-समय पर यथा आवश्यक उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

बिहार का ऋण जमा अनुपात

[हिन्दी]

2515. **श्री छेदी पासवान :**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का ऋण जमा अनुपात क्या है;

(ख) क्या बिहार का ऋण जमा अनुपात कुछ अन्य राज्यों की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो बिहार के ऋण जमा अनुपात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिसम्बर, 1990 के अंत की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ऋण-जमा अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) ऋण जमा अनुपात किसी खास राज्य/क्षेत्र के आर्थिक विकास का एकमात्र द्योतक नहीं है। स्थानीय रूप से जुटाई गई जमा राशियों के संबंध में ऋण का वास्तविक स्तर राज्य/क्षेत्र के ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है। बैंको से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऋण के वितरण में विभिन्न राज्यों के बीच व्यापक क्षेत्रीय विषमताएं कम की जाएं और कमी वाले क्षेत्रों में सभी उत्पादक एवं पहचान किए गए प्रस्तावों के लिए ऋण के प्रवाह में वृद्धि की जाए। इस दिशा में हुई प्रगति की राज्य स्तरीय बैंक समिति, राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित आधार पर निगरानी की जाती है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऋण जमा अनुपात
1	2
I. उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	58.61
हिमाचल प्रदेश	36.18
जम्मू व कश्मीर	43.21
पंजाब	43.69
राजस्थान	56.71
चंडीगढ़	128.91
दिल्ली	78.89
II. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
असम	53.09
मणिपुर	74.93
मेघालय	23.48
नागालैंड	45.11
त्रिपुरा	62.58
अरुणाचल प्रदेश	20.51
मिजोरम	33.90
सिक्किम	22.68

1	2
III. पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	38.76
उड़ीसा	81.38
पश्चिमी बंगाल	53.60
अण्डमान व निकोबार	33.22
IV. केन्द्रीय क्षेत्र	
मध्य प्रदेश	66.19
उत्तर प्रदेश	44.70
V. पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	56.55
महाराष्ट्र	75.86
गोवा	32.68
दादर व नागर हवेली	50.53
दमन और दीव	21.99
VI. दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	84.85
कर्नाटक	87.23
केरल	59.70
तमिलनाडु	100.42
पांडिचेरी	54.96
लक्षद्वीप	17.58
अखिल भारत	65.95

नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध

2516. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कार्यालयों और बैंकों में नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) सरकारी कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र की शाखायें पुन खोलना

[अनुवाद]

2517. **श्री बलराज पासी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र की शाखाओं का बन्द किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का इन शाखाओं को पुन: खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब तक खोली जायेंगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का देश में भी भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र की शाखायें खोलने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अधिकारीवाद को कम करने और अप्रवासी भारतीय निवेशकों को एकीकृत सेवाएं उपलब्ध कराने के बृहत् उद्देश्य के एक भाग के रूप में विदेश स्थित भारतीय निवेश केन्द्र के कार्यालयों को बन्द कर दिया गया है।

(ख) से (घ) यदि सरकार की औद्योगिक नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए ऐसे प्रस्तावों की आवश्यकता पड़ी तो इन पर विचार किया जा सकता है।

(ङ) और (च) सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय

2518. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण का एक अलग कानूनी अस्तित्व है और वह निर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्य करता है। सरकार ऐसे बैंकों की अलग पहचान एवं दर्जा बनाए रखना चाहती है।

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों का पुनर्गठन

2519. **श्री महेश कुमार कनोडिया :**
श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसी कि दिनांक 16 जुलाई, 1991 के "इकानामिक टाइम्स" की एक खबर है; भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने मुक्त व्यापार क्षेत्रों को निर्यात संवर्धन का एक कारगर उपकरण बनाने के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों के पुनर्गठन का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में वित्तीय और मौद्रिक प्रोत्साहनों और अन्य बहुत-सी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने जनवरी, 1990 में कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए किए गए अपने बाजार सर्वेक्षण में इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यू० एस० एस० आर० के साथ रुपया भुगतान आधार पर व्यापार को प्रोत्साहन देना, मूल्य वर्धन मानकों को कम करना, क्षेत्र में व्यापार क्रियाकलापों की अनुमति देना, आटोमेटिक ब्रोड बैंण्डिग और निर्यात संसाधन क्षेत्रों तथा 100% निर्यात अभिमुख एककों के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण की स्थापना करना शामिल हैं।

(ग) ये और अन्य सुझाव विचाराधीन हैं।

रक्षा उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

2520. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :
श्री वीरेन्द्र सिंह :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जुलाई, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पी० ई० सी० टु इन्वोल्व प्राइवेट सैक्टर इन डिफेंस एक्सपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा संबंधी सामान के संवर्धन और निर्यात के लिए संघ सरकार द्वारा स्थापित प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया ने रक्षा संबंधी सामान के उत्पादन और स्थिति में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गैर-सरकारी क्षेत्र की नियुक्ति संबंधी मानदण्ड और शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या रक्षा संबंधी सामान के निर्यात बाजार में अपना स्थान बनाने के लिए 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में भी संशोधन करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना तथा उपस्कर निगम, निर्यात के मामले में, निजी क्षेत्र की इकाइयों को, जिनमें रक्षा सामानों का उत्पादन करने वाली इकाइयां भी शामिल हैं, सहायता करता है।

(ग) परियोजना तथा उपस्कर निगम निर्यात के लिए प्रत्येक मामले के आधार पर निर्माताओं के साथ अलग-अलग करार करता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग

2521. **श्री बलराज पासी :**
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से राजमार्ग कितनी-कितनी लम्बाई के हैं और ये किन-किन राज्यों से होकर गुजरते हैं; और

(ख) उन राज्यीय राजमार्गों के राज्यवार नाम क्या हैं तथा उनकी लम्बाई कितनी-कितनी है और राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने पर विचार किया जा रहा है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। रा० रा० ग्रिड में और अधिक सड़कों को शामिल करने के बारे में निर्णय आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार हो जाने के बाद ही लिया जा सकेगा।

विवरण

विभिन्न राज्यों में रा० रा० की संख्या/मार्गों का नाम/कि० मी० में लम्बाई की जानकारी देने वाला विवरण

1-8-1991 की स्थिति

क्रम सं०	रा०रा० का नाम	मार्ग का नाम	कुल लंबाई (कि०मी०)	राज्य जिनमें होकर गुजरती है और लम्बाई (कि० मी०)	
1	2	3	4	5	
1.	1	दिल्ली-अमृतसर-भारत/पाक सीमा	456	दिल्ली	22
				हरियाणा	180
				पंजाब	254

1	2	3	4	5	
2.	1ए	जालंधर-उरी	663	पंजाब	108
				हिमाचल प्रदेश	14
				जम्मू और कश्मीर	541
3.	1बी	बटोट-डोडा-किश्तवार	107	जम्मू और कश्मीर	107
4.	2	दिल्ली-कलकत्ता	1490	दिल्ली	19
				हरियाणा	74
				उत्तर प्रदेश	770
				बिहार	392
				पश्चिम बंगाल	235
5.	3	आगरा-मुम्बई	1161	उत्तर-प्रदेश	26
				राजस्थान	32
				मध्य प्रदेश	712
				महाराष्ट्र	391
6.	4	थाणे-मद्रास	1235	महाराष्ट्र	371
				कर्नाटक	658
				आंध्र प्रदेश	83
				तमिलनाडु	123
7.	4ए	बेलगांव-पनजी	153	कर्नाटक	82
				गोवा	71
8.	4बी	न्हावाशेवा-पाल्सपी	27	महाराष्ट्र	27
9.	5	झार पोखरिया-मद्रास	1533	उड़ीसा	488
				आंध्र प्रदेश	1000
				तमिलनाडु	45
10.	5ए	हरिदासपुर-पारादीप पत्तन	77	उड़ीसा	77
11.	6	धुले-कलकत्ता	1645	महाराष्ट्र	686
				मध्य प्रदेश	314
				उड़ीसा	462
				बिहार	22
				पश्चिम बंगाल	161
12.	7	वाराणसी-कन्याकुमारी	2369	उत्तर प्रदेश	128
				मध्य प्रदेश	504
				महाराष्ट्र	232

1	2	3	4	5	
				आंध्र प्रदेश	753
				कर्नाटक	125
				तमिलनाडु	627
13.	7ए	पलायंकोट्टै-टूटीकोरिन पत्तन	51	तमिलनाडु	51
14.	8	दिल्ली-मुम्बई	1428	दिल्ली	13
				हरियाणा	101
				गुजरात	498
				राजस्थान	688
				महाराष्ट्र	128
15.	8ए	अहमदाबाद-कांडला	378	गुजरात	378
16.	8बी	बामनबोर-पोरबन्दर	206	गुजरात	206
17.	8सी	चिलोडा-सरखेज	46	गुजरात	46
18.	9	पुणे-विजयवाड़ा	791	महाराष्ट्र	336
				कर्नाटक	75
				आंध्र प्रदेश	380
19.	10	दिल्ली-फाजिल्का भारत/पाक सीमा	403	दिल्ली	18
				हरियाणा	313
				पंजाब	72
20.	11	आगरा-बीकानेर	582	उत्तर प्रदेश	51
				राजस्थान	531
21.	11ए	मनोहरपुर-अंधी दौसा	64	राजस्थान	64
22.	12	जबलपुर-जयपुर	890	मध्य प्रदेश	490
				राजस्थान	400
23.	13	सोलापुर-चित्रदुर्गा	491	महाराष्ट्र	43
				कर्नाटक	448
24.	14	बीवर-राधनपुर	450	राजस्थान	310
				गुजरात	140
25.	15	पठानकोट-सामाखियाली (नजदीक कांडला)	1526	पंजाब	350
				राजस्थान	906
				गुजरात	270

1	2	3	4	5	
26.	16	निजामाबाद-जगदलपुर	460	आंध्र प्रदेश	220
				महाराष्ट्र	30
				मध्य प्रदेश	210
27.	17	पनवेल-इडापल्ली	1269	महाराष्ट्र	482
				गोवा	139
				कर्नाटक	280
				केरल	368
28.	17ए	क्यार्टोलिम-मर्मगांव	19	गोवा	19
29.	20	पठानकोट-मंडी	220	पंजाब	10
				हिमाचल प्रदेश	210
30.	21	चंडीगढ़-मनाली	323	चंडीगढ़	24
				पंजाब	67
				हिमाचल प्रदेश	232
31.	22	अंबाला-भारत/तिब्बत सीमा (नजदीक शिपकला)	459	हरियाणा	30
				पंजाब	31
				हिमाचल प्रदेश	398
32.	23	चास-तलचर	459	बिहार	250
				उड़ीसा	209
33.	24	दिल्ली-लखनऊ	438	दिल्ली	8
				उत्तर प्रदेश	430
34.	25	लखनऊ-शिवपुरी	319	उत्तर प्रदेश	237
					82
35.	26	झांसी-लखनंदन	396	उत्तर प्रदेश	128
				मध्य प्रदेश	268
36.	27	इलाहाबाद-मंगावन	93	उत्तर प्रदेश	43
				मध्य प्रदेश	50
37.	28	बरौनी-लखनऊ	570	बिहार	259
				उत्तर प्रदेश	311
38.	28ए	पिपरा कोठी-रक्सोल-भारत/नेपाल सीमा	68	बिहार	68
39.	29	गोरखपुर-वाराणसी	196	उत्तर प्रदेश	196

1	2	3	4	5	
40.	30	मोहनिया-बक्तियारपुर	230	बिहार	230
41.	31	बरही-अमीनगांव	1125	बिहार	437
				पश्चिम बंगाल	366
				असम	322
42.	31ए	सिवोक-गंगटोक	92	पश्चिम बंगाल	30
				सिक्किम	62
43.	31बी	नार्थ सलमारा-जोगीघोपा	19	असम	19
44.	31सी	गलगलिया-बिजनी	235	पश्चिम बंगाल	142
				असम	93
45.	32	गोविन्दपुर-जमशेदपुर	179	बिहार	107
				प० बंगाल	72
46.	33	बरही-बहारोगोरा	352	बिहार	352
47.	34	डलकोला-कलकत्ता	443	प० बंगाल	443
48.	35	बारसात-बनगाव-इन्डो/ बंगलादेश बार्डर	61	प० बंगाल	61
49.	36	नांगोंग-दीमापुर (मनिपुर रोड)	170	असम	167
				नागालैंड	3
50.	37	पंचरत्न-सैखोआघाट	680	असम	680
51.	37ए	काउरीतल-तेजपुर	23	असम	23
52.	38	माकुल-लीखापानी	54	असम	54
53.	39	नुमालीगढ़-मोरा-इन्डो/ बर्मा बोर्डर	436	असम	115
				नागालैंड	110
				मनिपुर	211
54.	40	जोरहाट-शोकी	161	मेघालय	161
55.	41	कोलाघाट-हल्दिया पोर्ट	51	प० बंगाल	51
56.	42	संबलपुर-कटक	261	उड़ीसा	261
57.	43	रायपुर-नाटावलसा	551	मध्य प्रदेश	316
				उड़ीसा	152
				आंध्र प्रदेश	83

1	2	3	4	5	
58.	44	शिलांग-अगरतला	495	मेघालय	184
				असम	111
				त्रिपुरा	200
59.	45	मद्रास-डिन्डीगुल	387	तमिलनाडु	387
60.	45ए	बिल्लूपुरम-पांडिचेरी	40	तमिलनाडु	17
				पांडिचेरी	23
61.	46	कृष्णागिरी-रानीपेंत	132	तमिलनाडु	132
62.	47	सलेम-कन्याकुमारी	640	तमिलनाडु	224
				केरल	416
63.	47ए	विलिंगडन द्वीप-कोचीन बाईपास	6	केरल	6
64.	48	बंगलौर-मंगलौर	328	कर्नाटक	328
65.	49	मदुरई-कोचीन	440	तमिलनाडु	290
				केरल	150
66.	50	नासिक-पूणे	192	महाराष्ट्र	192
67.	51	पैकन-डालू	149	आसाम	22
				मेघालय	127
68.	52	पेहाटा-सैकोआघाट	850	आसाम	540
				अरुणाचल प्रदेश	310
69.	52ए	बंदरदेवा-ईटानगर	25	आसाम	5
				अरुणाचल प्रदेश	20
70.	53	बदरपुर-सिलचर	320	आसाम	100
				मणिपुर	220
71.	54	सिलचर-त्यूपांग	560	आसाम	45
				मिजोरम	515
72.	54ए	तैरियत-लुंग्लै	9	मिजोरम	9
73.	54बी	बीनस सैदल-साहिया	27	मिजोरम	27
74.	55	सिलिगुडी-दार्जलिंग	77	प० बंगाल	77
75.	56	लखनऊ-वाराणसी	285	उत्तर प्रदेश	285
76.	एनई1	अहमदाबाद-बदोदरा	93	गुजरात	93

भारतीय भू-भाग, वायु-क्षेत्र और समुद्री-क्षेत्र का उल्लंघन

2522. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान किसी भी देश ने भारतीय भू-भाग, वायु-क्षेत्र और समुद्री-क्षेत्र का किस प्रकार तथा कितना उल्लंघन किया;

(ख) क्या उक्त उल्लंघन को दोषी देश की जानकारी में लाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) इस प्रकार उल्लंघन के कुछ मामले हुए हैं। उनका ब्यौरा देना वांछनीय नहीं होगा।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विदेशी सरकारों को विरोध पत्र भेजे गए हैं तथा उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऐसी घटनाएं दुबारा न होने पाएं।

रांची में पटना उच्च न्यायालय की खण्डपीठ

[हिन्दी]

2523. **श्री साइमन मरान्डी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में पटना उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ स्थापित की गई है;

(ख) क्या संथाल परगना को रांची खण्डपीठ के क्षेत्राधिकार मे नहीं लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या संथाल परगना को रांची खण्डपीठ के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) पटना उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ रांची में 1976 मे स्थापित की गयी थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) बिहार सरकार से रांची न्यायपीठ की अधिकारिता के अधीन संथाल परगना को लाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

शीरे का निर्यात

[अनुवाद]

2524. **श्री यशवंतराव पाटिल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी मिलों को शीरे का निर्यात करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) शीरे के निर्यात की अनुमति है बशर्ते कि निर्यात संविदाओं का पंजीकरण स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के पास कराया गया हो जोकि निर्यात नीति के अन्तर्गत सरणीयन एजेन्सी है। निर्यात के लिए शीरे की राज्य-वार रिलीज का निर्धारण रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में पुनः रोजगार पर लगे भूतपूर्व सैनिकों का वेतन निर्धारण

2525. **श्री जीवन शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में लड़ाकू सैनिक लिपिक के रूप में सेवा करने के बाद, सिविल विभाग में पुनः सेवा पर लगे लिपिक को उसके वेतन निर्धारण का लाभ दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिकों के रूप में पुनः रोजगार पर लगे भूतपूर्व सैनिकों को भी उपर्युक्त लाभ देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) व्यय विभाग के दिनांक 11-4-63 के कार्यालय ज्ञापन सं० 6(४)-ई 111/63 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सिविल विभागों में अवर श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ लिपिक के पद पर पुनः नियुक्त भूतपूर्व योधा सैनिक लिपिक (कम्बटन्ट क्लर्क) के वेतन को बाद के पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में योधा क्लर्क के रूप में सेवा के पूर्ण वर्षों के बराबर वेतन वृद्धियां देकर निर्धारित किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पुनः नियुक्त भूतपूर्व योधा सैनिक लिपिक सहित, भूतपूर्व सैनिकों के मामले में, उनका वेतन इस तरह निर्धारित किया जाता है कि पुनः नियुक्त होने पर उनकी कुल परिलब्धियां उनके द्वारा सशस्त्र सेना में प्राप्त की गई अन्तिम परिलब्धियों से कम न हों। ऐसा करना इसलिए अनिवार्य हो गया है क्योंकि सशस्त्र सेना के वेतनमान और बैंक के वेतनमान विभिन्न अंतरालों में संशोधित किये जाते हैं। विभिन्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के संदर्भ में संशोधित किए जाते हैं और ये विभिन्न महंगाई भत्ते के फार्मूले द्वारा नियंत्रित होते हैं।

आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट

[हिन्दी]

2526. **श्री लाइमन मराण्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई कपड़ा नीति के सम्बन्ध में वर्ष 1985 में गठित आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रिपोर्ट की प्रतियां पहले से ही संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

2527. **श्री साइमन मरान्डी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य-बार गत दो वर्षों के दौरान कौन-कौन-सी कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण किया गया और चालू वर्ष में कौन-कौन-सी मिलों का आधुनिकीकरण किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विवरण सलग्न है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

मदनपल्ली स्पि० मिल्स लि०

सुपर स्पि० मिल्स लि०

टी० टी० टैक्सटाइल लि०

गुजरात

अरुणोदय मिल्स लि०

भारत विजय मिल्स लि०

नवसरी काटन तथा मिल्स लि०

पीबीएम पोलीटैक्स लि०

हरियाणा

जीएस इन्डस्ट्रीज लि०

यूनिट ज्वाला टैक्सटाइल

केरल

जी० टी० एन० टैक्सटाइल लि०

प्रिकोट मिल्स लि०

वसर्टन इंडिया काटन.लि०

महाराष्ट्र

हिन्दुस्तान स्पि० तथा वि० मिल्स लि०

डक्कन का० स्पि० मिल्स लि०

रूबी मिल्स लि०

यशवन्त एस० एस० जी० लि०

उड़ीसा

उड़ीसा स्पि० मिल्स लि०

उड़ीसा विबरर्स को-आप० स्पि० मिल्स लि०

पंजाब

श्री भवानी कोटन मिल्स लि०

वर्धवान स्पि तथा जीन० मिल्स लि०

तमिलनाडु

आय्याप्पन टैक्सटाइल्स लि०

बोजराज टैक्सटाइल्स मिल्स लि०

लोयल टैक्सटाइल मिल्स लि०

पैरामाउंट टैक्सटाइल्स मिल्स लि०

प्रियमियर मिल्स

सीता लक्ष्मी मिल्स लि०

श्री कड़पागम्बल मिल्स लि०

श्री कनागिरन मिल्स लि०

करुणाअम्बकायी मिल्स लि०

श्री रामकृष्ण मिल्स (सी० बी० इ०) लि०

श्री वेंकटेसा मिल्स लि०

कडरी मिल्स (सी० बी० इ०) लि०

तिरूपुर टैक्सटाइल लि०

विजयेस्वरी टैक्सटाइल लि०

विरुद्धानगर टैक्सटाइल मिल्स लि०

पश्चिम बंगाल

शक्तिगढ़ टैक्सटाइल्स तथा इंडस्ट्रीज

वर्ष 1990-91 (अप्रैल मार्च) के दौरान पूरी हुई वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना/आधुनिकीकरण योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त वस्त्र एकक

आंध्र प्रदेश

ज्योति प्रकाश स्पीनिंग मिल्स लि०

श्री सत्यनारायण स्पीनिंग मिल्स लि०

गुजरात

अरविन्द मिल्स लि०

ब्रोच टैक्सटाइल मिल्स लि०

मिहिर टैक्सटाइल्स लि०

नूतन मिल्स लि०

सूरत टैक्सटाइल मिल्स लि०

हरियाणा

के० सी० टैक्सटाइल्स लि०

हिमाचल प्रदेश

बिसम टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज लि०

केरल

श्री भगवती टैक्सटाइल्स लि०

मध्य प्रदेश

जियाजीराव काटन मिल्स लि०

महाराष्ट्र

सेंचुरी स्पीनिंग एण्ड मैनूफैक्चरिंग कम्पनी लि०

इचलकरंजी को-ओप० स्पीनिंग मिल्स लि०

आर० एस० आर० मोहता स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स (प्रा०) लि०

पांडिचेरी

श्री राजेश्वरी मिल्स लि०

राजस्थान

अजय पेपर मिल्स लि०

तमिलनाडु

अन्नामलाई काटन मिल्स प्रा० लि०

आरकोट टैक्सटाइल मिल्स लि०

क्वालिटी स्पीनिंग मिल्स प्रा० लि०

एन० टी० सी० (टी० एन० एण्ड पी०) लि० एकक : कोयम्बटूर मुरुगन मिल्स

सेल्वाराजा मिल्स प्रा० लि०

कोलिंगूर टैक्सटाइल्स लि०

श्री सीता वेंकटेश मिल्स

श्री कन्ना पिरन मिल्स लि०

तिरुमंगल मिल्स लि०

विष्णु शंकर मिल्स लि०

उत्तर प्रदेश

अमिताभ टैक्सटाइल्स लि०

पश्चिम बंगाल

हावड़ा टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज लि०

वर्ष 1991-92 (अप्रैल-मार्च) के दौरान पूरी होने वाली संभावित वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना—आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त एकक

आन्ध्र प्रदेश

ओ० टी० एन० टैक्सटाइल्स लि०

हेमलता टैक्सटाइल्स लि०

एन० टी० सी० (ए० पी० के० के० एम०) लि० यूनिट : तिरुपति काटन मिल्स

प्रीकाट मिल्स लि०

प्रियदर्शिनी स्पि० मिल्स लि०

श्री अकम्बा टैक्सटाइल्स लि०

श्री सत्यम स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०

तेलंगाना स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०

गुजरात

अरुणा मिल्स लि०

अरविन्द मिल्स लि०

बंगाल टी एण्ड फैब्रिक्स लि०, यूनिट : असरवा मिल्स

देवती फैब्रिक्स लि०

मफतलाल इंडस्ट्रीज लि०

महेन्द्रा मिल्स लि०

पी० बी० एम० पोलिटैक्स लि०

रायपुर मैन्यु० कम्पनी लि०

आर० बी० रोडा एण्ड क० लि०

रुस्तम मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०

श्री अरबुदा मिल्स लि०

श्री दिनेश मिल्स लि०

बी० एस० एल० इंडिया लि०

हरियाणा

टैक्नालाजी इंस्टीट्यूट आफ टैक्सटाइल्स

कर्नाटक

रामकुमार मिल्स प्रा० लि०

श्री बल्लपा टैक्सटाइल्स लि०

केरल

कालीकट माडर्न स्पि० तथा विवि० मिल्स लि०

कण्णयी काटन मिल्स लि०

केरल टैक्सटाइल का० यूनिट

प्रभुराम मिल्स

केरल टैक्सटाइल कारपोरेशन

यूनिट कोयट्टयम टैक्सटाइल

मद्रास स्पिनर्स लि०

एन० टी० सी० (ए० पी० के० के० एम०) लि० यूनिट : पार्वती मिल्स

यूनिट : अलगप्पा टैक्सटाइल्स (कोचिन) मिल्स

यूनिट : केरल लक्ष्मी मिल्स

राजगोपाल टैक्सटाइल मिल्स प्रा० लि०

मध्य प्रदेश

ग्रेसम इंडस्ट्रीज लि०

जीयाजी राम कोटन मिल्स लि०

स्टर्ड मिल्स लि०

महाराष्ट्र

भारत काटन ग्रोअर्स को-ओ० स्पि० मिल्स लि०

बोम्बे डाइन तथा मैन्यु० कपनी लि०

डॉन मिल्स कम्पनी लि०

हिन्दुस्तान स्पि० एंड वि० मिल्स लि०

कोल्हापुर जिला सेतकारी विनकारा सूत ग्रीनी लि०

माधवनगर काटन मिल्स लि०

मफतलाल फाइन स्पि० एंड मैन्यू० कम्पनी लि०

नीलकांत एस० एस० जी० लि०

पैरागांव टैक्सटाइल मिल्स लि०

प्रकाश काटन मिल्स लि०

शिवसैकर्स मिल्स लि०

सोलापुर विनाकर एस० एस० जी० नियमित

यो ज्योतमाल जिला सहकारी सूतवा कपाड ग्रिनी लि०

पांडिचेरी एन० टी० सी० (टी० एन० एंड पी०) लि० यूनिट:

स्वदेशी काटन मिल्स

पंजाब

महावीर स्पि० मिल्स लि०

सतलज काटन मिल्स लि०

राजस्थान

डबी टैक्सटाइल्स लि०

राजस्थान स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०

तमिलनाडु

डी० पी० एफ० टैक्सटाइल्स लि०

एलन टैक्सटाइल (प्रा०) लि०

गंगा टैक्सटाइल्स प्रा० लि०

जी० वी० जी० इंडस्ट्रीज लि०

जानकीराम मिल्स लि०

कादरी मिल्स (सी० बी० ई०) लि०

लक्ष्मी मिल्स कम्पनी लि०

सायल टैक्सटाइल मिल्स लि०

मेटूर स्पि० मिल्स लि०

नरसिम्हा मिल्स प्रा० लि०

एन० टी० सी० (टी० एन० एण्ड पी०) लि०

यूनिट : श्री शारदा मिल्स लि०

यूनिट : श्री सोमासुन्दरम मिल्स लि०

यूनिट : श्री कोयम्बटूर स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०

यूनिट : बेलाराम वर्मा टैक्सटाइल मिल्स

पैरामाउंट टैक्सटाइल्स लि०

सीतालक्ष्मी मिल्स लि०

श्री मंगियाकारसी मिल्स लि०

श्री मीनाक्षी सुन्दरम टैक्सटाइल्स लि०

श्री नरसिम्हा टैक्सटाइल्स लि०

श्री नित्यकल्याणी टैक्सटाइल्स लि०

श्री शक्ति टैक्सटाइल्स लि०

श्री स्नेहवली टैक्सटाइल्स लि०

श्री नाटेसर स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०

श्री शिवाकामी मिल्स लि०

सुजानी टैक्सटाइल्स प्रा० लि०

सुपर स्पि० मिल्स लि०

टामाराय मिल्स लि०

थंजावूर टैक्सटाइल्स लि०

तिरुपुर टैक्सटाइल लि०

वल्ली काटन ट्रेडर्स लि०

विजय कुमार मिल्स लि०

विरुद्धानगर टैक्सटाइल मिल्स

उत्तर प्रदेश

अजन्ता टैक्सटाइल्स लि०

को-आप० टैक्सटाइल मिल्स लि०

यू० पी० स्टेट स्पि० मिल्स लि०

यू० पी० एम० टी० सी० यूनिट : झांसी, संदिला, काशीपुर, मेरठ

प० बंगाल

इंडिया जूट एण्ड इंडस्ट्रीज (टैक्सटाइल डिवीजन)

बिहार में कपड़ा मिलें लगाना

2528. **श्री साइमन मरान्डी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बिहार के आदिवासी बहुल क्षेत्र में एक सूती कपड़े की मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और वहां इस मिल के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) दक्षिण बिहार के आदिवासी बहुल क्षेत्र में एक-एक सूती वस्त्र मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(नई औद्योगिक नीति के अनुसार अब ऐसी मिलों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।)

तेंदू पत्ता तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए सामूहिक बीमा योजना

2529. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा निगम के सहयोग से सामूहिक बीमा योजना आरंभ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्तियों को लाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) और (ख) जी, हां। तेंदू पत्ता तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित सामूहिक बीमा स्कीम, भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से 1 अप्रैल, 1991 से प्रारम्भ की गई है। इस स्कीम में यह परिकल्पना की गई है कि 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति इस स्कीम के सदस्य बनने के पात्र हैं। स्कीम के अन्तर्गत 3,000 रुपए की बीमित राशि सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी। यदि मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई है तो, उस अवस्था में बीमा कराई गई राशि के दुगुने अर्थात् 6,000 रुपए सदस्य के कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाएंगे। इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त लाभों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा प्रत्येक पालिसीधारक से 24 रुपए वार्षिक प्रीमियम लिया जा रहा है। वार्षिक प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि, समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्गों को सामूहिक बीमा लाभों को उपलब्ध कराने के लिए स्थापित की गई सामाजिक सुरक्षा निधि में से दी जाती है तथा बाकी 50 प्रतिशत राशि लाभभोगियों द्वारा दी जाती है। यह स्कीम मध्य प्रदेश के "वन उपज सहकारी संघ" द्वारा संचालित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 15 लाख है।

दिल्ली में ऊपरिपुलों का निर्माण

[अनुवाद]

2530 **श्री पाला के० एम० मैथ्यु** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सड़कों पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए दिल्ली में कुछ ऊपरिपुलों का निर्णय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन ऊपरिपुलों के निर्माण की योजना का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) संविधानिक रूप से यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है। अन्य सभी सड़कों/पुलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र अनिवार्यतः जिम्मेदार हैं। विभिन्न कार्यकारी अभिकरणों अर्थात् दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के आधार पर 18 ऊपरिपुलों/पुलों के ऊपर सड़क/पुलों के नीचे सड़क के निर्माण का प्रस्ताव है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है। अभी से इनके पूरा होने की अवधि नहीं बताई जा सकती क्योंकि ये परियोजनाएं अभी बनाई जा रही हैं।

विवरण

कार्यकारी अभिकरणों द्वारा यथा प्रस्तुत दिल्ली में निर्माण के लिए प्रस्तावित ऊपरिपुलों/पुलों के ऊपर सड़क/पुलों के नीचे सड़क (फ्लाई ओवर्स/आर० ओ० बी०/आर० यू० बी०) निर्माण संबंधी ब्यौरे का विवरण

1. पंजाबी बाग चौराहे पर ऊपरिपुल।
2. धौलाकुआं चौराहे पर ऊपरिपुल
3. सफदरजंग चौराहे पर ऊपरिपुल।
4. राजागार्डन चौराहे पर ऊपरिपुल।
5. जे० बी० टीटो मार्ग लाला लाजपतराय मार्ग (एंड्रयूज गंज)।
6. आऊट रिंग रोड—रोहतक रोड।
7. रिंग रोड—अफ्रीका एवेन्यू।
8. रिंग रोड—रोड 41 तथा 37 (वजीरपुर डिपो चौराहा)।
9. बाहरी रिंग रोड—मधुबन चौक।
10. रिंग रोड—खेल गांव मार्ग।
11. रिंग रोड—मायापुरी चौक।

12. रिंग रोड—राजघाट।

13. रिंग रोड—शांतिपथ (मोती बाग)।

14. शंकर रोड—पूसा रोड—पटेल रोड।

15. जी० टी० रोड—सत्यवती मार्ग।

16. बाबा खड़क सिंह मार्ग—पार्क स्ट्रीट।

17. तिलक मार्ग—भगवान दास रोड।

18. किशनगंज के निकट रोहतक रोड पर पुल के नीचे सड़क (आर० यू० बी०) (चौड़ा करना)।

कम्पनी अधिनियम को सुबोध बनाना

2531. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 को न्यायसंगत और सुबोध बनाने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों को तर्कसंगत तथा सुबोध बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों से अनेक सुझाव प्राप्त किए हैं।

(ख) अधिनियम के अन्तर्गत उपबन्धों को तर्कसंगत तथा सुबोध बनाने के लिए कम्पनी अधिनियम के पुनः संहिताकरण हेतु सरकार ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा लघु बचत योजनाओं में पूंजी निवेश

[हिन्दी]

2532. **श्री छेदी पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने लघु बचत योजनाओं में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना पूंजी निवेश किया है;

(ख) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विचार लघु बचत योजनाओं में बिहार की जनसंख्या के आधार पर कोई नया पूंजी निवेश करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा लघु बचत योजनाओं में किया गया राज्य-वार निवेश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस समय भारतीय यूनिट ट्रस्ट के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निवेश का निर्धारण वास्तविक संसाधन प्रवाह, आय और नकदी की समीक्षा करके किया जाता है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	25	50	26
2. अरुणाचल प्रदेश	शून्य	20	05
3. असम	25	105	32
4. बिहार	25	70	32
5. गोवा	शून्य	20	01
6. गुजरात	25	70	43
7. हरियाणा	25	30	30
8. हिमाचल प्रदेश	शून्य	80	26
9. जम्मू और कश्मीर	शून्य	80	24
10. कर्नाटक	25	200	10
11. केरल	25	40	10
12. मध्य प्रदेश	25	70	14
13. महाराष्ट्र	50	100	50
14. मणिपुर	शून्य	20	05
15. मेघालय	शून्य	20	06
16. मिजोरम	शून्य	20	05
17. नागालैंड	शून्य	20	25
18. उड़ीसा	25	40	108
19. पंजाब	25	25	22
20. राजस्थान	25	75	75
21. सिक्किम	शून्य	20	05

1	2	3	4
22. तमिलनाडु	50	60	16
23. त्रिपुरा	शून्य	40	11
24. उत्तर प्रदेश	50	100	329
25. पश्चिम बंगाल	25	70	53
जोड़	450	1445	968

महाराष्ट्र में कपास की एकाधिकार खरीद योजनावधि बढ़ाना

2533. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कपास की एकाधिकर खरीद योजना को राज्य में और दस वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने कपास की एकाधिकार खरीद योजना को राज्य में एक जुलाई, 1990 से दस वर्ष की अवधि तक बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था।

(ख) सरकार ने इस योजना को मौजूदा शर्तों पर 1 जुलाई, 1990 से तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इंदौर-देवास मार्ग को चार लेन बनाने की योजना

2534. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लिए विश्व बैंक की योजना-दो कार्यक्रम में इन्दौर-देवास मार्ग को चार लेन बनाने की योजना को शामिल कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर निर्माण कार्य कब से शुरू होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। ऋण के लिए बातचीत पूरी हो गई है। तथापि, ऋण हेतु समझौते पर अभी हस्ताक्षर होने बाकी हैं। अत: अभी से परियोजना के प्रारम्भ होने की तारीख बताना संभव नहीं है।

विद्युत करघा क्षेत्र में उत्पादन

2535. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विद्युत करघा क्षेत्र में धागे (यार्न) के अधिक मूल्यों तथा बाना उपलब्ध होने में उत्पन्न कठिनाइयों के कारण उत्पादन दित-प्रतिदिन कम होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार विद्युतकरघा क्षेत्र को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। वास्तव में देश में कुल उत्पादन का अनुमान विद्युत करघों के लिए यार्न के विस्तार के आधार पर लगाया जाता है। विद्युतकरघा क्षेत्र को यार्न की उपलब्धता तथा इस क्षेत्र द्वारा अखिल भारत आधार पर कपड़े का उत्पादत बढ़ रहा है तथा यार्न की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

मार्च से जुलाई, 1991 की अवधि के दौरान यार्न की कीमतों में 5 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक की वृदि हुई है। तथापि, सरकार का यार्न की कीमतों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं है क्योंकि वे मांग और पूर्ति में उतार-चढ़ाव होने की स्थिति पर निर्भर करती है।

कोची बाह्य मार्ग (केरल) पर येवरा से कुंडाम्नूर तक संपर्क सड़क चरण-दो

[अनुवाद]

2536. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणम** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय संघ सरकार ने केरल में कोची बाह्य मार्ग में येवरा से कुन्डाम्नूर तक संपर्क सड़क-चरण दो (राष्ट्रीय राजमार्ग-47 ए) के लिए विस्तृत आकलन को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, 33 करोड़ रु० की अनुमानित लागत के इस कार्य को संस्वीकृति के लिए वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है।

रुग्ण औद्योगिक इकाइयां

2537. **श्री हरिन पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई ऋण राशि का ब्यौरा क्या है तथा इन इकाइयों को लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1988 (अद्यतन तारीख जिसके लिए सूचना एकत्र की गई है और उपलब्ध है) के अन्त की स्थिति के अनुसार रुग्ण और औद्योगिक एककों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए बैंक ऋणों की बकाया राशि 5243.98 करोड़ रुपये थी।

संभावित अर्थक्षम माने गए रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करने के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार करने और उसे लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये हैं। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ चरणबद्ध ढंग से उसकी वापसी अदायगी की बढ़ी हुई अवधि के साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वर्तमान देय राशियों के निधिकरण, ब्याज में रियायत, नए सावधि ऋणों की मंजूरी और नयी कार्यशील पूंजी सुविधाओं का भी प्रावधान है।

गैर लघु रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (**विशेष उपबंध**) **अधिनियम**, 1985 के अन्तर्गत **स्थापित** न्यायिककल्प निकाय, **औद्योगिक और** वित्तीय **पुनर्निर्माण बोर्ड** को निवारक, सुधारक, उपचारात्मक **और** अन्य उपायों के लिए आवश्यक कार्यवाही करने तथा ऐसे उपायों को शीघ्र लागू करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं।

जनसंख्या में वृद्धि के कारण संसदीय चुनाव क्षेत्रों में वृद्धि करना

2538. **डा० बसन्त पवार** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप संसदीय चुनाव क्षेत्रों की संख्या बढ़ाए जाने की संभावना है जैसा कि हाल की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों से जाहिर होता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) जी नहीं। वास्तव में संविधान (इकहत्तरवां) संशोधन विधेयक, 1990 में जो संसद् में लम्बित है, यह प्रस्ताव है कि निर्वाचन क्षेत्रों का उनकी संख्या में परिवर्तन किए बिना, परिसीमन किया जाए।

विदेशी ऋण

2539. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि सभी विदेशी ऋणों/सहायता का उपयोग केवल आधार मशीनों की स्थापना हेतु पूंजीगत वस्तुएं खरीदने के लिए किया जाए न कि डेरी और खाद्य प्रसंस्करण आदि हल्की परियोजनाओं के लिए, जिनके लिए आंतरिक संसाधन जुटाये जा सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विदेशी ऋण/सहायता मुख्यतः हमारी राष्ट्रीय आयोजना प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न परियोजनागत और परियोजना-भिन्न कार्यक्रमों की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ली जाती है। तथापि द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता उन परियोजनाओं के संबंध में ली जाती है जिनके लिए आंतरिक संसाधन जुटाए जा सकते हों, बशर्ते कि उनसे विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त अन्तःप्रवाह होता हो।

आटोमोबाइल वर्कशाप के लिए लाइसेंस जारी करना

2540. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **जल-भूतल परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "मास एमिशन नार्म्स फार विहिकल्स सून" समाचार शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है,

(ख) उसमें उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आटोमोबाईल वर्कशापों को सर्विसिंग और मरम्मत आदि के लिए सौंपे गए वाहनों की देखभाल और अच्छी सर्विसिंग सुनिश्चित करने के लिए देश में सभी आटोमोबाईल वर्कशापों को लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। प्रेस रिपोर्ट में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर की गई कार्रवाई/स्थिति इस प्रकार है .—

(I) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया के अतिरिक्त सेंट्रल फार्म मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट और वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान भी प्राधिकृत जांच एजेंसियां हैं। जांच एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के बाद निर्माताओं को आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किए हैं कि वाहन का प्रोटोटाइप मोटरवाहन नियमावली में निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

(II) प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित प्रावधानों को कार्यान्वित करने का दायित्व राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों का है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा धीरे-धीरे आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। आवश्यक उपस्कर देशी स्रोतों से खरीदे जाते हैं और जहां कहीं जरूरी हुआ इनका आयात करके इस कमी को पूरा किया जाएगा।

(III मोटर वाहन अधिनियम नियमावली के केवल कुछ प्रावधानों को छोड़कर अन्य सभी प्रावधानों को पहले ही लागू किया जा चुका है।

(IV) जहां तक तीव्र जन परिवहन प्रणाली का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के लिए तीव्र जनपरिवहन प्रणाली शुरू करने के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने का कार्य मैसर्स राइट्स को सौंपा था। रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन को दे दी गई थी। भारत सरकार ने दिल्ली प्रशासन के साथ परामर्श करके तैयारी सम्बन्धी कार्रवाई करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया है।

(V) मोटर स्प्रिट में लीड अंश को कम करने की दृष्टि से सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक प्रभावी उपाय के रूप में बरौनी और डिगबोई शोधशालाओं (रिफाईनरीज) में उत्प्रेरक रिफार्यमर्स लगाए जाने का अनुमोदन कर दिया है।

(ग) जी, नहीं।

12.00 बजे

[हिन्दी]

आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चन्दूर गांव में हुई हरिजनों की नृशंस हत्या के बारे में

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमने एक नोटिस दिया है, आन्ध्र प्रदेश के गंटूर जिला के चन्दूर गांव में 20 से ज्यादा शेड्युल्ड कास्ट्स के लोगों की हत्याएं हुई हैं।···(**व्यवधान**)·· कल भी आन्ध्र प्रदेश के साथी काफी एजिटेटेड थे जिसमें चार सौ दलित हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, वे गांव छोड़कर भागे हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट को इस बात की पहले जानकारी थी। यदि सरकार चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शन का जो मामला है, वह भारत सरकार के जिम्मे है, केन्द्रीय सरकार के जिम्मे है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब से नई सरकार आई है, तब से इनके ऊपर में जुल्म और अत्याचार की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में तीन शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की हत्या की गई। अभी आन्ध्र प्रदेश में 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मेरी जानकारी है कि जितने भी पोलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, तमाम लोग जुडिशियल एन्क्वायरी की मांग कर रहे हैं। हम लोग विपक्ष की तरफ से आज डैलीगेशन लेकर जा रहे हैं। होम मिनिस्टर, श्री चव्हाण साहब, यहां बैठे हुए हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं, यह तो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की हत्याओं में वृद्धि हुई है, इस दिशा में सरकार कितनी चिन्तित है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अभी तक कर रही है ? (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्य को अनुमति दी है।

(**व्यवधान**)

प्रो० उमा रेड्डी वेंकटेश्वरालु (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र तेनाली में हरिजनों के साथ एक शर्मनाक घटना घटी है। चेन्दूर गांव में हुई यह घटना देश की सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर एक खुला हमला है। इस महीने की छः तारीख को ऊंची जाति के लोगों ने हरिजनों पर हमला किया।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसे इस तरह नहीं दिखायें। कृपया इसे लपेट लीजिये। यह नहीं किया जायेगा।

(**व्यवधान**)

प्रो० उमा रेड्डी वेंकटेश्वरालु : गुंटूर जिले में बीस हरिजनों की नृशंस हत्या कर दी गई है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि एक उचित दर दुकान के मालिक मि० योकोब को एम० आर० ओ० ने बुलाया तथा जब श्री योकोब एम० आर०ओ० आफिस जा रहा था तो ऊंची जाति के लोगों

ने उस पर हमला किया। इसके परिणामस्वरूप दो समुदायों के बीच झगड़ा हो गया जिसमें दोनों तरफ के अनेक लोग इकठ्ठा हो गये। इस घटना में बहुत से लोग घायल हुए। कुछ समय के बाद ऊंची जाति के लोगों ने जो कि उस इलाके के कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, न केवल उस गांव के बल्कि आसपास के गांवों से लोग भी इकट्ठा कर लिये। वे लोग सभी प्रकार के घातक हथियार लेकर बसों और ट्रैक्टरों से उस गांव में पहुंच गए। उन्होंने उस गांव में लगभग बीस हरिजनों को कत्ल कर दिया। यह सुनियोजित कार्यवाही थी क्योंकि उन्होंने केवल हत्यायें ही नहीं कीं बल्कि उन्होंने शवों को बोरों में लपेटकर पास में बहने वाले तुंगभद्रा नाले में फेंक दिया। यह एक छोटा नाला है। श्रीमन्, अभी सवेरे तक सात शव निकाले गए हैं तथा लगभग बीस अन्य हरिजनों के बारे में कोई जानकारी हो नहीं है। हम यह अनुभव करते हैं कि बीस से ज्यादा व्यक्तियों की हत्या की गई है और उस नहर में पानी का बहाव कम करने का कार्य चल रहा है तथा शवों की खोज की जा रही है। पिछले डेढ़ वर्ष में आंध्र प्रदेश में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हमले की यह पहली घटना नहीं है। आंध्र प्रदेश में अनेक बार ऐसे हमले हुए हैं तथा हमारे विपक्ष के नेता श्री एन० टी० रामाराव ने इन सभी घटनाओं की जानकारी प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति को दी है। आंध्र प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति अत्यधिक बिगड़ चुकी है। राजनैतिक लाभ के लिए यहां तक कि मुख्य मंत्री बदलने तक के लिये डकैतियों, सरेआम लूटपाट, बलात्कार, हत्याओं तथा साम्प्रदायिक दंगों की घटनायें हो रही हैं। सांप्रदायिक झगड़े बहुत अधिक बढ़ गये हैं और अब तो यह रोजमर्रा की बात हो गई है। लोगों के जान-माल की कोई सुरक्षा नहीं रह गई है। विशेषकर हरिजनों को उत्पीड़ित किया गया है।···(**व्यवधान**)···हमारी मांग है कि आंध्र प्रदेश सरकार को इस कारण से तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए कि राज्य में कोई कानून एवं व्यवस्था नहीं है। श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों ने ऐसा किया है। आंध्र प्रदेश के जिस मन्त्री ने उस स्थान का दौरा किया था, इस बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और यह कहा है कि उनके अपने लोगों ने यह किया है। उन्होंने कहा कि ऊंची जाति के ये लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं···(**व्यवधान**) ···श्रीमन्, हमारी मांग है कि इस घटना की न्यायिक जांच का आदेश दिया जाना चाहिये तथा इस घटना के शिकार व्यक्तियों को अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिये। (**व्यवधान**)

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद (चामराजनगर) : श्रीमन्, आगामी सप्ताह देश अपना 45वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। मैं जानता हूं, इस अवसर पर लम्बे-लम्बे भाषण दिये जायेंगे, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि होंगे। लेकिन वास्तव में निश्चित रूप से यह दिन खुशी से मनाने का नहीं है। मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि वास्तव में इस आजाद मुल्क में हो क्या रहा है (**व्यवधान**)···आज भी गुंटूर जिले के केन्दूर गांव में अनुसूचित जातियों के लोगों, हरिजनों की नृशंस हत्या कर दी गई है। उनमें से कई का अपहरण कर लिया गया है तथा वे लापता हैं। इन हत्याओं का क्या कारण है ? अनुसूचित जाति के एक लड़के को सिनेमा हाल में मार दिया गया। उन लोगों ने यह अनुसूचित जाति के हरिजनों को सजा दी है। महोदय, हम हमेशा इस देश में रंगभेद विरोधी बातें करते रहे हैं ? इस देश को रंगभेद विरोधी बात करने का क्या नैतिक अधिकार है। अस्पृश्यता के रूप में इस देश के हर कोने में रंगभेद फैला हुआ है। इस देश में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों/हरिजनों का शोषण करने

के लिए कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है। इसलिए, महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि सरकार को इस घटना की न्यायिक जांच कराकर अपराधियों को सजा देनी चाहिए··· (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में तथाकथित ऊंची जाति के लोगो ने 20 से ज्यादा हरिजनों की हत्या कर दी। उन्हें निर्दयतापूर्वक मारने के बाद उन्होंने उनके शवों को बोरों में भरकर नहर में फेंक दिया। यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है। सभी राजनैतिक दलों ने इस घटना की न्यायिक जांच कराये जाने की मांग की है। पहले भी इस तरह की घटनायें हुई हैं और हमने उन घटनाओं पर उस सदन में चर्चा की है। चूंकि 25 से ज्यादा हरिजनों की हत्या का यह मामला अत्यधिक गम्भीर है, अतः इस सदन में इस पर चर्चा की जानी चाहिए···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : और भी कई सदस्य बोलना चाहते हैं। कृपया संक्षेप में और जल्दी अपनी बात कहिये।

श्री बसुदेव आचार्य : इसी तरह की हत्यायें त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश में भी हो रही हैं··· (व्यवधान) हम मांग करते हैं कि आप नियम 193 के अधीन इस घटना पर चर्चा की अनुमति दें या स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लोकनाथ जी, मैं आपको मौका दूंगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिये, मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है।

एक माननीय सदस्य : महोदय, क्या आप इसे नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए स्वीकार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका फैसला यहां नहीं, अपने चैम्बर में करता हूं।

श्री के० पी० रेड्डया यादव (मछलीपटनम) : महोदय, मैं भी उसी निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं। वह मेरा पैतृक स्थान है। आपकी जानकारी में सभी तथ्य लाये गये हैं तथा मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। तथ्य यह है कि सब इंस्पैक्टर तथा सर्किल इंस्पैक्टर भी वहां मौजूद थे। ये पाशविक हत्यायें उन्हीं की उपस्थिति में 11 बजे म० पू० से 4 बजे म० प० तक पांच घण्टे तक चलती रहीं। वहां सरकारी तंत्र काम नहीं कर रहा है। मैं माननीय ग्रह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह 'जैसा कि 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था।' उसी तरह उस गांव के रेड्डी लोगों तथा तेलंगाओं को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल सी० बी० आई० की एक टीम वहां भेजें। मैं उन लोगों को ऊंची जातियों का नहीं कहता हूं। वे उस गांव के रेड्डी तथा तेलंगा लोग हैं। इन्हीं लोगों ने यह बर्बरतापूर्ण कार्य किया। मुख्य मंत्री के साथ सांठगांठ होने के कारण कांग्रेस के नेता इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं आपकी जानकारी में एक महत्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाणा) : महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री यादव को अनुमति दी है। कृपया बैठ जाइये।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : हरिजनों का यह पाशविक नरसंहार अत्यन्त गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य पहले ही यह कह चुके हैं। आप उसे दोहराना क्यों चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : मैं ऊंची जाति के जिन लोगों ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 20 से अधिक हरिजनों की नृशंस हत्या की है, उनकी तीव्र भर्त्सना करता हूं। यह अत्यंत गम्भीर मामला है। मैंने उन पुलिस अधिकारियों तथा सरकारी तंत्र की असफलता की भी भर्त्सना की है जो उस गांव में सात दिन तक ठहरने के बाद भी वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न करवाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद इतने अधिक लोग मार दिये गये। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल जिला गुंटूर का दौरा करें···

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कृपया आप बैठ जाइये।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, हरिजन अपने गांवों में वापस नहीं जा रहे हैं। वे सड़कों पर पड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : इसमें गृह मंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए··· (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वासनिक जो कुछ कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरे विचार से सम्पूर्ण सभा इस बात पर सहमत है और अनुसूचित जातियों तथा असहाय एवं निर्धन लोगों की इस प्रकार की नृशंस हत्याओं की भर्त्सना करती हैं। कल जैसे ही हमें इस घटना की जानकारी मिली, श्री राम विलास पासवान, राजू जी तथा मैंने सदन के नेता श्री अर्जुन सिंह को पूरे तथ्यों की जानकारी दे दी थी।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं भी आपके साथ था।

श्री चन्द्रजीत यादव : हां, श्री आचार्य भी वहां थे।

इसकी तात्कालिकता को देखते हुए हमने उनसे अनुरोध किया था कि सरकार को तत्काल

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री से सम्पर्क करना चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि मुख्य मन्त्री दिल्ली में हैं तथा वे उनसे बात करेंगे और मुख्य मन्त्री को सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत करायेंगे तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि गरीब लोगों के मार दिए जाने के ऐसे मामलों को आवश्यक अविलम्बनीयता की दृष्टि से नहीं देखा जाता। दूसरी ओर यदि कोई रेल दुर्घटना हो जाती है और पांच आदमी मर जाते हैं तो भी मन्त्री महोदय तत्काल दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं ··(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि रेलें केन्द्रीय सरकार की हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह भी केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। जहां तक अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के जीवन और रक्षा का सम्बन्ध है, यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं गृह मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे किसी मन्त्री को तत्काल वहां भेजें तथा न्यायिक जांच का आदेश दें। यदि गृह मन्त्री जी स्वयं उस स्थान का दौरा करें तो अधिक अच्छी बात होगी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री से सम्पर्क किया गया ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मन्त्री खड़े हैं। वे कुछ कहना चाहते हैं।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : शून्य काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता। लेकिन मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री बूटा सिंह : आप मेरी बात सुनिये। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें व्यवस्था का प्रश्न कैसे है।

अध्यक्ष महोदय : शून्य काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता।

श्री बूटा सिंह : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि वक्तव्य देते समय तेनाली क्षेत्र के माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है। इसलिए मेरी आपत्ति यह है कि जब तक जांच नहीं हो जाती और तथ्य सिद्ध नहीं हो जाते तब तक इस सभा में किसी का नाम नहीं लिया जा सकता।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न इसी बारे में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मुझे उनकी बात सुनने दीजिये। यदि मैं सही ढंग से नहीं सुनूंगा तो इस सम्बन्ध में अपना विनिर्णय नहीं दे पाऊंगा।

श्री बूटा सिंह : मेरी आपत्ति यही है कि जब तक केन्द्र सरकार या राज्य सरकार इसकी जांच नहीं कर लेती तब तक माननीय सदस्य···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। यदि मैं उनकी बात सही ढंग से नहीं सुनूंगा तो मैं अपना विनिर्णय नहीं दे सकूंगा। मुझे उनकी बात अच्छी तरह सुनने दीजिए।

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने संसद सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का भारी दुरुपयोग किया है। अपने वक्तव्य में उन्हें कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए था। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उनकी टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दें क्योंकि जब तक जांच होकर यह सिद्ध नहीं हो जाता कि कौन जिम्मेदार है, तब तक वह किसी का नाम नहीं ले सकते।

दूसरी बात यह कि महोदय, मन्त्री जी इस मामले को राज्य सरकार पर म छोड़ें। यह एक जघन्य अपराध है। पुलिस की उपस्थिति में लोगों की हत्या की गई। अतः गृह मन्त्री जी का यह अनिवार्य कर्त्तव्य हो जाता है कि वे इस घटना की स्वतंत्र जांच करायें और सभा के समक्ष उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। **(व्यवधान)**

श्री भू० विजय कुमार राजू (नरसापुर) : आज के समाचार पत्र से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये ऊंची जाति के लोग कांग्रेस के हैं... **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : इस घटना की जांच इस सभा के सदस्यों से करा दी जाए। मैं गृह मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस सभा का एक दल आंध्र प्रदेश भेजें। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : हम उनके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। **(व्यवधान)**

श्री भू० विजय कुमार राजू : हम तथ्यों का पता लगाने के लिए उनका स्वागत करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : चूंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य ने, जो कि भूतपूर्व मन्त्री हैं और दुर्भाग्य से आज मन्त्री नहीं हैं जबकि वे नए मन्त्री भी हो सकते थे, यह प्रस्ताव किया है अतः सम्पूर्ण सभा निर्विरोध रूप से उनके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। आज और अभी इस सभा की समिति गठित हो जानी चाहिए। हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : सभा की समिति गठित कर दी जाये, हम उनका समर्थन करते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आपने देखा है कि माननीय गृह मन्त्री खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास कर रहे है। आप उन्हें अपनी बात कहने दीजिये। तभी बात स्पष्ट हो सकती है। वास्तव में आप यही चाहते है कि इस पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। इसलिए आपको उन्हें उत्तर देने का अवसर देना चाहिए।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : उन्होंने पहले ही एक सुझाव दिया है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि चूंकि श्री बूटा सिंह ने सुझाव दिया है कि इसी सभा की एक जांच समिति गठित की जानी चाहिए, यदि ऐसा है तो यह आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि अन्य स्थान भी इसके दायरे के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने चाहिये। **(व्यवधान)** पीलीभीत और बिहार सहित।

श्री भू० विजय कुमार राजू :... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि इस बीच आपके कहे हुए को किसी ने नहीं सुना ? इसीलिए यदि आप कोई बात कहना चाहते हैं तो एक-एक करके कहते जाइये और सभा की कार्यवाही नियमानुसार चलने दीजिये। नहीं तो बोलते जाने का कोई तुक नहीं है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : अध्यक्ष महोदय, जांच तो चलती रहेगी। लेकिन आज अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन हरिजनों की सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जो अपने गांव छोड़कर चले गये और अब वापस अपने घर लौटने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए अब सवाल यह है कि उन्हें तत्काल सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जांच में तो एक हफ्ता या महीना भी लग सकता है, लेकिन आज तात्कालिक आवश्यकता सुरक्षा प्रदान किए जाने की है।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं। मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री से बात की है। वह आज ही यहां से गए हैं और वह सीधे उसी गांव जाएंगे जहां यह घटना घटी है। वह मामले की स्वयं जांच करेंगे और रिपोर्ट मिलने के बाद हम देखेंगे कि न केवल उन अनुसूचित जातियों के लोगों को आवश्यक सुरक्षा मिले जो कि प्रभावित हुए हैं बल्कि उस गांव के सभी हरिजनों को सुरक्षा मिले।

श्री राम विलास पासवान : उनमें से कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : रिपोर्ट मिलने के बाद हम सभा में वक्तव्य देना चाहेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभा की समिति के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री भू० विजय कुमार राजू :··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रवण कुमार पटेल।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभा की एक समिति बनाई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप लोग बैठ जाइये। आप मुझे कुछ कहने ही नहीं देते हैं। आप हमेशा चिल्लाते रहते हैं। मुझे भी कुछ कहने दीजिए। यह क्या है ? आपने अपनी बात कह दी है। मैं उत्तर देने के लिए खड़ा हूं। आप मुझे उत्तर नहीं देने देते हैं। इस तरह हम सभा की कार्यवाही कैसे चला पायेंगे ? मुझे कुछ कहने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप एक-एक करके अपनी बात कहेंगे तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। अब मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। जब आप बोल रहे थे, मैं आप सबको सुनता रहा किन्तु आप सदैव ऐसा नहीं कर सकते हैं। सभी पार्टियों के नेताओं को मिल-बैठकर इसके बारे में निर्णय करना चाहिए। यदि वे समिति गठित करना चाहते हैं और उसे सभी राज्यों में भेजना चाहते हैं, तो वे ऐसा कर लें।

श्री राम विलास पासवान : वह समिति कहां जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : जहां कहीं समस्या होगी। इस बारे में आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रवण कुमार पटेल।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आप कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप इस पर चर्चा की अनुमति दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों पर सभा में निर्णय नहीं लिये जाते हैं। यदि आप एक समिति का गठन करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपने अपनी बात कह दी है और गृह मन्त्री ने उसका उत्तर भी दे दिया है। उन्होंने आपको बताया है कि वह सभा में वक्तव्य देंगे। उसके बाद यदि आप समिति का गठन करना चाहते हैं तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। लेकिन यह फैसला आप लोग आपस में कर लें कि आप किस प्रकार की समिति बनाना चाहते हैं, उसका अधिकार-क्षेत्र क्या होगा, वह कहां जायेगी इत्यादि-इत्यादि। इस प्रकार के मामलों पर सभा में तत्काल निर्णय नहीं लिये जा सकते। मैं इस मुद्दे पर इस तरह से निर्णय नहीं लेना चाहता हूं। सभी नेताओं को मिल-बैठकर निर्णय लेना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इसे इस या उस तरह करिये। आप कोई निर्णय ले लीजिये। मुझे आपको ऐसा करने या न करने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इस तरह के मसले को सभा में नहीं रख सकते, जैसे कि सभा के सामने लाने के लिए और कोई मसले नहीं हैं।

पीछे की सीटों पर बैठे सदस्य मुझसे मिलते और यह कहते रहे हैं कि उन्हें सभा में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। आपने एक मुद्दा उठाया है और उस पर इतनी बातें हो गई हैं। क्या आपको मुझे अब अन्य मुद्दों पर भी नहीं जाने देना चाहिए, कृपया बात को समझिये और मुझे अन्य मुद्दों पर जाने दीजिये। यदि आप समिति बनाना चाहते हैं तो सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को मिल-बैठकर इस पर निर्णय लेना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : यह निश्चय कौन करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप आपस में तय कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : गृह मन्त्री की इस पर क्या प्रतिक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद भी आप खड़े हो रहे हैं। आपको आशा से अधिक मिल गया है। अब आप कृपया चुप हो जाइये।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति ।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति (विशाखापटनम्) : विजाग इस्पात मिल पर अब तक 7800 करोड़ रुपए की लागत आ चुकी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा सरकार के कार्यों का निष्पादन ही नहीं करता रहूंगा। आप सदैव मुझे सरकार के कार्यों का निष्पादन करने के लिए ही नहीं कहते रहिये। जहां तक सभा के कार्यों का सम्बन्ध है, वह मेरा दायित्व है किन्तु इसके लिए मुझे आपको साथ लेकर चलना होगा। तथ्यों को जाने बिना यदि मैं यह कहता रहूं कि "यह करो" और "यह न करो" तो वह उचित नहीं होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : हम आपके साथ हैं।

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : यह गृह मन्त्री पर निर्भर करता है कि वह समिति बनाने पर सहमत होते हैं कि नहीं। जहां तक मेरी कानूनी जानकारी है, अध्यक्ष महोदय अपने आप कोई समिति नहीं बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर बाद में हम चैम्बर में चर्चा करेंगे। अभी अन्य मुद्दे लेने हैं। श्री मूर्ति।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : विजाग इस्पात मिल का पूर्ण लक्षित उत्पादन तीस लाख मीटरी टन प्रति वर्ष है जिसे अब से एक वर्ष में पूरा किया जाना है। तीसरे चरण को पूरा करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। किन्तु वित्त मन्त्री ने केवल 398 93 करोड़ रुपए बजट में रखे हैं। अब से एक वर्ष में लक्षित उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्होंने शेष राशि की व्यवस्था नहीं की है। पिछले वर्ष इस मिल पर 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और इस मिल के लिए कुछ किया नहीं गया तो इस वर्ष 500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और यह नकद नुकसान होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की बहुत आवश्यकता है।

मेरा वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह बजट में 1500 करोड़ रुपए की आवश्यक राशि उपलब्ध करायें ताकि हमें अब तक 8000 करोड़ रुपए की लगाई गई राशि का भरपूर फायदा उठा सकें। अन्यथा हमारे संसाधनों पर यह एक भारी दबाव पड़ेगा। मेरा वित्त मन्त्री से अनुरोध है कि वह इस ओर तुरंत ध्यान दें।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : मैं सभा का ध्यान मध्य प्रदेश में जल से होने वाली बीमारियों से भारी संख्या में होने वाली मौतों की ओर दिलाना चाहता हूं।

मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक अब तक मध्य प्रदेश में 547 व्यक्ति मौत का शिकार हो चुके हैं। जुलाई में जब भारी वर्षा होती है तो काफी अधिक संख्या में मौतें होती हैं। प्रति वर्ष हैजा और गम्भीर आन्त्रशोथ जैसी पानी से होने वाली वायरल हैपिटाइटस और आंत्रज्वर जैसी बीमारियों के कारण बहुत लोग मर जाते हैं। यह प्रवृत्ति वृद्धि पर है। मध्य प्रदेश के मेरे चुनाव क्षेत्र जबलपुर में प्रति वर्ष गम्भीर आन्त्रशोथ महामारी का रूप ले लेती है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों मे अनेक लोगों की मृत्यु होती है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह तत्काल निम्नलिखित कदम उठाये :

(1) यह सुनिश्चित करना कि मानसून आरम्भ होने से पहले प्रति वर्ष एक कार्य-योजना तैयार की जाए ताकि ग्रामीण लोगों को व्यापक रूप से सुरक्षित पेय जल के प्रयोग के बारे में शिक्षित किया जा सके।

(2) सरकार द्वारा गांवों में कुओं को समुचित रूप से साफ कर उनमें दवाई डाली जाए।

(3) सरकार को ओ० आर० एस० सहित निवारक और उपचारात्मक दवाइयां काफी अधिक मात्रा में सुगमता से उपलब्ध करानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सागर।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री राम सागर जी का नाम लिया है।

[हिन्दी]

श्री राम सागर (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा बुलन्दशहर में चौबीसी कैथला गांव में छात्र कुलदीप सिंह यादव की गोली मारकर हत्या, गोलियों से दर्जनों छात्रों को घायल करने तथा गांवों व घरों में घुसकर पुलिस के द्वारा लोगों के साथ किए जा रहे अमानुषिक कृत्यों की ओर दिलाना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : मेरा एक प्वाइंट ऑफ इनफॉरमेशन है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हू कि··· (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री राम सागर का वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राम सागर : इस पूरे क्षेत्र में जाने-माने और इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री अमानुल्ला खां को पुलिस ने पकड़कर चौराहे पर सार्वजनिक तौर पर दाढ़ी नुचवाने और बाल कटवाने का अमानुषिक एवं घृणित कृत्य किया है। पुलिस अमानुल्ला खां को लाठियों से मार-मारकर डी० पी० यादव और मुलायम सिंह मुल्ला मुर्दाबाद बोलने को कह रही थी। इस पूरे क्षेत्र में डी० पी० यादव और स० ज० पा० के कार्यकर्ताओं को फर्जी मामलों में मार-मारकर पुलिस बंद कर रही थी। इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश है। पूरे क्षेत्र में दहशत का वातावरण बना हुआ है।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं इस मामले में माननीय गृह मन्त्री का बयान और सदन में खुली चर्चा चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मन्त्री का ध्यान उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से गाजीपुर जिले में किसानों की लूट की ओर दिलाना चाहता हूं।

गाजीपुर जिले में फुटकर खाद विक्रेताओं को जिलाधिकारी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि फुटकर खाद विक्रेता पुराने स्टॉक को पुराने दाम पर बेचें। इसके विपरीत होलसेल दुकानदारों को खाद के पुराने स्टॉक को नये रेट पर बेचने का आदेश दिया गया है। गाजीपुर के जिलाधिकारी के अनुसार उन्हें ऐसा आदेश राज्य एवं केन्द्र सरकार के निर्देश पर दिया है।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। हमारी मांग है कि सरकार पुराने स्टॉक को पुराने दाम पर ही बेचने का निर्देश दे।

यदि जिला अधिकारी ने सरकार के निर्देशों के विपरीत पुराने खाद को नये रेट से बेचने का निर्देश दिया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये, यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं।

श्री जंगबीर सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिये मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री का ध्यान हरियाणा के हिसार जिले की ओर दिलाना चाहता हूं जिसे आज यातना शिविर बना दिया गया है। हरियाणा के···* ···ने ट्रकों को रोक कर भानु इंडस्ट्रीज के अहाते में, जो कि···*···की है, लगभग 11 आदमियों पर गोलियां चला दीं, लगभग 11 आदमियों को पकड़कर एक बन्द कोठरी में डाल दिया। यातना शिविर में उन्हें रख दिया गया। महोदय, आज हम 9 अगस्त के दिन को उन क्रांतिकारी शहीदों की स्मृति में मना रहे हैं, जिन्होंने विध्वंसकारी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए वीरगति पाई। दूसरी तरफ हरियाणा में ऐसा काण्ड हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जिसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, उसे सम्मिलित न किया जाए।

[हिन्दी]

श्री जंगबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि बगैर हिरासत में रखे, बगैर किसी को गिरफ्तार किए, 11 आदमियों को एक ऐसी बंद कोठरी में डाल दिया गया है जहां न रोशनी की कोई व्यवस्था है, न पंखे की कोई व्यवस्था है और न शौच आदि का कोई प्रबंध है। ऐसे स्थान पर, 11 आदमियों को यातना शिविर में रखकर विषैला

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

माहौल बना दिया गया है। कलकत्ता के कुख्यात मेन हॉल काण्ड को भी मात दे दी गयी है। इसके विरोध में आज सारा हिसार बन्द है। वहां की स्थानीय जनता ने गुस्से में सारे हिसार को बन्द किया हुआ है। मुख्य मन्त्री के आदेश से न पुलिस कप्तान और न कोई डिप्टी कमिश्नर लोगों की बातों को सुन रहे हैं। मैं गृह मन्त्री जी का ध्यान, आपके माध्यम से इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने सदन में जो आश्वासन दिया था कि टाडा का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा, वहीं दूसरी तरफ हमारे यहां हिन्दुस्तान के एक उद्योगपति के खिलाफ, जो हरियाणा विकास पार्टी का विधायक भी है, टाडा के अन्तर्गत मुकदमा बनाया गया है। आतंकवादी एक्ट के तहत ऐसी कार्यवाहियों को रोका जाना चाहिये। वहां 11 आदमियों को उग्रवादी एक्ट के तहत बन्द कर दिया गया है, यह भी टाडा का सरासर दुरुपयोग है।

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया, आप बैठिये।

श्री जंगबीर सिंह : मान्यवर, आज स्थिति यह हो गयी है कि हरियाणा में ट्रक यूनियन के दफ्तर को पुलिस शिविर में बदल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : बस बस। आप बैठिये।

श्री जंगबीर सिंह : इतना ही नहीं, जिन्दल फैक्टरी को पुलिस छावनी बना दिया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ अब उन्होंने कहा है उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

केवल श्री रामप्रसाद सिंह के कथन को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामप्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सर्विसेज कर्मचारियों की सरकार द्वारा की गयी घोर उपेक्षा की ओर, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, उनकी दर्द और पीड़ा को सरकार लम्बे समय से सुन नहीं रही है। ये लोग अपनी उचित मांगों को समय-समय पर सरकार के ध्यान में लाते रहे हैं, मांग करते रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह उनकी भी प्रोन्नति होनी चाहिये। इसके संबंध में 11 सितम्बर, 1989 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, श्री रफीक आलम, ने उनसे समझौता किया था लेकिन आज तक उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। फिर 23 मार्च, 1990 को सरकार ने उन्हें पेशेंट केयर एलाउंस देने एवं 31-1-1991 तक प्रोमोशन देने का वायदा कर समझौता किया था लेकिन आज तक उस समझौते पर भी कोई अमल नहीं किया गया। आज वे कर्मचारी हड़ताल पर हैं जिसके फलस्वरूप मरीजों को काफी कठिनाई हो रही है और दूसरी तरफ कर्मचारी भूखों मर रहे हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सदन में सरकार से मांग

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करता हूं कि उनकी उचित मांगों को मान लिया जाये और उन्हें सम्मानजनक जीने का हक प्रदान किया जाये।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी आपकी आज्ञा से इस सदन में आंध्र प्रदेश में हुए सामूहिक हरिजन हत्याकाण्ड के बारे में चर्चा हो रही थी और सारा सदन एक तरह से हरिजनों के सामूहिक उत्पीड़न और हत्या से चिन्तित था। मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जिले उन्नाव के गांव चैम खेड़ा में तीन हरिजनों को जिंदा जला दिया गया। इनमें से दो हरिजन प्रेमचंद रैदास और किशन रैदास को मुस्तफाबाद के दो सामन्तों ने जो भाजपा के कार्यकर्ता बताये जाते हैं, गोली मारी और गोली मारने के बाद उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके काट दिया और टुकड़े-टुकड़े करने के बाद इन दोनों की लाशों को आग के हवाले कर दिया। श्रीमान् उसी समय श्रीमती चन्द्रिका देवी वहां आ गईं, इन सामंतों ने उसको भी आग में झोंक देने का काम किया और इस प्रकार से तीन हरिजनों को मार दिया।

श्रीमान्, उन हरिजनों का केवल इतना ही गुनाह था कि उन्होंने सामन्तों के कहने पर बेगारी नहीं की। यह घटना राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री श्री एजाज रिजवी के गांव के बगल में घटी परन्तु आज तक राज्य सरकार का कोई भी प्रतिनिधि घटना स्थल पर नहीं गया है। पुलिस मामले पर पर्दा डालना चाहती है। पूरे गांव में भय और आतंक छाया हुआ है। प्रदेश सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जांच भी नहीं करवाई जा रही है।

श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि उन्नाव जिले के इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो यह हत्याकाण्ड किया गया है उसके दोषी व्यक्तियों को पकड़ा जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और वहां के क्षेत्र के लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसे समाप्त किया जाए और वहां के लोगों में जो भय और आतंक विद्यमान है, उसको दूर किया जाए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : महोदय, उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के कारण गंभीर स्थिति पैदा हो गयी है। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 4 अप्रैल, 1991 के अपने निर्णय में कहा है कि खनन रायल्टी पर उपकर लगाना राज्य सरकार की क्षमता से बाहर है और उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख से अर्थात् 22-12-1989 से, संग्रहीत उपकर को ब्याज सहित वापस करने के निर्देश दिए हैं। इस कारण राज्य सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए की धन-राशि वापस करनी होगी और इसके अलावा 1991-92 के बजट में, 1989 से लम्बित बकाया समेत खनन रायल्टी पर उपकर के रूप में 171.75 या 172 करोड़ रुपया इकट्ठा होने का अनुमान लगाया गया है। 22-12-1989 से 31-3-1991 तक पहले ही संग्रहीत उपकर और उस पर लगने वाले ब्याज की राशि को प्रमुख खनिजों पर उपकर (वैधीकरण और समापन) विधेयक, 1991 का अधिनियमन, जो इस समय केन्द्र सरकार के विचाराधीन है, करके बचाया जा सकता है। राज्य के संसाधनों में और आगे गिरावट को रोकने के लिए पहले ही संग्रहीत उपकर को विधिसम्मत बनाने के लिए अपेक्षित केन्द्रीय कानून तत्काल अधिनियमित किया जा सकता है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस प्रमुख खनिजों पर उपकर (वैधीकरण और

समापन) विधेयक, 1991 में तत्काल संशोधन किया जाये ताकि राज्य सरकार को भारी हानि न हो। अन्यथा, राज्य में विकास कार्यों को जारी रखना राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं होगा। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्र मे सैंकड़ों लोग दवाईयों के अभाव में मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, पूर्व में हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, सैंकड़ों लोग आज भी चिकित्सा एवं दवाईयों के अभाव के कारण, शुद्ध पेयजल के अभाव के कारण मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश प्रशासन भयानक महामारी की रोकथाम के प्रति पूरी तरह से उदासीन है।···(**व्यवधान**) मैं कहना चाहता हूं कि समिति का गठन करके जांच की जाए।

श्री हरपाल सिंह पवार (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पश्चिम उत्तर प्रदेश के तीन जिलों मुजफ्फरनगर, कानपुर और मेरठ में लगातार पानी की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां की एक पूर्वी यमुना नहर जिसमें लगातार पानी कम होता जा रहा है, यह नहर ताजेवाला से निकाली गई है और इसी के साथ एक दूसरी नहर पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में जाती है इसलिए वहां पर पानी का बंटवारा समान नहीं है। उत्तर प्रदेश को जो पानी मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। यह खेती का इलाका है, बहुत उपजाऊ है इसलिए यहां पर पानी की कमी से भयंकर संकट पैदा हो गया है। मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार से मिलकर फैसला करवाएं और यहां पर पानी का बंटवारा ठीक से होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एम० मुथैयन (करूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री के स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, मछली पकड़ने के जाल और मच्छर-दानियां बनाने में प्रयुक्त होने वाले उच्च घनत्व वाले पोलोथलिन मोनोफिलामेंट धागे का निर्माण करने वाली चार सौ से अधिक छोटी लघु उद्योग इकाइयां देश भर में स्थापित की गई थीं जिनमें से अधिकांश (अस्सी प्रतिशत) इकाइयां तमिलनाडु में खासतौर पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र करूर में हैं, अब ये इकाइयां 9.25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नया उत्पाद शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप बन्द हो गयी हैं जिसके परिणामस्वरूप दस हजार से अधिक श्रमिक, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं, बेरोजगार हो गए हैं। इसी प्रकार धागे की दरों में अचानक हुई बीस प्रतिशत की वृद्धि के कारण हजारों हथकरघा बुनकर बेकार हो गए हैं। रूई के निर्यात के कारण ऐसा हुआ है।

मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से 9.25 रुपए प्रति किलो की दर से लगाए गए उत्पाद शुल्क को निरस्त करने का अनुरोध करता हूं जिससे इस क्षेत्र में रोजगार में लगे गरीब और पद-दलित लोगों को बचाया जा सके। साथ ही धागे के मूल्यों में कमी करने तथा रूई का निर्यात करने की कृपा करें।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान मुंगेर जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुंगेर गंगा नदी पर पुल बनाना बहुत आवश्यक हो गया है। जहां एक तरफ मुंगेर, खगड़िया, बेगुसराय और जमुई में यातायात की गम्भीर समस्या पैदा हो गई है वहीं इन चारों जिलों का आर्थिक विकास ठप्प हो गया है। अगर यहां पुल बन जाता है तो सरकार की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और साथ-साथ चार करोड़ लोगों का फायदा होगा। 1953 में पंडित नेहरू और 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी मुंगेर पर पुल बनाने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार इस ओर कोई भी कारगर कदम नहीं उठा सकी है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जल्दी ही धन का इन्तजाम किया जाए और मुंगेर गंगा पर पुल निर्माण का काम जल्दी किया जाए।

श्री सुखदेव पासवान (अररिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के अररिया संसदीय क्षेत्र से आता हूं वहां जूट की फसल बहुत ज्यादा पैमाने पर होती है, उड़ीसा, बंगाल से कहीं ज्यादा हमारे यहां बिहार में होती है। वहां पर पिछले साल जूट की कीमत 600 से 700 रुपये प्रति क्विंटल थी, इस बार जब जूट की फसल हो रही है तो इसकी कीमत 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल है।···
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर तो आधे घंटे की चर्चा दी है, इसके ऊपर आधे घंटे तक प्रश्न-उत्तर हुआ है। यह मिसयूज ओफ टाइम है, आप दूसरों का टाइम ले रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण मामला इस सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं। एक वीडियो पत्रिका 'इन्द्र धनुष' ने अपने अगस्त के अंक में किसी राजेन्द्र दारा के साथ भेंटवार्ता दी है जो 'पेप्सी' के सम्बन्ध में एक खोजपरक पुस्तक लिख रहे हैं। उस भेंटवार्ता में उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के पीछे जो हाथ है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। एक प्रासंगिक सवाल यह उठाया गया है कि क्या इसमें सी० आई० ए० और पेप्सी शामिल हैं। सेंसर बोर्ड ने पत्रिका के उस अंक में इसे दिखाए जाने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने इसे निकाल दिया है। ऐसा क्यों किया गया है ? हमें इस बात की आशंका है कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे के षड्यन्त्रकारियों और इस प्रकार की जघन्य कार्य करने के लिए लिट्टे को प्रेरित करने वाले लोगों को उजागर करने के किसी भी प्रयास को विफल करने की कोशिश की जा रही है। आपको भी षण्मुखम की रहस्यपूर्ण स्थितियों में हुई मृत्यु के बारे में याद होगा जिससे हमारे मन में अत्यधिक आशंकाएं पैदा हुई हैं।

आप यह भी जानते हैं कि किस तरह ठक्कर आयोग रिपोर्ट का वह भाग जिसमें इन्दिरा गांधी की हत्या के मामले में विदेशी ताकतों के सम्मिलित होने का उल्लेख किया गया है, सभा के समक्ष नहीं रखा गया था। मेरे पास समाचारपत्रों की कुछ कतरनें हैं जिनमें गृह मन्त्री ने राज्य सभा में कहा है कि राजीव गांधी उन कुछ देशों की आंखों का कांटा बन गए थे जिन्हें महाशक्ति

होने के कारण कोई चुनौती नहीं दे सकता। विदेश कार्यालय द्वारा इस बात का खण्डन किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि जब भी हत्या के षड्यन्त्रकारियों को बेनकाब करने की कोई कोशिश की गयी है तो उसे समाप्त करने या दबाने का प्रयास किया गया है। मैं चाहता हूं कि इस पर एक स्पष्ट वक्तव्य दिया जाए। सैंसर बोर्ड में इस बात की अनुमति न देने के लिए जिम्मेदार लोग कौन हैं ? हमें जानने का अधिकार है।

यह आदमी श्री राजेन्द्र दारा गृह मन्त्री को सारी जानकारी दे देगा। उसकी रक्षा की जानी चाहिए। वह एक खोजपरक पुस्तक लिख रहा है। उसके पास अवश्य ही कुछ सुराग होंगे। इन सुरागों को सूत्रबद्ध किया जा सकता है। मैं सारी जानकारी गृह मन्त्री महोदय को दे दूंगा। श्री दारा को संरक्षण दिया जाना चाहिए और मामले की जांच कर रहे जांच आयोग के लिए उससे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यह वाकई एक अति महत्वपूर्ण मामला है।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी अति महत्वपूर्ण मामला है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हर रोज आप महत्वपूर्ण मामले रखना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : कलकत्ता उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उच्च न्यायालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। लेकिन हाल ही में द्वीप समूह की नौकरशाही के एक वर्ग में षड्यन्त्र चल रहा है। वे उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहां एक न्यायिक आयुक्त का पद हो जो कि न्यायपालिका का एक छोटा स्तर है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोग उस स्थिति को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। सौभाग्य से मेरे मित्र श्री रंगराजन कुमारमंगलम भी यहां पर हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे पोर्टब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय पीठ स्थापित करने पर विचार करें। यह द्वीप समूह के निवासियों की आवश्यकता है। (व्यवधान) महोदय, मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह उत्तर देना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यह पूर्व निर्धारित है।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी इसका स्वागत है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधिकारी पोर्टब्लेयर में एक स्थायी सर्किट पीठ बनाने पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और हमें आशा है कि शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा। इसके बाद पोर्टब्लेयर में न्यायालय की एक स्थायी पीठ स्थापित हो जाएगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल (सीवान) : अध्यक्ष महोदय, सीवान बिहार का एक प्रमुख जिला है। यह जिला है, देश के प्रथम राष्ट्रपति देश-रत्न डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी का, यह जिला है मौलाना मजरूल हक साहब का, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जितनी भी सुविधायें दी गई हैं, उनसे यह जिला पूर्णतः वंचित रहा है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : रेल बजट पर हम डिसकसशन कर चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री वृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, रेलवे बजट के नक्शे में बिहार का कोई अता-पता नहीं है··· **(व्यवधान)** ·· मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिये **(व्यवधान)** वहां पर केवल वैशाली सुपर फास्ट ट्रेन चलती है। मैं आपसे मांग करता हूं कि देश-रत्न के नाम पर एक दूसरी सुपर फास्ट ट्रेन चलाने की सुविधा केन्द्र सरकार मुहैय्या कराये।

अध्यक्ष महोदय : आप 10 घण्टे रेलवे पर चर्चा करेंगे और फिर बोलेंगे ? दूसरे मैम्बर को भी बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, इस तरह नहीं। श्रीमती सुशीला गोपालन्।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरयंकील) : महोदय, ओणम केरल का राष्ट्रीय त्यौहार है और राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र को सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों एवं छोटी दूकानों के कर्मचारियों को भी इस अवसर पर अग्रिम वेतन तथा बोनस दिये जाते हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को अग्रिम वेतन तथा बोनस देने के लिए तैयार नहीं हैं। विशेषकर इस वर्ष ओणम महीने की आखिरी तारीख को पड़ रहा है। इन अग्रिमों के बिना मध्यमवर्गीय कर्मचारियों के लिए काम चलाना मुश्किल हो जाएगा।

एक बात और है। ओणम उत्सव इसलिए भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि समानों को केरल भेजने तथा केरल से बाहर भेजने के लिए रेलवे वैगन उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि 4.50 करोड़ मूल्य के नारियल जटा सामान तथा 20,000 सीमेंट बैग रुके पड़े हैं। इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

केरल में गेहूं न भेजे जाने के कारण खुले बाजार में गेहूं उपलब्ध नहीं है और सभी आटा मिलें बंद हो गई हैं। इससे ओणम पर प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि केरल को बंद वैगनों की सप्लाई तत्काल की जाए। अन्यथा बहुत कठिनाई होगी और लाखों कामगार प्रभावित होंगे। **(व्यवधान)**

श्री के० वी० तंगकाबालू (धर्मपुरी) : महोदय, धर्मपुरी के कुछ इलाकों में टेलीविजन दर्शकों को कम शक्ति के ट्रांसमिशन के कारण टेलीविजन की तस्वीर साफ दिखाई नहीं देती। धर्मपुरी जिले के लोगों को मद्रास दूरदर्शन के कार्यक्रम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते। अतः मेरा माननीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री से अनुरोध है कि वर्तमान ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रम देखे जा सकें। यदि यह संभव नहीं है तो

कोई वैकल्पिक स्थान का चुनाव किया जाए। धर्मपुरी के समीप वट्टामलाई अधिक ऊंचाई पर है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि इस प्रस्ताव को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो इससे धर्मपुरी के दूरदर्शन के दर्शकों को काफी फायदा होगा।

धर्मपुरी जिले में बहुत से पहाड़ हैं। इसके कारण यहां टी० वी० कवरेज संतोषजनक नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय एक उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्वीकृति प्रदान करें। इस जिले में दूरदर्शन के सही कवरेज का यही एक मात्र विकल्प है।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : महोदय, मैं अविलम्बनीय राष्ट्रीय महत्व का एक मामला उठाना चाहता हूं।

यह मालूम हुआ है कि भारत सरकार के विद्युत विभाग से एक आदेश जारी किया गया है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परिसंपत्तियों तथा मानव शक्ति के एक भाग का नव गठित नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को अन्तरित कर दिया जाए। वर्तमान श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए तथा विकल्प प्रयोग का अवसर प्रदान किये बिना, इस समय ट्रांसमिशन कार्यों में नियुक्त एन० टी० पी० सी० के प्रशासनिक तथा गैर प्रशासनिक दोनों तरह के कामगारों को एन० पी० टी० सी० में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। इस एकतरफा तथा मनमानी कार्यवाही से एन० टी० पी० सी० के अधिकारियों तथा कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इससे इस संगठन के कार्यकुशल कार्य-निष्पादन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, ग्रिड प्रबंधन का कार्य जो इस समय विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों तथा केन्द्रीय क्षेत्र की युटिलिटियों के बीच समन्वय के माध्यम से परामर्शदात् आधार पर जोनल बिजली बोर्डों द्वारा किया जा रहा है, उसे अब एन० पी० टी० सी० को सौंपा जा रहा है और जहां तक मुझे जानकारी है, ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारों के साथ पूर्व विचार-विमर्श किए बिना किया गया है। देश के सभी भागों में बिजली प्रबंध को पूर्णतः केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत लाने के इस प्रयास से राज्यों के हितों पर अनिवार्यतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह राज्यों के मामलों में एक प्रकार का सीधा हस्तक्षेप और विद्युत को समवर्ती सूची से हटाकर संघ सूची में ले जाने का दुर्भाग्यपूर्ण षड्यंत्र है। यह एक बहुत गंभीर मामला है। अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस तरह का अन्याय और अवांछनीय कदम न उठाए। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर, जो कि एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है, तत्काल वक्तव्य दे।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, डी० डी० ए० द्वारा जो मकान निर्मित किए जा रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : हो गया। आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे। एक ही बात बार-बार उठायेंगे।

श्री छेदी पासवान : महोदय, एक ही बात नही है।

अध्यक्ष महोदय : यही बात दूसरों ने कह दी है।

(व्यवधान)

श्री छेदी पासवान : महोदय, डी० डी० ए० द्वारा मकानों के आबंटन और वितरण में बहुत अनियमिततायें बढ़ती जा रही हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको मकान आबंटित न करके···

अध्यक्ष महोदय : पहले हो गया है, पासवान जी।

(व्यवधान)

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को मकान आबंटित नहीं किए जाते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि जरूरतमंद लोगों को, जिनके नाम में फ्लैट आबंटित किया जा रहा है, यदि वह दो महीने में उसके अन्दर शिफ्ट नहीं करता है, वे फ्लैट बांट दिए जायें। ···(व्यवधान)···

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय,···

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा प्रश्न उठाइए, जो पहले नहीं उठाया गया है।

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं वही प्रश्न उठाऊंगा, जो अभी तक जीरो-आवर में उठा ही नहीं। महोदय, खेद के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अपने यहां के धर्म-स्थानों को, गुरुद्वारों को उजाड़ कर मस्जिद बनाया जा रहा है या बूचड़खाना बनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार इसकी अतिशीघ्र छानबीन करे और गुरुद्वारों को उजाड़ कर मस्जिद बनाने का काम हो रहा है, इस पर कार्यवाही करें। यही मेरा आपसे निवेदन है··· (व्यवधान)···

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि चिदम्बरम साहब सुनें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लगता है कि भारत सरकार ने चतुर्थ राष्ट्र-प्रेस स्तम्भ पर हमला बोल दिया है। पिछले सप्ताह भी इस सदन में बहुत जोरों से न्यूज प्रिन्ट के दामों में बारे में सवाल उठाया गया था। अध्यक्ष महोदय, आपने तो शायद पढ़ा होगा, तफसील से पढ़ा होगा कि अभी 60 प्रतिशत न्यूज प्रिन्ट में बढ़ोतरी हुई थी। उसके बारे में पिछले 8-10 दिनों से सदन में, देश में और सारे अखबार जगत में ऐसा लगता है कि एक आन्दोलन खड़ा हो गया है। साठ प्रतिशत कीमत में न्यूज प्रिन्ट की एकाएक बढ़ोत्तरी की गई है। सवाल यह है कि एस० टी० सी० इसका सारा इंतजाम करता है और एस० टी० सी०, चिदम्बरम साहब के अधीन हैं। इसलिए पिछले आठ-दस दिनों में भारत सरकार का आई० एंड बी० मंत्रालय और चिदम्बरम साहब का मंत्रालय प्रधान मंत्री से मिला। अभी जो प्राइस फिक्सेशन कमेटी की कल बैठक हुई थी, उसने यह एलान कर दिया—यह संकट की स्थिति है। महोदय, ऐसा लगता है कि जो अखबार जुलाई 30 से पहले रुपया जमा किए हैं, उनको भी एस० टी० सी० न्यूज प्रिन्ट देने में असमर्थता व्यक्त कर रहा है। सवाल यह है कि न्यूज प्रिंट मिल नहीं रहा है और आगे चलकर यह हो सकता है कि हम लोगों को अखबार, कौन जानें, दस रुपए में मिले।··· (व्यवधान) ···इसलिए मैं कह रहा हूं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, न्यूज प्रिन्ट जब नहीं होगा, तो अखबार हम लोग नहीं पढ़ पायेंगे। इसलिए इलैक्ट्रोनिक मीडिया देशवासियों को खबर देने में असमर्थ हो रहा है।··· (व्यवधान)···प्रेस चतुर्थ राष्ट्र का स्तम्भ है। इस प्रकार की स्थिति से मेरे मन में डर है और सरकार ने प्रिन्ट मीडिया के ऊपर हमला बोल दिया है तथा मैं कहना चाहता हूं कि एस० टी०

सी०, जो कि एक पब्लिक अंडरटेकिंग है, ने होर्डर का रोल अपना लिया है। मैं आपके माध्यम से, हमारे लायक दोस्त चिदम्बरम साहब बैठे हुए हैं, जानना चाहता हूं, सरकार इस पर कब तक मौन रहेगी ? न्यूज प्रिन्ट इन्डस्ट्रीज ने एलान कर दिया है कि वे हड़ताल करने वाले हैं, वे प्राइस फिक्सेशन कमेटी के फैसले का इन्तजार नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से बहुत गम्भीर मसले के प्रति सरकार और देशवासियों का, खास कर आपका, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप सरकार को आदेश दें कि तुरंत सोमवार तक इस बारे में फैसला ले लें और यह भी फैसला करिए कि न्यूज प्रिन्ट इन्डस्ट्री हड़ताल पर नहीं आएगी। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। इसके कारण समाचार-पत्र बन्द होता जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मैं एक वाक्य आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं उनके द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करता हू। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं :

"राज्य व्यापार निगम ने निर्णय किया है..."

अध्यक्ष महोदय : आपको यहां अखबार नहीं पढ़ना है।

श्री ई० अहमद : मैं उद्धृत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप समाचार पत्र से उद्धृत न करें।

श्री ई० अहमद : राज्य व्यापार निगम ने जो रवैया अपनाया है, उससे छोटे तथा मझौले अखबारों को कठिनाई तथा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती और राज्य व्यापार निगम से उसके द्वारा की गई गलतियों तथा दुर्विनियोजन को ठीक करने के लिए नहीं कहती, तब तक छोटे समाचार पत्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए क्या मंत्री महोदय इस बारे में कोई वक्तव्य देंगे क्योंकि इसके कारण एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है ?

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : मेरे जिले कोरापुट में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखा नियंत्रित मूल्य का चावल का भंडार समाप्त हो गया है। राज्य सरकार उस जिले में रहने वाले आदिवासियों को चावल सप्लाई करने में असमर्थ है। खुले बाजार में चावल 6 रु० प्रति किलो की दर से बिक रहा है। इसलिए नागरिक आपूर्ति मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इन क्षेत्रों को यथाशीघ्र पर्याप्त मात्रा में चावल सप्लाई करें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : राज्य सरकार की गलत खाद्य नीति के कारण लोगों को चावल उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार को आगे आना चाहिए ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को बोलने दीजिए। इस तरह नहीं।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : उड़ीसा में चावल 12 रु० प्रति किलो की दर से बिक रहा है। केन्द्रीय सरकार चुप है। कृषि मंत्री वहां गए थे परन्तु उन्होंने कोई सहायता नहीं की।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): मुझे बताइए कि आपको कितना चावल चाहिए ? आपने जितना मांगा था उतना हमने दे दिया है। आपकी कार्य प्रणाली गलत है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : भारत सरकार को लोगों की सहायता करनी चाहिए। राज्य सरकार गलत नीति पर चल रही है।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। उन्हें डीलरों को निदेश देना चाहिए कि देश में विद्यमान खाद्यान्न का वितरण करें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह संबंधित माननीय सदस्यों से बात कर लें।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : धन इकट्ठा करने के लिए चुनावों से पहले अभाव की स्थिति उत्पन्न की गई है।

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे : आन्ध्र प्रदेश में मुख्य मंत्री द्वारा चावल मिल मालिकों से करोड़ों रुपया एकत्र किया गया है।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान निकोबार) : वह एक निराधार आरोप लगा रहे हैं··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। सभा में व्यवस्था कायम होनी चाहिए। मैं अन्य सदस्य को बोलने के लिए कह रहा हूं। कृपया उन सदस्यों पर रहम कीजिए जिन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला है।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का और सरकार का ध्यान एक फ्रांसीसी साप्ताहिक समाचार पत्रिका "ला इवनमेंट डू जूडी" में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में मानव अंगों के बंबई तथा मद्रास नगरों में प्रत्यारोपण के लिए बिक्री का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट का शीर्षक है 'शर्मनाक प्रत्यारोपण'। समाचार पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट मुख्य रूप से मद्रास के निकट एक गांव विल्लीवक्कम में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि इस गांव के 4000 निवासियों में से 300 निवासियों ने अपने गुर्दे बीस से तीस हजार रुपए की खातिर बेचे हैं। रिपोर्ट में मद्रास के गैस्ट हास्पिटल के डा० केशव रेड्डी का साक्षात्कार दिया गया है। डा० केशव रेड्डी ने 680 प्रत्यारोपण ऑपरेशन किए हैं और उन ऑपरेशन के लिए जीवित व्यक्तियों ने ही अंग दिए हैं।

म्यूनिख में एक सम्मेलन में डा० रेड्डी ने अपने पश्चिमी सहयोगियों को यह कहकर अचंभे में डाल दिया कि—

> 'इस देश में जीवन की क्या कीमत है ? जब कोई रेल दुर्घटना होती है तो हताहत व्यक्तियों के परिवारों को 10,000 रुपए और 30,000 रुपए के बीच की राशि मिलती है, फिर एक गुर्दे के लिए 27,500 रुपए की राशि उचित ही है।

इस पत्रिका ने डा० गिल्बर्ट बेनोइट के साथ लिए गए साक्षात्कार के अंश भी प्रकाशित किए हैं। डा० गिल्बर्ट 'फ्रांस प्रत्यारोपण' की पेरिस शाखा के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है—

'भारत की वजह से पड़ोसी देश कभी भी ऐसी व्यवस्था कायम करने में सफल नहीं होंगे जिसके अन्तर्गत मृत व्यक्तियों के अंगों को प्रत्यारोपण के लिए उनके शरीर से निकाला जा सके।"

उन्होंने आगे कहा—

"मैं भारतीय डाक्टरों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मेरे विचार में देश की विरासत—मानव जीवन—को सबके लिए बराबर सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है।"

जब ऐसी सलाह हमें दी जाती है तो हमारा शिर शर्म से झुक जाता है।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच कराई जाए।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाल सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही इंपोर्टेंट इश्यू की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में जो बढ़ोत्तरी की है उससे पेट्रोल, डीजल और केरोसीन-ऑयल में बहुत अन्तर आ गया है। व्यापारी उसमें मिलावट कर रहे हैं और मिलावट से किसानों के ट्रैक्टरों, डीजल-पम्पों और अन्य सभी लोगों के वाहनों को बहुत बड़ा खतरा है। इसको रोकने का कष्ट करें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदय, देश में एक अहम प्रश्न अपने आप उभरने लगा है कि क्या हमारा देश उग्रवाद और आतंकवाद पर नियंत्रण कर पाएगा ? इस सवाल का उत्तर न राजनीतिज्ञों के पास है, न सैनिक अधिकारियों और प्रशासन के पास है। देश में आतंकवाद और उग्रवाद के फैलने का प्रधान कारण सरकार की ढुलमुल नीतियों, राजनीतिज्ञों की संकीर्ण राजनीति एवं क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ है, जिसकी पूर्ति के लिए वे पुलिस बल का प्रयोग करते हैं न कि राष्ट्रहित में अपराधियों को दबाने के लिए। फलतः जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहा, वह इसका भरपूर दुरुपयोग करता रहा।

आज की राजनीति में पुलिस को राजनीति तत्वों से लाभ उठाने की चाट-सी लग गयी है। देश में आतंकवाद और उग्रवाद तभी मजबूत होता है जब राजनीतिज्ञ ताकतवर अपराधियों और पेशेवर शातिरों के बल पर अपने वोट बैंक मजबूत करते हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ लोग कुख्यात अपराधकर्मियों को संरक्षण प्रदान कर पुलिस बल को अकर्मण्य बनाते हैं। फलतः पुलिस कर्त्तव्यहीनता के कारण उग्रवाद एवं आतंकवादी शक्तियों के सामने किंकर्तव्यविमूढ़-सी होती जा रही है।

अतः देश में अमन, चैन, सुख-शान्ति और सुधार लाना है तो उग्रवाद एवं हिंसक शक्तियों को कठोरता से सम्पूर्ण नष्ट करना होगा। चुनाव प्रणाली में पर्याप्त सुधार करना होगा जिसमें गरीब और कमजोर वर्ग को वोट देने का हक मिल सके और जनतंत्र की नींव सुदृढ़ हो सके।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के बक्सर जिले में रामपुर से देवल तक गंगा पर पुल बनाने का शिलान्यास 1988 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन आज तक वहां एक नये पैसे का काम नहीं हुआ। आज तीन वर्ष शिलान्यास

किये हो चुके हैं, भारत सरकार ने एक नया पैसा भी नहीं दिया, जिससे पुल का निर्माण नहीं हो सका। इसलिए मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आपके द्वारा पुल का शिलान्यास किया गया है तो कम से कम उस पर जल्दी से जल्दी काम लगाया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार को पुल के जरिए जोड़ा जा सके। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने वाणिज्य मंत्री के खिलाफ प्रीवी-लेज नोटिस दिया है। इस हाउस का नियम है कि जब लोक सभा चल रही हो तो पॉलिसी मैटर हाउस के बाहर घोषित नहीं करना चाहिए। यह मैटर ऑफ प्रोपराइटी है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय मंत्री जी ने बंबई में जाकर के··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसके लिए अनुमति नहीं दी। यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, पहले आप सुन लीजिए। जब हाऊस चल रहा है तो चिदम्बरम् जी ने परसों बम्बई में पालिसी संबंधी घोषणा की है। "निर्यातकर्ताओं पर से आयात प्रतिबन्ध हटाए जाएंगे।" वह सदन की भावना के खिलाफ है और इस बारे में चेयर का निर्णय हो चुका है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : यह नीति संबंधी मामला है। मंत्री महोदय बताएं, उन्होंने वहां घोषणा क्यों की। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। बार-बार इस सदन में बताया जा चुका है कि ऐसे मामले विशेषाधिकार प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आते। वे औचित्य का प्रश्न हो सकते हैं लेकिन विशेषाधिकार का नहीं।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आज डेढ़ घंटे का समय नियत किया है, अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

1.15 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 1991

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन), नियम, 1991, जो 8 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 345 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 311/91]

वर्ष 1991-92 की विदेश मन्त्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : श्री माधव सिंह सोलंकी की ओर से मैं वर्ष 1991-92 की विदेश मन्त्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 312/91]

वर्ष 1991-92 की इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं वर्ष 1991-92 की इस्पात मन्त्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 313/91]

भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 321/91]

जल-भूतल मन्त्रालय, आंतरिक कार्य अध्ययन एकक (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1991 और पेप्सू सड़क परिवहन निगम पटियाला के वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत जल-भूतल मन्त्रालय, आंतरिक कार्य अध्ययन एकक (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1991, जो 20 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 426 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 322/91]

(2) (एक) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1988-89 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) पेप्सू सड़क परिवहन निगम, पटियाला के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 323/91]

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : श्री बलराम सिंह यादव की ओर से मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की

उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1990, जो 1 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 197(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 1990, जो 22 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 227(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 314/91]

संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री एम० एम० जैकब की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का० आ० 19(अ), जो 12 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के कतिपय उपबन्धों के परिचालन का 12 जनवरी, 1991 से छह मास की अवधि के लिए निलम्बन करने से सम्बन्धित 12 जनवरी, 1991 का राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है।

(दो) का० आ० 153(अ), जो 4 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र विधान सभा के तुरंत विघटन तथा यह निदेश कि अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय संशोधनों के अध्यधीन इस आदेश के उपबंध प्रभावी होंगे से सम्बन्धित 4 मार्च, 1991 का राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है।

(तीन) का० आ० 447(अ), जो 4 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में 12 जनवरी, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश का विखंडन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 315/91]

(2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत तिब्बत सीमा पुलिस कंपनी कमांडर (इंजीनियर) भर्ती संशोधन नियम, 1991, जो 29 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 378 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत तिब्बत सीमा पुलिस कमांडेंट (इंजीनियर) और सहायक कमांडेंट (इंजीनियर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1991, जो 29 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 379 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 316/91]

लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : मैं लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 2544, जो 29 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके अन्तर्गत भारतीय लागत और संकर्म अकाउंटेंट संस्थान की परिषद के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ चार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 324/91]

गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण समीक्षा आदि

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०सी० लेंका) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 317/91]

(दो) गोवा मीट काम्पलेक्स लिमिटेड, पणजी का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन (खंड एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक

लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गई। देखिए संख्या एल० टी० 318/91]

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 319/91]

(3) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 14 की उपधारा (4) तथा धारा 16 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल०टी० 320/91]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1990, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या विधि 2/90 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 325/91]

(दो) यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1990, जो 10 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/90 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 326/91]

(तीन) यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1991, जो 30 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० पी ई आर/टी पी/पीसी आर/1041/91 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 327/91]

(चार) बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979, जो 6 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० पी : आई आर : बी एन के : 1473 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 328/91]

(पांच) सिंडीकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1991, जो 20 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 199/एस०/0090/पी डी आई आर डी (ओ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं० एल० टी० 329/91]

(2) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सिक्का-निर्माण (डा० बी० आर० अम्बेडकर शताब्दी की स्मृति में निर्मित 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले एक रुपये के स्मारक सिक्के का मानक भार और उपचार) नियम, 1991, जो 22 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० आ० 202(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 330/31]

(3) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) विनिमय, 1990, जो 20 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 3590/पी एफ में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए सं० एल० टी० 331/91]

(4) निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 332/91]

(दो) सबरकांथा गांधीनगर ग्रामीण बैंक, हिम्मतनगर के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 333/91]

(तीन) जम्मू ग्रामीण बैंक, जम्मू के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 334/91]

(चार) दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक, मालाप्पुरम के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 335/91]

(पांच) इन्दौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उज्जैन के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 336/91]

(छः) फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 337/91]

(सात) वर्धमान ग्रामीण बैंक, वर्धमान के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 338/91]

(आठ) फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक, फर्रूखाबाद के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 339/91]

(नौ) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 340/91]

(दस) काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 341/91]

(ग्यारह) छत्रसाल ग्रामीण बैंक, ओरई के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 342/91]

(बारह) मिजोरम ग्रामीण बैंक, ऐजल के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 343/91]

(तेरह) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 344/91]

(चौदह) चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 345/91]

(पन्द्रह) परागज्योतिष गांवलिया बैंक, मालबाड़ी के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए सं० एल० टी० 346/91]

आयकर अधिनियम, 1961 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आय-कर (सोलहवां संशोधन) नियम, 1990, जो 26 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 959(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 1991, जो 13 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 90(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम 1991, जो 25 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 127(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 1991, जो 28 फरवरी, 1991 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 148(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 1991, जो 26 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना सं० का० आ० 220(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 1991, जो 12 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 255(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 1991, जो 16 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 340(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए स० एल० टी० 347/91]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 828(अ) जो 10 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रिंटिंग फ्रेमों पर जब उनका प्रयोग उत्पादन के कारखानों में टैक्सटाइल फ़ैब्रिकों की प्रिंटिंग में किया गया हो, फरवरी, 1986 के 28वें दिन से प्रारम्भ होने वाली सितम्बर, 1987 के दूसरे दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उत्पाद शुल्क की अदायगी को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 829(अ) जो 10 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हैडगियर हिस्सों पर 1 मार्च, 1986 को प्रारंभ होने वाली 1 मई, 1988 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उत्पाद-शुल्क की अदायगी को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 852(अ) जो 22 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका 28 फरवरी, 1986 को प्रारम्भ होने वाली और 4 जून, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान दूध की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कम घनत्व के पोलिथिलीन लेपित कागज अथवा गत्ते के विनिर्माण में अपेक्षित उत्पाद-शुल्क की अदायगी को माफ करना है तथा उससे संबंधित शुद्धि-पत्र जो 26 दिसम्बर, 1990 की अधिसूचना संख्या 1002 (अ) में प्रकाशित हुआ था तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 911(अ) जो 15 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1986 से 15 नवम्बर, 1986 की अवधि के लिए स्थायी मेगनेटों के लिए अभीष्ट वस्तुओं पर अधिसूचना सं० 160/86 के अन्तर्गत स्थायी मैगनेटों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क की राशि से अधिक राशि की अदायगी को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 53(अ) जो 30 जनवरी, 1991 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 13 मई, 1969 से 1 अगस्त, 1984 तक की अवधि के लिए शुल्क प्रदत्त तांबा तार छड़ों से निर्मित, तांबा तार छड़ों में उत्पाद शुल्क की अदायगी को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 57(अ) जो 6 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1990 से 19 मई, 1988 तक की अवधि के लिए कोल्ड फार्म्ड या कोल्ड फिनिश्ड छड़ों को जो साधारणतया ब्राइट छड़ों के रूप में जानी जाती हैं और जिनका निर्माण शुल्क प्रदत्त उन निविष्टयों से हुआ हो, जिन पर शुल्क का क्रेडिट प्राप्त नहीं किया गया था, पर उत्पाद शुल्क की अदायगी को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 1991 जो 15 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 72(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सा० का० नि० 156(अ) जो 20 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या 23/90 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 271(अ) 8 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह व्यवस्था करना है कि संगत समय पर प्रचलित साधारण चलन के अनुसार ताम्र आक्सी क्लोराइड के संबंध में असंगत सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क तथा विशेष उत्पाद शुल्क का 28 फरवरी, 1986 से 19 मार्च, 1990 तक की अवधि के दौरान संदाय किया जाना अपेक्षित न हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 51(अ) जो 29 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कर्नाटक राज्य में कारखाने को और वहां से शुल्क का संदाय किए बिना खनिज तेल उत्पादकों का अंतर-भांडागार आवागमन विस्तारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(ग्यारह) सा० का० नि० 27(अ) जो 25 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन की सीमाओं का विस्तार करना है ताकि उसमें और क्षेत्र सम्मिलित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(बारह) सा० का० नि० 88(अ) जो 25 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 15 मई, 1981 की अधिसूचना संख्या 120/81-के० उ० शु० की तालिका में विनिर्दिष्ट सौर और अन्य अपरम्परागत ऊर्जा पर आधारित उत्पादों/प्रणालियों के विनिर्माण के लिए निर्माण, कारखाने के अन्दर इस्तेमाल किए जाने वाले पुर्जों पर उत्पाद शुल्क के संदाय को 28 फरवरी, 1986 से 24 मई, 1988 तक की अवधि के लिए समाप्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1991, जो 26 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 242(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) सा० का० नि० 245(अ) जो 30 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह व्यवस्था करना है कि उस सामान्य प्रथा के अनुसार जो संगत समय पर प्रचलित थी, आलू के वेफरों पर संदेह उत्पाद शुल्क, जो 28 फरवरी, 1986 से 20 मई 1987 तक की अवधि के दौरान उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था, का संदाय करना अपेक्षित न हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 252(अ) जो 2 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह व्यवस्था करना है कि संगत समय पर प्रचलित साधारण प्रथा के अनुसार फलों के गूदों पर आधारित पेयों पर 28 मार्च, 1988 से 19 मार्च, 1990 तक की अवधि के दौरान शीर्ष संख्या 20.01 के लिए लागू दर पर प्रदत्त शुल्क से अधिक अदा किए जाने वाले उत्पाद शुल्क को अदा करना अपेक्षित न हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1991, जो 28 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 321(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) सा० का० नि० 325(अ) जो 2 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह व्यवस्था करना है कि संगत समय पर प्रचलित सामान्य प्रथा के अनुसार 15 जुलाई, 1977 से 16 मार्च, 1985, तक की अवधि के दौरान पावरलूमों पर निर्मित असंसाधित सूती वस्त्रों पर अदा किए जाने वाले उत्पाद शुल्क का संदाय करना अपेक्षित न हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1991, जो 11 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 337(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1991, जो 18 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 344(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए सं० एल० टी० 348/91]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (संशोधन) नियम, 1990, जो 21 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 993(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 79(अ), जो 18 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चकरियों, झूलों और अन्य मेलास्थल आमोद-प्रमोदों और उनके भागों तथा उपसाधनों को जब उनक आमोद-प्रमोद पार्क बनाने के लिए भारत में आयात किया जाये तो उन पर मूल्यानुसार सीमा-शुल्क के उतने भाग से जितना मूल्य के 45 प्रतिशत से अधिक है तथा उन पर उद्ग्रहीण समस्त अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 155(अ), जो 20 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 अक्तूबर, 1990 की अधिसूचना सं० 258/90-सी० शु० का विखण्डन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 175(अ), जो 25 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 176(अ), जो 25 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना के साथ लगी सूची में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं की वैधता की अवधि 31 मार्च, 1992 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 177(अ), जो 25 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 522/86-सी० शु० की वैधता अवधि 31 मार्च, 1992 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 178(अ), जो 25 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 64/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि छूट की वैधता अवधि बिना किसी समय सीमा के बढ़ाई जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० का० नि० 243(अ), जो 29 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या 203/90-सी० शु० कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० का० नि० 284(अ), जो 30 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट ऐसी सम्पूर्ण सामग्री, जो भारत में विनिर्मित और भारत के बाहर निर्यात किए गए माल में उपयोग की गई है, आयात की गई सामग्री समझी जायेगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० का० नि० 327(अ) जो 3 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रूसी रूबल का भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा का रूसी रूबल में संपरिवर्तन करने की संशोधित दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० का० नि० 329(अ), जो 5 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 252/83-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा० का० नि० 330(अ), जो 5 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 अप्रैल, 1990 की अधिसूचना सं० 16/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० का० नि० 331(अ), जो 5 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अप्रैल, 1990 की अधिसूचना सं० 17/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा० का० नि० 336(अ), जो 10 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रूसी रूबल का भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा का रूसी रूबल में संपरिवर्तन करने की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) का० आ० 426(अ), जो 27 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं का भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा का कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का० आ० 443(अ), जो 2 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं का भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा का कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन करने की संशोधित दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए सं० एल० टी० 349/91]

भारतीय विदेश निर्माण परिषद के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय विदेश निर्माण परिषद् के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश निर्माण परिषद् के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब कारण के दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए। संख्या एल० टी० 350/91]

———

1.18 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 7 अगस्त, 1991 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 1991 को पारित दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 7 अगस्त, 1991 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 1991 को पारित जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन (दूसरा संशोधनकारी) विधेयक, 1991 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

———

13.18½ म० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 12 अगस्त, 1991 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान।

(1) कृषि
(2) खाद्य
(3) ग्रामीण विकास

एक साथ चर्चा की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जैना (कटक) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वक्तव्य कहां है ?

श्री श्रीकांत जैना : इस देश की एक सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी एल० एण्ड टी० के गुप्त तरीके से श्री धीरू भाई अंबानी द्वारा प्रबंध ग्रहण के प्रश्न पर सदन के माननीय नेता ने कहा था "मैं इस मामले को माननीय वित्त मंत्री को बताऊंगा और माननीय वित्त मंत्री इस मसले पर एक वक्तव्य देंगे।" अतः हम इस मामले पर वक्तव्य चाहते हैं। इस आश्वासन का उल्लंघन किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किस उपबंध का उल्लंघन हुआ है ? जिस उपबंध का उल्लंघन किया गया है उसे बताइए।

श्री श्रीकांत जैना : यह आश्वासन दिया गया था। परन्तु मुझे यह नही मालूम है कि सरकार की इस मामले में क्या स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : जिस उपबंध का उल्लंघन हुआ है, उसे आप बता नही रहे हैं ? (व्यवधान)

आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। कृपया मुझे इस पर अपना निर्णय देने दें। आपने कहा है कि सभा के नेता द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जाएगा। हम पता लगाएंगे कि क्या वक्तव्य दिया गया है। हम यह भी पता लगाएंगे कि क्या इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया था कि वित्त मंत्री इस बारे में वक्तव्य देंगे।

श्री श्रीकांत जैना : उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आप रिकार्ड देखिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह अभी संभव है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। आप अपना भाषण समाप्त करें। यदि आप इसी तरह बोलते चले जाइएगा तो इससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आपने कहा कि सदन के नेता······श्री आचार्या, कृपया इस तरह नहीं। जब मैं खड़ा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। जब आपने अपनी बात कह दी तो मुझे उसका उत्तर देने दीजिए। आप कह रहे हैं हैं कि उन्होंने आपको आश्वासन दिया था। कृपया रिकार्ड से मुझे पता करने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चाहे तो आप मुझे रिकार्ड दिखाएं अथवा मुझे रिकार्ड से पता करने दीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बार अपनी बात कह देने पर इसे आप और लम्बा न खींचें। अन्य सदस्य भी बोलना चाहेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार वही बात दोहरा रहे हैं। यह एक अंतहीन सिलसिला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम निवेदनों को लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब हम निवेदनों को लेंगे। आपको केवल विषय का उल्लेख करना है। आप इसे पढ़ेंगे नहीं। अन्यथा, यह बहुत मुश्किल हो जाएगा और यह एक लम्बा वाक्य हो जाएगा। आप विषय के केवल नाम का उल्लेख करें। श्री पी० सी० थामस।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित शामिल किया जाए :

(1) केरल में कोट्टायम जिले में कोलानी, इरूमाटरा, नोल्लाप्पारा, मैचाल, इत्यादि के रास्ते मेलूकावा पर्वतीय क्षेत्र जो आदिवासी तथा कृषि क्षेत्र है, में सड़क बनाने के लिए केन्द्रीय निधि से धन देने की आवश्यकता।

(2) फैक्ट कारखाना, कोचिन डिवीजन, अम्बालमोडा, केरल समीप रहने वाले गरीब छोटे किसानों, जिनकी भूमि चिथीरपुझा नदी में फैक्ट कारखाने के गंदा जल बहने से खेती योग्य नहीं रह गई है, को हुए नुकसान की तुरन्त भरपाई करने की आवश्यकता।

श्री ई० अहमद (मजेर) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न-लिखित विषय शामिल किया जाये :

केरल में संघ लोक सेवा के दो केन्द्र हैं—कोचीन तथा त्रिवेन्द्रम । परन्तु मालाबार क्षेत्र जैन केशरगोड जिले में मंजेश्वर से पालघाट तक फैला हुआ है, के परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए त्रिवेन्द्रम अथवा कोचीन जाना पड़ता है । मालाबार क्षेत्र के उम्मीदवारों के लाभार्थ संघ लोक सेवा आयोग को कालीकट में एक परीक्षा केन्द्र स्थापित करने तथा वहां परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाए :

1. भारतवर्ष में लगभग दो करोड़ शिक्षित बेरोजगार अपने प्रमाण पत्र को रोजगार नहीं मिलने के कारण रोड पर जलाने को मजबूर होता है । मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था शीघ्र करें एवं कार्य के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करें ।

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : मेरे इस विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें :

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के नक्सलवादियों का मुकाबला करने हेतु ग्रामीण नौजवानों को शस्त्र-प्रशिक्षण देकर ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत उनके दल संगठित करना आवश्यक है । अभी एस० ए०एफ० के कैंप भीतरी क्षेत्रों में कायम हैं । उनके जवान ट्रक पर सवार होकर पैट्रोलिंग कर कैंपों में लौट आते हैं । उधर नक्सलवादी आधी रात के बाद कभी भी किसी भी गांव में आ धमकते हैं । वे आदिवासियों को डरा-धमका कर उनको अनुचित कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं और न करने पर मार-पीट से लेकर हत्या तक करते हैं ।

अतः एस० ए० एफ० के कैम्पों में स्थानीय आदिवासी युवकों को पर्याप्त संख्या में भर्ती कर उन्हें शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाये । प्रशिक्षण के बाद उन्हें उदार शर्तों पर लायसेंस शुदा शस्त्र प्रदान कर उनमें से ग्राम रक्षा दल गठित किए जावें । ऐसा प्रत्येक दल अपनी ग्राम पंचायत के नियंत्रण में कार्य करते हुए रात को अपने गांव की रक्षा करेगा तथा समय पर नक्सलवादियों का मुकाबला भी करेगा ।

अतएव केन्द्र शासन से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश शासन को तत्काल दिशा निर्देश देवें ।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय जोड़ा जाये—

(1) इलाहाबाद में उत्तरी भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है । इस विश्वविद्यालय ने अपनी शताब्दी मना ली है । अतः इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाये ।

(2) गोरखपुर स्थित उर्वरक का कारखाना जो यूरिया खाद बनाने के लिए सबसे उपादेय था, बंद पड़ा है जिससे करोड़ों रुपए की क्षति हो रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का अहित हो रहा है, उसे शीघ्र खोलने के उपाय किये जायें ।

———

[अनुवाद]

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4(4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4(4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) नारियल विकास बोर्ड

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 (4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 (4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के नियम 4(सात) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य

उपबन्धों के अध्यधीन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय कृषि अनसंधान परिषद् के नियमों के नियम 4 (सात) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) चाय बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 (3) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अध्यधीन, चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4(3) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अध्यधीन, चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) **सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण**

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 1972 की धारा 4 (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, 1972 की धारा 4(3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छः) राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1)(क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कैडेटकोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1)(क) के अनुसरण ने इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.30 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

2.34 म० प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के उपरांत 2 बजकर 34 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए)

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

—जारी

सभापति महोदय : सभा अब लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1991 के बारे में सांविधिक संकल्प और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर एक साथ और आगे चर्चा करेगी।

इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था किन्तु हम दो घंटे और 21 मिनट लगा चुके हैं। अतः अब माननीय मंत्री इस विधेयक पर उत्तर दें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं इस बात के लिए कृतज्ञताज्ञापन करता हूं कि मुझे उत्तर देने का अवसर दिया गया। मैंने सोचा था कि शायद अभी और समय लगेगा।

पहले मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने वाद-विवाद में हिस्सा लिया है और इस विधेयक का समर्थन किया है।

सांविधिक संकल्प के रूप में जो सबसे बड़ी आपत्ति प्रकट की गई वह यह थी कि क्या जम्मू तथा कश्मीर राज्य के लद्दाख तथा जम्मू के सीमित भागों में चुनाव कराया जाना सम्भव था। अब तक, इस सम्बन्ध में प्रक्रिया यह रही है कि यदि किसी राज्य में कहीं कोई गड़बड़ी वाला क्षेत्र है और जहां कुछ परिस्थितियों के कारण चुनाव कराना संभव नहीं है, तो उस क्षेत्र को पृथक् नहीं किया जाता, क्योंकि संविधान में पूरे राज्य को एक इकाई तथा विशिष्ट क्षेत्रों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके अलावा एक और समस्या भी है। यदि हमने कश्मीर घाटी में चुनाव नहीं करवाये तो इससे और जटिलताएं उत्पन्न होंगी क्योंकि तब घाटी बिलकुल अलग-थलग पड़ जाएगी। ऐसी जटिलताओं से बचने तथा ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने, जम्मू तथा कश्मीर की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मिलने पर, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 14 की उप धारा 2 के अन्तर्गत राष्ट्रपति से यह सिफारिश करने का निर्णय लिया कि अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक विशेष तारीख/तारीखें अधिसूचित की जाएं और जम्मू तथा कश्मीर के लिए बाद में अलग तारीख अधिसूचित की जाए।

वर्तमान कानूनी स्थिति यह है कि धारा 73 के अन्तर्गत, इस सभा का गठन किया जाना अपेक्षित था और जब तक इस अध्यादेश को जारी नहीं किया जाता, तब तक कानूनी प्रतिबन्धों के कारण इस सभा का गठन करना असंभव था। इसलिए इस अध्यादेश को जारी किया गया और इस विधेयक को सभा में लाया गया है। इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति यही है और मुझे आशा है कि माननीय श्री राव अपने सांविधिक संकल्प पर जोर नहीं देंगे और परिस्थितियों को देखते हुए मेरे अनुरोध पर इसे वापस ले लेंगे।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये अन्य मुद्दों का जहां तक सम्बन्ध है, उनमें से अनेक बहुत प्रासंगिक हैं, यद्यपि वे इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। चूंकि इस सभा की ऐसी परम्परा रही है कि अप्रत्यक्ष रूप से भी संबंधित मामले भी लाये जाते हैं और सरकार को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार का यह दृष्टिकोण है कि सामान्य स्थिति कायम करने के लिए पुनः राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। हम इस सभा के माननीय सदस्यों से सहमत हैं कि इस समस्या का समाधान कानून तथा व्यवस्था के प्रश्न मानकर नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करके ही किया जा सकता है। मुझे याद है, जैसा कि माननीय श्री चित्त बसु ने मुझे स्मरण कराया कि जब मैं विपक्ष में था तब मैंने जम्मू तथा कश्मीर की नीति के बारे में पूछा था। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इस सरकार की कश्मीर के बारे में नीति है।

परन्तु इस नीति की घोषणा मैं नहीं कर सकता। गृह मंत्री को इस नीति की घोषणा करनी है। जैसे ही उन्हें अवसर मिलेगा, वह इसकी घोषणा करेंगे।

संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि हमारी नीति यह है कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के दबाव में नहीं आएंगे जो हमारी सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रीय अखंडता को चुनौती देगा परन्तु साथ ही हम कश्मीर के लोगों की समस्याओं और कष्टों को समझते हैं तथा कश्मीरी जनता की कठिनाइयों और कष्टों को दूर करने के लिए यह जम्मू तथा कश्मीर राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हम राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं।

जहां तक संविधान के अनुच्छेद 370 का सवाल है। एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार यह कहा जा चुका है कि हम इस बारे मे वचनबद्ध हैं कि संविधान का 370वां अनुच्छेद संविधान में बना रहे। इस अनुच्छेद का उद्देश्य केवल समायोजन करना नहीं है। यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें जम्मू तथा कश्मीर के लोगों का विश्वास है, इसमें उनकी आकांक्षाएं तथा आशाएं अन्तर्निहित हैं। जैसा कि माननीय श्री चित्त बसु ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान के भाग 21 में केवल यही एक ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो संक्रमणकालीन उपबंधों से सम्बद्ध है। अनुच्छेद 371(क) से लेकर अनुच्छेद 371(झ) में महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों समेत अनेक राज्यों के लिए संक्रमणकालीन उपबन्ध शामिल हैं। अतः जब तक इन राज्यों के लोगों की कतिपय आशाएं तथा आकांक्षाएं हैं तो हमने अपने संविधान में इन आशाओं तथा आकांक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में विशेष उपबंध रखे हैं। संविधान का अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर के लिए केवल अकेला उपबंध नहीं है। निहित स्वार्थों के लिए राजनैतिक अभियान चलाया जा रहा है जो मेरे विचार से दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे राज्य में सामान्य स्थिति कायम करने में सहायता नहीं मिलेगी।

अन्य क्षेत्र भी हैं। अनुच्छेद 371 भी है जो अन्य राज्यों के सम्बन्ध में है जिसके अन्तर्गत महाराष्ट्र तथा गुजरात के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371(क) नागालैंड से सम्बन्धित है। अनुच्छेद 371(ख) असम से संबंधित है। अनुच्छेद 371(ग) मणिपुर से सम्बन्धित है। अनुच्छेद 371(घ) आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित है। अनुच्छेद 371(ङ) आन्ध्र प्रदेश में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित है। अनुच्छेद 371(च) सिक्किम राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 371(ज) अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है तथा अनुच्छेद 371(झ) गोवा से संबंधित है।

अतः संविधान में अनेक राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। वस्तुतः प्रत्येक बार स्थिति की जरूरतों के मद्देनजर रखते हुए संविधान में संशोधन किया गया है। यदि संसद ने यह महसूस किया कि लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संविधान में विशेष उपबंध रखने की जरूरत है तो उसने संविधान में संशोधन करके ऐसा किया है। इसमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी राजनैतिक प्रणाली संघीय है जिसमें राज्य तथा केन्द्रीय सरकार हैं।

आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये उन मुद्दों, जो वस्तुतः इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते परन्तु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से संबंधित हैं, के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य श्री पाणिग्रही ने जाली मतदान को रोकने के लिए बहु प्रयोजनीय पहचान पत्र जारी करने का सुझाव दिया है। इस पर सर्वदलीय समिति में विचार किया गया था। उसकी यह एक सिफारिश थी। इस सम्बन्ध में प्रारंभिक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। इस पर प्रति कार्ड 10 रुपए लागत आएगी और इस कार्य को पूरा करने में कम से कम पांच वर्षों का समय लगेगा। सरकार इस विचार की विरोधी नहीं है और इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है।

चुनाव में इलेक्ट्रानिक मशीनों का इस्तेमाल करने के बारे में निर्णय ले लिया गया है। हमने चुनाव के लिए काफी संख्या में इलेक्ट्रानिक मशीन प्राप्त कर लिए हैं।

निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष पहली अक्तूबर के बाद जो भी चुनाव होगा—उप चुनावों और सम्भवत: राज्यों के लघु आम चुनावों में हम इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग करेंगे जिसके लिए कानून में वांछित संशोधन कर दिया गया है और मैं यह समझता हूं कि इससे मतदान केन्द्रों पर कब्जे की घटनाओं में कमी आयेगी क्योंकि वर्तमान व्यवस्थान से अन्तर्गत मशीनें एक निर्धारित समय के अन्दर एक निर्धारित संख्या मे ही मतों को रिकार्ड करेंगी जिससे यह सुनिश्चित हो जायेगा कि तेजी से एक नियमित आधार पर आप बटनों को दबा सकते हैं। यह सामान्यतया इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति को आवश्यक कामों पर हस्ताक्षर करने के बाद मशीन तक पहुंचने और मतदान करने में कितना समय लगता है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : आप धीरे-धीरे इसे अपना सकते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : किन्तु उस धीरे-धीरे में भी तो समय लगता है। हमें आशा है कि तब तक सामान्य तंत्र सामान्य हो जायेगा। निस्संदेह, जब राज्य तंत्र, जैसा कि कई राज्यों में होता है, मतदान केन्द्रों के कब्जे में लिप्त होता है तो बात दूसरी होती है। (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं। लेकिन एक बात निश्चित है कि इससे मतदान केन्द्रों पर आजकल हो रहे कब्जे के मामलों में कमी आयेगी।

हमने सर्वदलीय समिति द्वारा दी गई अन्य सिफारिशों का भी गहराई से विश्लेषण आरम्भ कर दिया है। इस बारे में हम सभा में कई सुधार प्रस्तुत करेंगे। इस सत्र में तो शायद यह सम्भव न हो किन्तु हमें आशा है कि शीघ्र ही यह कार्य करेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : क्या नवम्बर से पहले ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि इस सत्र में शायद सम्भव नहीं होगा किन्तु हमें आशा है कि शीघ्र ही हम यह कार्य करेंगे।

सभापति महोदय, जहां तक यह प्रश्न है कि पंजाब में चुनावों का स्थगित होना सही था या गलत, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हमारी यह राय है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सही निर्णय लिया था। यद्यपि यह निर्णय हमारा नहीं था, यह उनका निर्णय था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन यह उनका निर्णय है जो वह अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर लेते हैं।

जहां तक कुछ मान्यताप्राप्त राजनीतिक पार्टियों और उनके संबद्ध होने का सम्बन्ध है, हम

आश्वस्त हैं कि हमारी नीति यह सुनिश्चित करना है कि राजनीतिक प्रक्रिया फिर से शुरू हो। सरकार के रूप में निश्चय ही हम प्रत्येक व्यक्ति से सलाह लेंगे और जब सब पार्टियां, विशेषतया इस सभा की पार्टियां, और वे पार्टियां जिन्हें सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, बैठकर विचार-विमर्श करेंगी तभी हम उस समस्या को संतोषजनक ढंग से हल कर पायेंगी जिसका सामान्य हल जम्मू और कश्मीर में कर रहे हैं।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन इस विधेयक को सभी दलों का समर्थन मिलने के कारण मुझे आशा है कि विधेयक पर विचार किये जाने में कोई समस्या नहीं होगी और मेरा यह अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाए।

श्री श्रीकांत जेना : उन कश्मीरियों के बारे में आप क्या कहते हैं जो कश्मीर से बाहर रह रहे हैं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : जहां तक आतंकवादी समस्या का प्रश्न है, इस पर निश्चित ही ध्यान दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्रालय ठीक समय पर इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा।

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि अनेक साथी मेरी इस बात से सहमत हैं कि अगर घाटी में नहीं तो जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में तो चुनाव कराए जा सकते थे।

अभी मन्त्री महोदय बता रहे थे कि पंजाब में चुनावों के स्थगन के लिए उनकी पार्टी जिम्मेवार नहीं है और यह कि अब आप बता रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में चुनाव न कराये जाएं क्योंकि अनेक प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने यह मत व्यक्त किया है कि वहां निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए वातावरण अनुकूल नहीं है। हम इससे सहमत हैं ? इसके अतिरिक्त यह भी सच है कि प्रमुख राजनीतिक पार्टियों, जिसमें आपकी कांग्रेस (आई), सी० पी० आई० और सी० पी० आई० (एम) शामिल हैं, ने यह कहा है कि वातावरण अनुकूल न होने के कारण पंजाब में चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए किन्तु निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि वहां चुनाव कराए जायेंगे। आतंकवादियों द्वारा 20 उम्मीदवारों की हत्या किए जाने के बाद भी निर्वाचन आयोग इस बात पर जोर देता रहा कि चुनाव कराये जायेंगे।

लेकिन मतदान आरम्भ होने से कुछ ही घण्टे पहले पंजाब के राज्यपाल ने भी सभी लोगों से मतदान में भाग लेकर उसे सफल बनाने की अपील की थी और यह कहा था कि लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करें और चुनाव में भाग लेना उनका एक पुनीत कर्त्तव्य है।

पंजाब के सारे मतदाताओं से राज्यपाल की अपील के बाद कौन-सी ऐसी बात हो गयी कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिया ? किस आधार पर, किस रिपोर्ट पर ऐसा किया गया। अब आप उससे इंकार कर रहे हैं। जब तक चुनाव स्थगित किए गए, आपकी कांग्रेस (आई) पार्टी दसवीं लोक सभा के चुनाव के बाद सबसे बड़े राजनैतिक दल के रूप में सामने आ चुकी थी और श्री पी० वी० नरसिम्हा राव कांग्रेस ससदीय दल के नेता चुने गए। अब सरकार

बनाने की स्थिति में थे। चूंकि पंजाब में चुनाव कराने में आपकी कोई रुचि नहीं थी इसलिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव स्थगित करने का निर्णय किया जोकि बहुत गलत बात है। मैं उस उच्च संस्था की और आगे आलोचना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि इस देश के लोग निर्वाचन आयुक्त की एकपक्षीय कार्यवाही से निश्चित रूप से बहुत अप्रसन्न हैं तथा बहुत से राजनैतिक दलों ने निर्वाचन आयुक्त पर महाभियोग चलाने की मांग की है।

अब मन्त्री महोदय ने वायदा किया है कि सरकार जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने और चुनाव कराने के लिए कदम उठाने को अत्यन्त उत्सुक है। वे हमेशा इसी प्रकार की बातें कहते रहे हैं लेकिन वास्तव में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अधिक कुछ नहीं किया। मेरे विद्वान् मित्र श्री शहाबुद्दीन सैयद ने इस पर विस्तार से चर्चा की है इसलिए मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्यों में हमने पहले जो अदूरदर्शितापूर्ण कार्य किए हैं उनकी वजह से ही वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है। क्या यह सच नहीं है कि जम्मू-कश्मीर की जनता यानी उनमें से अधिसंख्य लोग या बड़ी संख्या में लोग यह महसूस करते हैं कि उनका निरादर हुआ है? वे लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रुचि क्यों नहीं रखते? वे राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग क्यों जाना चाहते हैं?

क्या आपकी कार्यवाही के परिणामस्वरूप ही उस राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित फारूक अब्दुल्ला सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर दिया गया है। उसके साथ ही अपने एम० टी० रामाराव सरकार को भी सत्ता से हटा दिया था। इस प्रकार के संकीर्ण दलगत राजनैतिक कामों से आप लोगों के दिलों में केन्द्र सरकार के प्रति नाराजगी पैदा कर रहे हैं तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। इसलिए हमें अपने अन्दर देखना चाहिए और शीघ्रता में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। नेशनल कांफ्रेंस से गठजोड़ करने के बाद आप दोनों ने चुनावों में धांधलेबाजी की थी। यदि किसी दल का कोई उम्मीदवार कुछ स्थानों पर जीत जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। यद्यपि वे राष्ट्रविरोधी नहीं हैं, भारत विरोधी नहीं हैं, वे चाहते हैं कि काश्मीर भारत के साथ रहे। फिर भी आपने उनका निरादर किया है और अपनी गलत नीतियों की वजह से उन्हें अलग-थलग कर दिया है। हाल ही में चूंकि आपने उनके साथ कोई तालमेल नहीं किया, आपने पिछले तमिलनाडु विधान सभा चुनाव अलग से लड़े क्योंकि आप में और अन्नाद्रमुक में एक समझौता हो चुका था फलतः आपने द्रमुक सरकार को सत्ता से हटा दिया था। यह बहुत गलत बात है इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस प्रकार के अदूरदर्शितापूर्ण कार्यों का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

मन्त्री जी ने कहा है कि वे कुछ व्यापक संशोधन करेंगे। पहले भी इन बातों पर चर्चा की गयी थी और कतिपय सुझाव दिए गए थे। उनमें एक सुझाव यह था कि गम्भीरता से चुनाव नहीं लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान से हटा दिया जाए। यह आपका भी अनुभव हो सकता है। कई स्थानों पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र उम्मीदवार केवल 500 रुपये की राशि जमा करके अपने नामांकन-पत्र दाखिल कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि इससे उनका काफी प्रचार हो जायेगा। सारे निर्वाचन-क्षेत्र में उनके नाम का पता चल जायेगा। इसके परिणामस्वरूप मतपत्र का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे अनेक मतदान केन्द्र होते हैं जहां पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती क्योंकि या तो वे किसी छोटे प्राइमरी स्कूल में या ऐसे स्थान पर होते हैं जहां अधिक रोशनी नहीं

होती और मतदाता अनपढ़ होते हैं। अभी भी हमारी 65 प्रतिशत आबादी अनपढ़ है। उन्हें बहुत कम रोशनी के कारण चुनाव चिन्ह ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि वह इस बारे में कुछ उपाय करने पर विचार करे। जमानत की राशि बढ़ाने के अलावा सरकार को निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए मतदाता सूची की एक प्रति खरीदना भी अनिवार्य कर देना चाहिए।

सरकार सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल चाहे वे केन्द्र में हों, या राज्य में, की सुविधा के लिए मतदाताओं की सूची प्रदान करती है। किन्तु स्वतंत्र प्रत्याशियों को उसे खरीदना पड़ता है। यदि वह सचमुच गम्भीरता से चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है तो उसे कम-से-कम मतदाता सूची का एक सेट खरीदना ही चाहिए। किन्तु वह उसे नहीं खरीद रहा है क्योंकि उसे इसके लिए कुछ हजार रुपए खर्च करने होंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उसे एक प्रति निःशुल्क प्राप्त होगी।

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे : जी, नहीं। उन्हें नहीं दिया जाता है। केवल राजनीतिक दलों को ही प्रदान किया जाता है।

सभापति महोदय (श्री पी० एम० सईद) : कृपया अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मेरी समझ में नहीं आता कि उसे एक प्रति निःशुल्क क्यों नहीं दी जाती।

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे : यदि आप सचमुच चाहते हैं कि हल्के ढंग से चुनाव लड़ने वालों को निरुत्साहित किया तो आपको चाहिए कि मतदाताओं की सूची का खरीदा जाना और जांच के समय उसको प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया जाए। यदि कोई प्रत्याशी उसे प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका नामांकन अवैध घोषित किया जाए ताकि शगल के तौर पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हट जायें और समुचित ढंग से चुनाव का आयोजन सम्भव हो।

माननीय मन्त्री ने परिचय-पत्र का उल्लेख किया है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के टाडीपात्री निर्वाचन क्षेत्र में 1989 के निर्वाचन के समय 1200 मत पड़े किन्तु इस बार 78 हजार वोट डाले गए। बिना चुनाव बूथों पर कब्जा किए और गड़बड़ी किए ऐसा कैसे सम्भव हुआ? मेरा यह सुझाव है कि खर्च कितना भी आए सरकार को चाहिए कि परिचय-पत्र जारी करने के लिए समुचित उपाय करे तथा इलैक्ट्रोनिक मशीन लगाये और उसका उपचुनावों और लघु आम चुनावों में उपयोग करे।

इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि यह सरकार वातावरण में सहजता लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी अथवा कम-से-कम जम्मू और कश्मीर में सम्बन्धित लोगों से बातचीत करेगी तथा राजनीतिक दलों से सम्बन्धित उन कार्यकर्ताओं को छोड़ देगी जिन्हें हमारे प्रजातंत्र और देश के संविधान में आस्था है और जो भारत का नागरिक होने के नाते अपनी भूमिका समुचित ढंग से निभाना चाहते हैं। कृपया उन्हें ऐसा करने दें और उन्हें सीखचों के पीछे न रखें। यदि राजनीतिक कार्यकर्ता या वे लोग जो आतंकवादी या उग्रवादी या राष्ट्रद्रोही तत्वों के समर्थक नहीं हैं उन्हें जेलों में रखा जायेगा तो आप उग्रवादी आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही तत्वों

को चुनाव मैदान में आने का अवसर मिल जाएगा और उन्हें समग्र प्रजातांत्रिक नीति को अस्त-व्यस्त करने का मौका मिल जाएगा।

मुझे आशा है कि यह सरकार समुचित उपाय करेगी और जैसा कि माननीय मन्त्री ने वायदा किया है एक व्यापक कानून प्रस्तुत करेगी ताकि सभी चुनाव स्वतंत्र और समुचित ढंग से आयोजित किए जा सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपना सांविधिक संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : क्या यह सभा श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे द्वारा प्रस्तावित संकल्प को वापस लिए जाने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्यों : जी हां।

सभा की अनुमति से सांविधिक संकल्प वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"कि राज्य सभा द्वारा यथा पारित रूप में लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब इस विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। इससे पहले श्री पी० सी० थामस ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। श्री पी० सी० थामस, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसके संदर्भ में मैं अपना संशोधन नहीं प्रस्तुत करूंगा। इस संशोधन का आशय केवल यही था कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने में देर न की जाय। माननीय मन्त्री ने जो स्पष्टीकरण दिया है कि यह सरकार वहां शीघ्रातिशीघ्र निर्वाचन कराना चाहती है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं यह आशा करता हूं कि सरकार इसके लिए सभी समुचित उपाय करेगी और निर्वाचन आयोग को खुली छूट नहीं देगी। मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : वे अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

3.00 म० प०

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ा गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा पूरा नाम विधेयक में जोड़े गये।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.02 म० प०

15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों तथा पूजा स्थलों की यथापूर्व स्थिति बनाये रखने हेतु उपाय किये जाने के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब हम 12 जुलाई, 1991 को श्री जैनल अबेदिन द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा आरम्भ करेंगे। श्री शरद दिघे अपना भाषण जारी रखें।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, मैंने पिछली बार इस संकल्प के सम्बन्ध में जो कि पहले से सभा के समक्ष विचाराधीन हैं, कुछ टिप्पणियां की थीं।

आज मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र इस विषय पर चर्चा के समय उपस्थित नहीं है जो वास्तव में इसके लिए काफी चिन्तित थे।

महोदय, पिछली बार मैं कह रहा था कि इस नाजुक मुद्दे को राजनैतिक अखाड़े में घसीट कर तथा लोक सभा और विधान सभा के चुनावों के लिए एक मुद्दे के तौर पर उछाल कर और अधिक नाजुक बना दिया गया है।

वास्तव में वे मूर्तियां उस चबूतरे के स्थान पर सबसे पहले 23 दिसम्बर, 1949 को देखी गयी। उस समय तक, एक ही अहाते में मन्दिर तथा मस्जिद के सह-अस्तित्व के आधारभूत सिद्धांत का पालन किया गया तथा वास्तव में 22 या 23 दिसम्बर, 1949 तक इस सिद्धान्त का पालन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता 'आर्गेनाइजर' ने 29 मार्च, 1987 को यह जताया कि 23 दिसम्बर 1949 को ऐतिहासिक सुबह को ये मूर्तियां चमत्कारी ढंग से उस चबूतरे पर प्रकट हो गयीं। ऐतिहासिक तथ्यों से इस बात की पुष्टि नहीं होती। जिला मजिस्ट्रेट श्री के० के० नायर

ने 23 दिसम्बर, 1949 को 10.30 म० पू० उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत को एक रेडियो संदेश भेजा जो इस प्रकार है :—

"कुछ हिन्दू रात को बाबरी मस्जिद में उस समय घुसे जबकि वहां कोई नहीं था और उन्होंने वहां देवता की मूर्ति स्थापित कर दी। जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस बल वहां विद्यमान हैं। रात में 15 व्यक्तियों की एक पुलिस टुकड़ी ड्यूटी पर थी लेकिन प्रत्यक्षतः उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।"

इसलिए इस संदेश से पता चलता है कि उस दिन रात को यह पहला अवसर था कि ये मूर्तियां इस चबूतरे पर प्रकट हुईं। यह संदेश किन्हीं श्री माता प्रसाद द्वारा दर्ज करायी गयी एफ० आई० आर० पर आधारित था जिसमें यह कहा गया था :

"जब मैं सबेरे करीब आठ बजे जन्म भूमि के स्थान पर पहुंचा, तो मुझे पता चला कि 50-60 आदमियों का एक ग्रुप बाबरी मस्जिद के अहाते के फाटक का ताला तोड़कर या जीने के साथ अहाते की दीवार कूदकर बाबरी मस्जिद के अन्दर घुस गया था और वहां श्री भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी और गेरू से अन्दर और बाहर की दीवारों पर सीताराम आदि लिख दिया। वहां ड्यूटी पर तैनात हंसराज ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा लेकिन वे नहीं गये। ये आदमी उपलब्ध पी० ए० सी० गार्डों की कमान्ड से पहले ही मजिस्द में प्रवेश कर चुके हैं। जिला-प्रशासन के अधिकारी मौके पर आए और आवश्यक व्यवस्था करने लगे। बाद में 5-6 हजार आदमियों की एक भीड़ चारों तरफ इकट्ठा हो गयी और भजन गाते हुए तथा नारे लगाते हुए उन्होंने मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश की लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया गया और समुचित व्यवस्था होने के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। रामदास, रामशक्ति दास तथा 50-60 अन्य अपरिचित व्यक्तियों ने चोरी-छिपे मस्जिद में प्रवेश किया तथा उसकी पवित्रता नष्ट कर दी। ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी तथा अन्य कई व्यक्ति इसके गवाह हैं। इसलिए यह सूचना लिखकर दर्ज की गयी।"

ड्यूटी पर तैनात पुलिस के कर्मचारी ने उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की और उसी के आधार पर संदेश भेजा गया। इसलिए पहली बार चोरी छिपे घुसकर इन मूर्तियों को वहां स्थापित कर दिया गया। उस समय तक उस जगह पर केवल एक चबूतरा था। पहले के मुकदमों से भी इसकी पुष्टि होती है। पहला मुकदमा 29 जनवरी, 1885 में किया गया था। उस समय महन्त ने वहां मन्दिर बनाने की अनुमति के लिए न्यायालय की शरण ली थी। लेकिन न्यायालय ने सरकारी नीति के आधार पर अनुमति देने से इंकार कर दिया। महन्त ने इसके विरुद्ध अपील भी की लेकिन वह अपील भी अस्वीकृत कर दी गयी।

इन मूर्तियों की स्थापना के बाद 16 जनवरी, 1990 कोई सज्जन गोपाल सिंह वहां पूजा आदि करने के लिए गए। तब उन्होंने कचहरी में मुकदमा दायर करके पूजा के अधिकार आदि में हस्तक्षेप न किए जाने हेतु निषेधादेश लेने की कोशिश की जो उन्हें मिल गया। इसलिए वास्तव में यह विवाद न्यायालय में इसी बात को लेकर आरम्भ हुआ।

15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों तथा पूजा स्थलों की यथापूर्व स्थिति बनाये रखने हेतु उपाय किये जाने के बारे में संकल्प

9 अगस्त, 1991

यह सम्पूर्ण विवाद या सम्पूर्ण नारा भारतीय जनता पार्टी तथा उन हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं से सम्बन्धित तीन अनिश्चित मुद्दों पर आधारित है जो यह मानते हैं कि राम उस स्थान पर पैदा हुए थे और वहीं वास्तव में राम का जन्म स्थान है। मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अनेक ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक तथ्यों के आधार पर इन सब बातों की बिल्कुल पुष्टि नहीं होती। इसलिए मैं यह बताना चाहूंगा कि वास्तविक विवाद ऐसी तीन अनिश्चित बातों पर केन्द्रित है जो इस समय सिद्ध नहीं की जा सकती। पहली बात तो यह कि क्या यह वही स्थान है जहां राम पैदा हुए थे? दूसरे, क्या यह वही अयोध्या है जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है? और तीसरी बात यह कि क्या बाबर ने ही मन्दिर तुड़वा कर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण कराया था? ये ऐसे तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दे है जिन्हें इस मामले में और आगे कार्यवाही करने से पहले सिद्ध करना पड़ेगा।

अब जहां तक पुरातात्त्विक प्रमाण का सम्बन्ध है, वह स्पष्ट है और अनेक पुरातत्त्वविदों ने इस बात की पुष्टि की हैं तथा वे सभी प्रमाण जो हाल ही मे सामने आए है, उनसे इस बात का खण्डन हो जाता है और ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला जिससे यह सिद्ध होता हो कि उनकी राय के अनुरूप वास्तव में यह राम का वास्तविक जन्म स्थान हैं।

अब जहां तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सवाल है, राम के जन्म की शताब्दी निर्धारित करने में अत्यन्त कठिनाई है। बहुत से लोग मानते है कि राम त्रेतायुग मे हुए, जिसका अर्थ है, लाखों वर्ष पहले हुए मे। श्री ए० के० मजूमदार जैसे इतिहासकार उनका समय 15 या 14 वीं शताब्दी ईसापूर्व निर्धारित करते हैं, इसलिए इस बात का सही-सही पता लगाना सम्भव नहीं है कि राम किस स्थान पर पैदा हुए थे। बहुत से धार्मिक व्यक्ति मानते हैं कि वे भगवान् विष्णु का अवतार थे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि स्वयं राजमाता ने कहा है, वे राष्ट्रपुरुष थे, ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे, राष्ट्र नायक थे। उस दृष्टि से हमे यह स्थापित करना होगा कि राम किस काल में थे और उनका जन्म स्थान कौन-सा था? उस दृष्टि से राम के जन्म-स्थान का पता लगाना सम्भव होगा।

यदि वर्तमान अयोध्या इन राम की राजधानी मानी जाये तो यह गंभीर शंका पैदा होती है कि क्या वह वास्तव में इस अयोध्या में रहते थे। अनेक इतिहासविद् यह नहीं मानते कि यह वही अयोध्या है। सरयू नदी के समय-समय पर रास्ता बदलती रही है और अगर समय-समय पर अपना स्थान बदलता रहा है। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत कठिन है कि यही यह स्थान है जो राम के समय विद्यमान था और जैसा कि हम पुस्तकों में पढ़ते आये है, उनका साम्राज्य है। कम से कम 15-16 पुजारी कह रहे हैं कि उनका मंदिर ही वास्तविक जन्म भूमि है। अत: यह संभव नहीं है कि सही स्थिति का पता लगाया जा सके और फिर अनेक स्थानों के बारे में लोगों ने दावे किए है कि वे ही राम जन्म स्थान हैं।

पुरातत्त्ववेत्ताओं ने यह सिद्ध किया है कि इस मत के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि यही वास्तव में रामजन्म स्थान है। जैसा कि मैंने कहा है श्री ए० के० मजूमदार, श्री शर्मा और श्री एच० डी० संकलिया आदि सभी ने इस स्थान के बारे में शंका प्रकट की है।

एक अन्य बात जो हमेशा कही जाती रही हैं वह यह है कि यह राष्ट्रीय गौरव की रक्षा का मामला है। क्यों ? क्योंकि बाबर ने उस मंदिर को गिरवाया था और उस पर मस्जिद बनवाई गई थी। जहां तक उसका सम्बन्ध है, यह बात भी अंग्रेजों ने इस देश में फैलायी थी। वे इन दोनों धर्मों के अनुयायियों को लड़ाकर राज्य करना चाहते थे। यह बात पहली बार उन्नीसवीं सदी में फैलायी गयी। 1813 में एक अंग्रेज इतिहासकार जॉन लिडन ने बाबर के संस्करणों को प्रकाशित किया था और उसने यह दिखाया कि मार्च 1528 में बाबर अयोध्या से गुजरा था। यही जानकारी उसने दी है। उसने ही कहा है कि 1528 में बाबर इधर से गुजरा था। उसी सूत्र को लेकर कर्नल सिरमन जैसे अन्य अंग्रेज इतिहासकारों ने धीरे-धीरे यह फैला दिया कि जब बाबर वहां था तो उसने मंदिर गिराया और यह मस्जिद बनायी। इस प्रकार से यह धीरे-धीरे फैलाया जा रहा है जिसके लिए कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। किसी भी पुस्तक में यह वर्णन नहीं मिलता है। वस्तुतः संत तुलसीदास जिन्होंने महान ग्रंथ रामचरित मानस लिखा 1528 में 30 वर्ष के थे। वह महान रामभक्त थे। यदि वहां कोई राम मंदिर होता और उसे गिराकर मस्जिद बनाई जाती तो वह उसके बारे में अपने ग्रंथ में लिखते। यदि यह सच होता तो वह अवश्य लिखते।

जहां तक मस्जिद के बाहर के प्राकारों पर लेखों का सम्बन्ध है, कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं। किन्तु यह कहा जाता है कि ये बाद में लिखे गए क्योंकि यह स्पष्ट है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखे गए जिसे फारसी का ज्यादा ज्ञान नहीं था। फारसी का प्रयोग बिल्कुल सही नहीं है और इसलिए हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था यह सारी कहानी बहुत ही कमजोर साक्ष्य पर आधारित है। वास्तव में यह सब अंग्रेजो द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित है जो चाहते थे कि दोनों समुदायों को विभाजित रखा जाए। उन्होंने यह दिखाया कि किसी ने मंदिर को गिराया है और उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया है और यह 1856 में किया गया जब 1857 की क्रांति के संकेत मिलने लगे थे। इसलिए उस समय जानबूझकर यह बात भारत में फैलायी गयी ताकि अंग्रेजों द्वारा अवध को अपने कब्जे में लेने को न्यायोचित ठहराया जा सके और इस देश में दोनों समुदायों में आपसी मतभेद पैदा किये जा सकें। अतः हमें इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और तभी कुछ कहना चाहिए।

मैं यह मानता हूं कि इस समस्या को और आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। बातचीत से हल निकालना ही सर्वाधिक बुद्धिमत्ता का काम होगा। किसी भी राजनीतिक समस्या का हल निकाला जा सकता है और इस मामले में भी यदि ईमानदारी से प्रयत्न किए जाएं तो कोई न कोई रास्ता निकल आयेगा। कठिनाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों के कारण पैदा होती है। एक जगह वह जोर देकर कहते हैं कि मस्जिद को कभी गिराया नहीं जायेगा। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को लखनऊ में 28 जुलाई को कहा कि "मुसलमानों को मस्जिद की सुरक्षा के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मस्जिद को कभी नहीं गिराया जाएगा।" किन्तु फिर वह आगे कहते हैं कि "इसे केवल स्थानांतरित किया जा रहा है और दोनों समुदायों के लोगों को मंदिर और मस्जिद के निर्माण में सहयोग देना चाहिए।" इसका

अर्थ यह हुआ कि वे इसे तोड़कर इसका पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। जब वे कहते हैं कि वे इसे स्थानांतरित करेंगे तोड़ेंगे नहीं तो मैं समझता हूं वे गुमराह कर रहे हैं। इसलिए बातचीत से समस्या का हल ढूंढने में कठिनाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अनुसार समझौता उनकी शर्तों पर होना चाहिए और यह कि मुसलमानों को यह मान लेना चाहिए कि मस्जिद को गिराया जाये और उसे स्थानांतरित किया जाए—तभी यह समझौता हो सकता है। हम ऐसे समझौते को नहीं मान सकते हैं। कोई भी समझौता तभी समझौता माना जाता है जब दोनों पक्ष संतुष्ट हों। आदान-प्रदान होना आवश्यक है।

इसी दृष्टिकोण से ही इस संकल्प का अत्यधिक महत्व है और इसे सभा को पारित करना चाहिए। यदि मात्र समझौते के स्थान पर "बातचीत के द्वारा हुए समझौते" शब्द जोड़े जाते हैं तो मुझे खुशी होगी ?

जहां तक सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाये रखने के लिए इस संकल्प का संबंध है, मेरे विचार से कांग्रेस पार्टी अन्य धार्मिक स्थलों के बारे में कह रही है। राष्ट्रपति के अभि-भाषणों में भी यह कहा गया है कि : "सरकार दोनों सम्बद्ध समुदायों की भावनाओं का सम्मान करते हुए रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को बातचीत से हल करने के लिये सभी प्रयत्न करेगी। जहां तक अन्य सभी धार्मिक स्थलों का सवाल है, 15 अगस्त, 1947 की स्थिति का बनाये रखने के लिए एक विधेयक रखा जायेगा ताकि कोई और विवाद न उठ खड़ा हो।" अतः, विधेयक में अन्य धार्मिक स्थलों को लिया जायेगा इस स्थल को नहीं। जहां तक इस विवाद का सम्बन्ध है, इसे दोनों पक्षों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए बातचीत से हल करना होगा।

समय आ गया है जब हमें भी ऐसे विचार व्यक्त करने चाहिए जिससे कि बातचीत से हल निकालने में तेजी आ सके और हम इस कठिन समस्या को समाप्त कर पायें।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मुझे खेद है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी यहां विद्यमान नहीं हैं। उनके प्रवक्ता ने जो कई मुद्दे उठाये थे···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय, बाबरी मस्जिद विवाद, अयोध्या विवाद से कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आरम्भ में ही मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि अयोध्या विवाद से राम के अस्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं उठता है। राम के प्रभुत्व पर इससे कोई प्रश्न नहीं उठता है और न ही अयोध्या के दशरथ की नगरी होने पर कोई प्रश्न उठता है। इससे महान हिन्दू विद्वानों द्वारा परिभाषित हिन्दू धर्म के किसी तत्व की पवित्रता पर भी कोई असर नहीं पड़ता है।

सभापति महोदय, जो सोये हुए शेर को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, वे उसकी सवारी नहीं करेंगे, वे इसका खुद शिकार हो जायेंगे। हमारे देश की बहुत पुरानी परम्परा रही है। हमारे देश के इतिहास में अतीत में अनेक उतार-चढ़ाव आये हैं। हमारे इतिहास ने कड़वे तथा मधुर स्वाद चखे हैं। आज हम जो कुछ हैं, वह इतिहास की देन है। इतिहास से हमें अपनी संस्कृति तथा परम्परा मिली है। यह कोई जड़ चीज नहीं है। यह कोई नहीं कह सकता कि यह कोई समय विशेष या तारीख विशेष को समाप्त हो गया और शुरू हो गया। इसका एक अपना ही

गतिशील प्रभाव होता है। अतः, मैं अपने कुछ मित्रों को आगाह करना चाहता हूं कि वे इतिहास के सोये हुए शेर को जगाने का प्रयास न करें। कोई नहीं जानता है कि कौन उस शेर का शिकार हो जायेगा ? सभापति महोदय, एक मुसलमान के नाते मैं कहना चाहता हूं कि राम के प्रति श्रद्धा मुझमें किसी से कम नहीं है। सच बात तो यह है कि भारत के मुसलमान समुदाय राम को मानवता के इतिहास की एक महान हस्ती मानते हैं। हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। मैं यहां बतलाना चाहता हूं कि इस उप महाद्वीप के एक महान कवि इकबाल ने राम को 'इमामे-हिन्द' कहा था। सभापति महोदय, कृपया इस उक्ति के महत्व को समझने का प्रयास करें। उन्होंने राम को मस्जिद का इमाम नहीं कहा, बल्कि भारत का इमाम कहा, वह भारत जो एक महान पूजा स्थल है।

अपने भाषण के पूर्व कथन के रूप में मैं एक और वक्तव्य देना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सभा के प्रत्येक सदस्य मेरे इस बात से सहमत होंगे कि यह देश प्रत्येक व्यक्ति का है चाहे वह किसी धर्म या सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखता हो अथवा कोई भाषा बोलता हो। जब 1947 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता का हस्तांतरण किया गया था तब किसी सम्प्रदाय विशेष को सत्ता हस्तांतरित नहीं किया गया था। सत्ता भारत के लोगों को हस्तांतरित किया गया था। अतः यह कहना कि 1947 में आजादी प्राप्त करने से किसी सम्प्रदाय विशेष को विशेष लाभ प्राप्त हो गई है कि कानूनी दृष्टिकोण से बिलकुल गलत है।

महोदय, मैंने विश्व हिन्दू परिषद् तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे इस विवादित ढांचे की वास्तविक दर्जे से अवगत नहीं हैं। कुछ इस बात को स्वीकार करते हैं कि ढांचा एक मस्जिद है और उस पर पहले से बने मंदिर को गिराकर इसे बनाया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि आज जो ढांचा है, वह मस्जिद नहीं है और न ही वह कभी मस्जिद रही है क्योंकि उसका दरवाजा पश्चिम की ओर नहीं है और मीनारें नहीं हैं और यह जो ढांचा दिखाई देता है वह मंदिर था। इन दोनों विचारधाराओं के बीच एक तीसरी विचारधारा है कि आधार में मूल ढांचा मंदिर था। मुस्लिम शासक मीर बाकी अथवा बाबर ने इसके ऊपर गुंबद बनवा दिया और मंदिर को मस्जिद में बदल दिया, अतः गुंबद को हटाकर इसे मंदिर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

एक अन्य बिन्दु भी है जिसका स्पष्टीकरण वे नहीं देते हैं। रामजन्म स्थान और रामजन्म भूमि में क्या फर्क है ?

एक बार मैंने स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी से यह प्रश्न पूछा था परन्तु उन्होंने इसमें अन्तर नहीं बताया था। मेरे विचार से रामजन्म भूमि भूमि का कोई छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता। रामजन्म भूमि तो यह पूरा देश है। इसे सीमित आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता, यह भूमि का एक छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता। शायद, जन्मस्थान को 'राम जन्मस्थान' के रूप में उपयुक्त रूप से नाम दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, शायद आपको मालूम होगा कि अयोध्या में पहले से ही एक भव्य मंदिर है जिसे जन्मस्थान मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर बाबरी मस्जिद से उत्तर दिशा पर स्थित

है। इस मंदिर को अयोध्या के सभी महन्त बहुत श्रद्धा से देखते हैं। वस्तुतः अयोध्या के किसी मंदिर में कोई नया महन्त गद्दीनसीन होता है तो राम जन्मस्थान मंदिर में किये जाते हैं। अतः, बाबरी मस्जिद के सटे एक राम मंदिर है जिसे पूरा हिन्दू समाज राम जन्म स्थान के रूप में मानता है।

सभापति महोदय, अनेक बातें कही गई हैं और तथ्य गढ़े गए हैं एवं मिथकों को इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कहा गया है कि 1528 से अब तक रामस्थान मंदिर को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों युद्ध किये गये हैं और हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, परन्तु इतिहास में ऐसे किसी युद्ध का उल्लेख नहीं है। यह कहा गया है कि 1855-56 में बाबरी मस्जिद के प्रश्न पर हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष हुआ था। 1855-56 में संघर्ष एक छोटे मस्जिद के बारे में हुआ था। वह मस्जिद हनुमान गढ़ही के सटे थी तथा जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कहा जाता है कि उस मस्जिद को हनुमान गढ़ही में मिला लिया गया था। जैसा कि श्री शरद दिघे ने कहा है कि इस संघर्ष को तत्कालीन ब्रिटिशों ने उसकाया था। वस्तुतः, 1949 तक बाबरी मस्जिद पर किसी ने दावा नहीं किया था। वर्ष 1885 का जो मुकदमा है वह राम चबूतरा पर मंदिर बनाने के लिए राम चबूतरा के महन्त द्वारा दायर किया गया था और वह याचिका बाबरी मस्जिद से बिल्कुल संबंधित नहीं थी। यदि आप पूरे वाद को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि महन्त द्वारा पूरे वाद में एक भी शब्द में बाबरी मस्जिद पर दावा किया हो। उन्होंने राम चबूतरा का उल्लेख किया है जो बाबरी मस्जिद से कुछ फीट दूर है। इसलिए मैं एक बुनियादी बात कहना चाहता हूं जो यह है कि 1949 तक बाबरी मस्जिद पर दावे का कोई रिकार्ड नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि बाबरी मस्जिद भगवान राम का जन्म स्थान था। मैं इस बात के लिए विश्व हिन्दू परिषद को चुनौती देना चाहता हूं। वर्ष 1949 में, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के रिकार्ड किए गए शपथ-पत्र के शब्दों में, दिसम्बर 22-23, 1949 की रात में गैरकानूनी तथा गुप्त रूप से राम लला की मूर्ति बाबरी मस्जिद में रख दी गई। यह एक तथ्य है कि इस अवैध अतिक्रमण की रिपोर्ट ड्यूटी पर तैनात एक हिन्दू सिपाही ने की थी। उसने रामकोट थाने के हिन्दू दरोगा को रिपोर्ट की थी और मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष आया जो हिन्दू था। ये सारे रिकार्ड हमारे समक्ष मौजूद हैं। तदन्तर धारा 144 तथा धारा 145 के अन्तर्गत कार्यवाही हुई तथा सम्पत्ति रिसीवर के हाथों सौंप दी गई और वाद के निर्णय होने तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश है।

इस समय इसके स्वामित्व के बारे में अनेक मुकदमे चल रहे हैं—लगभग चार मुकदमे हैं जो लखनऊ उच्च न्यायालय की विशेष खण्डपीठ के समक्ष विचाराधीन हैं। इस विशेष खण्डपीठ ने एक बार नहीं बरन् दो बार इस बात की पुष्टि की है कि स्वामित्व के बारे में निर्णय होने तक यथातथ्य स्थिति बनी रहनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब 1 फरवरी, 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के जिस आदेश से बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था, वह उसके स्वामित्व संबंधी मूल प्रश्न के बारे में निर्णय नहीं था। वस्तुतः जारी किए गए आदेश में यह स्पष्टतः लिखा हुआ है कि यह आदेश स्वामित्व संबंधी मुकदमों को प्रभावित नहीं करता है। यह आदेश केवल हिंदू समुदाय को

दर्शन करने की अनुमति प्रदान करने की दृष्टि से जारी किया गया था, मैं उस आदेश की वैधता को चुनौती दे सकता हूं किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि उस आदेश में यह नहीं कहा गया है कि जिला न्यायाधीश ने विवादास्पद सम्पत्ति के स्वामित्व के बारे में फैसला सुनाकर उसे विश्व हिन्दू परिषद को सौंप दिया है।

विचित्र विडम्बना है कि हालांकि 22-23 दिसम्बर, 1949 की रात को पूजा हेतु मूर्तियां अवैध तरीके से विवादास्पद स्थल पर स्थापित कर दी गई थीं, फिर भी वे न्यायालय के इस अंतरिम आदेश के कारण अभी तक वहां हैं, कि पूजा वहां सम्पन्न की गई है; कि रिसीवर द्वारा तैयार की गई इस योजना को एक अन्तरवर्ती आदेश से अनुज्ञा प्रदान कर दी गई थी, कि न्यायिक आदेश द्वारा सार्वजनिक दर्शन के लिए इजाजत दी गई थी; इसके बावजूद दूसरे पक्ष में बैठे हमारे मित्र कहते हैं कि यह विवाद न्यायिक प्रक्रिया का विषय है ही नहीं। वे प्रत्येक न्यायिक आदेश का लाभ उठाते हैं और फिर उसके अधीन दावा भी करते हैं किंतु स्वामित्व संबंधी प्रश्न पर कहते हैं कि यह मामला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं यह नहीं समझ पाता हूं और शायद कोई भी नहीं समझ सकता है क्योंकि यह सामान्य ज्ञान से परे की बात है कि कोई सदाशय व्यक्ति इस तरह की बात कैसे कर सकता है। जो व्यक्ति न्यायालय के अन्तर्वर्ती आदेशों का लगातार लाभ उठा रहा हो, वह न्यायालय के प्राधिकार तथा न्यायिक प्रक्रिया को कैसे नामंजूर कर सकता है? यह समझना नितान्त आवश्यक है।

महोदय, वर्ष 1989 और 1990 के दौरान बहुत अप्रिय बातें हुई हैं। मेरी राय में शिलान्यास अवैध था। जिस प्रकार दो बार कार सेवाएं आयोजित की गई थीं, वह भी अवैध थीं क्योंकि उन्होंने विवादग्रस्त परिसर में अवैध रूप से प्रवेश किया था। तत्कालीन सरकार ने शिला यात्रा के लिए जो अनुमति प्रदान की थी वह इस देश की दांडिक विधि के अनुसार अनुचित थी क्योंकि इससे अशांति फैलने की आशंका थी और ऐसा ही हुआ भी था। शिलान्यास भी अवैध था क्योंकि अयोध्या या भारत के किसी भी स्थान पर नगरपालिका प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी तरह का निर्माण सम्भव नहीं है और भारत की कोई भी नगरपालिका ऐसे किसी स्थान पर किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं प्रदान कर सकती जिसमें या जिसके अन्तर्गत विवादग्रस्त सम्पत्ति भी सम्मिलित हो। इसीलिए अनुमति प्राप्त किए बिना किसी योजना के आधार पर किसी विवादग्रस्त सम्पत्ति वाले स्थान पर किया गया निर्माण तथ्यत: और मूलत: अवैध है और गैर-कानूनी है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि जहां शिलान्यास किया गया था, वह स्थान विवादग्रस्त परिसर से बाहर था—हालांकि ऐसा नहीं है—फिर भी जो योजना प्रथम दृष्ट्या अवैध है, उसके आधार पर किसी प्रकार के निर्माण की शुरूआत भी अवैध ही है। बहरहाल, भारत सरकार की अपनी राजनैतिक मजबूरियां हैं, प्राथमिकताएं हैं जिनके आधार पर उसने शिलान्यास के लिए अनुमति प्रदान की है। उसके बाद जो हुआ वह हम सभी को मालूम है। कार सेवा के लिए रथयात्रा द्वारा दबाव डाला गया। जब कारसेवा के लिए मंजूरी नहीं दी गई तो अयोध्या में वह दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, हमें उसके राजनैतिक परिणाम भी मालूम हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसे चुनावी मुद्दा बनाया और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को गिरा दिया, उसने राम लहर पैदा करने के लिए राम के नाम का दुरुपयोग किया। उसने मण्डल के खिलाफ मंदिर का मुद्दा उठाया और अपने लक्ष्य में सफल हुए।

इस पार्टी ने जनता की धार्मिक भावना को भड़काया और 10 प्रतिशत के स्थान पर 21 प्रतिशत मत प्राप्त किए। आज उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद यह पार्टी दावा करती है कि चुनाव में मिले स्पष्ट जनादेश के परिणामस्वरूप वह अयोध्या में वह जो चाहे कर सकती है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इतनी मेहनत करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की जनता को गुमराह नहीं कर पाई है। जितने वोट वहां डाले गए हैं उसका उन्हें केवल 32 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ है और यदि राज्य के सभी मतदाताओं की गणना की जाए तो केवल 17 प्रतिशत वोट ही उन्हें प्राप्त हुए हैं। यदि धार्मिक पहलू पर विशेष बल देकर, धार्मिक उन्माद को उभार कर, दुश्मनी और नफरत को भड़का कर भी यह पार्टी उत्तर प्रदेश की केवल 17 प्रतिशत जनता का ही सक्रिय समर्थन प्राप्त कर पाई है तो इसके लिये मैं उत्तर प्रदेश की जनता का उसकी बुद्धिमत्ता और धर्म निरपेक्षता की भावना के लिए अभिनन्दन करता हूं। वह साम्प्रदायिकता के फंदे में नहीं फंसी है और इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को जल्दी ही गुजर जाने वाला एक दौर समझता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले चुनाव में जनता उन्हें नकार देगी। बहरहाल इस चुनाव में उन्हें कोई जनादेश प्राप्त नहीं हुआ है। यदि उन्हें इस मुद्दे पर देश में 21 प्रतिशत मत प्राप्त हुए तो इसका अर्थ यह है कि 80 प्रतिशत मतदाताओं इस प्रश्न को लेकर उनके विरुद्ध मत दिया। यदि उत्तर प्रदेश में उन्हें इसी मुद्दे को लेकर 32% मतदाताओं के मत मिले तो इसका अर्थ हुआ कि उत्तर प्रदेश के 68 प्रतिशत लोगों ने इस सवाल पर उनके खिलाफ मत दिया। इसलिए श्री आडवाणी या भारतीय जनता पार्टी यह दावा नहीं कर सकते कि चुनावी निर्णय के अवसर पर जो वे चाहें वही करने की उन्हें छूट मिल गयी है।

तथापि किसी लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार के विवाद को मतदान द्वारा हल नहीं किया जा सकता। न ही इसे गोली के सहारे या मतों के आधार पर हल किया जा सकता है।

इस मुद्दे को तो केवल बातचीत के द्वारा हल किया जा सकता है।

मेरे विचार से बाबरी मस्जिद का सवाल आज इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बने रहने के लिए प्रायोगिक विषय बन गया है। मेरा यह मानना है कि उनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद को गिराना नहीं, बल्कि हमारी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को नष्ट करना है और जो अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण की योजना बना रहे हैं, वे वास्तव में राम की शान बढ़ाने के लिए उत्सुक राम भक्त नहीं हैं बल्कि वे लोग हिन्दू राष्ट्रवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

अत: बाबरी मस्जिद का सवाल आज मात्र एक धार्मिक सवाल नहीं रह गया है। यह एक धार्मिक विवाद नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक मुद्दा है। यह कानूनी एवं राजनैतिक प्रश्न भी है और हमें राजनैतिक वास्तविकता की दृष्टि से विचार करना चाहिए कि इस प्रश्न पर 1983, जब यह मुद्दा फिर से उठाया गया तथा 1991 के बीच की अवधि में, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अलग-थलग पड़ गयी है। भारतीय जनता पार्टी सम्बन्धित पक्षों के अधिकारों का निर्णय कानूनी प्रक्रिया के जरिए किए जाने के विरुद्ध है जबकि सभी दल इस पक्ष में है कि यदि बातचीत असफल रहती है तो तब केवल न्यायालय के माध्यम से इस विवाद का हल निकाला जा सकता है। सभी पार्टियां इस बारे में बिना किसी शर्त के बातचीत के पक्ष में हैं। लेकिन जैसा कि श्री शरद

दिये थे बताया है, भारतीय जनता पार्टी बातचीत द्वारा हुए समाधान को मुस्लिम समुदाय द्वारा विवादास्पद सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपने सभी अधिकारों का परित्याग किये जाने के बराबर मानती है। इस बीच सभी राजनैतिक दल इस सम्बन्ध में यथास्थिति कायम रखने के पक्ष में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बारे में एकतरफा परिवर्तन करने के पक्ष में है।

सभी राजनैतिक दल चाहते हैं कि जैसा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन किया गया था, उसी तरह सभी पूजा स्थलों के बारे में यथास्थिति बनाये रखने के लिये कानून बनाया जाए जबकि भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है। इस तरह हम देख सकते हैं कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से एक विभाजन रेखा है जिसके एक ओर भारतीय जनता पार्टी तथा दूसरी ओर बाकी सारा देश खड़ा है। इसलिए नैतिक अन्तश्चेतना तथा देश की आत्म सहमति इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है।

मैं भारतीय जनता पार्टी की दुविधा समझता हूं। उन्होंने चुनाव लड़ा तथा उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर अपनी सरकार बना ली। आज उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि अपने चुनावी वादे को कैसे पूरा करें क्योंकि यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ तथा चुनावी वादे को पूरा करने के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्हें इनमें से एक को चुनना पड़ेगा क्योंकि वे या तो एक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है या वे संविधान के दायरे से बाहर हो जाते हैं। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर, हमें अत्यन्त स्पष्ट रूप से चयन करना पड़ेगा। सभापति महोदय, मुझे आशंका है कि यदि श्री सिंघल वहां निर्माण गिरा कर मन्दिर बना लेते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी, जो इस महान देश को अपना पूजा स्थल मानते हैं, अपना मन्दिर खो बैठेंगे।

हम 1987 से वार्ता कर रहे हैं। जून, 1987 तथा अक्तूबर, 1987 के बीच तत्कालीन गृह मन्त्री सरदार बूटा सिंह जी ने विश्व हिन्दू परिषद् और बाबरी मस्जिद आन्दोलन के नेताओं के साथ बातचीत की। आरम्भ में सरकार का दृष्टिकोण यह रहा कि यह उनकी चिन्ता का विषय नहीं बल्कि स्थानीय समस्या है, तथा यह राज्य की समस्या है और यह कि मामले को फैजाबाद में या लखनऊ में निपटाया जाना चाहिए। बाद में उन्हें यह समझ में आया और यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और अन्तत: उन्होंने बात करने का निर्णय किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि यदि कोई समान आधार नहीं मिलता तो एकमात्र उपाय, जिसके प्रति सरकार वचनबद्ध है— न्यायिक प्रक्रिया आरम्भ करके उसे तेज किया जाये। ऐसा ही किया गया। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आ गई। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने प्रोफेसर मधु दण्डवते की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी। उन्होने लम्बे समय तक बातचीत नहीं चलाई। लेकिन उन्होंने दोनों पक्षों के साथ कुछ बैठकें कीं। वे भी इस निर्णय पर पहुंचे कि विश्व हिन्दू परिषद् इस बात के पक्ष में है कि सम्बन्धित सम्पत्ति में मुस्लिम समुदाय अपने संपूर्ण अधिकारों का परित्याग कर दें, वहीं बाबरी मस्जिद आंदोलन के नेताओं की स्थिति यह थी कि वे कानून के शासक का सम्मान करने के लिए वचनबद्ध हैं लेकिन किसी दबाव या जोर जबरदस्ती से हस्ताक्षर करके सम्पत्ति के अधिकार से वंचित होने के लिए तैयार नहीं हैं तथा इन दोनों के बीच कोई समान आधार नहीं है।

इसके बाद चन्द्रशेखर सरकार आई। मेरे विचार में उन्होंने एक गलत रवैया अख्तियार किया। देश के समक्ष कुछ कर दिखाने की जल्दी में उन्होंने अपने आपको निर्णायक की भूमिका में रखकर दोनों पक्षों को आमने-सामने लाने की कोशिश की। मैंने तत्कालीन प्रधान मन्त्री से कहा था कि कार्यपालिका न्यायपालिका का स्थान नहीं ले सकती तथा भारत के प्रधान मन्त्री न तो एक न्यायालय है और न ही जांच आयोग या कोई न्यायाधिकरण। वे दोनों पक्षों से अपने प्रमाण उनके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नहीं कह सकते, उनसे अपने प्रमाण केवल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है और तब न्यायाधीश ही कोई निर्णय कर सकता है। निश्चय ही, दोनों पक्षों से अपने प्रमाण न्यायालय के समक्ष या विशेष पीठ अथवा इस प्रयोजन के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन कार्यपालिका गठित मामले के सापेक्षिक गुण-दोषों का निर्णय नहीं कर सकती। अतः जैसी उम्मीद थी, वैसा ही हुआ अर्थात् इस सबका कोई परिणाम नहीं निकला।

महोदय, इस बारे में कानूनी स्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा मस्जिद का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, पूजा के किसी स्थान का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। मन्दिर निर्माण कोई सार्वजनिक प्रयोजन नहीं है। दूसरे मुस्लिम विधि के अनुसार, कोई मस्जिद किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपहार में नहीं दी जा सकती। किसी भी व्यक्ति को हस्तांतर करके या उसे दान में देने का अधिकार नहीं है।

तीसरे, मस्जिद का ढांचा नहीं बल्कि उसका स्थान पवित्र होता है। मस्जिद को गिराकर उसका बार-बार पुनर्निर्माण किया जा सकता है। वास्तव में मक्का तथा मदीना स्थित सबसे पवित्र मस्जिदों को ज्ञात इतिहास की अवधि में कई बार दोबारा बनाया गया है। इसलिए न तो मस्जिद का ढांचा और न ही उसमें लगने वाली ईंटें, गारा या पत्थर महत्वपूर्ण है बल्कि जहां मस्जिद बनी है, वह स्थान पवित्र होता है। इसलिए किसी स्थान विशेष को यदि मस्जिद के लिए तय किया गया है, वह हमेशा मस्जिद का स्थान ही रहना चाहिये। अतः मस्जिद को दूसरे स्थान पर ले जाने या मस्जिद के लिए दूसरा स्थान नियत करना इस्लाम धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है। लेकिन विश्व हिन्दू परिषद् की स्थिति यह है कि प्रस्तावित मन्दिर का निर्माण बाबरी मस्जिद के स्थान पर ही किया जाना चाहिए।

मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि कुछ राम भक्त या विश्व हिन्दू परिषद् के लोग अयोध्या में एक अन्य राम मन्दिर बनाना चाहते हैं तो भारत में कोई भी मुसलमान, कोई भी राजनीतिक पार्टी उसके विरुद्ध नहीं है। मुस्लिम समुदाय ने यहां तक कहा है कि मस्जिद के निकट एक नया मन्दिर बनाया जा सकता है। किन्तु विश्व हिन्दू परिषद् इस बात पर जोर दे रही है कि भगवान राम का जन्म बिल्कुल उसी स्थान पर हुआ था जहां इस समय मस्जिद में मूर्तियां स्थापित हैं और इसलिए प्रस्तावित मन्दिर का गर्भ गृह नहीं बनना चाहिए जहां मूर्तियां स्थापित हैं। किंतु वहीं पर अवतरित होने या प्रकट होने के बारे में किसी ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है। तथ्य यह है कि 23 दिसम्बर, 1949 की मूर्तियों को पहले मस्जिद के आंगन में रखा गया और बाद में ही उन्हें मस्जिद में रखा गया, यानि कि पहले मुंबरे और बाद में महरत के नीचे रखा गया। यह कहना कि जहां मूर्तियां रखी हैं, वहीं पर प्रकट हुई थीं तथ्यों को तोड़ना-

मरोड़ना ही है। अतः उनको इस बात पर जोर देना कि गर्भ गृह वहीं बनना चाहिए जहां मूर्तियां हैं, यह दर्शाता है कि मंदिर के निर्माण के लिए मस्जिद को गिराना जरूरी हो जायेगा। इसी रवैये के कारण बातचीत से मामला सुलझ नहीं रहा है।.

समझौता सम्भव है। हमें अपने लोगों की सदभावना पर विश्वास रखना चाहिए। अनेक बार लोगों के विचार जाने गए हैं और अधिकांश लोग यहां तक कि उत्तर भारत में भी अधिकांश लोग मन्दिर के निर्माण के पक्ष में हैं किन्तु वे मस्जिद गिराये जाने के पक्ष में नहीं हैं। इससे लोगों की सही सोच और धर्म निरपेक्ष प्रवृत्ति का पता चलता है। सभी राजनीतिक दल मस्जिद को गिराये जाने के विरुद्ध हैं। इसलिए जैसा कि मैंने कहा समझौता सम्भव हैं। मन्दिर को बाबरी मस्जिद में किसी तरफ भी बनाया जा सकता है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो शायद वर्तमान राम जन्म स्थान मन्दिर को एक भव्य मन्दिर के रूप में पुनर्निर्माण किया जा सकता है और यह बात सदियों से मानी जाती रही है कि राम जन्म स्थान मन्दिर भगवान राम के जन्म स्थान को दर्शाता है किन्तु विश्व हिन्दू परिषद् राजनीतिक खेल खेल रहा है। वे यह सब कुछ राम भक्ति के वशीभूत नहीं कर रहे हैं। यह एक राजनीतिक प्रश्न है, धार्मिक नहीं है। इसीलिए बिना किसी सबूत के वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि "नहीं, अयोध्या में भगवान राम का वास्तविक जन्म स्थान राम चबूतरा नहीं, वह राम जन्म स्थान मन्दिर में भी नहीं वह उन 16 मन्दिरों में भी नहीं जिनके महन्त यह दावा कर रहे हैं कि वे स्थान भगवान राम के जन्म स्थान है वह तो बाबरी मस्जिद के भीतर मस्जिद की मेहराब के नीचे ही है।" और इस सबके लिए कोई सबूत भी नहीं दिया जा रहा है। यदि हम यह मान भी लें कि अयोध्या राम नगरी है तो यह आज सही-सही कौन बता सकता है कि राम अयोध्या में किस स्थान पर पैदा हुए थे।

हाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहासकारों और विद्वानों के एक दल ने सर्वेक्षण करके स्कंदपुराण और अयोध्या महात्म्य में दिए गए वर्णन के अनुसार अयोध्या के मानचित्र पर कुछ निशान लगाये थे ताकि यह सही-सही पता लगाया जा सके कि भगवान राम का जन्म स्थान कौन-सा है। उन्होने पांच विभिन्न स्थानों को अंकित किया था और उनमें से कोई स्थान वर्तमान बाबरी मस्जिद में नहीं आता था। यह दल इतिहासकार प्रोफेसर सुशील श्रीवास्तव के नेतृत्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक विशेष अन्वेषण दल था।

विश्व हिन्दू परिषद् यह कहती है कि बाबरी मस्जिद पूर्व-निर्मित मंदिर पर खड़ी हुई है। किसी ने भी यह मंदिर नहीं देखा है और न ही किसी ने इसका उल्लेख किया है। यह कहा गया कि मंदिर विक्रमादित्य ने बनाया था। यह भी कहा गया कि गुर्जरों ने 11वीं शती में इसका निर्माण किया था। मैं यह बताना चाहता हूं कि बाबर अयोध्या में आने वाला पहला मुसलमान नहीं था। 1194 में घोरिसो ने कन्नौज साम्राज्य से अयोध्या छीनी थी।

1194 से 1526 तक जब बाबर भारत में आया, यह मुस्लिम शासन के अधीन रहा। यह मुस्लिम शिक्षा और संस्कृति का महान केन्द्र बना। 1126 और 1528 के बीच अयोध्या में किसी ऐसे मंदिर के अस्तित्व का कोई रिकार्ड नहीं है। फाह्यान हर्षवर्धन के समय वहां आया था; ह्वेनसांग ने अयोध्या का निर्माण किया था और दोनों में से किसी ने भी ऐसे किसी भव्य मंदिर को नहीं देखा। अतः विक्रमादित्य या 11वीं या 12वी शती में गूजरों द्वारा इस मंदिर का

निर्माण कराया अथवा मात्र कल्पना ही है। 1528 तक न तो किसी भी तत्कालीन इतिहासकार द्वारा इसका उल्लेख किया गया है और न ही इस बात का कोई रिकार्ड, लेख अथवा सिक्का है जो इस बात की पुष्टि करता हो कि वहां कोई मंदिर विद्यमान था। 1528 से आज तक, जब हम पणिक्कर जैसे इतिहासकार तक पहुंचते हैं, किसी भी प्रमुख इतिहासकार ने यह नहीं कहा कि 1528 में वहां उस स्थान पर मंदिर बना हुआ था जिसे गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई गई है।

श्री शरद् दिघे ने ठीक ही कहा है कि महान राम भक्त तुलसीदास ने, जिनके कारण उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रसार हुआ और जिन्होंने अवधी में रामचरित मानस लिखकर रामचन्द्र जी के जीवन को जन-जन तक पहुंचाया, मंदिर को गिराने का उल्लेख नहीं किया है। वह बाबर के समकालीन थे। उन्होंने लम्बा जीवन जीया और वह अकबर के समकालीन भी थे। यदि बाबर के समय इस तरह का कोई अपवित्र कार्य किया गया होता तो तुलसीदास, जो अकबर के दरबार के सामंतों से भलीभांति परिचित थे—और कम-से-कम अकबर की धर्मनिरपेक्षता के बारे में तो कोई दो राय नहीं है—अपने पत्रों के माध्यम से टोडरमल या जयसिंह जैसे सामंतों के ध्यान में यह बात ला सकते थे और उनसे अयोध्या में हिन्दुओं के सर्वाधिक पवित्र स्थल के पुनर्निर्माण के लिए कह सकते थे। रामायण में इस बारे में कुछ नही कहा गया है। इसका यह स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि रामायण की कथावस्तु अत्यंत प्राचीन काल की है लेकिन उनके पत्रों में भी जो विनय पत्रिका में संकलित हैं, इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है।

अत: हमारे पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, कोई भूगर्भीय साक्ष्य नहीं है और न ही इस बात का कोई पुरातात्विक साक्ष्य है कि 1528 में यहां एक मंदिर था जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है।

लोगों को गुमराह करने के लिए अनेक बातें यहां कही जा रही हैं। यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने 1934 से वहां नमाज नहीं पढ़ी है। यह सही नहीं है। मस्जिद के इमाम, मौलवी अब्दुल गफार की मृत्यु कुछ महीने पहले ही हुई है किन्तु उनका शपथ पत्र हमारे पास है। वह मृत्यु के समय 98 वर्ष के थे। वह 22 दिसम्बर, 1949 तक बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे। लेकिन तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि मुसलमानों ने अपने कारणों से 1934 से मस्जिद का त्याग कर दिया था तो भी बाबरी मस्जिद पर प्रति-दावा कैसे सिद्ध हो जाता है ? विश्व हिन्दू परिषद् को यह अधिकार कैसे प्राप्त हो जाता है कि वह उसे मंदिर में परिवर्तित कर दे ? हमारे पास वक्फ रिकार्ड हैं। जब से चौथे दशक के आरम्भिक वर्षों से वक्फ अधिनियम लागू किया गया तब से बाबरी मस्जिद का संचालन यू० पी० वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है और वक्फ इंस्पैक्टरों की अनेक रिपोर्टें उपलब्ध हैं।

यह कहा गया है कि 1949 से मुसलमान मस्जिद में नहीं गए हैं। यह सही है। मुस्लिम समुदाय को अदालत के आदेश से बाबरी मस्जिद के पास जाने की मना ही थी। यदि मैं अदालत का आदेश मानता हूं तो क्या मेरा अधिकार समाप्त हो जाता है ? यह कोई तर्क नहीं है। यह कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज का आदेश निर्णय था। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है यह निर्णय नहीं था, यह एक वादकालीन आदेश था जिसकी वैधता और संवैधानिकता को रिट याचिका द्वारा चुनौती दी गई है और जिसका फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष खण्डपीठ द्वारा अभी किया जाना शेष है।

4.00 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

यहां बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने शिलान्यास के लिए इजाजत दी। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया है··· (व्यवधान) ···। सम्भव है श्री बूटा सिंह जी ने विश्व हिन्दू परिषद् के साथ कुछ शर्तों के आधार पर तथा भविष्य में अच्छे आचरण का वायदा लेकर कोई समझौता किया हो जिसके तहत इसकी अनुमति दी गई है। बदकिस्मती से उस वायदे को भी पूरा नहीं किया गया। वस्तुतः जो आदेश जारी किया गया था वह 7 नवम्बर, 1989 का था जिसे इलाहाबाद के विशेष पीठ ने जारी किया था, जिसमें साफ-साफ यही कहा गया है कि जिस प्लाट नम्बर 585 पर शिलान्यास किया गया है वह विवादग्रस्त परिसर का ही हिस्सा है। किंतु अब स्थानीय प्रशासन ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए सही नक्शे पर एक दूसरा नक्शा लगाकर यह जताने की कोशिश की है कि जिस छोटे टुकड़े पर शिलान्यास किया गया था वह उस कच्चे नक्शे से बाहर का हिस्सा है जिसे मूल वाद के साथ संलग्न किया गया था, इसीलिए वह स्थान विवाद-ग्रस्त नहीं था। कार्यपालिका में यह साहस नहीं है कि न्यायपालिका के पास यह स्पष्टीकरणरण लेकर फिर से जाए और उससे स्पष्टीकरण कारक आदेश प्राप्त कर ले। कार्यपालिका ने इस बारे में एकपक्षीय निर्णय ले लिया कि कौन-सा प्लाट नम्बर 586 का हिस्सा है और कौन-सा नहीं है। और आज यह मांग की जा रही है कि उन्हें प्लाट नम्बर 586 में जाने दिया जाए। यहां महोदय मैं यह कहना चाहूंगा कि प्लाट नम्बर 586 की सीमा रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, और यदि केवल तर्क के लिए तर्क करना है तो यह मंजूर किया जाता है कि शिलान्यास सम्बन्धी कार्य विवादास्पद परिसर के ठीक बाहर ही किया गया है और आज जिस चीज की मांग की जा रही है उसके लिए यदि उत्तर प्रदेश की सरकार अनुमति देती है तो बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ा गया एक भी कदम यथास्थिति बनाए रखने सम्बन्धी आदेश का उल्लंघन करेगा, तथा ऐसा करना विवादास्पद परिसर में प्रवेश करना ही माना जाएगा क्योंकि शिलान्यास स्थल, जो कि बहुत छोटा-सा स्थान है, से परे प्लाट संख्या 586 है जो विवादास्पद परिसर का हिस्सा है। वहां उच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने सम्बन्धी आदेश के अधीन प्रतिबंध लागू है, और इसीलिए स्वामित्व का निर्णय होने से पहले यदि निर्माण कार्य होता है, यहां तक कि एक ईंट भी विवादास्पद क्षेत्र में रखी जाती है, तो इस देश के कानून का उल्लंघन होगा और न्यायालय का अपमान माना जाएगा।

महोदय, यह कहा गया है कि बाबरी मस्जिद राष्ट्रीय सम्मान का मामला है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे इतिहास में इसे अनेक नामों में जाना गया है। आज हम इसे बाबरी मस्जिद कहते हैं। इसे जामा मस्जिद, अयोध्या भी कहा जाता था, इसके अन्य अनेक नाम थे, यह बाबर का स्मारक नहीं है। वस्तुतः बाबर कभी अयोध्या गया भी था इसमें भी संदेह है। प्राप्त अभिलेख के अनुसार बाबर के दरबार के एक भद्र पुरुष मीर बाकी ने 'बा फरमुआ-ए-शाह-ए-बाबर' अर्थात् बादशाह बाबर की हिदायतों के अनुसार इसे बनवाया था। एक बार मैंने ज्ञानी जैल सिंह जी से जो बात कही थी यहां दुहराने में मुझे ऐतराज नहीं कि कुछ मित्रों ने बाबरी मस्जिद के बारे में आपत्ति व्यक्त की क्योंकि बाबर आक्रमणकारी था, आप इसे बाबरी मस्जिद

कह कर इसे उसका स्मारक कैसे बना सकते हैं ? मैंने कहा था कि यदि श्री सिंघल स्वीकार करें तो मुस्लिम समुदाय इसका नाम बदल दे और इसका कोई और नाम रख दें। मस्जिद किसी एक व्यक्ति का स्मारक नहीं है। मस्जिद तो मस्जिद ही है और यही सचाई है।

महोदय, बाबरी मस्जिद की तुलना सोमनाथ मंदिर सम्बन्धी मामले से की गई है। दर-असल सोमनाथ मंदिर के मामले में ऐसा कोई विवाद नहीं है वह तो एक प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार का मामला था। उसके बारे में कोई मुकदमा लम्बित नहीं था, यथास्थिति बनाए रखने के लिए कोई आदेश नहीं किया गया था और किसी तरह का विवाद भी नहीं था। इसलिए सोमनाथ मंदिर के मामले की बाबरी मस्जिद के मामले से कैसे तुलना की जा सकती है।

फिर किसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद आंदोलन से सम्बन्धित मुस्लिम समुदाय देश के कानून का सम्मान चाहता है। ये लोग कानूनी व्यवस्था के प्रबल समर्थक हो गए हैं और जब कुछ दिन पहले शाह बानो केस पर सुनवाई हो रही थी तो वे चाहते थे कि कानून को बदल दिया जाए। मुझे विश्वास है कि विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जनता पार्टी को इतना कानूनी ज्ञान तो होगा ही किसी भी मामले में कानूनी पक्ष और तथ्य सम्बन्धी पक्ष पर विचार किया जाता है। जब कभी किसी न्यायालय का आदेश या निर्णय किसी कानून की मूल भावना का उल्लंघन करता हैं, तो विधानपालिका जो कि सर्वोपरि है, उस कानून की सीमाओं और शक्तियों को नए सिरे से परिभाषित करता है। मुझे इस पावन सभा को बताने की जरूरत नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश को बेअसर करने के लिए इस सभा ने संविधान में कितनी बार संशोधन किया है। किन्तु तथ्य के मामले में ऐसा नहीं है। यदि किसी न्यायालय ने तथ्य के आधार पर निष्कर्षस्वरूप निर्णय दिया है तो उसे नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए हमें इसमें स्पष्ट भेद करना चाहिए। शाह बानो क्षेत्र में यह कानून का सवाल था, उच्चतम न्यायालय द्वारा शरीयत की व्याख्या करने का मामला था, उसे मुस्लिम समुदाय ने चुनौती दी तथा भारत की संसद् ने बुद्धिमत्ता से यह निर्णय दिया कि इस संदर्भ में कानून को शरीयत के अनुरूप बनाया जाए क्योंकि जहां तक मुस्लिम पर्सनल कानून का सम्बन्ध है शरीयत ही कानून है। इसमें तथ्य संबंधी कोई सवाल शामिल नहीं था। किन्तु इस मामले में तथ्य का प्रश्न यह है कि विवादग्रस्त सम्पत्ति मस्जिद है या मंदिर है। इसका स्वामी 'क' है या 'ख' है, यह इस समुदाय की है या उस समुदाय की है।

बाबरी मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने की बात कही गई है किंतु मैं यह फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रस्तावित स्थानान्तरण तकनीकी दृष्टि से असम्भव है क्योंकि बाबरी मस्जिद ऐसे बड़े-बड़े पत्थरों से नहीं बनी है जिसे अलग-अलग कर किसी और स्थान पर जोड़ा जा सके। यह तो छोटे-छोटे पत्थरों, गारा और ईंट से बनी है, इसीलिए उसे अलग-अलग कर दुबारा जोड़ा नहीं जा सकता है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म की दृष्टि से मुसलमानों को यह बात स्वीकार्य नहीं है। यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान सहित अन्य अनेक देशों में अनेक मस्जिदों का स्थान बदला गया है। पाकिस्तानियों को जो करना है वे करें। लेकिन पाकिस्तान के दूतावास ने इस बात का खंडन किया है उन्होंने प्रेस को बताया है कि पाकिस्तान में किसी भी मस्जिद का स्थान नहीं बदला गया है। मुझे ऐसा किसी इस्लाम धर्म प्रधान

देश के बारे में नहीं मालूम जहां मस्जिद का स्थान बदला गया हो, यह सम्भव है कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों में एक यह भी विचारधारा है कि जनता के हित में किसी मस्जिद को ध्वस्त किया जा सकता है। किन्तु यह बात बिल्कुल साफ है कि किसी एक समुदाय के पूजा स्थल को दूसरे समुदाय के पूजा स्थल के निर्माण के लिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता।

मुझे अपने देश की जनता पर विश्वास है। मुझे धर्म-निरपेक्षता युक्त व्यवस्था पर विश्वास है। मुस्लिम समुदाय इसी के लिए आन्दोलन कर रहा है क्योंकि उसे हमारी जनता के धर्म निरपेक्ष रवैये और धर्म निरपेक्ष राज्य की विश्वसनीयता में आस्था है। वे विश्व हिन्दू परिषद् या भारतीय जनता पार्टी को पूरे हिन्दू समुदाय का प्रतिनिधि नहीं मानती है तथा हिन्दुओं के हितों की रक्षा करने या हिन्दू विचारधारा को स्पष्ट करने पर उनका एकाधिकार नहीं है। वे हिन्दू समुदाय के एक मात्र प्रतिनिधि नहीं हैं।

जहां तक 15 अगस्त, 1947 को जो आराधना स्थलों की स्थिति थी उसे ही बनाए रखने का यह विचार पहली बार 1950 में आयोजित कौमी एकता सम्मेलन में प्रकट किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन प्रतिष्ठित गांधीवादियों ने किया था और इसकी कार्यवाही का ब्यौरा नवजीवन में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद इसे जनता पार्टी ने अपनाया था, और बाद में अन्य अनेक राजनैतिक दलों ने भी इसे अपना लिया था। बाबरी मस्जिद आन्दोलन ने यह भी मांग की थी कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत सभी आराधना स्थलों को 1950 तक की स्थिति में बना रहने दिया जाए। 15 अगस्त, 1947 को क्यों अंतिम तारीख माना गया। किसी और तारीख को तय क्यों नहीं किया गया? असली सवाल तो यही है। इसके लिए पहला तर्क तो यही है कि 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत की जनता को सत्ता सौंप दी गयी थी। 15 अगस्त, 1947 को भारत की जनता अपनी नियति की मालिक बनाई गई थी और अपने काम—अपनी भूल चूक सभी के लिए खुद जिम्मेदार हो गई थी। 15 अगस्त, 1947 से पहले के इतिहास में जो हुआ उसके लिए भारत की जनता जिम्मेदार नहीं थी। इसीलिए अपने इतिहास की इस विभाजक रेखा का हमें सम्मान करना चाहिए जहां से हमें समाधान की नई प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

इसलिए अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के साथ भारत की जनता को फैसला करना चाहिए कि संप्रभुता परिवर्तन अथवा सत्ता हस्तांतरण से समुदायों अथवा व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अत: उस तारीख का जहां मन्दिर था, वहां मन्दिर और जहां मस्जिद थी, वहां मस्जिद रहेगी। इसके अतिरिक्त और कोई विभाजन रेखा नहीं हो सकती तथा कोई भी सभ्य समाज सत्ता हस्तांतरण के साथ-साथ एक प्रकार के पूजा स्थलों पर दूसरे प्रकार के पूजा स्थलों का निर्माण किए जाने के विचार का समर्थन नहीं कर सकता। पूजा स्थलों को आज के आधुनिक समय में युद्ध की लूट नहीं माना जा सकता। अत: मैं यह कह कर समाप्त करूंगा कि अभी भी इस मसले को बातचीत के द्वारा हल किया जा सकता है। यदि बातचीत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के समक्ष आत्म समर्पण का पर्याय नहीं है तो ऐसी अनेक स्थितियां हो सकती हैं जिनमें आदान-प्रदान की भावनाओं के साथ तथा एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करके अयोध्या विवाद को

समस्त भारत की जनता के हित में तथा साम्प्रदायिक सद्भाव और सामाजिक शांति के हित में हल किया जा सकता है।

मैं एक और बात कहना चाहूंगा जोकि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। सभापति महोदय, कानूनी तौर पर देखा जाये तो इस मुद्दे पर मुसलमानों की स्थिति काफी मजबूत है लेकिन वे अनेक बार कह चुके हैं कि शरीयत हड़पी गयी जमीन पर मन्दिर या मस्जिद के निर्माण की इजाजत नहीं देती। इसलिए इस मुद्दे पर यदि कोई प्रख्यात प्राधिकरण जैसे उच्चतम न्यायालय, यह सिद्ध कर सकता है कि 1528 में वस्तुतः अयोध्या में उस स्थल पर राम मन्दिर था जिसको गिरा कर वहां मस्जिद का निर्माण किया गया तो ऐसी स्थिति में, हालांकि देश का कानून बाबरी मस्जिद सौंपने के लिए मुस्लिम समुदाय पर लागू नहीं होता, भारत का मुस्लिम समुदाय बाबरी मस्जिद सौंप देने के तैयार हो जायेगा। यह बात न्यायाधीश श्रीकृष्ण अय्यर, श्री राजीव गांधी तथा श्री चन्द्रशेखर से कही जा चुकी है। लेकिन हमने एक बात और कही है कि विश्व हिन्दू परिषद को भी यह वचन देना चाहिए कि तथ्यों के सम्बन्ध में जो भी निष्कर्ष निकलेगा, वह उन्हें भी स्वीकार्य होगा।

दूसरे, इस बीच जबकि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित जांच आयोग इस मामले पर विचार करेगा, देश के लोगों को भड़काने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया जायेगा।

तीसरे यह कि इस रियायत को और आंदोलन चलाने के लिए मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध उद्ध त नहीं किया जाएगा तथा इस झगड़े को जीवित रखने के लिए पूर्वोदाहरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

सभापति महोदय, मुझे यकीन है कि आप यह स्वीकार करेंगे कि ये तीनों बातें पर्याप्त रूप से उचित थीं। दुर्भाग्य से विश्व हिन्दू परिषद् ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए एक ओर मेरा कहना है कि अभी भी बातचीत से हल निकाला जा सकता है और अयोध्या में जिसे राम की नगरी माना जाता है बाबरी मस्जिद के पास के स्थान पर यानी एकदम मस्जिद के साथ राम की शान में एक भव्य मन्दिर का निर्माण किया जा सकता है। यदि इस देश में मन्दिर और मस्जिद साथ-साथ बन जायें तो इससे हमारे देश की शान ही बढ़ेगी, आखिरकार हमारी परम्परा सहिष्णुता और आपसी सम्मान की रही है। यदि इसके कानूनी समाधान का प्रयास किया जाये तो ऐसा करना अभी भी सम्भव है जैसा कि मैंने उच्चतम न्यायालय के सन्दर्भ में कहा था, बशर्ते कि विश्व हिन्दू परिषद् को भी स्वीकार्य हो।

हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि यदि बातचीत द्वारा समाधान संभव नहीं है और समुचित समाधान के सभी प्रयास असफल हो जाते हैं तो एक सभ्य समाज के तौर पर तथा कानून का सम्मान करने वाले एवं संविधान में निष्ठा रखने वाले देश के रूप में हम लोगों के पास न्यायालय के समाधान यानी कानूनी प्रक्रिया द्वारा समाधान के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। फिर उसे चाहे कोई व्यक्ति, संगठन या संस्था स्वीकार करे या न करे, यह राज्य का दायित्व हो जाता है कि वह न्यायालय के अन्तिम निर्णय, अन्तिम आदेश को कार्यान्वित करे।

अतः मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि विवाद को बातचीत के जरिए हल करने

का हरसम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। हमें अपने दरवाजे किसी भी समय बन्द नहीं करने चाहिये और साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया को भी चलने देना चाहिये ताकि यदि बातचीत सफल नहीं होती तो हम इस विवाद का, जोकि हमारे समाज को घुन की तरह खाये जा रहा है, सभ्य मानवीय तरीकों से निपटारा कर सकें। इस बीच हमें अपने समाज में इस प्रकार के वाद-विवादों में वृद्धि को रोकने का प्रयास करना चाहिए ताकि बाबरी मस्जिद जैसे और विवाद उत्पन्न न हों और उन लोगों को मौका न मिले जो देश में शांति भंग करना चाहते हैं और इस मुद्दे का राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : माननीय सभापति जी, श्री जायनल अबेदिन द्वारा जो संकल्प पेश किया गया है, उसको देखते हुए हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है कि उस संकल्प को पारित किया जाए और उसके अनुरूप कानून बनाया जाए। इस बात को हमारे साथियों ने सदन के सामने रखा कि राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के सवाल को जिस तरीके से देश के सामने रखा गया है इससे आज हमारे राष्ट्र को कितनी हानि हुई है। उस विवाद के तीन पात्र हैं। एक तो इतिहास है दूसरी आस्था और तीसरी राजनीति है। यदि इतिहास पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि 1192 में पठानों ने अयोध्या पर कब्जा किया। 1526 में बाबर आता है और अयोध्या उनके नियंत्रण में आता है। लेकिन अयोध्या के नियंत्रण में आने के साथ ही साथ बाबर ग्वालियर और चंदेरी पर जाता है। वहां की जो खूबसूरत इमारतें हैं, उनसे वह प्रभावित होता है। उन इमारतों को वह तोड़ता नहीं है बल्कि अपने लड़के हूमायूं को उस बात की हिदायत देता है कि इस मुल्क पर प्रशासन करना है और यहां के हालात का ख्याल रखना पड़ेगा। हिन्दुओं की गाय और धार्मिक स्थलों का ख्याल रखना पड़ेगा तभी हम जनता के बीच लोकप्रिय हो सकते हैं और लोकप्रिय प्रशासन कर सकते हैं। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो यह पाया गया कि फैजाबाद में वहां की जनता उस विद्रोह का साथ देती है और अयोध्या में जो महंत लोग हैं वे अंग्रेजों का साथ देते हैं। वे अंग्रेजों के सैनिकों को हर तरह की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके बाद उस मस्जिद के सामने जो नजूल अंग्रेजों की जमीन थी, उसको अंग्रेजों ने महन्तों को इनाम में दे दिया। इसके बाद फिर विवाद खड़ा होता है। 1853 में पहला विवाद खड़ा हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों ने हिन्दू संप्रदाय के मठों की तरफ से और मुस्लिम संप्रदाय के बीच समझौता किया तो अंग्रेज उन दोनों संप्रदायों के नेताओं को फांसी देते हैं। फांसी देने के बाद उनका काम नहीं चलता है। जनता उस बरगद के पेड़ के नीचे अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेले लगाती है और इकट्ठे होते हैं। अंग्रेजों को जब यह बात बर्दाश्त नहीं हुई तब वे पेड़ को भी कटवाकर फिकवा देते हैं। इस तरीके से यह मामला उठा, आते-आते 23 दिसम्बर, 1949 को पहली बार उस मस्जिद के अन्दर मूर्ति रख दी जाती है। उसके बाद यह विवाद खड़ा होता है जैसा कि श्री शाहबुद्दीन ने कहा, के० के० नैय्यर नाम के एक कलेक्टर ने इन सारी चीजों को किया जो उस वक्त आर० एस० एस० के प्रभाव में आ गए थे। आज भी देखा जा रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमारी ज्यूडिशियरी और पुलिस के उच्च पदों पर इस तरह की सम्प्रदायिक धारा के लोग पहुंचे और उसी का यह परिणाम था कि श्री के० के० नैय्यर ने मूर्ति रखवा दी। विवाद कोर्ट

में आता है और दफा-45 के अन्दर वह कुर्क कर दिया जाता है। उसके बाद मामला चल रहा था। हमें नहीं समझ आता कि यह दफा-45 इसलिए की जाती है कि वास्तविक सम्पत्ति किसकी है? जब तक फैसला नहीं होता है तब तक वह कुड़की-जब्ती नहीं उठाई जाती है लेकिन जिन लोगों ने वहां शिलान्यास कराया था, उन्हीं लोगों ने राजनैतिक तौर पर इस भावना के साथ वहां पर दफा 45 को हटवाया, और ताला खुलवाया। उसका परिणाम हुआ कि हमारे देश के अन्दर ये साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गये। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि बाबर विदेशी या हम लोग उसे भी विदेशी मानते हैं। यदि उसने मन्दिर तो तोड़ा उसके पहले क्या हुआ? शैवों-वैष्णवों के कितने मंदिरों को तोड़ा। वे कौन थे? किस तरीके से बृहद्रथ की हत्या करके प्रद्युम्न मित्र ने बौद्ध मतावलंबियों की हत्याएं करवायीं, बौद्ध मठों को तुड़वाया और लुटवा दिया, किस तरीके से कश्मीर के अन्दर हर्ष ने मन्दिरों को तोड़ने का एक विभाग खोल रखा था? ऐसा राजतरंगणि में कहा गया है।

मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इतिहास के पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ने से हमारी राष्ट्रीय एकता की रक्षा नहीं हो सकती है और इसके लिए जरूरी है कि 15 अगस्त, 1947, जिस दिन हम आजाद हुए थे, को जो भी पूजा स्थान जिसके हाथ में था, उसके हाथ में देकर मसले को हल करें। अच्छा होता भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां होते, ये साधु-संत लोग रहते जो दिलों को जोड़ने की बात करते हैं और दूसरी ओर हिन्दू-मुसलमानों की बात करते हैं। वे कहां हैं कमलछाप राम भक्त, ये लोग रहते तो इस बात का जवाब देते। क्या वजह है कि उस दिन श्रीमती विजयराजे सिंधिया ने कहा कि जिस वक्त भगवान राम थे, उस वक्त हिन्दू धर्म नहीं था, मानव धर्म था। तो इसके लिए जवाबदेह कौन है? आज हममें से लोग निकल कर ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म को स्वीकार कर रहे है। एक तरफ तो मन्दिर की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब नाथद्वारा मन्दिर मे कोई हरिजन मन्दिर जाता है, उस पर लाठियां बरसाते है। यह कौन-सा तरीका है? यह किस तरीके की आपकी भक्ति है? यह अनुचित भक्ति है जिसका राजनैतिक आधार पर प्रयोग करना चाहते हैं। तो इस पर जब बात आत आती है तो हमें सोचना पड़ेगा। कबीरदास ने कहा था—हम में, तुम में खड्ग खम्भ में सब जग व्याप्त राम। क्या राम को ये लोग एक जगह बांधना चाहते है। यदि ये लोग राम को एक जगह बांधना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को राम के प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है। जिस राम ने शाम्बुक की हत्या की है इस शाम्बुक के हत्यारे राम की पूजा करने मन्दिर में कौन जाता है? यह समता का समाज है, इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि आज इसके लिए दोषी कौन है? यह संत लोग आज यह जानने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं कि आज क्यों लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं? क्यों इस्लाम की तरफ जा रहे है, किस तरीके से संकुचित हो रहे हैं? एक तरफ प्रचार करते है कि हिन्दू धर्म सिकुड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दू धर्म की जो दुर्दशा हो रही है, यह धर्म के ठेकेदार कमलछापी संत जो यहां आये हुए हैं, उनकी वजह से होने वाला है। हम लोग अपने धर्म की दुर्दशा तो करा रहे हैं, लेकिन इस सदन से मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमें अपनी राष्ट्रीय एकता को बचाना है तो मजबूती के साथ 15 अगस्त, 1947 का जो संकल्प आया है, उसका समर्थन करना चाहिए। हमें खुशी होती कि हमारे कांग्रेस के लोग इस प्रस्ताव को स्वयं लाये होते और इनसे अभी भी आग्रह

करते हैं। कल का नया नाच आपने देखा है। थोड़ा सा भी इनके प्रति आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो तो निकालो। हमारी आज की जो दुर्दशा हो रही है, सब इनकी वजह से हो रही है और जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जनवादी ताकतें हैं, एकजुट होकर के हम इन साम्प्रदायिक, फासिस्ट ताकतों का मुकाबला करें नहीं तो आने वाला इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं श्री जैनुल अबेदिन द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का समर्थन करता हूं तथा अपनी पार्टी तेलगूदेशम् की ओर से भी अपना समर्थन व्यक्त करता हूं।

महोदय, गैर-सरकारी सदस्य के इस संकल्प पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने काफी कुछ कहा है। मैं उन बातों को नहीं दुहराऊंगा। मैं इस महत्वपूर्ण मसले पर जिसने सारे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए अत्यधिक चिन्ता पैदा कर दी है, अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

सबसे पहले तो मुझे यह आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में सत्ता में है तथा हाल में इनमें उत्तर प्रदेश का नाम भी जुड़ गया है, और जिसके नौवी लोक सभा में भी काफी बड़ी संख्या में संसद सदस्य थे, जिस तरह के तर्क दे रही है, वह कैसे दे रही है। कई बार मुझे उनके इस तर्क पर आश्चर्य हुआ है कि यह पूर्णतः किसी धर्म-विशेष को मानने वाले लोगों के विश्वास की बात है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है लेकिन इसके साथ हमने कानून के शासन की व्यवस्था भी की है तथा हमने एक ऐसे संविधान के प्रति अपने आपको समर्पित किया है न्यायिक प्रक्रिया जिसका एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

वे प्रायः न्यायालय के ऐसे निर्णयों को उद्धृत करते हैं जिनसे उनके तर्क का कुछ सीमान्तक समर्थन होता है किन्तु साथ ही कभी-कभी वे यह कह देते हैं कि "नहीं, नहीं हम इस मामले में न्यायालय निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।" यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

मैं भी पूजा करता हूं, मैं भी ईश्वर में विश्वास रखता हूं किन्तु मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। इसी प्रकार करोड़ों लोग उनके इन विचारों से सहमत नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश की समूची हिन्दू जनसंख्या की ओर से वकालत कैसे कर सकती है?

इस सम्बन्ध में ऐसा कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है कि रामचन्द्र जी उसी स्थान पर पैदा हुए थे जहां बाबरी मस्जिद स्थित है। अनेक इतिहासवेत्ताओं का यह स्पष्ट मत है कि ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं जिससे यह पता चलता हो कि भगवान श्री राम जी का जन्म किसी विशेष स्थान पर हुआ होगा। यदि आप बाबरी मस्जिद के साथ मन्दिर का निर्माण कर लें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान मंत्री थे तो उनकी सरकार ने बाबरी मस्जिद के पास 75 एकड़ भूमि देने की पेशकश की थी और उन्होंने जो कुछ करोड़ रुपए का संग्रहण किया है उससे वहां भगवान राम का एक सुन्दर मंदिर निर्मित किया जा सकता था।

मथुरा में भगवान कृष्ण का मन्दिर है। अनेक हिन्दुओं को इस पर आपत्ति नहीं है। किन्तु विश्व हिन्दू परिषद के कुछ लोग यह महसूस कर रहे हैं कि इस मन्दिर के समीप की मस्जिद गिरा कर बनाया जाना चाहिए था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

हम नामांकन करने से पहले संविधान की शपथ लेते हैं। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष हमें शपथ लेनी होती है "कि मैं भारतीय संविधान का पालन करूंगा।" यहां कुछ लोग हैं जो यह कहते हैं कि उन्हें न्यायिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

यहां कई दुर्भाग्यपूर्ण बातें हुई हैं। उन्होंने एक ऐसी सरकार को गिराया जिसे जनता द्वारा चुना गया था और जो इस देश के किसानों और गरीब लोगों की सेवा में संलग्न थी और जिसने थोड़े से समय में कुछ ठोस कदम करने का प्रयास किया था। वह सरकार इस देश के किसानों, श्रमिकों और अन्य लोगों की सहायता कर रही थी किन्तु दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से आपका समर्थन वापस ले लिया। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में पहली बार पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रयास कर रही थी, पिछले 44 वर्षों से पिछड़े वर्गों को इससे वंचित रखा जा रहा था।

मैं इस संकल्प का पूर्णतया समर्थन करता हूं क्योंकि 15 अगस्त, 1947 को सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाये रखने से इस समस्या का समाधान हो जायेगा।

बुद्ध, महावीर जैन जैसे महापुरुषों ने सभी जातियों, धर्मों अथवा सम्प्रदायो के लोगों को प्रेम और शान्ति का संदेश दिया है। महात्मा गांधी ने अहिंसा, सहिष्णुता और सद्भाव का रास्ता दिखाया था और दलितों, जिन्हें अछूत समझा जाता था, के प्रति प्रेम भाव रखने की शिक्षा दी है।

अब विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के रवैये के कारण साम्प्रदायिक तनाव बढ़ सकते हैं और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा देश अद्वितीय है और विविधता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। इस देश में बौद्ध तथा जैन धर्म तो फले फूले हैं ही, पारसी, इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे विदेशी धर्म भी यहां की संस्कृति का अंग बन गए हैं। जब विश्व के अन्य भागों में यहूदियों को सताया जा रहा था, भारत में उन्हें आने दिया गया और प्रश्रय दिया गया। ईसाई धर्म की भी यही स्थिति है। सबसे पहले यह धर्म केरल में आया। पारसी धर्मानुयायी ईरान से भारत में आये थे और गुजरात में पश्चिमी घाट पर उतरे थे। तब एक सम्राट जाधव राणा हुआ करते थे। यह लोग उस सम्राट के पास आये। सम्राट ने पूछा, "आप लोग हमसे क्या चाहते हैं?' उनके वयोवृद्ध पुजारी ने उत्तर दिया, "पूजा की स्वतन्त्रता"। सम्राट ने कहा, "यह स्वतन्त्रता आपको दी जाती है। इसके अतिरिक्त आप और क्या चाहते हैं?" "हम अपने बच्चों का अपनी परम्पराओं और रीति रिवाजों के अनुसार पालन-पोषण करना चाहते हैं।" "ठीक है, और क्या चाहिये"? "धरती का एक छोटा टुकड़ा जिस पर हम खेती कर सकें ताकि हम उन लोगों के लिये भार न बनें, जिनके बीच हम रहेंगे।" "आपको खेती के भूमि भी मिलेगी। यह देश आपको अपना रहा है, इसके बदले में आप इस देश के लिए क्या करेंगे?" सम्राट ने पूछा। वयोवृद्ध पुजारी ने दूध से भरा पीतल का एक कटोरा सभा के सामने लाये जाने की मांग की। जब दूध भरा कटोरा लाया गया तो पुजारी ने उसमें एक चमचा चीनी का

मिलाया और उसे अपने कांपते हाथों में पकड़ कर पूछा, "क्या किसी व्यक्ति को कटोरे के इस दूध में दिखाई दे रही है ?" सभी ने न में सिर हिलाया। पुजारी ने कहा, "हम आपकी इस मानवीय दया रूपी दूध में चीनी की भांति रहने का प्रयास करेंगे।" भीड़ में स्वीकृति की बुदबुदाहट सुनाई दी। तत्पश्चात् पुजारी का संकेत पाकर पुरुष, नारी और बच्चे सभी शरणार्थियों ने शाष्टांग किया। प्रत्येक ने मुट्ठी में धूल भर कर अपनी अश्रुसिक्त आंखों और माथे पर लगाई।

मैं अपने मित्रों को महान सन्त स्वामी विवेकानन्द, जिन्होंने हमारे महान धर्म की कीर्ति फैलाई, द्वारा शिकागो सम्मेलन में कही गई बातों की याद दिलाना चाहता हूं :

> "हमने अपने धर्म को मन्दिरों, प्रतिमाओं और रीति रिवाजों तक सीमित कर दिया है। हमने समाज में मनुष्य को अपेक्षित कर दिया है। हम मानव में भगवान को नहीं देख पाये, यद्यपि हमारे वेदान्त में कहा गया है कि हम प्रत्येक प्राणी में परमात्मा को देखें··· प्रत्येक मनुष्य के प्रति प्रेमभाव रखना हमारा प्रथम कर्त्तव्य है। अपने पड़ोसी के प्रति सेवाभाव रखो, मिल-जुलकर कार्य करना सीखो और लड़ाई-झगड़े और मुकदमेबाजी से दूर रहो। तभी आप धर्म का सही अर्थ समझने में सक्षम हो सकते हैं और तभी एक अखंड एवं शक्तिशाली भारत के निर्माण की क्षमता पैदा होगी।"

मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तथा विश्व हिन्दू परिषद कम से कम अब पुनः चिंतन करेंगी और अपना सख्त रवैया छोड़ देंगी तथा इस समस्या का सदा के लिये बातचीत तथा शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालेंगी ताकि इसके पश्चात् साम्प्रदायिक भावनाओं को न भड़काया जा सके। पहले ही देश को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अनेक स्थानों पर अनेक लोगों को इस जनून के कारण मौत के घाट उतारा जा रहा है। आशा है कि भविष्य में इस तरह की घटना पुनः नहीं होगी। मैं पुनः इस संकल्प का हार्दिक समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इसे स्वीकार किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि सत्तारूढ़ दल भी इसका समर्थन करेगा और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत करेगा ताकि इस प्रकार को समस्याओं का सदा के लिये समाधान हो जाये। मुझे विचार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया गया, इसके लिये मैं आभारी हूं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, प्रत्येक धर्म भाईचारे और सहनशीलता का अमर संदेश देता है। सभी धर्मों का आदर करना हमारे आचरण का हिस्सा है और यह हमारी सदियों पुरानी 'सर्वधर्म समभाव' की अवधारणा में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यह हमारी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है—यह एक ऐसी अवधारणा है जिसका हमने इस विशाल और वैविध्यपूर्ण देश के संचालन के लिए एक मूलभूत सिद्धान्त के रूप में चयन किया है।

हमारा सदैव ही यह विश्वास रहा है कि व्यक्ति के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे हमारा जीवन उत्कृष्ट बन जाता है। जब सांसारिक संघर्षों से मन की शांति के बिखरने का खतरा पैदा हो जाता है तब धर्म मस्तिष्क को दिव्य शांति प्रदान करता है। लेकिन धर्म वास्तव में एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसे किसी भी ओर चलाया जा सकता है। जहां हम इसके द्वारा बुराइयों पर सद्गुणों की विजय प्राप्त कर सकते हैं वहीं दुरुपयोग किए जाने पर यह विध्वंस का प्रभावशाली हथियार बन जाता है। हमें इसका उन अनेक अवसरों पर दुखद अनुभव हुआ

है जब-जब साम्प्रदायिक हिंसा ने भारत की एकता और अखण्डता के सुन्दर ताने बाने को छिन्न-भिन्न करने का खतरा पैदा कर दिया और निर्दोष लोगों को अकथनीय दुखों और संकटों का शिकार होना पड़ा।

साम्प्रदायिक धर्मान्धता की आग छोटी-छोटी बातों पर भड़क उठती है लेकिन आज अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के अशोभनीय विवाद से समूचे राष्ट्र के भीषण संघर्ष की चपेट में आने का खतरा पैदा हो गया है। मुझे विश्वास है कि यदि इस मामले को स्वयं अयोध्या के लोगों पर छोड़ दिया जाता, तो यह मामला आज भी खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचता। लेकिन इससे भारत मां के शरीर से मांस नोंच कर भागने वाले गिद्ध इस मांस से वंचित रह जाते।

अपनी प्रणाली में हमने न्यायपालिका की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति स्वीकार की है। किसी गैर-सरकारी अथवा सरकारी कार्यवाही से पीड़ित हर व्यक्ति न्याय के लिए न्यायपालिका की ओर देखता है। विधि के शासन द्वारा शासित कोई भी समाज केवल तभी जीवित रह सकता है यदि हम कानून को अपने हाथ में लेने अथवा जंगल राज अपनाए बिना पारस्परिक विवादों का समाधान किसी निष्पक्ष अधिकरण द्वारा फैसला किए जाने हेतु छोड़ दें।

दुर्भाग्य से आज हम देखते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जनता पार्टी उस स्थान पर जहां शताब्दियों से मस्जिद खड़ी है, मन्दिर का निर्माण करने की योजना पर आगे बढ़ने की धमकी दे रहे हैं और उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्णय अथवा उन लोगों की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह की भी परवाह नहीं की है जो राजनैतिक शक्ति की बजाय साम्प्रदायिक सद्भाव और जनशांति को ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं। यह विक्षुब्धता पैदा करने का कार्य वे लोग अपने क्षुद्र राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं और एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचते कि उनके कार्यों के अमंगलकारी परिणाम क्या होंगे और वे न्यायपालिका के विरुद्ध बोल रहे हैं।

जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य जो इस समय उपस्थित नहीं हैं—वे संकल्प में संशोधन पेश करते समय विस्तार से उस बात का उल्लेख किया था जिसे उन्होंने मस्जिद को मौजूदा स्थल से हटाने की मांग को उचित ठहराने के लिए निर्विवाद प्रमाण के रूप में समझा और माना था। लेकिन दुर्भाग्य से वे और उनके साथी, जैसा कि श्री शहाबुद्दीन ने बहुत ही साफ तौर पर रहा था, न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने से इन्कार कर रहे हैं और दर्प से यह घोषित कर रहे हैं कि मन्दिर केवल उसी स्थान पर बनाया जाएगा। यह संकल्प देश के सही दिशा में सोचने वाले हर आदमी की भावनाओं का प्रतीक है।

मुझे किसी भी व्यक्ति की देशभक्ति पर सन्देह नहीं है। हमने इस बात पर काफी हो-हल्ला उठता देखा है। ऐसा करने का मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन अत्यंत विनम्रता के साथ मैं कहूंगा कि ऐसे कार्यों को देश भक्ति का कार्य मानने के लिए मैं अपने आपको नहीं समझा सकता क्योंकि इससे उपद्रव, सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और तोड़फोड़ की गुंजाइश है जिससे देश भी टूट सकता है।

हिन्दुत्व प्राचीनकाल से ही प्रेम, परस्पर समझ-बूझ और दूसरे धर्मों के प्रति आदर की राह

चलता रहा है। आज हमने हिन्दुत्व की स्वयं एक गोपनीय परिभाषा दे रहे हैं। हमारी धर्मनिरपेक्षता को मिथ्या धर्म निरपेक्षता कहकर आलोचना की जाती है और हमें वास्तव में फासीवादी धमकियां सुनने को मिलती हैं राम मन्दिर के नाम पर भारत के लोगों के मन में एक दूसरे प्रति घृणा पैदा करने की भरसक कोशिश की जा रही है। यह एक विनाशकारी कोशिश है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस बात में हिन्दू राष्ट्र में बीज है और यदि आज देश का एक जिम्मेदार राजनीतिक दल एक धर्म विशेष पर आधारित राष्ट्र की स्थापना की स्थितियां पैदा करने अथवा इसकी मांग करने की हद तक जा सकता है तो महोदय मुझे विश्वास है कि दूसरे लोगों द्वारा अपने धर्म के आधार पर भी राष्ट्र की मांग करना भी उचित होगा। विचार ही कार्य रूप लेते हैं, यह जानते हुए भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग लोगों के मन में यह विचार पैदा करने में लगे हैं, वे घातक साम्प्रदायिक विचार पैदा करने में लगे हैं ताकि संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आम आदमी का शोषण किया जा सके।

किसी धार्मिक स्थान की पवित्रता उन धार्मिक प्रयोजनों से, जिनके लिए यह बनाया जाता है और उन पवित्र भावनाओं से जो यह स्थान फैलाता है, पैदा होती है। सभी धार्मिक स्थानों का यही उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कभी-कभी ऐसे धार्मिक स्थानों का क्षुद्र भौतिक प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग किया जाता है। इससे राजनीति दूषित होती है और वृहत राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचती है। आज हमारे जैसे धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज में वृहत राष्ट्रीय हित अन्य सभी बातों से ऊपर होने चाहिए। हमें अभी अपने लिए इस बात का निर्णय करना चाहिए।

हम सभी अलग-अलग धार्मिक सम्प्रदायों से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन हमारा सर्वोपरि धर्म, जिससे हम सभी जुड़े हैं, अपने भारतीय होने पर गर्व करना होना चाहिए। किसी भी औसतन सच्चे हिन्दू अथवा सच्चे मुसलमान अथवा सच्चे सिख अथवा सच्चे ईसाई को उसकी दैनिक प्रार्थना और दैनिक शांति के मार्ग पर चलने में कम से कम व्यवधान होगा यदि इस या उस धर्म के स्वयं घोषित रक्षक ऐसे पूजा स्थलों से दूर रहें।

इस संदर्भ में इस माननीय सभा का और ज्यादा समय लिए बिना मैं मौजूदा संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं मौजूदा संकल्प की विषयवस्तु और इसकी भावना का समर्थन करता हूं क्योंकि कांग्रेस हमेशा मसलों के सौहार्दपूर्ण समाधान की पक्षधर रही है, ऐसा करने में असफल होने पर, जैसा कि बार-बार कहा गया है, हमें किसी न्यायालय द्वारा दिए गए हल अथवा निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उसके लिए, जैसा कि श्री शहाबुद्दीन ने बताया था, आदान-प्रदान की भावना होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कड़ा रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। एक पक्ष की सनक अथवा भावनाओं के समक्ष दूसरे पक्ष के समर्पण के रूप में इसका अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। इस भावना के साथ हमें इस प्रस्ताव पर सोचना होगा।

मैं संकल्प के दूसरे भाग का भी समर्थन करता हूं कि धार्मिक स्थानों और उपासना स्थलों की 15 अगस्त, 1947 की यथा स्थिति बहाल की जानी चाहिए और उसे लागू करने के लिए एक कानून अधिनियमित किया जाना चाहिए। अपने भारतीय जनता पार्टी के माननीय मित्रों का यह कथन सुनकर मुझे हैरानी हुई है कि जहां तक स्वयं समाज के संचालन का सम्बन्ध है, 15 अगस्त,

1947 की कोई अहमियत नहीं है और यह केवल एक तारीख है जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। मैं विपक्ष के अपने मित्रों के प्रति समग्र सम्मान की भावना और विनम्रता के साथ इस मामले में उनसे असहमति व्यक्त करना चाहूंगा। 15 अगस्त, 1947 हमारे इतिहास का एक पवित्र दिवस है जब हमने विदेशी शासन, जिसने शासन के दौरान शासकों ने हमें धर्म, जाति और पंथ के आधार पर बांटने की कोशिश की थी, की पराधीनता से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने भावी पथ का निर्धारण किया था। और यह वह तारीख है जब हम यह जानते हुए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, एक स्वतंत्र देश के रूप में एक राष्ट्र बनकर उभरे। यह तारीख हमारे इतिहास के एक घटना क्रम को इंगित करती है क्योंकि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय समन्वय के लिए तब हमने अतीत को भूलने और भविष्य में आगे बढ़ने के अपने रास्ते के लिए कार्य करने का निर्णय किया था। यदि हम घृणा की विरासत साथ लेकर चलेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे।

यदि हम परस्पर प्यार तथा सम्मान की पुरानी परखी नीति पर चलेंगे, तभी इस देश और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वल होगा।

धार्मिक स्थानों की यथास्थिति कायम करने के लिए तिथि निर्धारित करने से अन्य अनेक पूजा स्थलों के बारे में नये विवाद उत्पन्न होंगे, यह डर निराधार है और यदि हम ईमानदारी से कार्य करेंगे तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इस सम्बन्ध में हम उपयुक्त कानून समय की मांग है क्योंकि कानून लोगों की आकांक्षाओं तथा इच्छाओं का प्रतीक होता है और परिवर्तनशील तथा गतिशील समाज में कोई कानून जड़ नहीं हो सकता। इस देश की बहुसंख्यक जनता की आकांक्षाओं तथा भावनाओं का सम्मान करते हुए यह बिल्कुल आवश्यक हो जाता है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे विवाद की पुनरावृत्ति सदा-सदा के लिए समाप्त हो जाए तथा पूजा स्थलों के बारे में हिंसा न हो। मुझे पक्का विश्वास है कि जब सरकार ऐसा कानून बनाने के लिए कारंवाई करेगी तो उसको इस देश के अच्छी सोच वाले सभी लोगों का समर्थन मिलेगा। सरकार को संकीर्ण राजनीतिक लाभ के इसका विरोध कर रहे कुछ लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं श्री जायनल अबेदिन द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

यह बहुत ही द्रवित करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभा के सभी पक्षों ने देश के इस नाजुक मामले पर एक समान दृष्टिकोण अपनाया हैं। यह वास्तव में अल्पसंख्यम समुदाय के लिए कृतज्ञता ज्ञापन की बात है कि देश की बहुसंख्यक जनता भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। दुर्भाग्यवश, भारतीय जनता पार्टी ने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह दोनों समुदायों को बांटने वाला है। कुछ तत्व दोनों समुदायों में घृणा तथा अविश्वास की भावना पैदा कर रहे हैं। वे अपने राजनैतिक लाभ के लिए इसे राजनैतिक मसला बना रहे है। यह विवाद हाल ही में पैदा हुआ है। मैं बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि विवाद के

पूरे इतिहास में जाना नहीं चाहता, क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक इससे भली-भांति परिचित है।

मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। इस संकल्प के दो भाग हैं जो देश के प्रत्येक नागरिक को स्वीकार्य है। संकल्प के प्रथम भाग में यह संकल्प किया गया है कि अयोध्या स्थित धार्मिक स्थल का शांतिपूर्वक समाधान किया जाए। मैं समझता हूं कि इस देश का कोई भी समझदार नागरिक इससे असहमत नहीं होगा। संकल्प के दूसरे भाग में यह केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह सभी पूजा स्थलों की 15 अगस्त, 1947 की यथास्थिति बनाए रखने के लिए उपयुक्त कानून बनाए।

महोदय, कांग्रेस पार्टी तथा मेरी पार्टी ने चुनाव के दौरान जनता से यह वायदा किया था। अतः मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस सभा के सदस्यों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। यद्यपि जिस सदस्य ने इस संकल्प को प्रस्तुत किया है, उस सदस्य की पार्टी से हमारे चाहे जो भी मतभेद हों, परन्तु हम इस संकल्प का समर्थन करते हैं।

5 00 म० प०

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि धर्म को सहिष्णुता तथा सहअस्तित्व का दर्शन होना चाहिए और यही सबसे बढ़िया दर्शन है। विशेषकर दक्षिण भारत के एक छोटे से राज्य केरल से आने वाले व्यक्तियों का यही अनुभव रहा है। केरल में मन्दिर, मस्जिद तथा गिरिजाघर साथ-साथ देखे जा सकते हैं जो साम्प्रदायिक सौहार्द की सही तस्वीर व्यक्त करते हैं। मैं नहीं जानता कि उत्तर भारत के हमारे मित्र इस आदर्श को क्यों नहीं अपना सकते।

महोदय, माननीय श्री दीक्षित इस समय सभा में मौजूद नहीं हैं। उन्हें मौजूद रहना चाहिए था। इस संकल्प पर बोलते हुए उन्होंने कतिपय टिप्पणियां की थीं जो मेरे विचार से तथ्यों को दबाने तथा कोरे झूठ के अलावा कुछ नहीं है। वह सत्य को दबाने तथा असत्य के सुझाव की नीति का पालन कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले के तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा है। इसलिए मुझे मजबूर होकर मुसलमानों के पक्ष को रखने के लिए कतिपय तथ्य सदन के समक्ष रखने पड़ रहे हैं। मुसलमानों ने न तो कोई अनुचित दावा किया है और न ही वे ऐसा करेंगे। यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है कि मुसलमान अयोध्या में मन्दिर के निर्माण के विरुद्ध बिलकुल नहीं है, परन्तु यह बाबरी मस्जिद के गिराये बिना बनाया जाना चाहिए। बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने से मुसलमानों की भावनाओं को गम्भीर आघात लगेगा जिसके बारे में इस सभा के माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं मामले के रिकार्ड से कुछ कोट करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री दीक्षित ने मामले का रिकार्ड देखा होगा कि 23 दिसम्बर, 1949 को क्या हुआ था। 23 दिसम्बर, 1949 भारतीय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण दिवस था। 23 दिसम्बर, 1949 को मन्दिर में ड्यूटी पर तैनात सिपाही श्री माता प्रसाद द्वारा दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को पढ़ना चाहता हूं। यह 23 दिसम्बर, 1949 को उप-निरीक्षक राम दुबे, पुलिस स्टेशन अयोध्या द्वारा दर्ज की गई एफ० आई० आर० का अनूदित

संस्करण है जिसे सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा 11 फरवरी, 1986 को सत्यापित किया गया है।

मैं इस रिपोर्ट से उद्धृत करता हूं :

"माता प्रसाद के अनुसार (पेपर सं० 7), जब मैं लगभग 8 बजे सुबह जन्म भूमि पहुंचा, मुझे मालूम हुआ कि 50-60 व्यक्तियों के एक दल ने मस्जिद के कम्पाउन्ड गेट के ताले को तोड़कर अथवा सीढ़ी के सहारे चार दिवारी लांघ कर मस्जिद में घुस गए हैं और वहां भगवान् की मूर्ति स्थापित कर दी हैं। अन्दर तथा बाहरी दीवारों पर गेरू से सीता राम इत्यादि लिख दिया है। ड्यूटी पर तैनात हंस राज ने उन्हें मना किया परन्तु वे नहीं माने।"

"उपलब्ध पी० ए० सी० गार्डों को कमांड किये जाने से पहले ही ये लोग मस्जिद में प्रवेश कर चुके थे। जिला प्रशासन के कर्मचारी घटना स्थल पर आए और जरूरी व्यवस्था में जुट गए। इसके बाद, 5000 से 6000 लोगों की भीड़ चारों तरफ जमा हो गई और धार्मिक नारा लगाते हुए मस्जिद में घुसने का प्रयास किया परन्तु उन्हें रोक दिया गया और समुचित व्यवस्था होने के कारण इस पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। राम दास, राम शक्तिदास और 50 से 60 अज्ञात व्यक्ति गुप्त रूप से मस्जिद में घुस गए और उसकी पवित्रता भंग कर दी। ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी तथा अनेक अन्य लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं। अतः, यह दर्ज किया जाता है।"

यह प्रथम सूचना रपट है जो 23 दिसम्बर, 1949 को इस घटना के बारे में दर्ज कराई गई थी। इसका अनुवाद किया गया है और 11 फरवरी, 1986 को इसे प्रमाणित किया गया है। इसकी पुष्टि एक तार द्वारा की गई है जिसे उक्त क्षेत्र के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के० के० नायर ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री गोविन्द बल्लभ पन्त को भेजा था। जिला मजिस्ट्रेट के० के० नायर द्वारा मन्त्री, मुख्य सचिव तथा गृह सचिव को 23 दिसम्बर, 1949 को जो रेडियो संदेश भेजा गया था, वह इस प्रकार है :

"जब मस्जिद सुनसान थी तब रात में कुछ हिन्दू मस्जिद में घुस गए और उन्होंने एक मूर्ति प्रतिष्ठापित कर दी। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक पुलिस बल मौके पर हैं। स्थिति नियंत्रण में है। 15 व्यक्तियों की पुलिस पिकेट रात्रि में ड्यूटी पर थी, परन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।"

ये तथ्य है। परन्तु श्री एस० सी० दीक्षित को इन तथ्यों को अन्य रूप से पेश नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कर रहे हैं। वे तथा उनके संगठन विषैला प्रचार कर रहे हैं और तथ्यों की गलतबयानी करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मार्च 29, 1987 के 'आर्गनाइजर' के अंक को उद्धृत करना चाहता हूं। यह प्रकाशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य पत्र है।

"22-23 दिसम्बर, 1949 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमुख पत्रिका 'आर्गनाइजर' का कहना है '23 दिसम्बर, 1949 के ऐतिहासिक दिन को भगवान

> रामचन्द्र तथा सीता देवी की मूर्तियां आश्चर्यजनक रूप से जन्म स्थान में प्रकट हुई। इस चमत्कार पर हिन्दुओं ने खुशियां मनाई और हजारों भक्त वहां जमा हो गये'।"

अयोध्या में घटित घटना के बारे में उन्होंने यह कहा है। यह सच है कि वे इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। परन्तु यह सौभाग्य की बात है कि जो धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचनबद्ध हैं, जो हिन्दू-मुसलमान एकता के प्रति वचनबद्ध हैं, जो महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति वचनबद्ध हैं, वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। बहुसंख्यक जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी।

श्री एस० सी० दीक्षित ने अपने भाषण में हम तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने का प्रयास किया है। मैं इसे केवल इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि सभा के रिकार्ड में कोई गलत बात न दर्ज की जाए।

16 जनवरी, 1950 को गोपाल सिंह विशारद नामक व्यक्ति द्वारा पूजा के अधिकार घोषित किए जाने के लिए एक सिविल वाद दायर किया गया था। सिविल जज ने मूर्तियों को हटाये जाने पर रोक लगा दी और पूजा में हस्तक्षेप करने पर पाबंदी लगा दी।

इसका एकमात्र प्रयोजन मुस्लिम समुदाय के लोगों को पूजा करने से रोकना तथा उनके लिए कठिनाइयां उत्पन्न करना था। इस मामले में उल्लिखित वाद सिविल जज के समक्ष आया। उसने 3 मार्च, 1951 को यह टिप्पणी की थी :

> "अविवादित तथ्य यह है कि इस वाद की तारीख को भगवान रामचन्द्र तथा अन्यों की मूर्तियां वहां पर थीं।"

23 दिसम्बर, 1949 को ताला तोड़े जाने तथा मस्जिद में घुसकर मूर्तियों की स्थापना किए जाने से यह साबित होता है कि यह मस्जिद मुसलमानों की है। सम्बन्धित न्यायाधीश द्वारा दिया गया कारण बहुत ही विस्मयजनक है, इसके बावजूद कि उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय के समक्ष जो दृष्टिकोण अपनाया था, वह बिल्कुल भिन्न है।

24 अप्रैल, 1950 को फैजाबाद के न्यायाधीश के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की ओर फैजाबाद के डिवीजनल कमीश्नर श्री उग्र ने कहा था :

> "विवादित संपत्ति बाबरी मस्जिद के रूप में जानी जाती है और इसका लम्बे समय से मुसलमानों द्वारा पूजा के लिए मस्जिद के रूप में उपयोग होता रहा है। श्री रामचन्द्र जी के मन्दिर के रूप में उपयोग नहीं होता रहा है।"

उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत पहले 1950 में न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है। माननीय सदस्य श्री दीक्षित ने सदन के समक्ष गलतबयानी की है कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि मुसलमानों का इस पर कब्जा रहा है और वे इसका मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार के तर्क बेबुनियाद है। इन तर्कों का कानून की नजर में कोई महत्त्व नहीं है।

इसके काफी प्रमाण मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि मस्जिद का वजूद था और उस पर मुसलमानों का कब्जा था।

यदि आवश्यकता हुई तो मैं इन प्रमाणों को सदन के समक्ष पेश करूंगा। परन्तु दुर्भाग्यवश, जब फैजाबाद के माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा मस्जिद खोलने के लिए दायर याचिका पर निर्णय दिया गया तो उनके द्वारा की गई टिप्पणियां बहुत ही हतोत्साहित करने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने इस वाद में मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना। इसके बावजूद जिला न्यायाधीश ने···1988 को निम्नलिखित टिप्पणी की थी :

> "यह स्पष्ट है कि कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए अथवा मूर्तियों की सुरक्षा के लिए गेट पर ताला लगाना जरूरी नहीं है। यह आवेदक तथा इस समुदाय के अन्य लोगों के लिए अनावश्यक लगता है।"

माननीय न्यायाधीश की यही टिप्पणी है। कोई भी यह आसानी से समझ सकता है कि न्यायाधीश के मन में निर्णय देते समय क्या था। उन्होंने कहा :—

> "कानून तथा व्यवस्था का कोई खतरा नही है।"

जिला न्यायाधीश श्री पाण्डेय द्वारा दिए गए फैसले की तारीख से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि यह एक विधि व्यवस्था का मामला था।

महोदय, मैं इस सभा का मूल्यवान समय अधिक लेना नही चाहता हू। परन्तु श्री के० एम० पाण्डेय, जिला न्यायाधीश द्वारा बाबरी मस्जिद, जिसे अब बाबरी मस्जिद—राम जन्म भूमि विवाद के नाम से जाना जाता है, पारित आदेश के कुछ भागों को पढ़ना बहुत ही दिलचस्प है। न्यायाधीश ने कहा है :—

> "सम्बन्धित पक्षकारों को सुनने के बाद, यह स्पष्ट है कि दूसरा समुदाय, अर्थात मुसलमान ताला खोले जाने तथा अन्दर रखी मूर्तियों की भक्तों द्वारा पूजा करने से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होंगे। यह एक निर्विवादित तथ्य है कि परिसर इस समय न्यायालय के कब्जे में है और गत 35 वर्षों से हिन्दुओं को अवांछित रूप से पूजा का अधिकार मिला हुआ है जो कि 1950 तथा 1951 के न्यायालय के आदेश से मिला है।"

यह न केवल मामले के तथ्य के विरुद्ध है बल्कि कानून तथा प्राकृतिक न्याय के भी विरुद्ध है।

इन बातों के बावजूद हम चाहते हैं कि इसका समाधान यथाशीघ्र हो जाए। अतः मैं अपने विद्वान् मित्र, माननीय सदस्य श्री सैयद शाहबुद्दीन द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करता हूं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक इस मामले के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए हमेशा तैयार हैं। हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं और इस सभ्य समाज में रहने वाला कोई भी नागरिक यह नहीं कह सकता कि वह न्यायालय की राय को नहीं मानेगा। विश्व हिन्दू परिषद्, बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी तथा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली समन्वय समिति का यह कर्त्तव्य है कि वह परस्पर समझबूझ से विवाद का समाधान कर लें क्योंकि इस मामले का हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर प्रभाव पड़ता है। हमे धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाना हैं क्योंकि इस देश में हिन्दुओं और मुसलमानों तथा अन्य धर्मों के लोगों को मिलजुल कर शान्तिपूर्वक रहना है और इसलिए इस दिशा में भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से न केवल इस सदन के सभी सदस्यों से अपितु इस देश के सभी लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे यह देखें कि कैसे इस देश में गैर-मुस्लिम मित्र और भाई अल्पसंख्यकों का पूरा समर्थन कर रहे हैं। इस देश में संविधान में ही उपासना के अधिकार की व्यवस्था कर दी गई है। प्रत्येक नागरिक को संविधान के सिद्धान्तों का पालन करना है। प्रत्येक नागरिक को उपासना का अधिकार प्राप्त है। इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों से इस मामले के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है। इससे यह पता चलता है कि इस बारे में व्यक्त की गई चिन्ता ही इस पवित्र अधिकार की सबसे बड़ी एवं सुनिश्चित गारंटी है।

महोदय, हम सबको मिलकर शान्तिपूर्वक रहना है। सांप्रदायिक सद्भाव और मित्रता आज की परम आवश्यकता है, इसलिए जब भी कोई इस देश की धर्मनिरपेक्षता को नष्ट करने का प्रयास करे तो हम सबको मिलजुलकर उसकी इस नापाक कोशिश को विफल करना चाहिए।

भारत का पहला स्वतन्त्रता संग्राम 1857 में हुआ था। इसे सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध किस उद्देश्य से लड़ा गया था ? इस युद्ध में मुसलमानों और हिन्दुओं दोनों ने भाग लिया था। उन्होंने उपनिवेशवादी शक्तियों, जिन्होंने उस समय देश की सत्ता हथिया ली थी, को परास्त करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था। उस समय हिन्दुओं और मुसलमानों ने मुगल साम्राज्य के अन्तिम सम्राट बहादुरशाह जफर की सुरक्षा के लिए मिलकर प्रयास किया था। बहादुरशाह जफर मुगल साम्राज्य के अन्तिम सम्राट थे और वह बाबर के वंशज थे। इसलिए हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही इन ऐतिहासिक तथ्यों से परिचित होना चाहिए। हिन्दू और मुसलमान दोनों को यह जानकर प्रसन्नता होगी, कि इन दोनों समुदायों ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद तथा निहित स्वार्थों का मिलकर विरोध किया था और देश की खातिर संघर्ष किया था, इसलिए हम सबको धर्मनिरपेक्षता तथा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना चाहिए क्योंकि इसी के लिए हमारे राष्ट्रपिता ने अपने अमूल्य जीवन का बलिदान दिया था।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का पुनः समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि विश्व हिन्दू परिषद् तथा उनके साथी लोग इस गौरवशाली सदन में व्यक्त की गई भावनाओं का सम्मान करेंगे। यह सभा लोकतांत्रिक भारत का प्रतीक है तथा इस देश की जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। हमें इस विवाद का परस्पर बातचीत के द्वारा समाधान करना चाहिए और यदि यह संभव न हो। न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। हम सबको मिलकर इस देश के दुश्मनों को परास्त करना चाहिए।

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : माननीय सभापति जी, इस सदन के समक्ष एक ऐसा संकल्प है जो एक ऐसी स्थिति का समाधान करेगा जो ऐसे लोगों द्वारा पैदा की गई है जो यह समझते हैं कि राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उचित-अनुचित सभी कुछ जायज है। राजनीति का, निस्संदेह विस्तृत फलक होता है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि कुछ

घटनाएं राजनैतिक स्वार्थों के कारण हुई हैं अथवा अनेक बार वे स्थिति के समाधान के लिए किए गए ईमानदार प्रयासों के बावजूद घटित हुई हैं।

मैं समझता हूं कि पिछले दो या तीन वर्षों में जो स्थिति पैदा हुई है उसके कारण इस संकल्प को लाना जरूरी हो गया था। यह स्थिति राजनैतिक स्वार्थों के कारण उत्पन्न हुई है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि कुछ लोगों ने देश के उन मूल्यों के विपरीत आचरण किया है जो हमने विदेशी दासता से मुक्ति पाने के लिए किए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित किए थे। आप जनता की सम्पूर्ण चेतना के प्रतीक मूल्यों को बदल नहीं सकते। जब महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम आरम्भ किया था और बल्कि उससे पहले जब रवीन्द्रनाथ जी एवं श्री तिलक जी जैसे महान नेताओं ने देश की जनता में चेतना फूंकने का प्रयास किया था तो उनका उद्देश्य जनता को हजार वर्ष पुरानी एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरण करना था। जब हम यह देखते हैं कि पिछले दो या तीन वर्षों में क्या किया गया है तो हमें यह जानकर बड़ा दुःख होता है कि हमें अपनी धरोहर भी काल खंड में बांटनी होगी और काल खंडों में धरोहर बांटकर इस बात पर गर्व करना होगा कि यह कालखंड हमारा है और वह कालखंड किसी अन्य का है और इस प्रक्रिया में हम एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों के विरुद्ध खड़ा करना चाहते हैं।

मैं पूर्ण विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इससे हमारे देश की एकता पूरी तरह तहस-नहस हो जायेगी जो ज्ञात और अज्ञात हजारों देशभक्तों की निष्ठा, वचनबद्धता और बलिदानों के आधार पर स्थापित हुई है। यदि हम इसे तोड़ देना चाहते हैं तो हम इस राष्ट्र को ही खतरे में डाल देंगे।

राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद के के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस होता है कि हम देवताओं और पैगम्बरों आदि के बारे में झगड़ा कर रहे हैं।

सभी धर्म मानवीय सम्बन्धों में भाईचारे, करुणा, दया और अन्य धर्मों के सम्बन्ध में सहिष्णुता की सीख देते हैं। आज हम देखते हैं कि उनमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और हमें एक ऐसे विवाद को सुलझाना है जो कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक और चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए देवताओं और पैगम्बरों को लेकर खड़ा किया गया है। यह बात कहते हुए मैं इस बात से परिचित हूं कि आज लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर यह चिंतन करें कि हमारा ध्येय क्या है और देश किस ओर जा रहा है। हमें भारत में राजनीति में साम्प्रदायिकता का विष घोलने वालों पर अंकुश लगाना होगा।

इस बारे में हाल में बहुत कुछ कहा गया कि कैसे कोई किसी स्थिति विशेष के लिए और कैसे कोई अन्य किसी दूसरी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार की बातों का अभी अन्त

नहीं होगा। हम इसके सम्बन्ध में अनन्त काल तक तर्क-वितर्क के दलदल में फंसे रह सकते हैं किन्तु इस समस्या का समाधान अवश्य होना चाहिए। यदि हम इस समस्या पर तर्क-वितर्क करते चले जायें और इस बीच यदि देश में लोगों के घरों को जलाया जाता रहा, यदि देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को धूल-धूसरित किया जाता रहा, तो इस विवाद का समाधान कैसे होगा जबकि सभी इसका समाधान चाहते हैं। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश में सायास यह निर्णय किया जाये कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में हिंसा फैलाने, स्थिति को साम्प्रदायिक रंग देने तथा धर्म को राजनीति के साथ मिलाने और निश्चित रूप से स्थिति का वे जैसा लाभ उठाने की आशा एवं प्रयास करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके लिए यह आवश्यक है कि यह मान्य सदन अर्थात् संसद राष्ट्र की अन्तरात्मा को प्रतिबिम्बित करे और इसे स्पष्ट रूप में निर्धारित करे कि किस सीमा तक·······मेरे पास इसे बताने के लिए शब्द नहीं हैं···(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : आपके पास भी शब्दों की कमी है।

श्री अर्जुन सिंह : मैं कम से कम उधार नहीं लेता।

महोदया, मैं यह कह रहा था कि हमें पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस सम्बन्ध में सीमायें निर्धारित करनी होंगी और इन मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपसी सहमति तथा बातचीत और शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है ताकि और अधिक धार्मिक उन्मादों को बढ़ावा न मिले। यह अत्यधिक जरूरी है और कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है जिसे भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों के समक्ष अपने अभिभाषण में दोहराया है कि राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद वाले मामले को छोड़कर सभी धार्मिक स्थलों के मामले में 15 अगस्त, 1947 की स्थिति को बरकरार रखा जाये। राम जन्म भूमि विवाद को इससे बाहर इसलिए नहीं रखा गया है कि इस मामले में विवाद है बल्कि इसमें सोमनाथ मंदिर के मामले का भी उल्लेख किया गया है जबकि यह मामला पहले ही समाप्त हो चुका है।

अतः इस संकल्प की भावना इस देश के उन लोगों की आकांक्षाओं के पूर्णतः अनुरूप है जिनके दिल में केवल अपनी भारतमाता के कल्याण का भाव है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में इसी सत्र में विधेयक लाने जा रहे हैं?

सभापति महोदय : गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प के लिए आबंटित समय समाप्त हुआ। अगली मद है, आधे घण्टे की चर्चा। श्री अन्ना जोशी सभा में उपस्थित नहीं हैं। तब हमें इस समय का उपयोग सरकारी कार्य के लिए करना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : नहीं, श्रीमन्, कृपया गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प जारी रखिए।

सभापति महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प के लिए आवंटित समय समाप्त हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : तब आप सभा की बैठक स्थगित कर दीजिए।

सभापति महोदय : गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आवंटित ढाई घन्टे का समय समाप्त हो गया है। इसलिए हम इसे फिर से जारी नहीं रख सकते। हमें बचे हुए समय का उपयोग सरकारी कार्य के लिए करना होगा।

कार्य सूची की अगली मद है सांविधिक संकल्प, मद संख्या 26, श्री गिरधारी लाल भार्गव उपस्थित नहीं हैं। श्री जसवन्त सिंह जी उपस्थित नहीं हैं। श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव भी उपस्थित नहीं हैं। श्री सैयद शाहबुद्दीन संकल्प प्रस्तुत करेंगे। इस सांविधिक संकल्प तथा तदनुरूपी विधेयक पर साथ-साथ चर्चा की जायेगी। इसके लिए आवंटित समय दो घण्टे है।

———

5.32 म० प०

2 मई, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आतंकवादी तथा विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 2 मई, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आतंकवादी तथा विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, जब 1987 में इस सभा में आतंकवादी तथा विध्वंसकारी क्रियाकलाप अधिनियम पर चर्चा हो रही थी, हममें से बहुत से संसद सदस्य इस अधिनियम को एक काला अधिनियम तथा कठोर कानून समझते थे और हमें यह प्रत्याशा थी कि इस कानून से हमारे विधायी इतिहास में एक काला अध्याय आरम्भ करने में मदद मिलेगी।

इस अधिनियम के प्रभावी रहने की इस चार साल की अवधि में जो बहुत कुछ घटित हुआ है, उससे इस कानून के बनने के समय हमारे द्वारा व्यक्त भय तथा आशंकाओं की पुष्टि ही हुई है। वास्तव में इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, भारत के संविधान में दिये गये मूल अधिकारों की अवमानना और परिणामतः आम भारतीय नागरिकों की माननीय गरिमा कम हुई है। इसका प्रयोग असंयत ढंग से किया गया है तथा देश की स्वतंत्रता के इतिहास में और किसी भी कानून के द्वारा कार्यकारी शक्तियों का इतना असंयमित ढंग से प्रयोग नहीं किया गया है जितना कि इस कुख्यात टाडा अधिनियम का।

वास्तव में अपने विद्यमान रूप में यह कानून राज्य की सुरक्षा के नाम पर कार्यपालिका

को असीमित शक्तियां प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में शेक्सपीयर यही कहते "सुरक्षा, तेरे नाम पर क्या-क्या अपराध किये जाते हैं।" इस कानून के तहत सुरक्षा के नाम पर आम नागरिकों को जेल के सींखचों के पीछे डाल दिया गया तथा कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को नजरबन्द कर दिया गया। वास्तव में इस तरह के नजरबन्द लोगों में बूढ़ी औरतें और छोटे बच्चे भी शामिल रहे हैं, 1987 से अब तक ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इस प्रकार की पहली घटना गुजरात में हुई जहां एक ही बार में हजारों लोगों को नजरबन्द कर दिया गया। मोटे तौर पर किसी समय विशेष पर करीब दो हजार लोगों को जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, जेल में बन्द रखा गया। इसी सन्दर्भ में राजस्थान का एक प्रसिद्ध मामला आता है जहां आज भी जबकि हम इस आतंकवादी गतिविधि निवारण अधिनियम पर चर्चा कर रहे हैं, 250 से ज्यादा आदमी पिछले दो से ज्यादा वर्ष से जेल में बन्द हैं जबकि दूसरी ओर राज्य के गृह मन्त्री ने विधान सभा में यह बताया था कि जांच के बाद यह सिद्ध हो चुका है कि इनमें से कम से कम 178 व्यक्तियों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं बनता। फिर भी ये लोग जेल में बन्द हैं।

इस तरह के अनेक उदाहरण हैं जहां पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में टाडा अधिनियम का दुरुपयोग किया गया। जम्मू-कश्मीर में तो नामित अदालत तक काम नहीं कर रही है। लोगों को कश्मीर में गिरफ्तार किया गया और उनसे यह अपेक्षा की गई कि यदि वे अपने मामले की पुनरीक्षा कराना चाहते हैं तो उसके लिए वे जम्मू जायें। काफी लम्बे समय के पश्चात् पिछली सरकार ने लिखित रूप से प्रमाणित किया है कि श्रीनगर में नामित अदालत अभी काम नहीं कर रही है।

कानूनन ये अत्यन्त गम्भीर चूकें हैं।

वास्तव में यह समूचा विधान विधि के शासन का उल्लंघन है। यह आतंकवादी हिंसा को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इसलिए, 1989 में इसे दो साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। चार वर्ष तक लागू रहने के बाद अब इसकी अवधि समाप्त होने को थी और इसलिए इसे आगे चलाए रखने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया। अब हमारे समक्ष यह विधेयक है और सरकार इसे दो साल और बढ़ाना चाहती है। मुझे हैरानी है कि क्या इस मामले का यहीं अंत हो जाएगा। इसकी अवधि दो साल से बढ़ाकर चार साल की गई और अब इसे चार वर्ष से बढ़ाकर छः वर्ष किया जा रहा है। यह स्थिति और बढ़ती जा रही है और मैं नहीं समझता कि माननीय गृह मन्त्री सदन को यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि आगामी दो वर्ष के बाद इसका समय बढ़ाने का सिलसिला समाप्त हो जायेगा और इस कानून को व्यपगत होने दिया जायेगा।

जो प्रक्रिया अपनाई गई है उससे लाभ होने की बजाए नुकसान होगा। यह आग में घी डालने के समान होगा। आतंकवाद की निंदा की जाती होगी, किसी लोकतांत्रिक समाज में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, आतंकवाद को नियंत्रित किया जाना चाहिए। लेकिन जो राज्य कानून बनाता है। जो राज्य विधि के शासन द्वारा संचालित होता है, जो राज्य विधि के शासन की रक्षा के लिए होता है वह राज्य स्वयं आतंकवाद में अपने को लिप्त नहीं कर सकता। सरकारी हिंसा आतंकवादी हिंसा का कोई उत्तर नहीं हो सकती; सरकार के आतंकवाद से

उग्रवादियों के आतंकवाद को नहीं रोका जा सकता। सरकार को स्वयं समस्या की राजनीतिक मूल पर विचार करना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि क्यों आतंकवाद अपनी पराकाष्ठा पर आ पहुंचा है और उसके बाद इसका समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह के उपाय प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले हैं। यही कारण है कि 'टाडा' असफल रहा है। यह लागू होने के पहले दो वर्षों में ही असफल हो गया; यह चार वर्षों में आतंकवाद को रोकने में असफल रहा और मेरा यह निश्चित मत है कि इन तरीकों से सरकार आगामी दो वर्षों में आतंकवाद को नियंत्रित नहीं कर सकती।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में इस समय गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजायी जा रही है—अब गणपूर्ति हो गयी है। माननीय सदस्य श्री शाहबुद्दीन अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, मैं कह रहा था कि नैतिक आधारों पर और संवैधानिक राजनीतिक आधारों पर व साथ ही विशुद्ध राजनैतिक आधारों पर मैं सरकार के इस सोच को गलत मानता हूं कि 'टाडा' आतंकवाद को नियमित करने और आगामी दो वर्षों में इसे समाप्त करने में सहायक होगा। और मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं, सरकार इस कानून के अन्तर्गत प्रदत्त ऐसी अतिवादी शक्तियों के प्रयोग के लिए इस जनादेश के नवीकरण पर बल नहीं देगी। मेरे समक्ष यह संकल्प सभा के सामने रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा घोषित आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम लाल राही) : मैं श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

> "कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप संशोधन विधेयक 24 मई, 1987 में पुरःस्थापित किया गया था जब देश में अनेक स्थानों पर आतंकवादी और हिंसक गतिविधियां काफी बढ़ गई थीं, जो सामान्य कानून या उसके जरिए उन पर नियंत्रण करना संभव नहीं रह गया था। इन्हीं परिस्थितियों में जब असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई तो आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप विधेयक के जरिए उन पर नियंत्रण करने के लिए विधेयक पेश किया गया था और

उसमें यह प्रावधान किया गया था कि संभवत: दो साल के अन्दर इन स्थितियों पर काबू पा लिया जाएगा परन्तु ऐसा संभव नहीं हो पाया। फिर 23 मई, 1989 को पुन: दो साल के लिए इसकी अवधि बढ़ानी पड़ी। अब हम देख रहे हैं कि देश में अब भी विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं और साधारण कानून के जरिए उन पर नियंत्रण पाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है कि हमको इसे और आगे तक बढ़ाना चाहिए और इसीलिए यह विधेयक लाया गया है ताकि इसको आगे दो साल के लिए और बढ़ा दिया जाए और देश में जो हिंसक गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण पाने के लिए कार्यवाही की जा सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

[हिन्दी]

"कि आतंकवादी और विध्वंसकारी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

***श्री सुधीर गिरि (कोंटाई)**: सभापति महोदय, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप अधिनियम 3 सितम्बर, 1987 को अधिनियमित किया गया था। 1989 में इसे दूसरे संशोधन विधेयक के रूप में संशोधित किया गया। यह दूसरा संशोधन विधेयक है। इस अधिनियम को विनियमित करने का मुख्य उद्देश्य उस समय भारत में व्याप्त आतंकवादी गतिविधियों को रोकना था। यह अनिनियम जरूरी था क्योंकि उस समय विद्यमान कानून आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कारगार नहीं थे। सरकार ने महसूस किया कि उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि उस समय के कानून स्थिति से निपटने के लिए बिलकुल कारगर नहीं थे। अत: ऐसा अधिनियम बनाना जरूरी था। इसीलिए भारत सरकार ने इस किस्म का असाधारण अधिनियम बनाने की घोषणा की। इस समय आतंकवादी गतिविधियां भारत में ही सीमित नहीं हैं। संसार के दूसरे देशों में भी यह देखी जा सकती हैं। यह कहा जाता है कि लीबिया के आतंकवादी अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्व के सभी भागों मे जाते है।

यह सच है कि यदि हम उग्रवादियों की गतिविधियों का विश्लेषण करें तो हम उन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक यह कि उग्रवादी इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। दूसरे यह कि आर्थिक या अन्य कारणों से असतुष्ट होने के कारण लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जाते है ताकि अपने असंतोष को प्रकट कर सकें।

अब हमें इन उग्रवादी गतिविधियों के कारणों का पता लगाना है। ऐसे कौन से कारण है जिनसे विवश होकर इन उग्रवादियों ने यह रास्ता अपनाया ? समाज में भेदभाव है। इससे आर्थिक

* मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

असंतोष अथवा अवसाद या कष्ट की स्थिति पैदा होती है। जब वे देखते हैं कि वे इस समस्या का लोकतांत्रिक तरीके से हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वे आतकवाद का रास्ता अपना लेते हैं। किन्तु भारत में इन गतिविधियों के पीछे विदेशी हाथ है। इनके पीछे निश्चित रूप से पाकिस्तान का हाथ है। साम्राज्यवादी ताकतें भी इस देश को राजनैतिक दृष्टि से अस्थिर बनाने के लिए इन आतंकवादियों की सहायता कर रही हैं।

किन्तु हम अपने देश में इस प्रकार का अधिनियम नहीं चाहते हैं। मुझे रोलट एक्ट की याद आती है। भारत के लोग, विशेषकर पंजाब के लोगों ने इसका विरोध किया था। प्रत्येक व्यक्ति ने उन नृशंस हत्याओं का विरोध किया था। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था किन्तु उनकी भाषा नरम थी। उन्होंने ब्रिटिश शासकों का सीधे विरोध नहीं किया था। किन्तु रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने इसके विरोध में 'नाइटहुड' छोड़ दी थी। बाद में जब भारत रक्षा नियम लाया गया तो स्वतंत्रता सेनानी इसके विरुद्ध भी लड़े। आज हमें यह सोचकर वास्तव में आश्चर्य होता है कि वे निवारक नजरबंदी अधिनियम के विरुद्ध भी लड़े थे।

आजादी के बाद भी हमारे देश में इस प्रकार के अधिनियम विद्यमान हैं और उनसे विरोध, असंतोष और लोगों की आवाज को दबाया जा सकता है। 'मीसा' आदि जैसे कानून भी देश में बनाए गए। अब यह आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारक अधिनियम हमारे सामने है। हमें इन अधिनियमों की जरूरत नहीं है।

आज पंजाब, जम्मू-कश्मीर और आसाम में क्या हो रहा है? गुजरात में भी कुछ समय पहले क्या हुआ था? पंजाब में वर्तमान स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? श्रीमती गांधी के प्रधान मन्त्रित्व के दौरान विपक्ष और उन लोगों ने, जो आज पंजाब में कानून का विरोध कर रहे हैं, मिलकर पंजाब की समस्या का हल ढूंढने का प्रयत्न किया था। किन्तु श्रीमती गांधी ने इसका समर्थन नहीं किया। उस समय वोट बटोरने का स्वार्थपूर्ण तुच्छ उद्देश्य सामने आ गया। एक क्षेत्र के लोगों का दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ भिड़ाने का प्रयत्न किया गया। जम्मू और कश्मीर में भी यही स्थिति है। शेख अब्दुल्ला उसी अन्याय का शिकार हुए। जब फारूख अब्दुल्ला मुख्य मंत्री बने तो उनकी सरकार अपदस्थ कर दी गई और इस प्रकार कश्मीर के लोगों में भारत सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो गई। भारत सरकार की कार्यवाही से कश्मीरियों के मन में अविश्वास पैदा हुआ और धीरे-धीरे यह अविश्वास आतंकवादी गतिविधियों में बदल गया। आसाम में भी यही स्थिति है। यदि हम आसाम के आम लोगों की समस्याओं, उनकी गरीबी, बेरोजगारी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहां उग्रवादी गतिविधियों के लिए ये ही जिम्मेवार हैं। इस संदर्भ में मेरी पार्टी के मेरे साथियों ने जो कहा है, मैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूं। हम यह महसूस करते है कि पंजाब के लोगों के राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का मौका दिया जाना चाहिए। वहां के युवा वर्ग को गुमराह किया गया है और वह आतंकवाद में लिप्त है। उसे मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। अतः हमें वहां आम आदमी से सम्पर्क स्थापित करना है। यह काम गवर्नर या प्रशासन की सहायता से सम्भव नहीं है। यदि हम जनता से सहायता चाहते हैं तो हमें उनमें शामिल होना पड़ेगा। अतः हमारा काम विभिन्न राजनैतिक दलों को संगठित करना है और यह चर्चा करना है कि क्या कार्यवाही की जाए किन्तु सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है लोगों

से सम्पर्क करना। उन्हें सम्पर्क स्थापित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। हम लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें बैठकें, गोष्ठियां और सम्मेलन करने चाहिए और विचारों का आदान-प्रदान करना चाहिए। जहां तक जम्मू और कश्मीर की स्थिति का संबंध है, समाचारपत्रों में आज एक समाचार छपा है। श्रीनगर की गलियों में उग्रवादी हथियार लेकर निर्द्वन्द्व घूम रहे हैं। वहां प्रशासन है और सैन्य बल है। इस पर भी वे इतने दुस्साहसी कैसे हो गए हैं? इस घटना से हमें क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि इन उग्रवादियों की आम आदमी के साथ सांठगांठ है। वे सब प्रकार की गड़बड़ियां फैला रहे हैं। वे आम लोगों में मिल गए हैं। वस्तुत: वे लोगों में घुल-मिल गए हैं। यदि हमें उन्हें लोगों से अलग करना है तो हमें उन्हें राजनीतिक गतिविधियों की ओर मोड़ना होगा। इसके लिए यह जरूरी है कि उनकी समस्याओं, उनकी गरीबी बेरोजगारी की ओर ध्यान दिया जाए। उनकी आर्थिक स्थिति छिन्न-भिन्न हो गई है। हमें उनकी समस्याएं हल करनी हैं। यह केवल सेना की मदद से सम्भव नहीं है। जब तक हम अपनी मामाजिक व्यवस्था में बदलाव नहीं लाते हैं हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पायेंगे। आसाम की भी यह स्थिति है। आसाम में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए किन्तु अब चुनावों के बाद की स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है। इसके लिए कुछ राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही कांग्रेस द्वारा काफी लम्बे अर्से से वहां अपनायी जा रही वह नीति भी इसके लिए जिम्मेदार है। राज्यों के साथ उनके सौतेले व्यवहार से जन असंतोष भड़का है। लोगों का कांग्रेस के प्रति सम्मान का भाव समाप्त होता जा रहा है, इसलिए हमें जम्मू और कश्मीर, पंजाब और आसाम की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करना है। इस संदर्भ में मुझे कुछ कहना है। जी० एन० एल० एफ० दार्जिलिंग में सब प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। वे दार्जिलिंग को भारत से अलग करना चाहते हैं। हमें पता लगा है कि उसे केन्द्र की ओर से बढ़ावा मिला है। अत: हमें इस खतरे का सामना करना है और समस्या का हल ढूंढ़ना हैं। इसके लिए हमारा प्रस्ताव है कि इन स्थानों पर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ानी चाहिए। हमें सभी राजनीतिक दलों के साथ सलाह करनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम देश के सामने आयी इस चुनौती का सामना नहीं कर पायेंगे। हम नहीं चाहते कि देश में यह खतरा बना रहे। हमें यह समझ लेना चाहिए कि देश में गड़बड़ी फैलाने वालों को माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे देश की एकता और सम्प्रभुता को समाप्त कर रहे हैं। किन्तु हमें लोगों को इस कार्य के लिए विश्वास में लेना होगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि राजनीतिक गतिविधियां आरम्भ की जाएं। सभी दलों की बैठक बुलाई जाए और यह विचार किया जाए कि क्या कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कि आतंकवादी अलग-थलग पड़ जाएं।

इसके अतिरिक्त सरकारिया आयोग ने राज्यों को और अधिक शक्तियां देने की सिफारिश की है ताकि शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हो सके जिससे कि राज्य ठीक ढंग से काम कर सकें। इसे लागू किया जाना चाहिए। भूमि सुधार भी किये जाने चाहिए। हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को सख्ती से रोका जाना चाहिए। अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए अन्यथा आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि होगी।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राजनीतिक गतिविधियां आरम्भ करे और

आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए जनता के बीच जाए और लोगों को विश्वास में ले।

सभापति महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : सभापति महोदय···

सभापति महोदय : आप अगली बार जारी रखिए। सभा की बैठक सोमवार 11 बजे प्रात: पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 12 अगस्त, 1991/21 श्रावण, 1913 (शक)
11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केंद्र, 12/3, श्री राम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-53.

पी० एल० एस०—48/3/23/91 (एन०)
225

©1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, दक्षिणी मौजपुर, दिल्ली-53 द्वारा मुद्रित।